सप्तदश माला, खंड 5, अंक 9 गुरुवार, 28 नवम्बर, 2019

07 अग्रहायण, 1941 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 2019 / 1941 (शक)

अंक 9, गुरुवार, 28 नवम्बर, 2019 / 7 अग्रहायण, 1941 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
निधन संबंधी उल्लेख	12
सदस्य द्वारा निवेदन	
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर तथाकथित अशोभनीय टिप्पणी के बारे में	14-17
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 147	18-42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न सं 148 से 160	43
अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840	43

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में प्रश्न को उस सदस्य ने पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 44-56

राज्य सभा से संदेश 57

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति 58

पहला प्रतिवेदन

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 2019-2020 58

औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 59-88

नियम 377 के अधीन मामले 91-116

(एक) मार्बल पर अत्यधिक जीएसटी दर के बारे में

सुश्री दिया कुमारी 92

(दो) मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों की स्थिति के बारे में

श्री गणेश सिंह 93

(तीन) असम के करीमगंज जिले में सोन बील झील को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने तथा इस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री कृपानाथ मल्लाह 94

(चार) महाराष्ट्र के जलगाँव जिले में चार लेन वाली सड़कें बनाने में विलंब के बारे में

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल 95

(पांच) महाराष्ट्र के दिन्डोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी पात्र किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. भारती प्रवीण पवार 96

(छह) कर्नाटक में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जाने के बारे में

डॉ. उमेश जी. जाधव 97

(सात) राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीणों के गाँव की जमीन को भू-अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के कारण उनके समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती 98

(आठ) धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार दिए जाने की आवश्यकता

श्री छतर सिंह दरबार 99

(नौ) खुदरा औषिधि दुकान चलाने वाले दुकानदारों के लिए एक अल्पकालिक फार्मेसी पाठ्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 100

(दस) गुजरात के खेड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में

श्री देवुसिंह चौहान 101

(ग्यारह) राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी पटेल 102

(बारह) मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित रेल लाइन को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल 103

(तेरह) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भेजे जाने के बारे में

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया 104

(चौदह) उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चीनी मिलों के बारे में

श्री रविन्द्र कुशवाहा 105

(पंद्रह) पश्चिम बंगाल में चाय बागानों में काम करने वाले कामगरों की भविष्य निधि के बारे में

श्री जॉन बर्ला 106

(सोलह) अजमेर में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीआरजीबी) के मंडल कार्यालय की स्थापना तथा जोधपुर स्थित सीआरजीबी के मंडल कार्यालय के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री भागीरथ चौधरी 107-108

(सत्रह) कर्नाटक में नारियल बोर्ड के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में

श्री डी. के. सुरेश 109

(अट्ठारह) तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान जल संबंधी समस्याओं के बारे में

श्री सी. एन. अन्नादुरई 110

(उन्नीस) आन्ध्र प्रदेश की उत्तरांधरा सुजला स्रवंति सिंचाई परियोजना के बारे में

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती 111

(बीस) बिहार में सोन नदी पर बने स्थित इंद्रपुरी बैराज का गाद निकाले जाने की आवश्यकता

श्री महाबली सिंह 112

(इक्कीस) पश्चिम बंगाल में केस्टोरमपुर में दामोदर नदी पर बांध बनाए जाने के बारे में।

श्री सुनील कुमार मंडल 113

(बाईस) तमिलनाडु में तिरूप्पुर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. सुब्बारायण 114-115

(तेईस) कोल्लम स्थित केन्द्रीय विद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से एक अतिरिक्त बैच शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 116

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 117-265

विचार के लिए प्रस्ताव 117-123

श्री हरदीप सिंह पुरी 117-124, 219-232

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी 125-128

श्री रमेश बिधूड़ी 129-148

श्री दयानिधि मारन 149-151

श्रीमती प्रतिमा मण्डल 152-155

श्री रघु राम कृष्ण राजू 156-157

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी 158-160

कुंवर दानिश अली 161-166

श्री डी.के. सुरेश 167-169

श्री मनोज तिवारी 170-179

श्री हसनैन मसूदी 179-181

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार 182-184

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	185-188
श्री एम. सेल्वराज	189
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	190-192
श्री हनुमान बेनीवाल	193-195
श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा	196-203
श्री भगवंत मान	204-207
श्रीमती मीनाक्षी लेखी	208-214
श्री अधीर रंजन चौधरी	215-216
खंड 2 से 3 और 1	233-239
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	240-241

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 28 नवम्बर, 2019 / 7 अग्रहायण, 1941(शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे चार पूर्व सदस्यों, डॉ. आर.के.जी. राजुलु, श्री रामनाथ दुबे, डॉ. बंशीलाल महतो तथा श्री कैलाश जोशी के दुखद निधन के संबंध में सूचित करना है।

डॉ. आर.के.जी. राजुलु दसवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तमिलनाडु के शिवकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। डॉ. आर.के.जी. राजुलु का निधन 20 अक्टूबर, 2019 को 60 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री रामनाथ दुबे सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वे पेशे से एक कृषक तथा वकील थे जिन्होंने सामाजिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री रामनाथ दुबे का निधन 25 अक्टूबर, 2019 को 86 वर्ष की आयु में हुआ।

डॉ. बंशीलाल महतो सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोरबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वे एक चिकित्सा व्यवसायी थे जिन्होंने काफी लोगों के उत्थान के लिए काम किया।

डॉ. बंशीलाल महतो का निधन 23 नवम्बर, 2019 को 79 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री कैलाश जोशी चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री कैलाश जोशी मध्य प्रदेश विधान सभा में आठ बार विधायक रहे। वे 1977 से 1978 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और मध्य प्रदेश सरकार में वाणिज्य तथा उद्योग एवं विद्युत मंत्री भी रहे। वे 1962 से 1998 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री कैलाश जोशी 1972 से 1977 तक तथा 1985 से 1990 तक मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे।

श्री कैलाश जोशी जी का निधन 24 नवम्बर, 2019 को 90 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक-संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं जब निधन संबंधी उल्लेख करूं तो माननीय सदस्य उस समय आपस में बातचीत न करें। यह मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह है।

... (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.05 बजे</u>

<u>सदस्य द्वारा निवेदन</u>

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर तथाकथित अशोभनीय टिप्पणी के बारे में।

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की मर्यादा की बात कर रहा हूँ। हाउस के अंदर कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है कि ... *पार्टी है, यह हाउस के अंदर क्या हो रहा है। ... (व्यवधान) जिस पार्टी के हजारों नेताओं ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए बलिदान किया है, उस कांग्रेस पार्टी को कोई ... * कह लेता है। ... (व्यवधान) सदन क्या चुप रहेगा? इस सदन के अंदर महात्मा गांधी जी, जो राष्ट्र पिता हैं, राष्ट्र पिता के हत्यारे को ... * कहते हैं, उसको ... * कहलाते हैं। सदन क्या चुप रहेगा? सरकार क्या चुप रहेगी, ...(व्यवधान) सरकार को खुल कर कहना चाहिए, यह ... * पंथी है, यह गांधी पंथी है। आप इंदिरा गांधी को हड़पना चाहते हैं, जवाहर लाल नेहरू को हड़पना चाहते हैं। अभी महात्मा गांधी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया इनकी निंदा करती है, सारा हिन्दुस्तान इसकी निंदा करता है। सरकार को इस पर बयान देना चाहिए।...(व्यवधान) सरकार को खुले दिल से कहना चाहिए कि यह ... * है या गांधीपंथी है।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आपका गला फट जाएगा। मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: माननीय अध्यक्ष महोदय,… *प्रज्ञा ठाकुर को देशभक्त कहा गया है। …(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ, माननीय सदस्यगण, आप सभी इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अति वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अगर सदन के रिकार्ड को देखते जो माननीय सांसद ने बोला, उसे रिकार्ड से हटा दिया गया है और वह रिकार्ड में भी नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 141

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रक्षा मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं। आप बैठ जाइए, रक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दें।

माननीय अध्यक्ष: क्यों बोलने दें? इस पर डिबेट थोड़े हो रही है। इस हाउस के रिकार्ड में होगा तो डिबेट होगी। जब कोई चीज रिकार्ड में नहीं है तो कैसे डिबेट हो सकती है। माननीय रक्षा मंत्री जी, अगर ये बैठते हैं तो आप बोलिए नहीं तो इनको बोलने दो।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी**:** अध्यक्ष महोदय, ... *कहा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष: अगर कोई चीज रिकार्ड में हो तब सदन में बात कर सकते हो। आप जो बाहर बोलते हो वह सदन में डिबेट होने लग जाएगी तो कर लेना चर्चा। यह गलत है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है और इसे रिकार्ड से हटा दिया गया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): हर बार, यह सदस्य महात्मा गांधी का अनादर कर रहे हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: रिकार्ड में गया ही नहीं तो हटाने का क्या सवाल है? माननीय रक्षा मंत्री जी जब ये चुप होंगे तब आप बोल लेना। आप बैठ जाइए। सदन के उप नेता बोल रहे हैं। सुरेश जी आप सीनियर मेंबर हैं।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: अध्यक्ष महोदय, हमको भी बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं इस विषय पर किसी को भी नहीं बोलने दूँगा, जब कोई विषय सदन के रिकार्ड में लिया ही नहीं गया तो उस पर चर्चा करने का सवाल ही नहीं है। अगर रक्षा मंत्री जी कोई बात कहना चाहते हैं तो कहें।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूँ **कि** देशभक्त मानने की यदि किसी की सोच है, तो इस सोच की हमारी पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है।...(व्यवधान)

जहां तक महात्मा गांधी जी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं। वह पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में महात्मा गांधी जी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। ...(व्यवधान)

उनके प्रति, चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी जी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 141

श्री भर्तृहरि महताब।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.11 बजे</u>

[अनुवाद]

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री कलानिधि मारन, श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील, प्रोफेसर सौगत राय, श्री असादुद्दीन ओवैसी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

पूर्वाह्न 11.12 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 141

(प्रश्न संख्या 141)

श्री भर्तृहरि महताब : माननीय अध्यक्ष, जब मैं इस सदन में आया था, तो मैं उस तकनीकी सहायता के लिए आपको बधाई देने के विचार से आया था जो लोक सभा टी.वी. सभी सदस्यों को प्रदान कर रहा है। …(*व्यवधान*) पिछले दो दिनों से, इस सदन में हमारे विचार-विमर्श की वीडियो रिकॉर्डिंग सीधे हमारे पास भेजी जा रही है, जो बहुत प्रशंसनीय है। यह आपकी पहल है जिसने इसे संभव बनाया है। …(*व्यवधान*) मैं इस विशेष पहल के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद दूँगा।

यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हवाई यातायात का विस्तार तेजी से हुआ है लेकिन हवाई यातायात के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा उपायों ने हवाई यातायात में इतनी वृद्धि के साथ गति नहीं रखी है। वास्तव में, पिछले कुछ अवधि से इस मुद्दे पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि देश भर के बहु-राज्य सहकारी बैंकों के पंजीकरण की अनुमति चाहता हूँ। क्या सरकार विमान पत्तन के संचालन में कोई मूल्य जोड़ने जा रही है, जिसकी मुख्य समस्या खराब एयरसाइड बुनियादी ढांचे और हवाई यातायात प्रबंधन में है।

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष जी, पिछले पाँच वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने, देश में आम नागरिक उड़ सकें, इस दृष्टिकोण से जो सुविधाएं प्रदान की हैं और पिछले पाँच वर्षों में बदली हुई परिस्थितियों में हवाई सुविधाओं का जैसे विस्तार हुआ है, उस विस्तार को लेकर माननीय सदस्य ने अपनी सहमति व्यक्त की है। मैं माननीय सदस्य को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से ट्रैफिक बढ़ने के कारण एयर ट्रैफिक के संचालन की व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है। लेकिन इस कारण से जन सुरक्षा से समझौता हो, ऐसी परिस्थिति नहीं है। माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न एयर प्रॉक्सिमिटी को लेकर किया था, विश्व में भारत एयर सेफ्टी और एयर मिस की घटनाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानक के औसत की अपेक्षा एक तिहाई पर है। यदि हम विश्व के मानक स्तर पर देखें तो इस दृष्टिकोण से ऐसी घटनाओं में, जो निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है, हम विश्व की सूची में 11वें स्थान पर हैं। सबसे ज्यादा जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वे अमरिका में हुई हैं। सारे विकसित देशों के बाद हम 11वें पायदान पर हैं। अगर हम बिजी एयरपोर्ट्स के दृष्टिकोण से भी देखें तो पहले दस में हम 7वें स्थान पर हैं, जहाँ सुरक्षा मानकों पर किसी तरह की एयर प्रॉक्सिमिटी की घटनाएं दर्ज हुई हैं। मैं माननीय सदस्य और सदन में संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं जो रजिस्टर्ड हुई हैं, उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उनमें जो सर्वाधिक चिंता का विषय है, पिछले तीन वर्ष में ऐसी केवल एक घटना रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन, कुल मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 30 से 35 के बीच में इस तरह की जो एयर प्राक्सिमिटी की घटनाएं रजिस्टर्ड होती हैं, उनमें हम हरेक की विस्तृत जाँच करवाते हैं और वह घटना भविष्य में न हो, इसके बारे में पूरा संज्ञान लेकर ध्यान दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा पहला अनुपूरक था कि क्या आप हवाई यातायात प्रबंधन में मूल्य जोड़ने जा रहे हैं। जिसका जवाब नहीं दिया गया है। मैं डी.जी.सी.ए. के कामकाज से संबंधित, जो मार्गों, किराए, उड़ान

शर्तों में दिखता है और एयरलाइनों और पायलटों को लाइसेंस देने, विमानों के प्रमाणन के प्रकार और हवाई सुरक्षा की देखरेख के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, के आधार पर अपना दूसरा अनुपूरक रखूँगा। इसके शीर्ष पर, महोदय, डी.जी.सी.ए. को दुर्घटनाओं या एयर मिस घटनाओं की जांच करने का भी काम सौंपा गया है। क्या यह हितों का स्पष्ट टकराव नहीं है क्योंकि डी.जी.सी.ए. विमानों के रखरखाव और मरम्मत पर हस्ताक्षर करता है, हवाई सेवाओं की देखरेख करता है, सुरक्षा मुद्दों और मंत्री जी के प्रतिवेदन पर भारत के नागर विमानन प्राधिकरण को सलाह देता है? कोई उचित रूप से यह कैसे उम्मीद कर सकता है कि यह दुर्घटना की जाँच या दुर्घटना के पास की घटना की ठीक से जाँच करे, जिम्मेदारी की पहचान करे और व्यवस्थित सिफारिशें भी करे जो उसके किसी ग्राहक के संगठन के खिलाफ जा सकती हैं या उस पर दबाव डाल सकती हैं? यदि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अधिकांश यूरोपीय देशों में हितों के टकराव से बचने के लिए एक निर्दलीय हवाई सुरक्षा एजेंसी है, तो हम एक निर्दलीय हवाई सुरक्षा एजेंसी क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या हम बहुत अधिक की उम्मीद कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से संभाव्य और उत्कृष्ट रूप से वांछनीय है?

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पिछले प्रश्न के मेरे उत्तर के प्रत्युत्तर में कहा कि वे संतुष्ट नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यह डायनामिक प्रोसेस है और अपग्रेडेशन एंड सिक्योरिटी मेजर्स तथा सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाने के लिए लगातार चलते रहने वाला है। इस दिशा में निश्चित रूप से देश में भी लगातार प्रयास, प्रयत्न और काम हो रहा है। जहां तक इंडिपेंडेंट आर्गेनाइजेशन की बात है, जिस तरह से अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की है, भारत में भी इसी तरह का एएआईबी इंडिपेंडेंट आर्गेनाइजेशन है, जो इस तरह के सीरियस एक्सिडेंट्स को, जैसा मैंने कहा कि इसको चार कैटेगरीज में, डिफ्रेंट कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है, सारे सीरियस इंसीडेंस पर यह इंडिपेंडेंट आर्गेनाइजेशन ही इस बात का अध्ययन करता है और उनकी रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर आगे के निर्णय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री राहुल रमेश शेवाले : सरकार ने पिछले दशक के दौरान एयरलाइंस और विमान पत्तनों के निजीकरण और सामान्य रूप से नागरिक उड्डयन को विनियमित करने पर ज़ोर दिया है। नतीजतन, भारत ने हर वर्ष हवाई यातायात में 20 प्रतिशत की वृद्धि देखी है। हालांकि, देश में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हवाई यातायात नियंत्रकों की महत्वपूर्ण कमी है। नवम्बर, 2016 में इंडिगो और के.एल.एम. के बीच लगभग चूक की घटना की ए.ए.आई.बी. के जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि दिल्ली हवाई यातायात नियंत्रण में 109 रडार नियंत्रकों में से 101 ने लगभग एक वर्ष तक कोई कर्तव्य नहीं निभाया जिससे उनकी टॉवर रेटिंग अमान्य हो गई।

मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा कि ऐसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित ट्रैफिक नियंत्रकों की अनुपस्थिति में, जुलाई 2019 के महीने के दौरान तीन दिनों में मुंबई, मैंगलोर, सूरत, कोझिकोड और कोलकाता में पाँच दुर्घटनाएं हुईं। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए प्रत्येक हवाई अड्डे, विशेष रूप से मुंबई विमान पत्तन, पर पर्याप्त और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हवाई यातायात नियंत्रक तैनात किए जाएं?

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता निश्चित रूप से जायज है, लेकिन मैं माननीय सदस्य और सदन के संज्ञान में लाने के लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले तीन साल में 1000 से ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, जो वेल ट्रेन्ड एण्ड क्वालीफाइड थे, को देश के एयरपोर्ट्स पर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के मद्देनजर रिक्रूट किया गया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय सदस्य संक्षेप में पूछिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, बहुत ही साधारण सवाल है और माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है।

महोदय, यह एक भ्रान्ति है कि सिर्फ एक ही संस्था एयरमिस के लिए ज़िम्मेदार है, कई बार एयर ट्रैफिक सर्विसेज(सेवाएं) से भी चूक हो सकती है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं और कई बार पायलटों से भी चूक हो सकती है और यह नॉन आरबीएसएम स्पेस है, जो टेक-ऑफ और लैण्डिंग के समय ज्यादा मात्रा में होता है।

महोदय, भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की चर्चा सदन में नहीं होती है। भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दुनिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बराबर हैं और कई उनसे भी बेहतर हैं। हमें इस बात की बधाई देनी चाहिए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की गुणवत्ता के कारण, जिस प्रकार से पूरा सदन मेजें थपथपा रहा है, आज हम सबके जीवन की सुरक्षा की बड़ी ज़िम्मेदारी उनके पास है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, जिनके बारे में न सदन में चर्चा होती है, न सरकार में चर्चा होती है। वर्षों से यह मांग की जा रही है कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज(सेवाएं) को एयरपोर्ट अथॉरिटी से बाहर निकाला जाए, ताकि उनकी अपनी स्वायत्ता हो सके और उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। पहले जब तक एयरपोर्ट्स का निजीकरण (प्राइवेटाइज) नहीं हुआ था, एयरपोर्ट अथॉरिटी की कमाई का बड़ा हिस्सा एयर ट्रैफिक सर्विसेज(सेवाएं) की कमाई से आता था। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि वर्षों से एयर ट्रैफिक सर्विसेज(सेवाएं) की यह माँग है कि उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी से अलग किया जाए ...(व्यवधान) और उनके भी अधिकारी ऊपर के स्तर पर जा सकें, जैसा माननीय निशिकांत दुबे जी ने भी बोला है, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब आपके शहर कोटा से हवाई जहाज उड़ेगा, तो यही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स उसका नियंत्रण करेंगे और सुरक्षित हमें दिल्ली में उतारेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज(सेवाएं) को एयरपोर्ट अथॉरिटी से अलग करके, जो कई रिपोर्ट्स में भी आया है, स्वायत्ता देने का निर्णय सरकार कब करेगी? ... (व्यवधान) मैं इसके बारे में सरकार से उत्तर चाहूँगा।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है कि पूरे सदन में इस विषय के बारे में सबसे ज्यादा अनुभव यदि किसी का है तो वह माननीय सदस्य का है। उन्होंने मंत्री जी के नाते भी और टेक्नीकली एक कॉमर्शियल पायलट के नाते भी लगातार बहुत वर्षों तक देश की सेवा

की है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को डीजीसीए सर्टिफाई करता है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, निश्चित रूप से उस पर आगे गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है।

(प्रश्न संख्या 142)

श्री विनसेंट एच. पाला : राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के 'भारत में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति' पर नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार -- जो पिछले सप्ताह जारी किया गया था -- लगभग 29 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और लगभग चार प्रतिशत शहरी परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं। न केवल यह स्वच्छ भारत मिशन के आंकड़ों के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि 95 प्रतिशत परिवारों के पास एन.एस.ओ. सर्वेक्षण के अनुरूप अवधि में शौचालय हैं, बल्कि राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एन.ए.आर.एस.एस.) के निष्कर्ष भी हैं, जिसमें कहा गया था कि 93.1 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण परिवारों की इसी अवधि में शौचालयों तक पहुंच है।

क्या मैं माननीय सभापति से यह पता कर सकता हूँ कि विसंगतियों के क्या कारण हैं और इनमे से कौन सा सही है?

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अत्यंत ही रोचक प्रश्न किया है। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि देश के 699 जिले, जिनमें स्वच्छता का यह कार्यक्रम देश की सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में किया था। इसको एक अभूतपूर्व सफलता के साथ रखते हुए, पूरे विश्व के सामने एक कीर्तिमान प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन्स ने जो समय-सीमा वर्ष 2030 तक तय की थी, यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि उसे भारत ने वर्ष 2019 तक पूरा किया है। इस लक्ष्य को पूरा करके निश्चित रूप से हम सभी भारतीयों का, चाहे हम किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता से आते हों, सम्मान विश्व भर में बढ़ा है। 100 करोड़ लोग, जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे, उनमें से 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा दिलाई गई है। धा दिलाई गई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 699 जिलों ने, ऐसे जिले सभी राज्यों में उपस्थित हैं जहां हम सभी बैठे हुए लोगों में से किसी न किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता की सरकार होगी, उन सब जिलों ने सेल्फ-सर्टिफाई करके इस तरह के सर्टिफिकेट्स इश्यू किए हैं कि उनके जिले ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर हो गए हैं। जहाँ तक डिसक्रिपेंसी/विसंगति का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि रिस्पाँडेंट बायस सर्वे मैकेनिज्म में होता है। जो सर्वे की साइंस है, वह कहती है कि डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग के समय कई बार इस तरह की चूक होना स्वाभाविक है, इस तरह के गैप्स आना स्वाभाविक है और पूरे विश्व भर में इस बात को सर्वे साइंस के साइंटिस्ट्स ने कहा है। यदि सदस्य चाहेंगे, आप अनुमति देंगे और समय की उपलब्धता होगी तो मैं विस्तार से इस बारे में बता सकता हूँ कि रिस्पाँडेंट बायस/भिन्नता के कारण किस तरह से ऐसे गैप्स आते हैं। इंटरनेशनली भी सर्वे साइंस के वैज्ञानिकों ने और अध्येताओं ने इस बात को प्रतिपादित किया है कि इस तरह के लाभ से जुड़े विषयों में यदि प्रश्न किया जाता है तो 40 प्रतिशत तक रिस्पाँडेंट बायस/भिन्नता आने की संभावना है। हमारे देश में सर्वे साइंस के विद्यार्थियों ने इस बायस/भिन्नता को 50 प्रतिशत तक आंका है, लेकिन हमारे जिलों में, हमारी सरकारों ने इस बात को प्रस्तुत किया है और यह एक डायनमिक प्रोसेस है। जहाँ तक शौचालयों के निर्माण और उनको उपलब्ध कराने का प्रश्न है, जिलों ने और प्रदेश की सरकारों ने जो सर्टिफाई किया है, उसके आधार पर मैंने डेटा दिया है, लेकिन हमने एक घोषणा के बाद भी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जो लेफ्ट ओवर आफ्टर द बेसलाइन हैं, उनको भी शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमने उनको खुली छूट दी है। मैं इस सन्दर्भ में, यहाँ खड़े होकर बिहार सरकार और पंजाब सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अखबार में एडवर्टीजमेंट्स दिए हैं कि यदि कोई भी पीछे रह गया हो तो वह आकर प्रतिवेदन करे, हम उसे शौचालय की सुविधा देंगे। हमने उस दिशा में आगे काम किया है। मैं, सदन के माध्यम से अन्य राज्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जहाँ कहीं भी, जो कोई भी पीछे रह गया है, वे उसे इस तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए काम करें। भारत

की सरकार, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हाथ पकड़कर इस तरह की सुविधा, हैण्डहोल्डिंग करके देने के लिए तैयार है।

[अनुवाद]

श्री विनसेंट एच. पाला : 18 नवम्बर को राज्य सभा में दिए गए उत्तर में, सरकार ने कहा कि 5.99 लाख गांवों में से, खुले में शौच से मुक्त स्थिति पर सत्यापन का दूसरा दौर केवल 1.54 लाख गांवों में किया गया था। सरकार का लक्ष्य सभी गांवों के दूसरे दौर के सत्यापन को कब तक पूरा करना है? उस मामले का क्या होगा जहां एक गाँव दूसरे सत्यापन में आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, भले ही उसने पहले सत्यापन में उसे पूरा किया हो?

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2018 के जिस सर्वेक्षण की उन्होंने बात की है, उसके बाद में स्वच्छता का एक ब्रॉडर सर्वेक्षण अभी 2019 में पूरा किया गया है, जिसमें हमने विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ सकें, सहभागिता कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान किया था। तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऐसे ब्रॉडर सर्वे में अपनी सहभागिता दर्ज की थी। यह एक डायनमिक प्रोसेस है और लगातार इस तरह के सर्वे होते रहते हैं। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसने यह सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में जो व्यक्ति इसमें नए जुड़ते हैं, हमने अनुमान लगाया है कि प्रतिवर्ष ऐसी आवश्यकता होगी कि करीब 30 लाख से ज्यादा नए शौचालयों का निर्माण करना पड़े और हम इस काम के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। पूरे देश में हमारी सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम खुले शौच से देश को मुक्त कराया। उन्होंने देश के राज्यों का उल्लेख भी किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ की जो ओडीएफ इन राज्य घोषित हुए हैं, वे वर्ष 2012 की बेसलाइन पर घोषित हुए हैं। उसके बाद, आप जो पुन: सर्वेक्षण की बात कह रहे हैं, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जनपद भी हो। हमारे जनपद से लगभग एक लाख का प्रस्ताव राज्य के माध्यम से भारत सरकार के पास आया है और उत्तर प्रदेश का एक

क्यूमुलेटिव प्रस्ताव काफी बड़ी संख्या में आया है, वे प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जाएंगे और वह पैसा कब तक राज्य को निर्गत हो जाएगा?

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत : मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि शौचालयों के निर्माण के लिए बेस लाइन सर्वेक्षण के बारे में आगे आकर हमने राज्यों को लिखा है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, देशभर में एक करोड़ दस लाख ऐसे नए शौचालय बनाने के प्रस्ताव स्वीकृत किए थे। उनमें से 85 लाख शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी हमने पुन: पत्र लिखकर कहा है। माननीय सदस्य ने बेस लाइन सर्वे के पीछे छूटों की बात कही है। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि कोई भी पीछे न रहे, इस दृष्टिकोण से राज्य सरकारें अपने यहां सुनिश्चित करें कि वे जो भी प्रतिवेदन भेजेंगी, वे सारे प्रतिवेदन यथाशीघ्र स्वीकृत करके इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

(प्रश्न संख्या 143)

[अनुवाद]

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि : महोदय, प्रश्न के लिखित उत्तर में, यह उल्लेख किया गया है कि डी.पी.आर. तैयार होने के बाद परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा। मैं यह जानना चाहूँगी कि वे किस अनुमानित समय-सीमा पर विचार कर रहे हैं और ये परियोजनाएं कब पूरी होंगी।

मैं एक और प्रश्न भी पूछना चाहूँगी। तमिलनाडु में चक्रवात गाजा के बाद, लगभग 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान लोगों को हुआ। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने केवल 1,046 करोड़ रुपये को संस्वीकृत है या जारी किया है। तो, बाकी पैसा कब जारी किया जाएगा? धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, नेशनल डेवलपमेंट वॉटर एजेंसी ने 137 बेसिन और सबबेसिन, 71 डायवर्सन्स के प्वॉइंट, 74 रिजर्वायर और 37 लिंक एलाइनमेंट्स इंटर लिंकिंग के लिए चिह्नित की थीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए। उसके लिए नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी ने स्टडी की और उसके लिए ये प्वॉइंट्स चिह्नित किए गए थे। उसके बाद 30 लिंक्स को हमने छांटा कि यहां पर यह कार्य हो सकता है। उसके बाद भी हमने 14 पेनिनसुलर कम्पोनेंट लिंक को पहचाना और दो हिमालयन एरिया डेवलपमेंट के रीवर्स के अंतर्गत पहचाना। 30 प्रोजेक्ट्स में से चार प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार हो चुकी है और कई प्रोजेक्ट्स में फर्स्ट फेज और सैकेंड फेज का कार्य शुरू हो चुका है। चूंकि वॉटर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक है। दूसरे विभागों से भी मंजूरी लेनी पड़ती है जैसे की पर्यावरण विभाग है।

माननीय अध्यक्ष : आपने कह ही दिया है कि राज्यों की मंजूरी लेनी पड़ती है।

प्रो. सौगत राय : महोदय, कटारिया जी को पहली बार उत्तर देने के लिए मुबारकबाद देनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : अभी बहुत लोग पहली बार बोलेंगे।

श्री गणेश सिंह : महोदय, नदियों को परस्पर जोड़ने का विचार सबसे पहले देश में पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, लेकिन दस वर्षों तक यूपीए की सरकार थी। उस प्रोजेक्ट को एक कदम भी आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ था।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप आरोप मत लगाएं, आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री गणेश सिंह : महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने परस्पर नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने का काम किया। इसके तहत जो 14 परियोजनाएं हैं, उनमें से हमारे मध्य प्रदेश की दो परियोजनाएं हैं - केन-बेतवा नदी और पार्वती-कालीसिंध चम्बल। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीन राज्यों से जुड़ा हुआ विषय है और मैं जानना चाहता हूँ की साध्यता रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन इनका काम कब तक शुरू हो पाएगा और इसमें कितना खर्च आने वाला है?

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे गंभीर विषय पर प्रश्न किया और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस विषय में जो गंभीर प्रयास रहे हैं, उनका उल्लेख भी किया है। जिन लिंक्स की चर्चा मेरे सहयोगी राज्य मंत्री जी ने की है, उन लिंक्स को आईडेंटीफाई करना, उनकी डिटेल रिपोर्ट बनाना और उसके बाद जो संवैधानिक स्वीकृतियां हैं, चाहे वे वाइल्ड लाइफ विभाग से लेनी हो, फारेस्ट विभाग से लेनी हो या एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेनी हों, ये क्लीयरेंसेज लेनी होती हैं। इसके अतिरिक्त सबसे आवश्यक विषय राज्यों की मंजूरी का है। चूंकि पानी राज्यों का विषय है और राज्य अपनी सहमति व्यक्त करें तथा साथ आएं। पानी राज्यों का विषय होने की वजह से ऐसा किए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उ**न्होंने** जिन दो लिंक्स का उल्लेख किया है और अपने मूल प्रश्न में कनिमोझी जी ने प्रश्न किया था, उसमें भी उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया था, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली डीपीआर बनने के बाद भी यदि राज्य साथ में बैठकर सहमति नहीं देंगे, तो कठिनाई होती है। जिन लिंक्स का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, उनके लिए जल बंटवारे को लेकर

अभी पूर्ण सहमति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच नहीं बनी है। जिस दिन सहमति बनेगी, उस दिन निश्चित रूप से हम इसमें काम प्रारम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अध्यक्ष जी, मैं सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश के लगभग 18 प्रतिशत भूभाग में हर साल बाढ़ आती है। 13 प्रतिशत भूभाग में हर साल सूखा पड़ता है। इस समस्या का स्थायी समाधान इस दिशा से ही प्राप्त किया जा सकता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सब भी अपने-अपने राज्यों में जिस किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां अपनी सरकारों से आग्रह करें कि हम सब मिलकर किस तरह से खुले दिल से साथ में बैठकर इस विषय में सहमति बना सकते हैं। यदि ऐसा प्रयास सभी लोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश हम सबको साधुवाद भी देगा और ऋणी भी रहेगा।

माननीय अध्यक्ष : मेरा कहना है कि यह विषय गंभीर है। आप लिख कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा हो जाए। इस विषय पर बोलने के लिए सदस्यों के नामों की मेरे पास लम्बी लिस्ट है। प्रश्न काल में दूसरे विषय के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं और बहुत लम्बी लिस्ट है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रमा देवी जी, आप बैठ जाएं। आपकी बात रेकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुरेश कोडिकुन्नील।

[अनुवाद]

कोडिकुन्नील सुरेश : महोदय, नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में, पंबा-अचनकोविल-वैपर लिंक, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि व्यवहार्यता प्रतिवेदन पूरा हो गया है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इन समुदायों को आपके माध्यम से अनुसूचित जनजाति में, शामिल करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्या व्यवहार्यता प्रतिवेदन को पूरा करने से पहले, उन्होंने केरल की राज्य सरकार

और तमिलनाडु की राज्य सरकार के साथ इस पर चर्चा की है। महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर पम्बा और अचनकोविल नदियां प्रवाहित होती हैं। अगर इन नदियों को वैप्पड़ नदी से, जोड़ दिया जाए तो किसानों को नुकसान होगा। साथ ही, हमारे लोगों को पीने का पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आपके, माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि, अंतिम निर्णय लेने से, पहले उन्हें केरल सरकार और केरल के लोगों को विश्वास में लेना होगा। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष जी, मैंने भी कहा था कि राज्यों की सहमति इसमें प्राथमिक आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि फिजिबिल्टी रिपोर्ट बनाने से पहले दोनों राज्यों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की थी।

(प्रश्न संख्या 144)

श्री सुनील कुमार पिंटू : अध्यक्ष जी, प्रश्न का जवाब विस्तार से प्राप्त हुआ है, परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चंद सवालात जानना चाहता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट है। लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है। आज यहाँ बैठे सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिन लोगों का स्किल डेवलपमेंट हुआ है, उन्हें बैंकों के असहयोग के कारण एक पैसे का भी ऋण नहीं मिलता है। यदि ऋण मिलता भी है, तो केवल उन्हीं लोगों को जिनके बीच में बिचौलिए होते हैं। स्किल डेवलपमेंट के बाद उनके स्वरोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार के स्तर पर कोई ठोस प्रोग्राम देखने को नहीं मिला है।

महोदय, इसी के साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि बिहार में जितने भी लोगों का स्किल डेवलपमेंट हुआ है उन्हें ब्लॉक लेवल पर रोजगार मिल सके या उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण मिल सके या वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, ऐसा प्रश्न के जवाब में कहीं जिक्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में बढ़ रही बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का काम हुआ है, उसके तहत लोगों को रोजगार या व्यापार करने में किस प्रकार का सहयोग करने का सरकार विचार रखती है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष जी, देश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या काफी बड़े पैमाने पर है, जिसका सामना हम सब लोग कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, वह भी बिल्कुल सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसरों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। रोजगार निर्माण करने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग मिलती है, उसके लिए सरकार ने एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट बनाया है। डॉ.महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी उसके मंत्री हैं और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की अनेक प्रकार की ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए अनेक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दी है। अब उसमें उनकी अनेक योजनाएं हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह करते समय सरकार ने जो योजना बनाई है, उसमें विशेष रूप से सरकार की

स्फूर्ति योजना है। जो उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री का प्रश्न पूछा है, तो कॉटेज इंडस्ट्री करके कोई परिभाषा नहीं है। मैं समझता हूँ कि कॉटेज इंडस्ट्री यानी विलेज इंडस्ट्री। इसका टर्न-ओवर 84000 करोड़ हम लोग इस साल उम्मीद कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो खादी ग्रामोद्योग है, कुम्हार है, लोहार है, हमारे जूते बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसमें छोटे-छोटे बहुत व्यापारी लोग काम करते हैं, जो जूते बनाने की ट्रेनिंग देने का काम करता है, उसके लिए कतार लगी हुई है क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा डिमांड है।

एक तरफ अभी हमने यह तय किया है कि जो इंडस्ट्री विशेष रूप से शुरू होगी, वही स्किल ट्रेनिंग देने का काम करेगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी और स्किल भी मिलेगी। रूरल सेक्टर में यह संभव नहीं है क्योंकि वहां इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। पर इसमें जैसे आपको विदित होगा कि जो कुम्हार हैं, वे कुल्हड़ बनाते हैं। हमारी सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया। मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से विनती की थी और खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष मेरे पास आए, मैंने यह विनती उनसे की कि रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक और पेपर ग्लासेज के बजाए कुल्हड़ को उपयोग मे लाया जाए। आज 400 रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उपयोग यह हुआ है कि करीब-करीब 74000 ऐसे यूनिट्स छोटे-छोटे कुम्हारों के हैं।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : कोई नई बात कीजिए। पुरानी बात है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री नितिन जयराम गडकरी : इसको और बड़े पैमाने पर जनरेट/उत्पन्न कर रहे हैं। जो नई बात करने की बात हमारे सम्माननीय मित्र पूछ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पुराने काल में चाइना से अगरबत्ती आती थी और लोगों का रोजगार छीना गया था। हमारे यहां अगरबत्ती इंडस्ट्री है। तमिलनाडु के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। ये आपको बताएंगे। मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि आइसक्रीम खाने का चम्मच भी चाइना से आ रहा था। ...(व्यवधान) इसलिए मैंने मज़ाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है? ...(व्यवधान) सम्माननीय सदस्य जी, अभी हमने चाइना से आए हुए सभी बैम्बू प्रोडक्ट्स पर 30 प्रतिशत ड्यूटी लगा दी है। इसके कारण अब करीब 25 लाख महिलाओं और पुरुषों को रोजगार मिला है। 4000 करोड़ रुपये का

इम्पोर्ट रुकेगा और यह पूरा काम लोगों को मिलेगा। ...(व्यवधान) हमारे देश की चमड़े की इंडस्ट्री 1,45000 करोड़ की है। इसमें 85000 करोड़ रुपए का डोमैस्टिक यूज है और करीब 45 से 50000 करोड़ एक्सपोर्ट है। इसलिए इसी इंडस्ट्री के कार्यक्रम में मैं गया था और यह बड़े पैमाने पर कारीगरों को काम देती है।

अभी हमने तय किया है कि जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी तकनीक, इनोवेशन, नयी मशीनें लानी चाहिए। इसकी ट्रेनिंग देने की हम योजना बना रहे हैं और उसको टैक्स एग्जेम्पशन कैसे दे सकते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और नये रोजगार का निर्माण हो।

दूसरी ओर हमने इसके साथ-साथ यह अध्ययन शुरु किया है, कॉमर्स सैक्रेटरी/ वाणिज्य सचिव और हमारे दोनों संयुक्त सचिव ने, कमेटी अध्ययन का आज ही मेरे यहां प्रेजेंटेशन है कि हमारा जो इम्पोर्ट हो रहा है, उसको हम कैसे कम करें? इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इकोनॉमी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। दोनों से एम्पलॉयमेंट पोटेंशियल यानी रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। अब आप नई चीज के लिए कह रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे हनी/शहद है, हमने हनी/शहद का बजट अभी दस गुना बढ़ा दिया है। जो मैसूर का संस्थान है, बड़े-बड़े होटलों में चाय में छोटे से कागज के बैग में शुगर होती है, वह चाय में डालते हैं। सांचे में डालकर शुगर को हम कॉफी में डालते हैं। अभी हमने एक नया प्रयोग किया, आने वाले दो-तीन महीने में खादी ग्रामोद्योग को लॉन्च करने जा रहे हैं कि हनी/शहद का क्यूब बनाएंगे। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हनी/शहद नहीं, मनी चाहिए। हनी के बदले मनी चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब देने में सक्षम हैं। जवाब देने के लिए मैंने आपको नहीं कहा है। माननीय सदस्य, मंत्री जी उनको जवाब देने में सक्षम हैं। आप मत बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष जी, वह सही कह रहे हैं। हनी से मनी आने वाली है क्योंकि हनी के अभी जो क्लस्टर्स बन रहे हैं, जो हाइ ऑल्टीट्यूड का हनी है, जम्मू-कश्मीर, अरुणांचल और उत्तराखंड में है, उसकी कीमत एमेजॉन की साइट पर 7000 रु.किलो है और अभी हम लोग हनी का

उत्पादन दस गुना बढ़ा रहे हैं। वह पेटियां बांट रहे हैं, उसका हर जिले में क्लस्टर बना रहे हैं, जो अरुणांचल, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार और यू.पी. में है और इसका कृषि क्षेत्र में फायदा होगा। हर जिले में प्रोसैसिंग प्लांट होगा और उससे हनी/शहद के क्यूब बनेंगे।अगले 6 महीने के बाद आप अपने ऑफिस में भी शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक हनी/शहद का क्यूब चाय में डालकर चाय पिएंगे। ...(व्यवधान) हनी/शहद का यूज/इस्तेमाल दस गुना बढ़ेगा तो ट्राईबल्स और किसानों को कितना रोजगार मिलेगा। जितना ज़्यादा हनी कलैक्ट/इकट्ठा होगा/किया जाएगा तो उतना उस से मनी मिलेगा। ...(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास देना चाहता हूँ कि हमारा पूरा फोकस अर्बन एरिया के उद्योगों पर नहीं है। हमारा पूरा फोकस ग्रामीण, कृषि और ट्राईबल क्षेत्र पर है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा तो वहां से होगा। जो शहर की तरफ माइग्रेशन/स्थानांतरण हो रहा है, उसको हम रोकेंगे। इतना ही नहीं, जो लोग शहरों में आए हुए हैं, वे लोग वापस अपने गांव की तरफ जाएंगे। हमने ऐसी नीति बनाई है। खादी ग्रामोद्योग का टर्न-ओवर बहुत बड़ा है। अभी विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। रूरल, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में फूड एवं फ्रूट प्रोसैसिंग, ऑइल और जिस-जिस इंडस्ट्री का संबंध है, उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े हुए उद्योगों को फिर से सुधारने की योजना बना रहे हैं। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में स्किल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग का निर्माण हो, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था; "हमें अधिकतम संख्या में लोगों की भागीदारी के साथ अधिकतम उत्पादन की आवश्यकता है।" इसी के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में निर्माण करने के लिए विभाग की ओर से फोकस किया जाएगा। आप जो अपेक्षा व्यक्त कर रहे हैं, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार में भी इसके ऊपर प्रायोरिटी/महत्व देकर हम काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सोनिया गांधी जी, क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि कल आपने 20 प्रश्न करके रिकॉर्ड बना दिया। सर, आज भी हमें एक मौका देना चाहिए। अगर मंत्री जी खुद कहेंगे तो हम कब कहेंगे? …(व्यवधान) सर, आप रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं हमारी बनाने की कोशिश है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिना विषय के 15 मिनट खराब किये प्रश्नकाल में।

...(व्यवधान)

श्री रोड़मल नागर : माननीय अध्यक्ष जी, एक समय था कि देश के लगभग हर गांव में, हर घर में कोई न कोई लघु कुटीर उद्योग था। इस स्थिति में आज कमी आई है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसका तो उन्होंने विस्तृत जवाब दे दिया है।

श्री रोड़मल नागर : क्या सरकार सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग का वैश्विक स्तर पर निर्माण करेगी? जो निर्माण कर रहे हैं, उस उत्पाद का बाज़ार में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट है, एमेजॉन है, इस तरह से उसका विक्रय भी हो सके, क्या इसके लिए सरकार की कोई योजना है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। चाइना की जो प्रगति हुई है, अलीबाबा के कारण हुई है। एमेजॉन के कारण कितनी ज्यादा उसकी सेल है, कितना बड़ा वॉल्यूम है। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद और इस विभाग में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग 'एक भारत' क्राफ्ट करके नया पोर्टल तैयार कर रहे हैं। मेरी 5 तारीख को स्टेट बैंक के चेयरमैन साहब से मुलाकात होगी। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि अगर यह संभव हुआ तो स्टेट बैंक और हम मिल कर यह पोर्टल चलाएं। इसमें एमएसएमई के सभी प्रोडक्ट्स रहेंगे। न्यूयार्क में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कश्मीर में बनी हुई अच्छी शॉल को वहाँ से खरीद सकेगा, हम इस प्रकार की ई-कॉमर्स का पोर्टल 'भारत क्राफ्ट' के नाम से तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने दूसरी बात विचारों के बैंक, नवाचार और अनुसंधान के बारे में कही है। इसके बारे में हम लोग एक वेबसाइट खोल रहे हैं और इसके द्वारा जो भी अच्छे नये इनोवेशंस हैं, उनको ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ की मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। कल मैं मानेसर में गया था। हमारे लोगों ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार तैयार की है। वे हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आगे चले गए। वे छोटे-छोटे लड़के हैं, इंजीनियरिंग आईआईटी के ग्रैजुएट्स हैं, उनका स्टार्ट-अप है। वे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, माहौल बहुत बदल गया है। हम जिसको नॉलेज कहते हैं, यानी, नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल, हम उस ज्ञान को धन में बदलने जा रहे हैं और कचरे को भी धन में बदलने जा रहे हैं।

मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का काम हो रहा है। आज देश में 29 प्रतिशत ग्रोथ एमएसएमई के कारण है, हम इसको पाँच सालों में 50 प्रतिशत से ज़्यादा लेकर जाएंगे। अभी तक 11 करोड़ जॉब्स बने हैं, हम कम से कम पाँच करोड़ नए जॉब्स लाने का लक्ष्य रख कर काम कर रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट में 49 प्रतिशत एक्सपोर्ट एमएसएमई का है, हम उसको 60 प्रतिशत तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पूरा पैसा भी दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस करके विदाउट कोलैटरल ज़्यादा लोन कैसे मिले, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आएंगे।

(प्रश्न संख्या 145)

[अनुवाद]

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह पे-एंड-कैरी प्रणाली बिजली क्षेत्र को बदल देगी और इसे व्यवहार्य बना देगी। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और हमारे सदन के अध्यक्ष श्री मंत्री जी सभी राज्यों की लगभग सभी डिस्कॉम द्वारा व्यक्त की गई बाधाओं और चिंताओं से अवगत हैं।

इन चिंताओं के अनुसरण में, मंत्रालय निर्णय के ठीक एक महीने बाद, यानी, 24 जुलाई, 2019, को डिस्कॉम द्वारा भुगतान के मानदंडों को कम करने के लिए सहमत हुआ। लेकिन यह केवल अस्थायी था और इसी साल सितंबर में, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण के एक पैनल ने फिर से सिफारिश की कि 50 प्रतिशत का भुगतान अग्रिम में किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर काफी भ्रम की स्थिति है। *...(व्यवधान)*

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार जुलाई के उस आदेश को वापस लेगी अथवा नहीं।

श्री आर. के. सिंह: माननीय अध्यक्ष, महोदय, आदेश वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कहा है कि हमने इस प्रणाली को पोस्ट-पेड प्रणाली से बदलकर प्री-पेड प्रणाली में बदल दिया है। यह सही नहीं है। बिजली जनरेटर के बिजली विधेयक का भुगतान अभी भी आपूर्ति के 45 से 60 दिन बाद भी किया जाता है। इसलिए, यह अभी भी पोस्टपेड है। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को भुगतान आपूर्ति के 45 से 60 दिन बाद प्राप्त होने की उम्मीद है। स्थिति जस की तस है।

महोदय, हमने यह किया है कि हमने केवल अनुबंध की शर्तों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है जिसके तहत बिजली की आपूर्ति की जाती है। बिजली खरीद समझौते के तहत आपूर्ति की जाती है। इन बिजली खरीद समझौतों में यह प्रावधान है कि ऋण के पत्र के रूप में एक भुगतान सुरक्षा तंत्र होगा, जिस पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह एक गंभीर अनुबंध है। कानून कहता है, धारा 28 में, वह

बिजली केवल अनुबंध की शर्तों के अनुसार भेजी जाएगी। हम केवल कानून को लागू कर रहे हैं। भुगतान अभी भी आपूर्ति होने के 45 से 60 दिन बाद आने वाला है।

माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं आपके माध्यम से, सभा को बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया 85,000 करोड़ रुपये और ओवरड्यू लगभग 65,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह स्थायी स्थिति नहीं है। हमें इसे ठीक करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अनुबंधों का पालन किया जाता है, उस दिशा में एक प्रयास है।

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू: महोदय, बिजली का उत्पादन एक पहलू है और बिजली के उत्पादन को सुविधाजनक बनाना दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। जिस बिंदु पर मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, वह यह है कि आंध्र प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट अपनी क्षमता का 50 प्रतिशत उत्पादन भी नहीं कर रहे हैं। इसके कारण, आंध्र प्रदेश के, माननीय मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी गारू को कृषक समुदाय को नौ घंटे भी निर्बाध बिजली की आपूर्ति करना बेहद मुश्किल हो रहा है। यह कोयले की अनुपलब्धता के कारण हो रहा है।

महोदय, भले ही यह सीधे तौर पर माननीय बिजली मंत्री जी से संबंधित नहीं है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा और पूछूँगा कि वह कोयला मंत्रालय को राज्य थर्मल पावर उत्पादक कंपनियों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए कैसे मनाएंगे, जिसे विभाजन के बाद कोई भी कोयला ब्लॉक नहीं दिए गए हैं। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या इस संबंध में कोयला मंत्री जी के साथ कोई परामर्श किया गया है। यदि हाँ, तो कृपया इसका विवरण प्रदान किया जा सकता है। धन्यवाद।

श्री आर.के. सिंह: उत्पादन करने वाली कंपनियों को कोयले के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा। यह कोयला कंपनियों और उत्पादन कंपनियों के बीच अनुबंध समझौते का भी हिस्सा है। यह कोयला मंत्रालय का भी अधिदेश है। हम बहुत चिंतित हैं क्योंकि बिजली के उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। लेकिन कोयले के लिए पैसा पहले से देना होगा।

आंध्र प्रदेश में स्थिति यह है कि उनकी वितरण कंपनी को वर्ष 2018-19 के दौरान 1,500 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। उत्पादक कंपनियों को उनका बकाया भुगतान 3,000 करोड़ रूपये से अधिक है। नुकसान का एक कारण यह है कि 6,000 करोड़ रुपये के सब्सिडी बिल के मुकाबले, जिसे राज्य सरकार को डिस्कॉम को देना चाहिए था, राज्य सरकार ने केवल 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसलिए, मूल रूप से राज्य सरकार को बिजली के बुनियादी ढांचे के बारे में गंभीर होना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिजली संरचना एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। यही मेरा संदेश है।

(प्रश्न संख्या 146)

प्रोफेसर अच्युतानंद सामंत: माननीय मंत्री, ने अपने उत्तर में, विवरण बहुत अच्छी तरह से समझाया है। लेकिन फिर भी, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास लाइन ऑफ क्रेडिट, सूक्ष्म ऋण, बेहतर बुनियादी ढांचे, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा तक पहुंच और इसी तरह के अन्य प्रावधानों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडिंग इको सिस्टम को मजबूत करने की कोई और योजना है।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मूल रूप से वह प्रश्न राज्य से जुड़े हुए विषय से संबंधित है। संसद ने वर्ष 2014 में एक्ट पारित किया था और वह राज्यों को भेजा गया था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जम्मू-कश्मीर में यह लागू नहीं था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत हम ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा है कि यह लागू हो जाए। जम्मू-कश्मीर में यह लागू होने के बाद देश के प्रत्येक राज्य ने यह एक्ट एडाप्ट कर लिया है।

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि इससे आगे बढ़ कर फेरीवाले, रेहड़ीवाले, छोटे-छोटे व्यवसायी और अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लाइन ऑफ क्रेडिट मिले, उनको इन्श्योरैंस मिले या स्वास्थ्य की सुरक्षा मिले, इस दिशा में सरकार क्या करना चाहती है? मैं अत्यंत गर्व के साथ, सम्मान के साथ आपके माध्यम से माननीय सदस्य और देश को बताना चाहता हूँ कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने सभी छोटे-छोटे उद्यमियों के कल्याण के लिए, अपने पिछले काल खंड में 'मुद्रा योजना' प्रारंभ की थी, जिसमें 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन, ऐसे सारे छोटे-छोटे व्यवसा**यि**यों और व्यापारियों को मिल सकता है और देश में करोड़ों छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों ने इसका लाभ उठाया है। जहां तक उनकी सोशल सिक्योरिटी का प्रश्न है तो अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनके लिए न केवल पेंशन की स्कीम अपितु उनके लिए मात्र एक रुपये में इन्श्योरेंस कवरेज की स्कीम भी लाँच की है। जहाँ तक स्वास्थ्य बीमा का प्रश्न है, ऐसे सारे गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा

कार्यक्रम 'आयुष्मान योजना' के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। अगर इस दिशा में राज्य सरकारें आगे बढ़ कर लोगों के लिए कुछ करना चाहें तो निश्चित रूप से केन्द्र सरकार और देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता होगी।

(प्रश्न संख्या 147)

श्री गोपाल शेट्टी : अध्यक्ष जी, समय की मर्यादा को देखते हुए, मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। क्या सरकार स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बच्चों को स्कूल में और जॉब ऑपर्चुनिटी में प्रायरिटी देने के बारे में कुछ सोच-विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी दूसरा सवाल भी पूछ लेता हूँ कि कांदिवली में जो 'साई', स्पोर्टस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया है, उसको मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की माँग की है, वह कितने दिनों में पूरा करेंगे?

श्री किरेन रिजीजू : सर, उन्होंने जो दूसरा सवाल किया है, अगर उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार प्रपोज भेजेगी, तो हम कंसीडर कर सकते हैं। हमने माननीय सदस्य से भी चर्चा की थी और अगर उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा जाए तो हम सभी के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन प्रपोजल आएगा तो हम इस बारे में सोचेंगे।

हम ने स्कूल के बारे में, फिटनेस और स्पोर्ट्स को लेकर एक नया मूवमेंट चलाया है। प्रधान मंत्री जी ने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, वह आज एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब ने भी पार्लियमेंट में 'फिट इंडिया मूवमेंट' को लाँच किया, सभी माननीय सदस्यों को दौड़ाया। स्पीकर फिट हैं, प्रधान मंत्री जी फिट हैं, पार्लियमेंट फिट है, तो देश भी फिट होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर*

(तारांकित प्रश्न संख्या 148 से 160,

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप कुछ भी बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

आइटम नम्बर 3 श्री किरेन रिजीजू जी।

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजु): मैं सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड, कावाराती, की वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड, कावारत्ती के, वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 844/17/19]

(2) (एक) चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़, के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 845/17/19]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह): मैं सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के तहत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रतिः -

(क) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 846/17/19]

(ख) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 847/17/19]

(ग) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 848/17/19]

(2) एसजेवीएन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 849/17/19]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपने सदस्य को समझाएँ कि जब सभा पटल पर पत्र रखे जाते हैं, तो बीच में नहीं बोलते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रिवीलेज मोशन दिया है, प्रिवीलेज मोशन दिया है, आप बैठिए।

[अनुवाद]

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): मैं सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वर्ष 2018-2019 के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि, के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 850/17/19]

(ख़) (एक) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 851/17/19]

(ग) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 851/17/19]

(घ) (एक) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित खातों तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 853/17/19]

(2) (एक) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई, के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई, के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई, के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 854/17/19]

(3) (एक) मुंबई पत्तन न्यास, पेंशन निधि न्यास, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुंबई पत्तन न्यास, पेंशन निधि न्यास, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 855/17/19]

(4) (एक) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 856/17/19]

(5) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 857/17/19]

(6) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 858/17/19 देखें]

(7) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2019/एक जो दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रशासनिक तथा शैक्षणिक मामलों को शासित करने वाले अध्यादेशों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 859/17/19]

(8) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.700(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित, हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियमों, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि.759(अ), जो 04 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि.818 (अ), जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि.628(अ), जो 3 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतिकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि.629(अ), जो 3 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि.630 (अ), जो 3 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा.का.नि.631 (अ), जो 3 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मोरमुगाओ पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 860/17/19]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत) वी.के. सिंह): मैं सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3108(अ) जो 28 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.3109(अ) जो 28 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.3867(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.3203(अ) जो 4 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.3725(अ) जो 17 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजमार्ग संख्या 703कक को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(पांच) का.आ.3959(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ.3960(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 911 के खंडों को राजस्थान राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सात) का.आ.3961(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ.3965(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 753ग के खंडों को महाराष्ट्र राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(नौ) का.आ.3961(अ) जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 861/17/19]

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) मोटर यान (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें) आदेश, 2018 जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.6052(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) का.आ.6108(अ) जो 11 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ.1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) केन्द्रीय मोटरयान (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1151(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) केन्द्रीय मोटरयान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 4 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1162(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) केन्द्रीय मोटरयान (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 11 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1192 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) केन्द्रीय मोटरयान (अट्ठारहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 20 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1225(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) मोटरयान (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें) संशोधन आदेश, 2018 जो 25 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1018(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(8) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2019 जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.167(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) केन्द्रीय मोटरयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.174(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) केन्द्रीय मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.173(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) का.आ.1215(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 जून, 1989 की अधिसूचना संख्या का.आ.443(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(12) केन्द्रीय मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.246(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) केन्द्रीय मोटरयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 जो 21 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) केन्द्रीय मोटरयान (छठा संशोधन) नियम, 2019 जो 18 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.511(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) केन्द्रीय मोटरयान (सातवां संशोधन) नियम, 2019 जो 1 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.547(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) का.आ.3110(अ) जो 28 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 सितम्बर, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिस दिन से उसमें उल्लिखित मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(17) का.आ.3147(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 सितम्बर, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिस दिन से मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 प्रवृत्त होगी।

(18) केन्द्रीय मोटरयान (आठवां संशोधन) नियम, 2019 जो 23 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.681(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(19) केन्द्रीय मोटरयान (नौवां संशोधन) नियम, 2019 जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.807(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) केन्द्रीय मोटरयान (दसवां संशोधन) नियम, 2019 जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.808(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(21) केन्द्रीय मोटरयान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.806(अ) में प्रकाशित हुए थे।

3. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.862/17/19]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी होगी:-

"राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार, मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभा ने 26 नवम्बर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 में बिना किसी संशोधन के सहमति व्यक्त की जिसे लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में पारित किया गया था"

———————

अपराह्न 12.03 ½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.03 ¾ बजे

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 2019-2020

वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदय, मैं वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पहला बैच को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

अपराह्न 12.04 बजे

औद्योगिक संबंध संहिता, 2019[1*]

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाऊ करूँगा, लेकिन जब इस पर डिबेट हो, तो आप अपनी पूरी बात रखें। अभी आप एक-एक मिनट बोल लें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित[2**] करने की अनुमति दी जाए।"

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, मैं औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 के पुर:स्थापन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कुछ समय माँग रहा हूँ क्योंकि खंड 1 के परंतुक संख्या 72 के अनुसार, यह

[1*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2, दिनांक 28.11.2019 में प्रकाशित।

[2**] राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

कहा गया है कि यदि विधेयक की विधायी क्षमता का विरोध किया जाता है, तो पूरी चर्चा की अनुमति दी जा सकती है।

मैं थोड़ा समय मांग रहा हूं क्योंकि मैं औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 की विधायी क्षमता को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दे रहा हूं:-

(1) औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 अनुच्छेद 19 (ग) के अंतर्गत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

(2) संघ के पदाधिकारी बनने के लिए पंजीकरण का अधिदेश उद्योग या प्रतिष्ठान में वास्तव में कार्यरत व्यक्तियों को होना चाहिए, जो कि आईएलओ कन्वेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गनाइजेशन, अर्थात कन्वेंशन संख्या 82 में निर्धारित मानकों के विरुद्ध है।

(3) संहिता में सामूहिक सौदेबाजी का उल्लेख नहीं किया गया है और यह आईएलओ कन्वेंशन संख्या 98 में निहित सिद्धांतों के विरुद्ध है।

(4) संहिता के विभिन्न उपबंध उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध हैं।

(5) औद्योगिक संहिता, 2019 में जो प्रावधान किए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश विषय समवर्ती सूची के दायरे में आते हैं। दुर्भाग्य से, संहिता की विषय-वस्तु पर पहुँचने से पहले संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया है।

छठा, यह संविधान के अनुच्छेद 43 का उल्लंघन कर रहा है, अर्थात राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो जीवन निर्वाह योग्य वेतन पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है या इसकी गारंटी देता है। ये सभी बातें इसमें मौजूद हैं। इसलिए, मैं औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक को पेश किए जाने का विरोध कर रहा हूँ।

यह अनुच्छेद 19 (ग) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, अर्थात संघ बनाने का अधिकार, जो भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। यहाँ, संहिता में यह अनिवार्य

है। मैं कई ट्रेड यूनियनों का अध्यक्ष हूँ, लेकिन इस विधेयक के अनुसार, केवल वे कर्मचारी जो प्रतिष्ठान या उद्योग में लगे हुए हैं, वे ही उस ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी होने के पात्र हैं। इसका अर्थ है कि संघ बनाने के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।

महोदय, सुपरसोनिक गति के साथ, मैं अपना निवेदन समाप्त करूँगा। संहिता का उद्देश्य अधिक श्रम बाज़ार लचीलापन है। संहिता का मसौदा केवल नियोक्ता की माँगों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। उचित सरकार से छंटनी / छंटनी प्राप्त करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। संहिता में नए संशोधन के अनुसार, यदि 300 या अधिक श्रमिक हैं, तो केवल पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: इस पर जब डिबेट हो, आप उसमें चर्चा करना।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि 85 प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठान औद्योगिक संबंध संहिता से बाहर होंगे।

जहां तक आई.एल.ओ. सम्मेलनों का संबंध है, हम आई.एल.ओ. सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता और पक्षकार हैं। औद्योगिक संबंध संहिता द्वारा इन सभी सम्मेलनों के जनादेश को नकार दिया जा रहा है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा रहा है, और आई.एल.ओ. सम्मेलनों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए, मैं इस विधेयक के पुरजोर विरोध करता हूँ। आपका बहुत - बहुत धन्यवाद, महोदय।

प्रोफेसर सौगत राय (दमदम): महोदय, लोक सभा में कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियमों के नियम 72 (1) के तहत, मैं औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 के पुरस्थापन का विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: दादा, मैंने रूल-72 पढ़ लिया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रोफेसर सौगत राय: जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, कोई भी श्रमिक सरकार के पास नहीं आया और औद्योगिक संबंध संहिता बनाने के लिए कहा। यह भारतीय वाणिज्य, और उद्योग महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ की माँग रही है। वे एक औद्योगिक संबंध संहिता चाहते हैं।

महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मजदूर संघ अधिनियम, 1926, 90 वर्षों से है, और किसी ने भी नहीं कहा है कि इसे बदला जाना चाहिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, 70 वर्षों से है। अचानक, मंत्री जी के मन में यह आ जाता है कि इन सबको एक ही कानून में बांध दीजिए। किसी ने इसकी माँग नहीं की, लेकिन जब उन्होंने यह एकल कानून बनाया है, तो उन्होंने श्रमिकों के कुछ अधिकारों को सीमित कर दिया है जो अंतर्निहित थे। श्री प्रेमचन्द्रन ने उनमें से कुछ का उल्लेख किया कि किसी संघ के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, आदि। हम कई यूनियनों के अध्यक्ष हैं। हमें कामगार बनने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता हमें चुनते हैं और यही कारण है कि हम अध्यक्ष हैं। लेकिन इस विधेयक में ज़्यादा खतरनाक यह है कि यह हड़ताल और तालाबंदी पर रोक लगाता है। …(*व्यवधान*) सर, एक सेकेंड दे दीजिए। ... (व्यवधान) कम्प्लीट करने दीजिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: दादा, मैं एक सेकेंड नहीं दे सकता। आप नियम-72 का हवाला देकर विरोध कर रहे हैं?

प्रो. सौगत राय : जी सर।

माननीय अध्यक्ष: मैं नियम-72 पढ़ दूं?

प्रो. सौगत राय : हाँ सर, पढ़िए।

माननीय अध्यक्ष: इसमें लिखा है कि 'संक्षिप्त में इजाजत दें'। मैंने आपको संक्षिप्त में बोलने के लिए इजाजत दी है।

प्रो. सौगत राय : सर, सेन्टेन्स को कम्प्लीट करने दीजिए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं कहता हूँ कि यह हड़ताल और तालाबंदी पर रोक लगाता है। हड़तालों पर रोक मजदूरों के मौलिक अधिकारों को छीन लेती है। तो, यह श्रम विरोधी है।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि चर्चा के लिए विधेयक को सूचीबद्ध करने के बजाय, वह श्री भर्तृहरि महताब के नेतृत्व में श्रम संबंधी स्थायी समिति को भेजें। मुझे यकीन है कि वे श्रम समर्थक कानून बनाएंगे। …(*व्यवधान*) धन्यवाद, महोदय। …(*व्यवधान*)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, मैं प्रोफेसर सौगत राय द्वारा कही गई हर बात का समर्थन और सहयोग करता हूँ। …(*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 के पुर:स्थापन का पुरजोर विरोध कर रहा हूँ।

पूरा विधायी दस्तावेज विवादों से भरी विभिन्न विसंगतियों से ग्रस्त है, और यह हमारे देश में श्रम के कल्याण के लिए हानिकारक है। यहाँ, सरकार 'नियत अवधि के रोजगार' नामक एक नए अवतार को शामिल करके 'हायर एंड फायर' सिंड्रोम शुरू करने जा रही है। महोदय, इस सरकार ने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की है। विधेयक में 'साम सौदेबाजी' का उल्लेख नहीं किया गया है जो श्रमिकों का मौलिक अधिकार है। यह वह साधन है जिसके द्वारा श्रमिक सौदेबाजी की शक्ति अर्जित कर सकते हैं। इसे इस कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

दूसरा, अधिकरणों के पास असीमित शक्तियां हैं और वे सबसे अच्छे अर्ध-न्यायिक निकाय हैं। इसलिए, यह अपनी परिभाषा में बस श्रम विरोधी है। इस विधेयक का खंड 75 केवल एक आईवाश है। यह कारखाने बंद होने के मामले में श्रमिकों को मुआवजे के भुगतान के लिए कई अपवाद लगा रहा है।

महोदय, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका विधेयक लाने से पहले समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं मंत्रालय को प्रस्ताव करता हूँ कि इसे आगे के अवलोकन के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नोटिस में वह कारण दिया जाता है जो बिल पर डिबेट की चर्चा का कारण होता है। मैंने फिर भी आपको इजाजत दी। आप अगर कोई कारण देते कि यह विधेयक लेजिस्लेटिव कंपीटेंसी में नहीं आता है, तो यह बात होती।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन जी, मैंने श्री अधीर रंजन जी को इजाजत दी है, फिर भी मैं श्री अधीर रंजन जी के सारे नोटिसेज को पढ़ देता हूँ। "यह विधेयक मजदूर संघों की शक्ति को कम कर रहा है और, इसलिए, यह एक मजदूर विरोधी विधेयक है।"इन्होंने दूसरा विषय दिया है कि: "उद्योग का लाभ" माननीय सदस्य, आप महान विद्वान हैं, लेकिन नोटिस देते समय जो आप नियम-72 बता रहे हैं, उसके अंतर्गत नोटिस दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया बोलें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं विपक्ष के सभी साथियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन रूल 72 में कहा गया है- जब किसी विधेयक का परिचय प्रस्तुत किया जाता है इसमें लेजिस्लेटिव कंपीटेंसी है। अगर इस

सभा की नहीं है, तब इनका विरोध करना चाहिए। ये बिल के मेरिट पर गए, जो उचित नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम यही कहना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए। आप लोग 10 बजे से पहले नोटिस दे दिया करिए। माननीय सदस्यगण, ये सदस्य नोटिस देते हैं, इसलिए इनको इजाजत दे रहा हूँ। आप बिल के समय विरोध में बोलिएगा। मैं आप लोगों को पर्याप्त मौका दूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप लोग यह क्या करते हैं? यह भारत की संसद है। इसकी गरिमा को बनाए रखें। मैंने आपको कहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है कि इस बिल पर जितना समय माँगा गया, उससे दो घंटे ज़्यादा समय दिया है। माननीय सदस्य, दिया है कि नहीं दिया है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जब आप लोग बोलेंगे, तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड नहीं होगी।

... ... (व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, आपके माध्यम से संक्षेप में बताना चाहूँगा ... (व्यवधान) वर्ष 2002 में 44 श्रम कानून थे, उनको कम करने हेतु द्वितीय लेबर कमीशन ने सिफारिश की थी। उसके आधार पर वर्ष 2002 में यह तय हुआ कि ... (व्यवधान)। देश में 4 या 5 श्रम कानून बनाए जाएं। दुर्भाग्यवश उस समय अटल जी की सरकार चली गई और 10 वर्ष तक जो सरकार रही, उसने इस विषय पर विचार नहीं किया। वर्ष 2014 में जब सरकार आई, तो लगा कि यह कानून आवश्यक है और 44 के स्थान पर 4 या 5 श्रम कानून बनाए जाएं। उसी के तहत पहला कानून संसद के दोनों सदनों, लोक सभा और राज्य सभा ने पास

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने का काम किया, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहां कोई भी श्रम कानून साधारण तरीके से प्रस्तुत नहीं होता है। इस पर लंबी चर्चा होती है। सारे श्रम संगठन, सारे इम्प्लॉ यर्स और सभी राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद ही उसे सदन में लाया जाता है। आज इतनी चर्चा के बाद यह आपके बीच में आया है, इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जो मजदूरों के हकों के खिलाफ हो। जब आप इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत सी बातें सामने आ जाएंगी। इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यह चाहूँगा कि आप इस बिल को प्रस्तुत करने की अनुमति दें, जिससे कि हम इस पर लम्बी बहस कर सकें। आप जितनी चाहे उतनी बहस करें और जिस संदर्भ में आप निर्णय करेंगे, वह माना जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल। श्री दिनेश चन्द्र यादव।

... (व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के सहरसा जिला के सोनबरसा राज से सुपौल जिला के लिटयाही तक की सड़क, जो 98 किलोमीटर तक की है, उसकी हालत दयनीय है ...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मैंने प्रिवलेज मोशन का नोटिस दिया हुआ है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सीनियर सदस्य हैं, क्या प्रिवलेज मोशन जीरो ऑवर में होता है?

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, मैंने नोटिस दिया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य के बोलने के बाद उसकी व्यवस्था दे दूँगा।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के सहरसा जिला के सोनबरसा राज से सुपौल जिला के लिटयाही तक की सड़क, जो 98 किलोमीटर तक की है, उसकी स्थिति खराब है और उस पर आवागमन की असुविधा रहती है। उस पर गाड़ियों का दबाव बना रहता है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो जाए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि सोनबरसा राज एनएच-107 पर है और लिटयाही एनएच-327ई पर है। दोनों एनएच का सम्पर्क पथ सोनबरसा से लिटयाही होगा। वहाँ की समस्या को देखते हुए, गाड़ियों का दबाव देखते हुए हम आपके माध्यम से सरकार से माँग करते हैं कि सोनबरसा राज से लिटयाही तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका विशेषाधिकार का नोटिस मेरे विचाराधीन है।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, मुझे दो मिनट बोलने दें।

माननीय अध्यक्ष : इसमें बोलने नहीं देते हैं। आप सीनियर मैम्बर हैं।

[अनुवाद] **श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि (थूथुक्कुडी):** महोदय, मैंने प्याज की कीमतों में वृद्धि के संबंध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप जीरो ऑवर पर बोलिए।

[अनुवाद]

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि : महोदय, प्याज की कीमतें तीन गुना बढ़ गई हैं और यहाँ तक कि कुछ महीने पहले की तुलना में चार गुना हो गई हैं और मध्यमवर्गीय परिवार का बजट बढ़ रहा है। वे प्याज खरीदने में सक्षम नहीं हैं। पूरे देश में यह बहुत खराब स्थिति है। तमिलनाडु, दिल्ली, और मुंबई में, प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति कि.ग्रा. से अधिक है।

व्यापार विश्लेषकों का सुझाव है कि प्याज की कीमतों में मौजूदा वृद्धि के लिए प्याज की अवैध जमाखोरी, अतिरिक्त बारिश, और भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक तरीकों के कारण भी जिम्मेदार है। और इस वजह से, अधिकांश प्याज जो उन्होंने वास्तव में संग्रहीत किए हैं सड़े हुए हैं और खराब हो गए हैं। निर्यात पर, प्रतिबंध के बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं।

मैं जानना चाहूँगी कि प्याज की कीमत को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। हमने इस पर अल्पकालिक चर्चा के लिए भी कहा है। मैं आपसे इस पर विचार करने का अनुरोध करती हूँ क्योंकि यह देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़, मध्य प्रदेश कृषि पर आधारित है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा आकांक्षी जिले के रूप में चयन से विकास की असीम

सम्भावनाओं को साकार करने जा रहा है। उस क्षेत्र में पर्याप्त गहन चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण गंभीर बीमारियों के लिए चाहे खिलचीपुर, जीरापुर, राजगढ़, नरसिंहगढ़, पचौर, सारंगपुर, चाचौड़ा, कुंभराज, सुसनेर के लाखों निवासी दूर-दराज के शहरी क्षेत्रों में भटकते रहते हैं, जिससे दूरी, समय व आर्थिक बोझ के चलते जनहानि उठानी पड़ती है। आधारभूत संरचनाओं में अभूतपूर्व विकास के बाद आदरणीय मोदी जी की सरकार ने मेडिकल कालेज की कार्य योजना में राजगढ़ को सम्मिलित किया है। बहुसंख्यक किसानों के साथ लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं और युवाओं के लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त होंगे। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज की शीघ्र स्वीकृति देकर उसको अनुगृहित करने का अनुरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल रमेश शेवले - उपस्थित नहीं।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच लोक सभा में बड़े उद्योग, बुलेट ट्रेन और कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट आकार ले रहे हैं। इन उद्योगों तथा सभी प्रोजेक्टों में किसानों की बहुत सारी जमीनें सस्ते दामों पर अधिगृहित की जा रही हैं, जिसका किसानों को अधिक मुआवज़ा भी नहीं मिल रहा है। पूरे गुजरात में किसानों की जमीनों के अलग-अलग दाम तय किए जा रहे हैं, जो कि न्यायसंगत नहीं है। इसका दाम एक समान होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों द्वारा अपनी विविध फसलों से प्राप्त आय तथा जमीन अधिग्रहण का जो भी मुआवज़ा किसानों के नाम पर बैंकों में जमा होता है, जिस वजह से आयकर विभाग किसानों को परेशान करता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि पूरे गुजरात में किसानों की जमीन की कीमतें एक जैसी होनी चाहिए। सभी किसानों को उनकी जमीन की सही कीमतें तथा फसलों का मुआवज़ा भी मिलना चाहिए। स्थानीय उद्योगों जैसे प्रोजेक्टों में स्थानीय लोगों को रोजगार और नौकरी

मिलनी चाहिए। किसानों को आयकर विभाग द्वारा जिस प्रकार से डिस्टर्ब किया जा रहा है, वह बंद होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. आर.के. रंजन (आंतरिक मणिपुर): माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान नागरिकता (संशोधन) विधेयक की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो इस शीतकालीन सत्र में रखा जा रहा है। यह भी विश्वसनीय रूप से पता चला है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों को कुछ सुरक्षा उपाय दिए जाने की संभावना है। हालांकि, कुछ दिन पहले, मीडिया में यह बात सामने आई थी कि इस नागरिकता कानून से छूट केवल उन राज्यों को दी जाएगी जहां इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू की जाती है। इसका मतलब है कि यह कानून नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों में लागू नहीं होगा। अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य जैसे मणिपुर इस नए नागरिकता कानून के दायरे में आएंगे। मेरे राज्य मणिपुर में बहुत हाहाकार है। लोग इस नए नागरिकता कानून से आशंकित हैं। उनका मानना है कि अगर यह नया कानून बना, तो राज्य में प्रवासियों की भारी आमद होगी। इसलिए, वे जोर-शोर से मणिपुर राज्य के लिए इस कानून से छूट की माँग करते हैं। मेरी जनता की भावनाओं का समर्थन करते हुए, मैं केंद्र सरकार, विशेष रूप से गृह मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूँ कि, प्रस्तावित कानून में मणिपुर राज्य के लिए एक छूट खंड या एक सुरक्षा खंड जोड़ा जाए।

श्री के. मुरलीधरन (वडाकरा): माननीय अध्यक्ष, महोदय, हाल ही में केरल में, केरल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केरल सशस्त्र पुलिस 4 बटालियन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का पता चला है। विश्वविद्यालय कॉलेज, तिरूवनन्तपुरम के तीन छात्र, जो भारत के छात्र महासंघ के पदाधिकारी हैं, अर्थात् सी.पी.एम. की छात्र शाखा, केरल में सत्तारूढ़ पार्टी, ने रैंक सूची में संदिग्ध रूप से प्रवेश किया है और पहला, दूसरा और 28वां रैंक हासिल किया है। इस घटना ने केरल लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो एक संवैधानिक निकाय है, जो केरल सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। हालांकि केरल सरकार ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और अपराध शाखा को मामले की जाँच का जिम्मा सौंपा है, लेकिन अभी तक असली साजिश का खुलासा नहीं हुआ है। हमें संदेह है कि सरकार असली दोषियों को बचाने के लिए जाँच दल को प्रभावित कर रही है। इसलिए मैं सरकार से सी.बी.आई. जाँच की माँग करता हूँ। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप कौनसे ब्यूरो से जाँच की माँग कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री के. मुरलीधरन : सी.बी.आई. जाँच।

माननीय अध्यक्ष: सीबीआई पर आपका पूरा विश्वास है न?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन : हम सी.बी.आई. जाँच की माँग कर रहे हैं। हमें केरल पुलिस पर भरोसा नहीं है। …(*व्यवधान*) हम इसकी सी.बी.आई. जाँच चाहते हैं। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, श्री एम. के. राघवन, श्री टी. एन. प्रथापन, श्री के. सुधाकरन, श्री थोमस चाजिकाडन, श्री कोडिकुन्निल सुरेश एवं श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री के. मुरलीधरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का कार्य आज तेज़ी से प्रगति पर है और इस एक्सप्रेस वे से मेरठ और दिल्ली के बीच की यात्रा निश्चित रूप से बेहद सुगम हो जाएगी। इस एक्सप्रेस वे के तहत डासना से हापुड़ के मध्य 22 किलोमीटर लंबे मार्ग का कार्य पूरा हो चुका है। तथा यूपी गेट से डासना से मध्य का कार्य भी प्रगति पर है, जो संभवत: मार्च 2020 तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, हापुड़ से डासना तक के इस 22 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पिलखुवा के तुरंत पश्चात एनएचएआई द्वारा टोल ब्रिज स्थापित किया गया है, जिस पर कार इत्यादि से 125 रुपये का टोल वसूला जाता है। डासना से यूपी गेट तक का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कारण यात्रियों को केवल 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 125 रुपये देने पड़ते हैं, जो बहुत अधिक हैं। परिणामस्वरूप जनता में भारी असंतोष पैदा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के तहत डासना से यूपी गेट का कार्य पूरा होने तक हापुड़ से डासना जाने वाले यात्रियों से उचित टोल वसूल किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि यात्री स्वयं को ठगा हुआ अनुभव न करें।

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नांदेड़ के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटिड की 169 शाखाएं थीं, जिसमें से 126 शाखाएं बंद हो चुकी हैं तथा 63 शाखाएं ही अभी कार्यरत हैं। जबकि नांदेड़ जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं भी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। ऐसे में जिला मध्यवर्ती बैंक की 126 शाखाएं बंद होने के कारण जिले के किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों को बैंकिंग व्यवहार करने में भारी असुविधा हो रही है। साथ ही जन-धन खाताधारियों को भी परेशानियों का सामना

करना पड़ रहा है। मैं सरकार से पुरज़ोर माँग करता हूँ कि नांदेड में राष्ट्रीयकृत बैंकों की लगभग 25 से 30 शाखाएं नई खोली जाएं।

डॉ. राजदीप राय (सिल्चर): महोदय, असम में हिन्दुस्तान पेपर कॉपोरेशन के अंतर्गत दो पेपर मिल्स हैं, एक पाचग्राम पेपर मिल और एक जागीरोड पेपर मिल। दोनों मिल को मिला कर करीब पाँच हजार लोग वहाँ पर नौकरियों में थे, जिसमें वर्कर्स और ऑफीसर्स को ले कर और कुल मिला कर करीब 25 हज़ार से ऊपर लोग उस पर निर्भर हैं। महोदय, यह मिल करीब तीन साल से बंद पड़ी हुई है। लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है। कुछ दिन पहले यह मैटर अभी एनसीएलटी में गया हुआ है। लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से हमने अखबारों के माध्यम से देखा है कि करीब 53 आत्महत्याएं हुई हैं। लोग वहाँ पर जिस हालत में हैं, स्कूल की फीस दे नहीं पा रहे हैं। उनका ट्रीटमेंट में जो पैसा लगता है, वह भी वे नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण परिवार का मुखिया आत्महत्या कर रहा है। आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है, पिछले मंत्री बोले थे, जब असम की हमारी टीम उनके पास मिलने गई थी कि एनसीएलटी जाने से पहले हम दोनों मिलों की विजिट करेंगे। मिल तो विजिट करने नहीं गए, लेकिन वे हमारी सरकार से ही चले गए। आपके माध्यम से अभी के हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर और पीएएमओ से निवेदन है कि आज की जो हालत है, उसका संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी, कम से कम दो साल की सैलरी उन लोगों की रिलीज़ करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री डॉ. राजदीप राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर जो गोरखधंधा देश में चल रहा है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। महोदय, देश में हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर ऐसी जगहों पर, ऐसे शहरों के अंदर, नए-नए डॉक्टर्स आ गए, बिना लाइसेंसधारी आ गए, जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं, वे खुद ही वहाँ पर इस काम को चालू कर देते हैं। इसके कारण से ऐसी कई मौतें भी देश के अंदर हुई हैं।

मैं एक घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। इस संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से उस परिवार से मिला था। मुम्बई के अंदर 7 मार्च, 2019 को मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के प्रवासी श्रवण चौधरी नामक व्यक्ति की, मुम्बई में हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर गोरखधंधा चला रहे डरमाडेंट अस्पताल के डाक्टर विकास हलवाई ने लापरवाही से एक साथ 9,250 हेयर ट्रांसप्लांट कर दिए। इसमें एक सिटिंग में तीन से चार हजार से ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होते। लेकिन 9,250 हेयर लगाए और 18 घंटे ...(व्यवधान) एक मिनट सर। मैं इतना बड़ा गम्भीर मामला बहुत टाइम से लगा रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप माँग कर दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल : इसको 18 घंटे की सिटिंग दी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह तो जाँच वाले कर लेंगे। आपकी माँग क्या है, यह बताइये।

श्री हनुमान बेनीवाल : इनकी मौत हो गई। एडीआर दर्ज हुई है, एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। साकीनाका थाना है, 09 मार्च, 2019 की घटना है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उनका परिवार सदमे में है। मुम्बई के अंदर उनका बहुत अच्छा बिजनेस था। लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके चैम्बर में उस परिवार के साथ मिला था। अध्यक्ष महोदय, मेरी यही माँग है कि डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वह भी आ गई। उसमें उस डॉक्टर के खिलाफ भी राय नहीं दी गई और पक्ष में भी राय नहीं दी गई। यह भी नहीं कहा गया ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आधा मिनट दे दीजिए। बहुत बड़ा गम्भीर मामला है।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूँगा कि स्क्रीन में एक मिनट होते ही अपनी बात को समाप्त कर दें।

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, डिमांड सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, बताइये।

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, डिमांड यह है कि इस मामले का मुकदमा दर्ज हो जाए और मुकदमे की जाँच सीबीआई को ट्रांसफर हो। सीबीआई को ट्रांसफर करके इस परिवार को न्याय मिले और वह डॉक्टर सलाखों के पीछे जाए, जेल जाए। इस मामले के अंदर यह मेरी डिमांड है। देश के अंदर ऐसा गोरखधंधा करने वाले डॉक्टरों पर रोक लगे। इसकी जाँच हो।

माननीय अध्यक्ष : लोगों का सीबीआई पर बहुत विश्वास है।

[अनुवाद]

श्री महेश साहू (धेन्कानल)*: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय, उत्कल (पूर्ववर्ती ओदिशा) प्राचीन काल में अपने समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। हमारे पास जावा, सुमात्रा, बाली आदि के साथ ट्रेड लिंक हुआ करते थे। व्यापार और व्यापार की इस समृद्ध परंपरा को याद करने के लिए, ओडिशा में 'बालीजात्रा' नामक एक त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह मौज-मस्ती का नौ दिवसीय मेला है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बहुत लोकप्रिय होने के बावजूद, इसे अभी तक राष्ट्रीय मेले के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से यात्रा करके सद्भावना और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। आपके माध्यम से मेरी माँग है कि केन्द्र सरकार द्वारा 'बालीजात्रा' को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए।

[हिन्दी]

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र इटावा में औरैया जनपद में दिबियापुर पाता में गैस का प्लांट लगा हुआ है। लगभग 20-25 साल पहले गेल और एनटीपीसी के प्लांट के लिए लगभग 800-900 एकड़ जमीन किसानों से ली गई और आश्वासन दिया गया था कि उस क्षेत्र का

* मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद।

विकास होगा। साथ ही साथ वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन जिन किसानों से जमीन ली गई, उनके बहुत सारे बच्चों को अभी भी नौकरी नहीं मिली है।

इसी के साथ-साथ वहां प्लास्टिक का दाना और बहुत सारा जो ढुलाई का काम होता है, बड़े-बड़े ट्रक उस क्षेत्र में जाते हैं, जिसके कारण उसके पास की जो सड़कें हैं, वह सड़कें हमेशा टूटी रहती हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी जो आय है, उसमें सीएसआर के अंतर्गत वहां डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च करना चाहिए, वह खर्च नहीं हो रहा है। वहाँ इंडस्ट्रीज के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं, पानी खराब हो रहा है, वहाँ की हवा खराब हो रही है। उसके डेवलपमेंट के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि कि सीएसआर के अंतर्गत क्षेत्र का विकास किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. रामशंकर कठेरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजबहादुर सिंह (सागर): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मेरा सागर लोक सभा क्षेत्र है। सागर लोक सभा क्षेत्र में ट्रेनों की बेहद कमी है। मैं आपका ध्यान शताब्दी एक्सप्रेस की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह ट्रेन भोपाल से दिल्ली आती है। इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ट्रेन भोपाल से चलकर ललितपुर में पहला स्टॉपेज लेती है। इस ट्रेन के इसके बाद के जो स्टॉपेज हैं, वे लगातार 40 से 50 किलोमीटर की दूरी के बीच हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि यदि इस ट्रेन का स्टॉपेज भोपाल से चलकर 'बीना' में कर दिया जाए, तो इससे हमारे लोक सभा क्षेत्र के यात्रियों को आने-जाने में बहुत सुविधा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री उदय प्रताप सिंह को श्री राजबहादुर सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मालदा उत्तर में बाढ़ एवं कटान की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र का कुछ भाग गंगा और फुल्हर नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण नदी तट पर बसे हुए तमाम गाँव एवं कृषि योग्य भूमि नदी में समाते जा रहे हैं।

इसके कारण हज़ारों की संख्या में प्रति वर्ष बेघर होकर लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हो रहे हैं। कृषि योग्य भूमि कटान में चले जाने की वजह से लोगों के सामने बेरोजगारी एवं भुखमरी की स्थिति बनी हुई है।

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि गंगा और फुल्हर नदी के बाढ़ एवं कटान की रोकथाम के लिए स्थायी कार्य योजना बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाए तथा अभी तक जो लोग कटान से प्रभावित होकर सड़कों पर जाने को मजबूर हैं, उनके पुनर्वास एवं रोजगार की व्यवस्था की जाए तथा कटान के कारण उनको हुई क्षति का मूल्यांकन करते हुए मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष, महोदय, मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए जो कई वर्षों से लंबित है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, कषकूट्टम के आसपास के टेक्नोपार्क, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और अन्य प्रतिष्ठानों के 50,000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा कषकूट्टम रेलवे स्टेशन पर अत्यावश्यक ट्रेन हॉल्ट के लिए रेल मंत्रालय से लंबे समय से अनुरोध किया जा रहा है। मैंने स्वयं कम से कम, एक दर्जन बार इस तरह

के अनुरोध भेजे हैं। इनमें से ज्यादातर दूसरे जिलों से आते हैं। वे कषकूट्टम रेलवे स्टेशन पर उतरना चाहते हैं, जो उनके कार्य स्थलों से केवल आधा किलोमीटर दूर है। लेकिन चूंकि वहाँ बहुत कम ट्रेनें रुकती हैं, इसलिए कर्मचारियों को 17 किलोमीटर दूर थम्पनूर रेलवे स्टेशन या कभी-कभी 12 किलोमीटर दूर पेत्तह रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है।

दुर्भाग्यपूर्ण यात्रियों को निजी बसें लेनी पड़ती हैं और उच्च बस किराए का भुगतान करना पड़ता है जिससे उनके वित्त को काफी नुकसान होता है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि, वे अपने काम में कीमती समय खो देते हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हजारों यात्रियों की जरूरतों, मांगों और असुविधाओं को ध्यान में, रखें और कषकूट्टम रेलवे स्टेशन पर अपेक्षित ट्रेन स्टॉपेज प्रदान करने के लिए उनके और मेरे, द्वारा रेलवे अधिकारियों को सौंपे गए ज्ञापन पर विचार करें।

टेक्नोपार्क त्रिवेंद्रम का भविष्य है और भारत का भविष्य है और फिर भी, हम अपने तकनीकी श्रमिकों को वहाँ पहुँचने की सुविधा नहीं दे सकते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। भारत के माननीय रेल मंत्री जी को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री महाबली सिंह (काराकाट): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, देश की विभिन्न नदियों में अवैध बालू के खनन से जल स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। हम खास तौर पर बिहार की सोन नदी में अवैध बालू के खनन की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। सोन नदी के किनारे बसे हुए लगभग एक हजार गाँव हैं। गर्मी के दिनों में 5 महीने तक इन एक हज़ार गाँवों के लोगों को, कम से कम लाखों लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता है। वे लोग पानी के लिए तड़पने लगते हैं।

महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार को इससे अवगत कराना चाहते हैं। यह एक साल का मामला नहीं है हुजूर। इस तरह से गैर कानूनी ढंग से सोन नदी में बालू का अवैध खनन हो रहा है, जिसके कारण पाँच महीने तक लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आज़ादी के 70 सालों के बाद भी हम उन्हें शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं और यह हम लोगों की कमी के कारण है। अगर वहाँ बालू का खनन बंद हो जाता तो हम समझते हैं कि वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जहाँ जल शक्ति मंत्रालय का गठन जल और पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ, वहीं सारे लोगों के सामने बालू का खनन हो रहा है। यह बहुत गम्भीर मामला है। हम लोग दक्षिणी बिहार से आते हैं। वहाँ हर साल सूखे का सामना करना पड़ता है। आप हमें आसन की तरफ से कम से कम संरक्षण दीजिए। जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो लोग हम से पानी माँगते हैं और कहते हैं कि आज़ादी के 70 साल हो गए, आप लोग पानी नहीं दे पा रहे हैं और हम लोगों से बात करने आ रहे हैं।

महोदय, यह गम्भीर मामला है। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सोन नदी में होने वाले बालू के खनन को रोका जाए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बालू का खनन और पीने का पानी राज्य से मिलेगा। बालू के खनन की इज़ाजत दिल्ली ने नहीं दी है।

श्री महाबली सिंह : महोदय, हम लोग इस सदन में आते हैं और हम लोगों से जब जनता इसके बारे में पूछती है तो हम तो यहाँ ही कहेंगे, कहाँ जाकर कहेंगे?

[अनुवाद]

श्री बेल्लाना चन्द्र शेखर (विज़यानगरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मछुआरा समुदाय से संबंधित समस्याओं के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं इस प्रतिष्ठित सभा के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मेरे नेता, श्री वाई.एस. आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, ने आंध्र प्रदेश राज्य में मछुआरा समुदाय के लिए कई भुगतानों की घोषणा की

थी। इनमें स्पॉनिंग सीज़न के दौरान मौद्रिक लाभ को 4000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करना, डीजल के लिए सब्सिडी को 6 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपये करना, दुर्घटना में मृत्यु के दावे को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना और 50 वर्ष उम्र से ऊपर के व्यक्तियों को पेंशन देना शामिल है।

महोदय, मछुआरे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विज़यानगरम के लगभग 30 गाँवों में फैले हुए हैं जिनमें राजस्थान और भोगापुरम शामिल हैं, और एचेरला और नेल्लीमारला दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत गाँव हैं। तटीय गाँव होने के कारण, समुद्र के पानी से नमक कभी-कभी सार्वजनिक पेयजल लाइनों में गिर जाता है। नतीजतन, सार्वजनिक आपूर्ति के लिए पेयजल पूरी तरह से अयोग्य है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस मामले को देखें, इसे एक विशेष मामला मानें और हर घर जल योजना के तहत धनराशि स्वीकृत करें ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बुनियादी पेयजल मिल सके। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आज पहली बार जीरो आवर में बोलने का मौका मिला है।

महोदय, बिहार राज्य के मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर अनुमंडल गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर में आता है। बीस सालों से वहाँ के गन्ना किसान नेपाल को अपना गन्ना बेचते आ रहे थे। किसी कारणवश वर्ष 2018 से नेपाल सरकार ने उनसे गन्ना लेना बंद कर दिया है। हमारा जयनगर क्षेत्र बॉर्डर पर है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तीन महीने पहले उत्तरी बिहार में बाढ़ आई थी। इसमें खरीफ फसलों का नुकसान हो गया। वहाँ के सारे किसान गन्ना की खेती पर ही निर्भर हैं। वर्ष 2018 से नेपाल सरकार ने उनका गन्ना लेना बंद कर दिया। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कम से कम नेपाल सरकार से कूटनीतिक वार्ता कर समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए। इससे माननीय प्रधान मंत्री जी का किसानों

की आय को दोगुनी करने का जो संकल्प है, उसको भी बल मिलेगा। वहाँ सारे किसान भुखमरी का शिकार हो रहे हैं।

महोदय, जब हम लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं, जैसा कि हमारे महाबली सिंह जी ने भी बताया है कि वे गन्ना लेकर हमारे ऊपर दौड़ते हैं कि उनके गन्ने की फसल सूख रही है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करें।

जय किसान, जय हिन्दुस्तान।

माननीय अध्यक्ष: महाबली जी, आप भी इनके साथ एसोसिएट हो जाइए।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक राष्ट्रीय राजमार्ग - 139 है, जो बिहार की राजधानी पटना से शुरू होता है और झारखंड तक जाता है। इसमें सड़क की लंबाई लगभग 225 किलोमीटर है। प्रत्यक्ष रूप से 3 राज्य इससे प्रभावित होते हैं। यह बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क है। इससे लाभान्वित होने वाले 2 और प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यह पूरी सड़क घनी आबादी से गुजरती है। यह पूरा का पूरा इलाका पिछड़ा हुआ है और नक्सलवाद से भी प्रभावित है। मेरा औरंगाबाद जिला भी इस सड़क पर ही है। मेरा औरंगाबाद जिला प्रधान मंत्री जी के आकांक्षावान जिलों की सोच के तहत आता है।

अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर दो जिला मुख्यालय बिहार का अरवल और औरंगाबाद, कई अनुमंडल मुख्यालय जैसे नौबतपुर, पालीगंज, बिक्रम, दाउदनगर, अरवल, औरंगाबाद, झारखंड का छतरपुर हैं। इस सड़क को फोर लेने करने की माँग मैंने कई बार लोक सभा में रखी, लेकिन गलत समय पर गलत जगह सर्वे के कारण हमेशा यह कह दिया जाता है कि इसमें गाड़ियों का परिचालन कम है और मानक के अनुसार नहीं आता, जिससे यह 4 लेन नहीं हो सकता है। उस सर्वे को चैलेंज करते हुए, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि इस सड़क पर गाड़ियों का अत्यधिक परिचालन है। सवारी गाड़ियां, मालवाहक

गाड़ियां वहाँ चलती हैं। यह पूरा इलाका उग्रवाद प्रभावित है। तीन राज्यों को जोड़ने वाली इस सड़क को 4 लेन किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह माँग करना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर): महोदय, आंध्र प्रदेश से निवेशकों की निकासी और भारत में निवेश पर इसके समग्र प्रभाव पर गंभीर चिंता है …(*व्यवधान*)

महोदय, एक ओर, माननीय प्रधान मंत्री जी देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। लेकिन दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश की नई सरकार द्वारा अतार्किक और अविवेकपूर्ण फैसलों जैसे अनुबंधों को एकतरफा रद्द करना, पी.पी.ए. की समीक्षा करना और परियोजनाओं की रिवर्स टेंडरिंग प्रक्रिया के कारण निवेशक आंध्र प्रदेश से भाग रहे हैं और कंपनियान तो राज्य के खिलाफ कानूनी कारवाई की धमकी भी दे रही है। …(*व्यवधान*)

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी (राजमपेट): महोदय यह क्या है? …(*व्यवधान*) मुझे लगता है, वह भी … *(कार्यवाही वर्तान्त में सम्मिलित नही किया गया)* ... (*व्यवधान*) वह राजधानी में एक भूमि का मालिक भी है। हम इन *के खिलाफ जांच की भी* माँग *करते हैं… (कार्यवाही वर्तान्त में सम्मिलित नही किया गया)* ... (*व्यवधान*)

श्री जैदेव गल्ला : ये निर्णय राज्य और राष्ट्र की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचा रहे हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जोखिम की धारणा को भी बदल रहे हैं। …(*व्यवधान*)

महोदय, वह अपनी पार्टी के फ्लोर लीडर हैं। …(*व्यवधान*)

महोदय, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ।

1. लुलु ग्रुप ने हाल ही में घोषणा की कि वह 2,200 करोड़ रुपये का निवेश वापस ले रहा है, जिससे 7,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता था;

2. अडानी समूह ने अपनी भूमि बैंक को 400 एकड़ से घटाकर 89 एकड़ कर दिया है और 70,000 करोड़ रुपये का निवेश वापस ले लिया है;

3. बी.आर. शेट्टी समूह ने 12,000 करोड़ रुपये का निवेश वापस ले लिया;

4. के.आई.ए. ने 2,000 करोड़ रुपये की 17 सहायक इकाइयों को आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित कर दिया है।

5. निर्भरता तिरुपति से बाहर चली गई है और 15,000 करोड़ रुपये का निवेश लिया गया है;

6. ए.पी.पी. पेपर कंपनी ओंगोले में 24,000 करोड़ रुपये का निवेश करने से पीछे हट गई;

7. सिंगापुर सरकार का कंसोर्टियम अमरावती की नई राजधानी से हट गया।

महोदय, सूची जारी है। इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से तुरंत हस्तक्षेप करने और भारत की छवि और विश्वसनीयता की रक्षा करने का अनुरोध करता हूँ।

धन्यवाद, महोदय ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी जी, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी : महोदय, आंध्र प्रदेश में, पिछला शासन सबसे भ्रष्ट शासन था। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। लागू आर्थिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय परिषद, जो एक केंद्र सरकार का संगठन है ने कहा कि आंध्र प्रदेश *के तहत सबसे भ्रष्ट था ...* *हमने यह नहीं कहा है ...(*व्यवधान*)

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : नाम मत बोलिए।

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी: यहाँ तक कि ... के पास राजधानी क्षेत्र में भूमि है। ... *ने कई घोटाले किए हैं। हम यह भी माँग करते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी को इन सभी घोटालों की जाँच का आदेश देना चाहिए। यह गंभीर मुद्दा है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : नाम नहीं जाएगा। जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम नहीं जाएंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी : महोदय, यह एक गंभीर मुद्दा है। हम राजधानी में घोटालों की जाँच की माँग करते हैं। यह बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही है। इसलिए, हम इन घोटालों की जाँच चाहते हैं।

एडवोकेट ए.एम. आरिफ (अलप्पुझा): धन्यवाद, महोदय। जैसा कि सभी जानते हैं, जे.एन.यु. हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है। दुर्भाग्य से, सरकार इस प्रमुख संस्थान को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में छात्रावास शुल्क वृद्धि नवीनतम उदाहरण है। छात्र पिछले तीन हफ्तों से विरोध कर रहे हैं और शैक्षणिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। देश के सभी प्रगतिशील वर्गों ने इस हड़ताल को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने विरोध के पीछे के संगठनों का उपहास किया है। हमें याद रखना होगा कि इस संसद में बैठे अधिकांश सदस्य छात्र राजनीति से बड़े हुए हैं। पुलिस विरोध प्रदर्शन को बेरहमी से रोक रही है। यहाँ तक कि छात्राओं को सड़कों पर बुरी तरह से पीटा जाता है।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: श्री एच. वसंतकुमार

एडवोकेट ए.एम. आरिफ: महोदय, मुझे पूरा करने दीजिए; मैं सिर्फ दो मिनट लूँगा।

एक नेत्रहीन छात्र शशि भूषण, जो एक लेखक और कवि है, को पुलिस के हमले के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ तक कि ए.बी.वी.पी. भी शुरुआत में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन उनके मार्च के साथ पुलिस ने दोस्ताना व्यवहार किया। कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है कि सरकार आतंकवादियों से लड़ रही है। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री एच. वसंतकुमार (कन्याकुमारी): माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं 4.5 करोड़ दुकानदारों के भविष्य के संबंध में एक आयात का मुद्दा उठाना चाहता हूँ। भारत में ऑनलाइन व्यवसाय शुरू होने के बाद, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों ने अपने शटर बंद कर दिए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में प्रवेश कर गई हैं और वे एक कमरे में अपना व्यवसाय भी कर रही हैं और उपभोक्ताओं को सभी सामान की आपूर्ति कर रही हैं। लेकिन भारत में 4.5 करोड़ दुकानदार हैं। वे भारत में कैसे रह सकते हैं?

मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस वित्तीय वर्ष में वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट द्वारा नुकसान हुआ, अर्थात 2019, में 3,835 करोड़ रुपये है और उसी वित्तीय वर्ष में अमेज़ॅन का नुकसान 6,000 करोड़ रुपये है, जैसा कि उनके द्वारा घोषित किया गया है। मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि सरकार को कोई आय नहीं है; इस ऑनलाइन व्यवसाय से युवाओं को रोज़गार सुरक्षा नहीं है। साथ ही, यह उत्पाद के बारे में एक भावना और जागरूकता पैदा करके युवाओं को खराब कर रहा है। इस संबंध में,

उत्पादों की गुणवत्ता, मूल्य, आकार, रंग और डिज़ाइन के बारे में दैनिक आधार पर बहुत सारी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। कभी-कभी, डुप्लिकेट सामग्री या अन्य उत्पादों या ईंटों को ऑनलाइन भेजा जा रहा है।

इससे स्थानीय निर्माता और दुकानदार समाप्त हो जाएंगे क्योंकि वे ऑनलाइन सामान की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। कभी-कभी, स्थानीय दुकानदारों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि 4.5 करोड़ छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के हितों की रक्षा के लिए ऑनलाइन व्यवसाय पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए जो ऑनलाइन व्यवसाय के कारण बंद होने के कगार पर हैं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री एच. वसंतकुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री नंदीगम सुरेश (बापटला): धन्यवाद, अध्यक्ष, महोदय। यह मेरा पहला भाषण है। मैं तेलुगु में बोलना चाहूँगा।

*सर, मैं नंदीगाम सुरेश हूँ, जो आंध्र प्रदेश में बापटला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मैं गुंटूर जनपद के एक सुदूर गाँव उद्दन्दरयूनी पालेम , थुल्लूर मंडलम से हूँ। मैं राजनीति नहीं जानता, और न ही मुझे राजनीति का कोई अनुभव है। मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से नहीं हूँ। हम कृषि आधारित गाँव से हैं। मैंने पंचायत चुनाव में भी कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमारे नेता श्री जगनमोहन रेड्डी गारू ने, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को चुना और मुझे संसद में भेजा। जब मैं संकट में था तो श्री जगनमोहन रेड्डी गारू ने

* मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद।

मुझसे पूछा कि वह मेरी मदद कैसे कर सकते हैं। जिस पर मैंने कहा कि 'महोदय, इस राज्य के मुख्यमंत्री बनें और मुझे अपना अनुयायी बनने दें'। लेकिन उन्होंने मुझे संसद में प्रवेश कराया और देश के प्रधान मंत्री जी के साथ इस सभा में बैठाया। यह हमारे नेता श्री जगनमोहन रेड्डी गारू की महानता है। वह महत्वाकांक्षी नेताओं के लिए एक आदर्श हैं। जब हम उन्हें करीब से देखते हैं, तो हम सीख सकते हैं कि अपना जीवन कैसे जीना है। मुझे यह महान अवसर देने के लिए मैं श्री जगनमोहन रेड्डी को धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, हमारे राज्य आंध्र प्रदेश को पूर्ववर्ती सरकार ने विशेष दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब उस वादे की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गई है। महोदय, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाना समय की माँग है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आंध्र प्रदेश में पढ़े-लिखे युवा रोज़गार की तलाश में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक जा रहे हैं। वे गहरे संकट में हैं और राजनीतिक नेताओं से मदद माँग रहे हैं। उनमें से कुछ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी ज़मीनें बेच दीं। उन्होंने शिक्षा के लिए अपनी भूमि खो दी और अब उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। वे मामूली नौकरी के लिए नहीं जा सकते और न ही वे घर पर रह सकते हैं और परिणामस्वरूप वे अपने माता-पिता पर बोझ बन रहे हैं। विशेष दर्जा आंध्र प्रदेश के विकास में मदद कर सकता है और केंद्र सरकार को अच्छी पहचान दिलाएगा। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आन्ध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने और आन्ध्र प्रदेश को बचाने का अनुरोध करता हूँ।

अब तक, श्री जगनमोहन रेड्डी गारू ने आंध्र प्रदेश के युवाओं को 4.5 लाख नौकरियां प्रदान कीं। इस दिशा में, यदि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाता है, तो यह हमारे राज्य को आर्थिक रूप से विकसित करने और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। कृपया हमें विशेष दर्जा दें और हमें बचाएं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ को श्री नंदीगम सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं अपनी कांस्टीटुएंसी फतेहगढ़ साहब में एमएसएमई इंडस्ट्री की समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी आज सुबह जवाब दे रहे थे कि 40 से 50 परसेंट एक्सपोर्ट एमएसएमई से है और ज़्यादातर एम्पलाएमेंट एमएसएमई में है।

मेरे क्षेत्र में चार कलस्टर्स हैं, सबसे बड़ा कलस्टर मंडी गोबिंदगढ़ है, जहां स्टील रोलिंग मिल्स हैं। सरहंद में ट्रकों और बसों की बॉडी बनती हैं, मशीनों के पार्ट्स बनते हैं। खन्ना में कैटल फीड फैक्ट्रियां हैं, सॉल्वेंट प्लांट हैं। सानेवाल लुधियाना का सब-अर्बन एरिया है, इसमें प्लाईवुड इंडस्ट्री, हौजरी, टैक्सटाइल्स, एपैरल और बहुत कुछ है। प्लाईवुड, एपैरल और टैक्सटाइल्स में सबसे बड़ी समस्या है कि चीन इतना माल बांग्लादेश और बर्मा के माध्यम से डम्प/जमा कर रहा है कि तीनों-चारों इंडस्ट्री बैठने के कगार पर हैं। इनके बहुत से युनिट्स बंद हो रहे हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि किसी तरह से इनकी मदद की जाए क्योंकि माल इतना सस्ता आ रहा है कि इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पा रही है।

अब टैक्स की बात आती है। एमएसएमई में सारा देश का ही सफर कर रहा है। तीन बातें टैक्स से संबंधित हैं और इसे सरकार के ध्यान में लाना बहुत जरूरी है। स्टील रोलिंग मिल्स पर दो तरह की कस्टम ड्यूटी लगती है। पंजाब लैंड आयरन ओर के पास नहीं है, सारा स्क्रैप बाहर से आता है। इस पर दो तरह की कस्टम ड्यूटी है – 2.5 परसेंट और 5 परसेंट। रॉ मैटीरियल पर कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से बहुत समस्या हो रही है। मेरी माँग है कि इसे माफ करना चाहिए।

पहले सेंट्रल एक्साइज में 100 परसेंट छूट थी, अब जीएसटी में कोई छूट नहीं है। मेरा निवेदन है कि कम से कम सेंट्रल जीएसटी में 50 परसेंट वापस किया जाए। कारपोरेट टैक्स कम किए हैं, 30 से 22 परसेंट और नए युनिट के लिए 15 परसेंट किया है। इसमें प्रापराइटरी फर्म्स और पार्टनरशिप फर्म्स छोड़ दी गई हैं। ये सब तो छोटे लोग हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाएगा तो बहुत फायदा हो जाएगा। धन्यवाद।

श्रीमती संध्या राय (भिंड): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भिण्ड लोक सभा क्षेत्र की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूँ।

पिछली सरकार में चंबल एक्सप्रैस-वे को श्योपुर से मुरैना होते हुए भिण्ड के अटेर क्षेत्र तक विस्तार करना प्रस्तावित है जो बहुप्रतीक्षित माँग थी। इसका डीपीआर भी बन गया है। अब इस कार्य को गति मिलनी चाहिए थी, पंरतु कल मध्य प्रदेश के सभी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि चंबल एक्सप्रैस वे का 62 किलोमीटर भिण्ड का क्षेत्र डीपीआर से हटाकर नया डीपीआर तैयार किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है।

<u>अपराह्न 01.00 बजे</u>

यह प्रोजेक्ट चंबल संभाग के तीन जिलों, शिवपुर, मुरैना, भिंड में प्रस्तावित है। क्रमश: मैं सरकार को अवगत कराना चाहती हूँ कि भिंड तक चम्बल एक्सप्रेसवे के विस्तार से जिला में पर्यटन विकास एवं रोजगार में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आस-पास के क्षेत्रों का व्यावसायिक सम्पर्क बढ़ेगा। उक्त एक्सप्रेसवे का नामकरण भी चम्बल नदी पर हुआ है, जो भिंड के अंतिम छोर पर समाप्त होती है। मुझे लगता है कि भिंड जिला को नजरअंदाज करके सम्पूर्ण चम्बल संभाग का माननीय प्रधान मंत्री जी का विकास का सपना अधूरा रह जाएगा। निर्माण कार्य हेतु शासकीय भूमि एवं वन विभाग की भूमि उपलब्ध है, जिससे भिंड तक एक्सप्रेसवे के निर्माण को गति मिलेगी। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि 20 लाख जनता की तरफ से मेरी माँग है, चम्बल एक्सप्रेसवे का पुराना डीपीआर लागू कराकर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक्सप्रेस वे का निमार्ण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाए। जनता क्षेत्र में प्रदर्शन कर रही है। चम्बल एक्सप्रेस की मिली हुई सौगात भी सरकार वापस ले रही है। जनहित को दृष्टि में रखते हुए इस कार्य का निष्पादन जल्द से जल्द पुराने डीपीआर के माध्यम से पूरा कराया जाए। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूँगी। महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिबा फुले और आई सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की माँग बहुत सालों से इस सदन में और महाराष्ट्र में लोगों ने की है। 1 जनवरी 1848 को भारत का पहली महिलाओं का स्कूल पुणे, बुधवाड़ा में भिडे वाडा स्कूल शुरू किया गया था। अगर आज हम वहाँ की स्थिति को देखते हैं, जो महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल, जहाँ पर महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत हुई थी, तो खंडहर में स्कूल है या स्कूल में खंडहर है यह समझ में नहीं आ रहा है। उस स्कूल की स्थिति इतनी

खराब है कि मैं आपसे माँग करती हूँ कि उस स्कूल की स्थिति को सुधारकर उसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, क्योंकि सावित्रीबाई फुले हमारे लिए प्रेरणादायी हैं और महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत उन्होंने 1848 में की थी। हमें उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। अध्यक्ष जी, प्लीज दो मिनट। वर्ष 1842 में ब्रिटिश सरकार से उन्होंने ही सबसे पहली माँग की थी कि भारतवर्ष में सभी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। महाराष्ट्र की वह पहली महिला आई सावित्रीबाई फुले थीं, जिन्होंने 1873 में शादी में दहेज लेने और देने का विरोध किया था। मैं आपके माध्यम से विनती करती हूँ कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल को श्रीमती नवनीत रवि राणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब स्पीकर साहब, इस महीने की शुरुआत में कश्मीर में भारी हिमपात हुआ। दो-ढाई फुट तक बर्फ जमा हो गई थी। इससे आम ट्रासंपोर्ट मुतासिर हुआ, बिजली की तकसीम मुतासिर हुई, वहीं जो जम्मू-कश्मीर के हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। शोपियां, नूराबाद, कुलगाम, गोपालपुरा, मटन, सोपोर, रफियाबाद, सारे इलाकों में जो बागात थे, उनको नुकसान पहुँचा। जम्मू-कश्मीर करीब 25 लाख टन मेवा पैदा करता है, जो इसकी बैकबोन है, वहाँ की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन तकलीफ की बात है कि आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया कि वहाँ पर एक हाई लेवल टीम भेजी जाए, जो वहाँ पर नुकसान का तखमिया लगाए और उसके बाद, नुकसान का तखमिया लगाने के बाद, जो वहाँ के काश्तकार हैं, जो वहाँ के बाग वाले हैं, उनको जो मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, वह मुआवज़ा दिया जाए। मेरी यह माँग होगी कि वहाँ जो हिमपात हुआ है, उसे एक्सट्रीमली सीवियर कैलामिटी करार दिया जाए, जैसे मुल्क के बाकी हिस्सों में ऐसे मौके पर किया जाता है, वरना यह दिखाता है कि जैसे बदले की या इंतकाम की कोई राजनीति चल रही है और इन मामलों में जम्मू-कश्मीर को नजरअंदाज किया जा रहा हो। बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष: मेरे पास शून्यकाल के बहुत नोटिस हैं। अभी सभी को मौका देना मुमकिन नहीं है। आज शाम को बिल समाप्ति के बाद मेरा प्रयास होगा कि सभी माननीय सदस्यों को छः बजे के बाद अवसर दूँ। अब सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 01.04 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 02.03 बजे</u>

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर तीन मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(**श्री ए. राजा** *पीठासीन हुए*)

नियम 377* के अधीन मामले

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अंतर्गत मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से पर्चियां सौंप सकते हैं।

केवल उन मामलों को निर्धारित समय के भीतर माना जाएगा जिनके लिए पर्ची पटल पर प्राप्त की गई है और बाकी को व्यपगत माना जाएगा।

---

* सभा पटल पर रखा माना गया।

(एक) मार्बल पर अत्यधिक जीएसटी दर के बारे में

सुश्री दीया कुमारी (राजसमंद): राजस्थान संगमरमर के मुख्य उत्पादकों में से एक है। राजसमंद संगमरमर की एकाग्रता के मामले में सबसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। खनन से संबंधित गतिविधियां राज्य की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से में योगदान देती हैं। हालांकि, संगमरमर पर उच्च जी.एस.टी. दर के कारण संगमरमर की खपत घट रही है। उपभोक्ता आज संगमरमर पर कर का 5% भुगतान करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, अंततः कारखाने के मालिकों पर बोझ डाल रहे हैं जो अपने लक्ष्य की बिक्री को पूरा करने या अपने व्यवसायों को बंद करने के लिए करों का बोझ उठाते हैं। इससे बेरोजगारी, उद्योग के बर्बाद होने, आदि जैसी समस्याएं पैदा होंगी। भारतीय संगमरमर उत्पादकों को आयातित संगमरमर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, समय बीतने के साथ, जमा घट रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पत्थर के उत्पादन की घटिया गुणवत्ता और महंगा श्रम हो रहा है। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि मार्बल पर जीएसटी दर को कम किया जाए।

(दो) मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों की स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से रामायण परिपथ के तहत अयोध्या से चित्रकूट, मैहर सड़क की अद्यतन स्थिति क्या है तथा अंतर्राज्यीय सड़क योजना के तहत सतना, सेमरिया, सिरमौर, जवा, शंकरगढ़, इलाहाबाद की स्वीकृत सड़क तथा निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग कं0 75 नौगांव, पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली सड़क की वस्तुस्थिति क्या है। इसके साथ-साथ दमोह, पवई से नागौद की क्या स्थिति है।

यह सभी सड़कें पिछले पंचवर्षीय में स्वीकृत की गई थीं लेकिन इन सभी सड़कों का डीपीआर तैयार हुआ है कि नहीं, कब तक इन सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किये जाने की योजना है।

(तीन) असम के करीमगंज जिले में सोन बील झील को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने तथा इस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री कृपानाथ मल्लाह (करीमगंज): मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया! मेरे संसदीय क्षेत्र करीमगंज में विश्व प्रसिद्ध सोन बील झील, जो एशिया की सबसे बड़ी झील है और यह झील ज़्यादा से ज़्यादा 85 स्कवायर किलोमीटर तक फैली है और जब यह सिकुड़ती है तो इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इस झील के आसपास लगभग 35 गांव और 8 हज़ार की आबादी है। सभी स्थानीय निवासी इस झील के मछली उद्योग पर ही निर्भर करते हैं। इस झील में प्रवासियों पक्षियों का भी आवास है जो सर्दी के मौसम में देखने लायक होता है।

इस विश्व प्रसिद्ध झील को संरक्षित और सुरक्षित रखने की अभी आवश्यकता है। इसलिए केन्द्र सरकार को इस झील की व्यापक पर्यटन संभावनायें और राजस्व के दृष्टिकोण से विकसित करने की आवश्यकता है।

अतः माननीय पर्यटन मंत्री जी से निवेदन है कि इस झील के संवर्धन और विकास हेतु विशेष नीति बनाकर विशेष निधि आबंटित करने का कष्ट करें, जिससे स्थानीय निवासियों सहित राज्य सरकार को भी राजस्व मिल सके।

(चार) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में चार लेन वाली सड़कें बनाने के विलंब में देरी के बारे में

[अनुवाद]

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): जलगाँव जिले में, चार लेन सड़कों के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं, औरंगाबाद, धुले और शोलापुर के आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने से संबंधित परियोजनाएं अब दो वर्ष से अधिक समय से अधूरी हैं। वर्तमान में, काम लंबित होने के कारण, कई स्थानों पर सड़कें खोद दी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप दैनिक यातायात की आवाजाही के लिए अपर्याप्त स्थान वाली असुरक्षित सड़कें बन गई हैं। यह जलगाँव जिले में एक संकट बन गया है। जबकि सड़क कार्य के कारण दुर्घटनाओं की खबरें आई हैं, यातायात में प्रतीक्षा में समय की भी भारी बर्बादी हो रही है। निकटवर्ती अजंता गुफाओं में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। अजंता गुफाओं से आने-जाने वाले यातायात की धीमी गति के परिणामस्वरूप क्षेत्र की पर्यटन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका है। अतः मैं सरकार से इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

(पांच) महाराष्ट्र के दिन्डोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी पात्र किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसान को जो 6 हज़ार रूपये दिये जाते हैं इससे किसानों को अपनी खेतीबाड़ी के कार्य में काफी सुविधा हो रही है। अपने खेतों में कृषि कार्य में जो सामान लगता है उसके लिए किसी महाजन के पास कर्जे के लिए नहीं जाना पड़ता। हमारे प्रधानमंत्री जी के इस कार्य के लिए हमारे किसान काफी आभारी हैं किन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में कई गरीब किसान ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण में जाती हूँ तो कई गरीब किसान अपने दस्तावेजों के साथ मुझे बताते हैं कि इस योजना में पात्र होने के बाद भी इस योजना की धनराशि उन्हें नहीं मिल पा रही है।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभार्थी की लिस्ट है उसमें इस बात की जाँच की जाए कि कहीं पात्र लोग इस योजना से वंचित तो नहीं हैं।

(छह) कर्नाटक में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कर्नाटक में कालाबुर्गी, बीदर और तुमकुर में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एन.आई.एम.जेड.) की स्थापना के लिए वर्ष 2013 में सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। कर्नाटक सरकार ने कलबुर्गी के लिए परियोजना का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया है और आईएलएफ द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने भी इसकी सिफारिश की है। 12500 एकड़ के क्षेत्र में 25000 करोड़ रूपये के लागत वाली यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की गरीबी को दूर करना और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त डॉ. नंजुंदप्पा समिति द्वारा अनुशंसित क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। इससे हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के समग्र विकास में मदद मिलेगी जिसे 371जे का विशेष दर्जा दिया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (निम्ज़) की स्थापना के लिए बजटीय आबंटन प्रदान करने का आग्रह करना चाहूँगा।

(सात) राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीणों के गाँव की जमीन को भू-अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के कारण उनके समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मैं माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र सीकर सहित राजस्थान के अनेक जिलों में गांवों के लोग 500 सालों से एक ही जगह बसे हुए हैं लेकिन पूर्व की प्रशासनिक खामियों के कारण वो गांव रिकॉर्ड में वन विभाग की भूमि में दर्ज कर दिये गये, जिससे ग्रामवासियों को कई वर्षों से सरकार की सुविधाओं से वंचित होने के साथ-साथ उनको वन विभाग द्वारा मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करवाने की कृपा करें।

(आठ) धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार दिए जाने की आवश्यकता

श्री छतरसिंह दरबार (धार): मध्य प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र धार के अंतर्गत /सीमेंट का कारखान टोकी, मनावर में लगा हुआ है। धार जिला संवैधानिक रूप से एक आदिवसी अधिसूचित जिला है। यहाँ पर आदिवासियों की भूमि को अधिकृत करके उस पर उक्त कारखाना लगाया गया है। नियमानुसार स्थानीय व्यक्तियों को 90 प्रतिशत रोजगार दिया जाना आवश्यक है तथा जिन आदिवासियों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उनके परिवार के सदस्यों को भी उक्त सीमेंट प्लांट में स्थायी नौकरी दिया जाना आवश्यक है। किन्तु फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बाहरी व्यक्तियों को नौकरियां दी जा रही हैं। अपवाद स्वरूप स्थानीय लोगों को ठेकेदारों के माध्यम से काम दिया जा रहा है। जो कि नियमों के विपरीत है।

प्रदूषण मानकों का भी इस कारखाने के प्रबंधन द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को कैंसर और क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारियां लग रही हैं। यूं तो प्रदूषण रोकने के लिए संयंत्र लगे हैं तथा वह उस परिसर को प्रदूषण मुक्त बताते हैं किन्तु मेरी जानकारी के मुताबिक यह दिखावा है।

इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि वह प्रदूषण मानकों की उच्च अभियंताओं से जाँच कराएं तथा स्थानीय निवासियों को जमीन अधिग्रहण के बदले स्थायी नौकरी दिलाने का प्रबंध करें।

(नौ) खुदरा औषिधि दुकान चलाने वाले दुकानदारों के लिए एक अल्पकालिक फार्मेसी पाठ्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा दे वी (शिवहर):हम सभी जानते हैं कि हम बीमार हो जाये तो समुचित दवाए , दवा की मात्रा एव समय के अतराल को ध्यान में रखना पड़ता है। इस काय म फार्मासिस्ट वर्षों से महवपूर्ण भूमिका निभा रहे है। डॉक्टर क अस्पष्ट लिखावट को समझना, रोगी को दवा के बार मे बताना, दवा का कैसे डोज लेना है और ि◌कतने समय के बाद लेना है इसक जानकारी फार्मासिस्ट लोग दवा का कैसे डोज लेना है और कितने समय के बाद लेना है इसक जानकारी फार्मासिस्ट लोग रोगी को एवं रोगी के रिश्तेदार को देते है। इनकी संख्या बिहार में 25 हजार के लगभग है जो 24 घंटे एव 7 दिन के आधार पर अपनी सेवा दे रहे हैं। फार्मासिस्ट व्यवस्था के अंतर्गत जो खदरा दवा विक्रेता अंग्रेज के समय में बनाये गये औषधि अधिनियम 1940 एवं औषधि नियम 1945 से नियंत्रित है। मुझे यह जानकारी मिली है की रेजिस्टर्ड केमिस्टो को केमिस्ट की दुकान चलाने हेतु फार्मसी शिक्षा का प्रमाण पत्र होना आवश्यक कर दिया गया है। जिसके कारण फार्मासिस्ट की शिक्षा से वंचित लोग केमिस्ट की दुकान नही चला सकते हैं जबिक केमिस्ट दुकान का संचालन ड्रग लाईसेंस के आधार पर उनके परिवार द्वारा कई दशक से किया जाता रहा है। मेरा मानना है की राज्य सरकार को रेजिस्टर्ड केमिस्ट दुकानदार को या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो मेट्रिक या उससे उपर क शिक्षा प्राप्त किए हों उन्हें अनुभव के आधार पर राज्य में फार्मसी की पढ़ाई के लिए चल रहे सरकारी एव गैर सरकारी संस्थानों में एक अल्पावधि पाठ्यक्रम कौशल विकास योजना या अन्य माध्यम से कराकर अपनी दुकान चलाने क अनु ती प्रदान की जानी चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है की केमिस्ट क दुकान संचालित करने के लिए उन केमिस्ट खुदरा विक्रेताओं को कुछ वर्षों की छूट दी जानी चाहिए तथा उन्हे अनुभव के आधार पर एक Short term course कौशल विकास योजना या अन्य माध्यम स कराते हुए अपनी दुकान चलाने की अजुमती प्रदान की जाए।

(दस) गुजरात के खेड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे

[अनुवाद]

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा): मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात खेड़ा, गुजरात में आज तक कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। मैं लगातार इस विषय पर मंत्रालय के साथ अनुसरण कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई या प्रतिक्रिया नहीं मिली है। मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास केंद्रीय विद्यालय स्कूल वाले आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रवेश की सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जरूरतमंद और वास्तविक लोगों को प्रवेश और कष्ट नहीं मिल रहा है। यदि मंत्रालय को भूमि प्राप्त करने में गुजरात में कोई कठिनाई हो रही है या किसी अन्य मुद्दे पर उन्हें समस्या हो रही है, तो कृपया उसे मेरे साथ साझा करें ताकि मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध कर सकूँ कि वह उस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाए।

(ग्यारह) राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवजी पटेल (जालौर): जालोर जिला साक्षरता एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है तथा जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 55.58 प्रतिशत के साथ राजस्थान में यह जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। साक्षरता में लैंगिक अंतर भी सबसे अधिक है। वर्तमान जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा जिला मुख्यालय से 75 कि.मी. दूरी पर है। एक और नवोदय विद्यालय जिला मुख्यालय के समीप स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है ताकि और अधिक संख्या में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। यह नया विद्यालय जालोर सायला आहोर एवं भीनमाल पंचायत समिति क्षेत्र के छात्रों के प्रवेश के लिए वर्तमान में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा रानीवाड़ा संचोर एवं चितलवाना पंचायत समिति के छात्रों के प्रवेश के लिए होगा।

(बारह) मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय क्षेत्र में प्रस्तावित रेल लाइन को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): मेरा संसदीय क्षेत्र खरगौन (म0प्र0) जनजाति क्षेत्र है। दो जिले क्रमशः बड़वानी, खरगोन में देश की आजादी के 72 वर्षों बाद भी इस क्षेत्र में रेल को देखने और बैठने के लिए यहां के आदिवासियों के लिए आज भी सपना है। बडवानी व खंडवा आकांक्षी जिले हैं। यहाँ पर 2010 में खंडवा से वाया खरगोन वाया बडवानी घाट होती हुई नवीन रेल लाइन सर्वे होकर प्रस्तावित है। इस पिछड़े आकांक्षी जिले को विकसित करने से यहाँ के कृषक अपनी फसल बेच सकेंगे, जनजाति पलायन रोकने हेतु उद्योग धंधों को विकसित एवं सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा।

घाट में अल्ट्राइटेक सीमेंट की फैक्ट्री है एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बड़वानी में बावनगजा, खरगोन पापगीरी धाम एवं घाट में मोहनखेडा, बाग की गुफाएं आदि स्थानों पर पर्यटकों को सुविधा प्राप्त होगी। कृपया इस प्रस्तावित रेल लाइन को शीघ्र स्वीकृत करें। जिससे लाखों आदिवासियों का सपना साकार हो।

(तेरह) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भेजे जाने के बारे में

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो जिलों टोंक व सवाई माधोपुर में वित्त वर्ष 2017-18, 2018–19, 2019-20 में दोनों प्रकार की फसलों के लिए कितने किसानों द्वारा कुल कितनी फसल का बीमा करवाया गया। किसानों और सरकार के द्वारा कुल कितना प्रीमियम दिया गया और कितने किसानों को कितनी मुआवज़ा राशि दी गई?

इस योजना के तहत दो प्रकार के किसानों का बीमा किया जाता है- ऋणी कृषक और गैर ऋणी कृषक। ऋणी कृषक का बीमा तो सहकारी समितियों के माध्यम से स्वतः ही हो जाता है परन्तु गैर ऋणी कृषकों का बीमा, बीमा हेतु नियुक्ति बीमा कम्पनियों के माध्यम से ही किया जाता है। गैर ऋणी कृषकों को फसल बीमा हेतु ऑन लाइन आवेदन करना होता है परन्तु ऑन लाइन आवेदन करने की अवधि बहुत कम होती है। परिणामस्वरूप अधिकांश कृषक इस योजना के तहत आवेदन करने से वंचित रह जाते हैं। अतः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑन लाइन आवेदन करने की सूचना समाचार पत्रों में अग्रिम प्रकाशित करवा कर गैर ऋणी कृषकों को पर्याप्त समय दिया जाये।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में चीनी मिलों के बारे में

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर (उत्तर प्रदेश) देवरिया जनपद (उ0प्र0) के प्रतापपुर में स्थित बजाज ग्रुप की चीनी मिल को वहां के प्रबंधन द्वारा हमेशा के लिए बंद कर देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके चलते मिल कर्मचारियों, गन्ना किसानों और जनप्रतिनिधियों में व्यापक आकोश है। देवरिया जनपद की पाँच चीनी मिलों में एक भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय के उपक्रम बी0आई0सी0 द्वारा संचालित गौरीबाज़ार की चीनी मिल करीब दो दशक से बंद है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित भटनी, देवरिया तथा बैतालपुर की चीनी मिलें लगभग आठ साल से बंद पड़ी हैं। निजी क्षेत्र की प्रतापपुर चीनी मिल जिले की एकमात्र चालू चीनी मिल थी। ऐसी हालत में इसके बंद हो जाने पर इस जिले का गन्ना उद्योग चौपट हो जायेगा और गन्ना किसान तथा बेरोजगार किये जाने वाले चीनी मिल मजदूर बदहाली के शिकार हो जायेंगे क्योंकि गन्ना ही यहां के किसानों की एकमात्र नकदी फसल थी। मैं इस मान्य सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित करके गन्ना किसानों तथा मिल मजदूरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतापपुर चीनी मिल के आधुनिकीकरण कर चालू रखने के साथ ही बंद पड़ी चीनी मिलें भटनी, देवरिया, बैतालपुर का आधुनिकीकरण करवा कर उन्हें पुनः चालू कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(15) पश्चिम बंगाल में चाय बागानों में काम करने वाले कामगारों की भविष्य निधि के बारे में

श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस): आज मैं चाय बागान के मजदूरों के पी.एफ. संबंधी ज्वलंत मुद्दे को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जिसका सीधा संपर्क हमारे चाय बागान में रहने वाले हर उन मजदूरों से हैं जिनके हक की कमाई को मजदूरों से दूर रखा जा रहा है उनमें से कुछ मुख्य बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ।

1. आधारकार्ड पर उनका नाम सही होने के कारण बहुसंख्यक मजदूर अपनी जीवन की जमा पूंजी पी.एफ. के पैसों को निकाल ही नहीं पाते।
2. विगत कुछ वर्षों से पी.एफ. डिपार्टमेंट मजदूरों के पैसों को उनके अकाउंट में जमा करने का काम ही नहीं कर रही है।
3. चाय बागान के मालिकों द्वारा आज भी 100 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा बकाया पी.एफ. डिपार्टमेंट को जमा न देना भी एक प्रमुख कारण है।

उक्त अनियमितताओं की संपूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही ही नहीं की जाती है। जिसकी वजह से हज़ारों मजदूर अपने रिटायरमेंट के पश्चात अपनी जिन्दगी के अंतिम समय तक भी अपने पी.एफ. को निकाल ही नहीं पाते हैं। अतः आपसे सादर निवेदन है कि उक्त विषयों की जानकारी लेकर आने वाले समय में चाय मजदूरों के हित में एक मजबूत कानून बनाकर जल्द से जल्द इनके हितों की रक्षा की जाय जिससे कि चाय बागान मजदूर अपने पी.एफ. को आसानी से निकाल सकें एवं अपने परिवार की जरूरतों एवं सपनों को पूरा कर सके।

(सोलह) अजमेर में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीआरजीबी) के मंडल कार्यालय की स्थापना तथा जोधपुर स्थित सीआरजीबी के मंडल कार्यालय के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): हमारे देश में राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है एवं इसका अधिकांशतः भाग रेगिस्तानी है। इसके फलस्वरूप राजस्थान राज्य में पानी की विकट समस्या है। विगत कई वर्षों से बारिश की भी कमी रही है। वर्तमान में प्रदेश में इन्दिरा गांधी नहर ही पानी का एकमात्र विकल्प है। प्रदेश में जमीनी पानी के सर्वे एवं अनुसंधान का कार्य केन्द्रीय भूमि जलबोर्ड करता है। जिसका एकमात्र डिविजन कार्यालय जोधपुर में एवं रिजनल कार्यालय जयपुर में है। सर्वे एवं अनुसंधान का कार्य रीजनल कार्यालय जयपुर एवं पानी की बोरवेल/ट्यूबवैल स्थापना का कार्य डिविजन कार्यालय जोधपुर द्वारा संपादित किया जाता है जो कि पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। वहीं पूर्वी राजस्थान में स्थित अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, बूंदी, करौली, धौलपुर, टोंक के साथ-साथ पूर्वी उत्तरी राजस्थान में स्थित सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर आदि जिलों में भू-जल अनुसंधान कार्य करने के लिए सरकारी मशीनरी का जोधपुर से आने-जाने में बहुत दूरी पड़ती है जिसके कारण सरकार का समय एवं धन का खर्च भी ज्यादा होता है। यदि पूर्वी राजस्थान में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का एक नवीन डिविजन कार्यालय अजमेर में खोल दिया जाता है तो सरकार को करोड़ों रूपये की बचत होगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में भी 02 डिविजन कार्यालय बरेली एवं बनारस में कार्यरत हैं।

अतः केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि आगामी चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की विभागीय कार्ययोजनाओं के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का एक नवीन डिविजन कार्यालय अजमेर में खोलने की सक्षम स्वीकृति हेतु आवश्यक विभागीय कार्यवाही करावें। साथ ही वर्तमान में 40 वर्षों से कार्यरत डिविजन कार्यालय जोधपुर को क्षेत्रीय कार्यालय में कमौन्नत करने की भी स्वीकृति प्रदान करावें ताकि वर्तमान में प्रदेश के जोधपुर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर, सिरोही, बीकानेर, हनुमानगढ़, राजसमन्द

आदि जिलों में भूजल सर्वे का कार्य जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान पर जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय बनने पर वहाँ से ही सम्पादित हो सकेंगे जिससे भी सरकार मशीनरी के अनावश्यक धन एवं समय की बचत होगी।

(सत्रह) कर्नाटक में नारियल बोर्ड के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के संबंध में

[अनुवाद]

श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण): कर्नाटक में नारियल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। कर्नाटक में, 518,390 हेक्टेयर क्षेत्र नारियल बागान के तहत हैं जो देश में उत्पादन के कुल क्षेत्र का 27.72% है और देश में कुल उत्पादन का 26.36% है। नारियल उत्पादन में सुधार के लिए किसानों को नारियल बोर्ड या केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। नारियल के किसान संकट में हैं क्योंकि नमी के तनाव और कीटों के हमलों के कारण नारियल की हथेलियों का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। मिट्टी में नमी के तनाव के परिणामस्वरूप कम उत्पादकता होती है। काले सिर वाले कैटरपिलर और पत्ती के प्रकाशन के प्रकोप से नारियल किसानों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। कर्नाटक में नारियल उत्पादन के लिए केंद्र सरकार से तकनीकी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है क्योंकि राज्य उत्पादन में संख्या 2 पर है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से राज्य में नारियल किसानों की मदद के लिए कर्नाटक में नारियल बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का आग्रह करता हूँ।

(अट्ठारह) तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान जल संबंधी समस्याओं के बारे में

श्री सी.एन. अन्नादुरई (तिरुवन्नामलाई): तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भारी पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उस क्षेत्र में कुएं, बोर कुएं और अन्य पानी के स्रोत लगभग सूख गए हैं। नदी पेन्नईयार पर सैथानुर बांध का जल स्तर, जो तिरुवन्नमलाई के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है, किलपेननाथुर, चेंगाम और कालासापक्कम क्षेत्रों में, काफी नीचे चला गया है। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए सथानुर बांध को गाद निकालने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पेन्नियार संयुक्त जल योजना और मेटर संयुक्त जल योजना उस क्षेत्र की केवल बीस प्रतिशत पानी की आवश्यकता की मांगों को पूरा कर सकती है। तिरुवन्नामलाई निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य रूप से एक बारिश की कमी वाला क्षेत्र है। चूंकि क्षेत्र के लोगों को वर्तमान पानी की कमी के कारण कठिनाई हो रही है, इसलिए सरकार का ध्यान तिरुवुन्नमलाई में जल संकट की ओर आकर्षित हो रहा है। सरकार को पेयजल और सिंचाई उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराने की प्राथमिकता रखनी होगी। चूंकि सरकार देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि *नल से जल* योजना के तहत तिरुवन्नामलाई के प्रत्येक घर में प्राथमिकता के आधार पर पाइप द्वारा जलापूर्ति की जाए। इस प्रयोजन के लिए साथनूर बांध की गाद निकालकर और कृष्णागिरि बांध नहर को एक किलोमीटर क्षेत्र की खुदाई करके चेटरी बांध नहर से जोड़कर स्रोत पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है जिससे त्रिपत्तूर और जोलारपेट्टई क्षेत्रों को काफी हद तक लाभ होगा।

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश की उत्तरांधरा सुजला स्रवंति सिंचाई परियोजना के बारे में

डॉ. बीसेट्टी वेनकाटा सत्यावती (अनाकापल्ले): उत्तरांधरा सुजला स्रवंति तीन प्रमुख जिलों अर्थात् विशाखापत्तनम, विज़यानगरम, और श्रीकाकुलम को कवर करने वाली एक प्रमुख सिंचाई पद्धति है। राज्य सरकार ने 7,214 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। हालांकि, अब परियोजना की लागत लगभग 16,586 करोड़ रुपये हो गई है।

मेरा माननीय जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध है कि आन्ध्र प्रदेश वित्तीय संकट में है, कृपया परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्रीय धन आवंटित करें क्योंकि यह उत्तर और आंध्र प्रदेश के तीन प्रमुख जिलों की सिंचाई के साथ-साथ जलापूर्ति की माँगों को पूरा करता है।

(बीस) बिहार के सोन नदी पर इंद्रपुरी बैराज का गाद निकाले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महाबली सिंह (काराकाट): बिहार के सोन नदी में इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1965 में हुआ था इस बराज के बनने से दक्षिण बिहार के 8 जिलों में लाखों एकड़ की भूमि की सिंचाई होती है लेकिन सोन नदी के अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नदी में बाढ़ आने से पूरे बराज में पहाड़ी मिट्टी और गाद के भर जाने से बराज की भंडारण क्षमता खत्म हो गई जिसके चलते इन जिलों के लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई के अभाव में हर साल सूखे का सामना करना पड़ता है। 54 सालों में बराज की सफाई नहीं हो पाई है। अतः सदन के माध्यम से हम सरकार से माँग करते हैं कि इन्द्रपुरी बराज में जमी हुई मिट्टी और गाद की सफाई अति शीघ्र कराई जाए ताकि इन 8 जिलों के किसानों की लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सके।

(इक्कीस) पश्चिम बंगाल में केस्टोरमपुर में दामोदर नदी पर बांध बनाए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री सुनील कुमार मंडल (बर्धमान पुरबा): मैं जल शक्ति मंत्री जी का ध्यान जमालपुर ब्लॉक के जोतसीराम आंचल के अंतर्गत केस्टोरमपुर में और रैना ब्लॉक के किनारे दामोदर नदी पर एक छोटे बांध के निर्माण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ ताकि आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई में सुधार हो सके। यदि जोत्सिराम आंचल जमालपुर ब्लॉक के अंतर्गत केस्टोरामपुर में नदी दामोदर पर एक छोटा बांध बनाया जाता है, तो बहती नदी का जल स्तर बढ़ जाएगा और एक छोटी नहर बनाकर धान के खेतों में ले जाएगा। खेती करने वालों को सिंचाई का दायरा मिलता है और फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और सिंचाई का कर भी सरकार को मिलेगा। इस संबंध में, मैंने कई बार प्रस्तुत किया है लेकिन अभी तक कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। अतः, मैं, जलशक्ति मंत्री जी से इस संबंध में तत्काल और आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

(बाईस) तमिलनाडु में तिरुपुर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. सुब्बारायण (तिरुपुर): केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना के तहत तिरुपुर निगम, तमिलनाडु की घोषणा की थी। इसके बाद, योजना के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं और गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लेकिन योजनाओं की पहचान और उनके द्वारा किए जा रहे तरीके अत्यधिक संदिग्ध हैं। तिरुपुर निगम के आयुक्त स्मार्ट सिटी योजना के प्रबंध निदेशक हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शुरू की गई परियोजनाओं को योजना की भावना से शायद ही सहमत किया जा सकता है। तिरुपुर शहर होजरी उद्योग का केंद्र है और केंद्रीय राजकोष में विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा कमाने वाला शहर है। वैश्विक व्यापार के साथ इसके एकीकरण के कारण, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खरीदारों के साथ तिरुपुर उफनता है। विशाल शहर के कोने-कोने से लोगों की वस्तुओं की ढुलाई और आवाजाही के लिए एक अच्छे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। लेकिन तिरुपुर में चुनी गई योजनाएं स्मार्ट सिटी योजना के उद्देश्य को ही विफल कर देती हैं। इस प्रक्रिया की अस्पष्टता ने लोगों के बीच बहुत मजबूत संदेह पैदा किया है। एक व्यापक जनमत यह भी है कि अभी तक कोई ठोस गतिविधि शुरू नहीं की गई है।

मैं, तिरुपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद के सदस्य के रूप में, लोगों के प्रति जवाबदेह हूँ और कभी भी अपने लोगों के प्रति निष्ठाहीन नहीं होउँगा। इसलिए, मैं सरकार से निम्नलिखित पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आग्रह करता हूँ:

- स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करना, जिसके अध्यक्ष के रूप में तिरुपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद होंगे। इस समिति को निविदाएं आमंत्रित करने, परियोजनाओं की जांच करने, उन्हें अंतिम रूप देने और क्रियान्वित करने का अधिकार होगा; तथा अब तक के विकासों जैसे कि नियोजित परियोजनाएं, आमंत्रित निविदाएं, अब तक हुए व्यय और कार्यों को पूरा करने में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों की जांच करने के

लिए एक आयोग का गठन करने का अधिकार होगा। आयोग अब तक किए गए परियोजना लागत सहित सभी विवरणों का निरीक्षण, जाँच और उन्हे प्रस्तुत करेगा और प्राधिकृत नोट भी प्रस्तुत करेगा।

(23) केरल के कोल्लम स्थित केन्द्रीय विद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से एक अतिरिक्त बैच शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): कोल्लम में केंद्रीय विद्यालय कोल्लम जिले में एकमात्र केंद्रीय विद्यालय है। वर्तमान व्यवस्था प्रवेश की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है। प्राथमिकता श्रेणी के सैकड़ों पात्र छात्रों को केन्द्रीय विद्यालय कोल्लम में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय विद्यालय, कोल्लम में दूसरे बैच को शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ी धनराशि खर्च करती है। लेकिन इसका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय, कोल्लम में एक अतिरिक्त बैच शुरू करने का अनुरोध लंबित है। मानक एक से बारह तक एक अतिरिक्त बैच शुरू करना केंद्रीय विद्यालय संगठन, माता-पिता और छात्रों दोनों के लिए फायदेमंद है।

इसलिए, मैं सरकार से शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के दौरान केंद्रीय विद्यालय, कोल्लम में मानक एक से बारह तक अतिरिक्त बैच शुरू करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने का आग्रह करता हूँ।

अपराह्न 02.04 बजे

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी): मैं प्रस्ताव रखता हूँ*:

> "कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के पक्ष में, जो मुख्तारनामा, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र या किन्ही अन्य दस्तावेजों, जिनके अंतर्गत प्रतिफल संदाय के साक्ष्य के दस्तावेज सम्मिलित हैं, के आधार पर ऐसी कालोनियों में संपत्तियों पर कब्जा रखते हैं, ऐसी अप्राधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों का स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करके या अंतरण या बंधक द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष उपबंधों का और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। जाएगा।"

मैं इस विधेयक के माध्यम से एक लघु पृष्ठभूमि और उस मुद्दे को परिप्रेक्ष्य प्रदान करना चाहता हूँ, जो अब इस सभा में लाया गया है। जब हम वर्ष 1947 में एक स्वतंत्र देश बने तो दिल्ली की आबादी आठ लाख थी। अशांति के बाद, हिंसा और भारत के विभाजन के रक्तपात एक और ग्यारह लाख लोग आए और दिल्ली

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

शहर में शरण ली। वर्ष 1950 की जनगणना, जो हमारी पहली जनगणना है, के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। अगली जनगणना, यानी 2021 की जनगणना में, हमें उम्मीद है कि इसमें तेज़ी से वृद्धि होगी। दिल्ली शहर से थोड़ा भी परिचित कोई भी व्यक्ति जानता है कि दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग दो करोड़ के आसपास होगी, इसमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। लोग अन्य स्थानों पर क्यों जाते हैं? अनिवार्य रूप से लोग उन स्थानों पर जाना चाहते हैं जहाँ वे अपनी आजीविका कमा सकते हैं। जब मेरी पिछली पीढ़ी आई और दिल्ली में शरण ली, तो वे मेक-शिफ्ट शरणार्थी शिविरों में रहे। मेरे पिता राजाओं के शिविर में एक शरणार्थी शिविर में रहे।

फिर, धीरे-धीरे शहर को बुनियादी ढांचा प्रदान करना होगा। स्पष्ट रूप से, हमने उन लोगों को विफल कर दिया है जो शहरी स्थानों पर आते हैं और निवास करते हैं। वास्तव में, मैं मैं यह कहने की सीमा तक जाऊंगा कि मई 2014 से पहले जब मोदी जी की सरकार बनी थी, हम शहरी क्षेत्र को किसी तरह से एक विचार के हिस्से के रूप में देख रहे थे, कभी भी इसकी क्षमता या इस तथ्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाए कि इसे जीत वाली स्थिति में बदला जा सकता है। मोदी जी की सरकार आने के बाद, जून 2015 में प्रधान मंत्री जी के कई प्रमुख कार्यक्रम पुर:स्थापित किए गए।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रधान मंत्री आवास योजना प्रधान मंत्री द्वारा पुर:स्थापित की गई थी क्योंकि वह अपने सपने को लागू करना चाहते थे, जो प्रत्येक भारतीय को देने के लिए था, चाहे वह कहीं भी रहता हो, एक ऐसा घर जिसे *पक्का* संरचना, एक शौचालय, एक रसोईघर और उस कार्यकाल का शीर्षक घर की महिला के नाम पर होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक भावना थी कि जब भी कोई वैवाहिक कलह होती है तो वह महिला होती है जो कम समय में बदल जाती है।

जब मेरे मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में एक माँग आकलन किया कि कितनी नई संरचनाओं का निर्माण करना होगा, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमें प्रत्येक भारतीय को एक घर में रहने में सक्षम होने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ इकाइयों की तरह कुछ बनाना होगा जिसे वह अपना कह सकता है। यह प्रधान मंत्री जी का सपना था।

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, माँग आकलन एक करोड़ या दस मिलियन था जिसे बाद में एक करोड़ और बारह लाख या 11.2 मिलियन में संशोधित किया गया था। मेरे मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में कल हुई परियोजनाओं की मंजूरी और निगरानी के बारे में समिति की बैठक में, हमने अन्य 370,000 घरों को मंजूरी दी है और आवश्यक एक करोड़ के खिलाफ कुल आंकड़ा 96 लाख या 97 लाख जैसा है। इसलिए, इस योजना के वर्ष 2022 में पूरा होने से तीन वर्ष पहले, हम इसे लगभग पूरा कर रहे हैं।

यह सच है कि देश के कई राज्य असमान प्रगति दिखाते हैं। जिस राज्य से मैं निर्वाचित हुआ हूँ, वह उत्तर प्रदेश है, मार्च 2017 के बाद पिछले दो से तीन वर्षों में, स्टर्लिंग का काम किया है। वहाँ 14,50,000 से अधिक प्रधान मंत्री आवास योजना इकाइयाँ दी गई हैं। मैं इसे केवल एक उदाहरण के रूप में उद्धृत कर रहा हूँ।

मैं दिल्ली के विशिष्ट मुद्दों पर वापस आना चाहता हूँ। दिल्ली आज न केवल राष्ट्रीय राजधानी है बल्कि राजस्व का सबसे बड़ा प्रदाता भी है। यह जी.डी.पी. में सबसे बड़ा योगदान देता है। लोग देश के सभी क्षेत्रों से और जीवन के सभी क्षेत्रों से काम की तलाश में दिल्ली में बसने आते हैं। मैंने वर्ष 1947 का उदाहरण दिया, जब विभाजन के बाद लोग, नए स्वतंत्र भारत में आए। आज हम अनुमान लगाते हैं कि लगभग 40 लाख दिल्ली नागरिक, जो कि हमारे पास दो करोड़ आबादी में से 40 लाख है, अप्राधिकृत कालोनी में निवास करते हैं। मैं एक-दो मिनट यह बताते हुए बिताना चाहता हूँ कि इस शब्द का उपयोग 'अप्राधिकृत' क्यों किया जाता है। महोदय, अप्राधिकृत कालोनी विभिन्न कारणों से एक समस्या पैदा करती हैं। वहाँ रहने वाले लोगों के पास हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज पंजीकृत नहीं हैं और वे बैंकों से धन नहीं जुटा सकते क्योंकि वे अप्राधिकृत हैं। स्थानीय प्राधिकरण, जिन्हें सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं, उनके साथ नियमित कॉलोनियों के समान व्यवहार न करें जो मास्टर प्लान आदि के ले-आउट का हिस्सा हैं।

पिछले कई दशकों में अप्राधिकृत कालोनी की समस्या से निपटने के प्रयास किए गए हैं। मैं उद्धृत कर सकता हूँ कि वर्ष 1961, 1977, 2000, 2008 और इसी तरह के प्रयास किए गए हैं। लेकिन मैं आपको

बता सकता हूँ, महोदय, ये सभी प्रयास आधे-अधूरे रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने उद्यम में समस्या से नहीं निपटा है।

आज, हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां 40 लाख या उससे अधिक – यह आंकड़ा 50 लाख तक भी हो सकता है – इन तथाकथित अप्राधिकृत कालोनी में रह रहे हैं। महोदय, वर्ष 2008 में, 24 मार्च, 2008 की एक अधिसूचना राजपत्रित की गई थी। उस अधिसूचना के आधार पर लगभग 1760 कॉलोनियों की पहचान इस श्रेणी में आने वाली कॉलोनियों के रूप में की गई थी।

महोदय, 2008 में कुछ प्रयास किए गए थे। लेकिन, फिर से, ये प्रयास आधे दिल से किए गए थे। फिर हम वर्ष 2011 पर आए। *सूरज लैंप और उद्योगों बनाम हरियाणा की स्थिति* 11 अक्तूबर, 2008 के मामले में उच्चतम न्यायालय का एक प्रसिद्ध निर्णय है। मैं आपसे थोड़ी अनुमति चाहता हूँ ताकि उस निर्णय के महत्वपूर्ण अंश को उद्धृत कर सकूं। यह निर्णय का अनुच्छेद संख्या 16 है। इसमें कहा गया है: "हम, फिर से पुष्टि करते हैं कि अचल संपत्ति को कानूनी रूप से और विधिपूर्वक स्थानांतरित किया जा सकता है, जो केवल वाहन के पंजीकृत विलेख द्वारा व्यक्त किया गया है। जी.पी.ए. बिक्री या एस.ए./जी.पी.ए./विल ट्रांसफर की प्रकृति के लेनदेन स्वामित्व प्रदान नहीं करते हैं और हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आते हैं, और न ही उन्हें अचल संपत्ति के हस्तांतरण का एक वैध तरीका माना जा सकता है। न्यायालय ऐसे लेन-देन को पूर्ण या संपन्न हो चुके हस्तांतरण के रूप में नहीं मानेगी क्योंकि वे न तो शीर्षक व्यक्त करते हैं और न ही किसी अचल संपत्ति में कोई हित पैदा करते हैं।"

महोदय, मामले का तथ्य यह है कि दिल्ली में अधिकांश संपत्ति लेनदेन सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी और जिस तरह के दस्तावेज़ीकरण का मैं उल्लेख कर रहा हूँ उसके तहत हुआ है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के साथ, जिन लोगों के पास वहां संपत्ति थी या जो ऐसी कॉलोनियों में चले गए उन्हें स्थानीय कानूनों के संदर्भ में वैधता – जिसे मैं बेहतर शब्द में कहता हूँ – हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया।

यह स्पष्ट हो गया जब हमने वर्ष 2015 में कुछ विनियम पारित किए। यह दिल्ली विकास अधिनियम के तहत 1 जनवरी, 2015 को अधिसूचित अप्राधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की दिशा में विनियमन

की अंतिम प्रमुख दवा है। हम जो ये सभी विनियम पारित कर रहे थे और इस मामले पर विचार करने से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को इन अप्राधिकृत कालोनी को चित्रित करना होगा।

दूसरे शब्दों में, उन्हें डिजिटल रूप से इन कॉलोनियों का मानचित्रण करना होगा क्योंकि आप अधिकारों को प्रदान करने के चरण में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप नहीं जानते कि कितनी कॉलोनियां हैं। तो, महोदय, मैं आपको वर्ष 2008 पर वापस ले जाउँगा। आज, हम वर्ष 2019 में हैं। 11 वर्षों से, जो भी सरकार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रही है – मैं यह नहीं कहना चाहता कि वर्ष 2015 तक कौन सी सरकार थी या वर्ष 2015 के बाद कौन सी सरकार थी – उन्होंने प्रयास किए लेकिन ये आधे-अधूरे थे।

हम वर्तमान सरकार के साथ पत्राचार कर रहे थे जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सत्ता में है, जिन्होंने शिक्षार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष हलफनामे दिए थे। जब उनके साथ पत्राचार करते हुए, उन्होंने हमें बताया कि जिस कंपनी को इन कॉलोनियों का डिजिटली मानचित्रण करने का काम सौंपा जाना है, उस कंपनी को काम भी नहीं दिया गया है और उन्हें और दो वर्ष की आवश्यकता है। यह बहुत स्पष्ट हो गया कि वर्ष 2021 तक कुछ भी नहीं होगा। यह वह समय है जब केंद्र सरकार - और प्रधानमंत्री, ने अपने समग्र शहरी कायाकल्प कार्यक्रम के हिस्से के रूप में - एक निर्णय लिया कि हम एक-बार में, एक विशेष एक बार के मामले के रूप में, मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए विधायी प्राधिकरण की माँग करेंगे या जिसे हम इन 1,797 कॉलोनियों के निवासियों को हिन्दी में '*मलिकाना हक*' कहते हैं। वर्ष 2008 अधिसूचना के अनुसार, हमने इन कॉलोनियों से उन कॉलोनियों को बाहर कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से दूसरी श्रेणी में आते हैं। ये वे कॉलोनियाँ हैं जहाँ समाज के संपन्न सदस्य रहते हैं। इसलिए, इन्हें बाहर रखा गया है, और वर्तमान विधेयक उन लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है जो 1,731 कॉलोनियों में रहते हैं जहाँ वंचित लोग हैं या प्लॉट का आकार बहुत छोटा है - उनमें से कुछ 25-30 वर्ग मीटर हैं या यहाँ तक कि जब वे ऊपर जाते हैं, तो वे 100 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हैं, आदि। तो, वे अलग-अलग हैं।

हम क्या करने का प्रस्ताव रखते हैं? सबसे पहले, इस कार्य के दो स्पष्ट खंड हैं। पहला खंड यह है कि जो काम पिछले 11 वर्षों में हो जाना चाहिए था, यानी इन कॉलोनियों का डिजिटल मानचित्रण करना, उसे पूरा किया जाना है। मैं बहुत ही विनम्रता और संतोष के साथ आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष यह बात रखता हूँ कि जो काम पिछले 11 वर्षों में नहीं हो पाया, उसे हम 31 दिसंबर से पहले पूरा करने का प्रस्ताव रखते हैं। सभी 1,731 कॉलोनियों के नक्शे नए पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिसे बनाया गया है।

अब, मैं यहां कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम केवल भारत या किसी तकनीकी एजेंसी या उपग्रह इमेजरी के सर्वेक्षण से डेटा प्राप्त कर रहे हैं। हम कुछ और कर रहे हैं। हम एक कॉलोनी की सीमाएं लगा रहे हैं, और आप जानते हैं कि ये कॉलोनियां फैली हुई हैं और उनकी सीमाएं दूसरी की सीमाओं के साथ मेल खा रही हैं। हम रेखाएं खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन डिजिटल मानचित्रों को पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, और हम उन क्षेत्रों के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आप इस तरह का डिजिटल नक्शा रखते हैं और इसे अपलोड करते हैं, तो कोई चारों ओर आकर कहेगा कि : “आप इसे एक फलाना कॉलोनी कह रहे हैं, लेकिन यह मेरी कॉलोनी है” और फिर हमें डिजिटल नक्शे को फिर से समायोजित करना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया का पहला भाग है।

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें लगभग 600 कॉलोनियों के नक्शे मिल चुके हैं और अभी भी काम चल रहा है। लेकिन अगले कुछ हफ़्तों में सभी 1,731 कॉलोनियों के डिजिटल नक्शे अपलोड कर दिए जाएँगे। उसके बाद दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा। जो व्यक्ति यह प्रमाण दे सकते हैं कि वे उन मकानों में रह रहे हैं; जिनके पास सहारा है; और जो सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत, बिक्री के लिए करार, भुगतान या कब्जे का दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, वे दूसरे पोर्टल पर आवेदन करना शुरू कर सकते हैं, जिसे बहुत शीघ्र बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि उस पोर्टल के निर्माण की तिथि 16 दिसम्बर है। इसलिए, हमारे पास सभी डिजिटल मानचित्रों को अपलोड करने के लिए एक पोर्टल है, और दूसरा पोर्टल 16 दिसम्बर तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद, उन सभी लोगों को जो पिछले

11 वर्षों या उससे पहले के उपहार अधिकारों से वंचित हैं वे आने और पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसे वास्तव में आसान बनाने के लिए, इस वाहन के लिए शर्तें बनाई गई हैं, अगर मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए 'बेहद फायदेमंद' है। 50 मीटर या 100 मीटर से कम के छोटे भूखंडों के लिए, हम सर्कल दर का केवल आधा प्रतिशत चार्ज कर रहे हैं। यदि यह एक निजी भूमि या सरकारी भूमि है, तो यह या तो आधा प्रतिशत या 0.25 प्रतिशत होगी। यदि यह 100 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर के बीच है, तो यह एक प्रतिशत है और यदि यह उससे परे है, तो यह 2.5 प्रतिशत है। जैसा कि मैंने कहा, इसका आधा हिस्सा दूसरी श्रेणी में है। महोदय, केवल दो श्रेणियां हैं जिन्हें बाहर रखा गया है। यदि यह किसी वन भूमि या किसी प्रतिबंधित श्रेणी पर है, या यदि यह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, तो यह कुल का लगभग 9 प्रतिशत है। बाकी सभी को कवर किया जाएगा।

महोदय, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि ये 40 या 50 लाख लोग, जो भी आंकड़ा है, 175 वर्गकि.मी. या 43,000 एकड़ भूमि में फैली अप्राधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। कॉलोनियां बहुत व्यापक हैं। लेकिन अब हमारे पास उन्हें स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए एक वास्तुकला और पारिस्थितिकी तंत्र होगा। ....(*व्यवधान*) ये मेरी शुरुआती टिप्पणियाँ हैं और इसके बाद मैं अपने माननीय सदस्यों की बात सुनकर प्रसन्नता होंगी।

मैंने कुछ सुझाव देखे हैं कि हमें इसे तीन दिन में करवाना चाहिए। हम एक पारिस्थितिकी तंत्र डिजाइन कर सकते हैं जिसके द्वारा सभी 1,731 कॉलोनियों को डिजिटल रूप से एक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जो पहले से ही कार्य कर रहा है। इसमें पहले से ही कुछ कॉलोनियां हैं, हम दिन तक उनमें और अधिक जोड़ रहे हैं और हम एक बहुत ही कुशल प्रणाली डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब हम दूसरे पोर्टल पर ऑनलाइन काम शुरू करते हैं, तो हम कुछ मुद्दों पर आ सकते हैं। मेरे वरिष्ठ, सहकर्मी, एक सज्जन के पास ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं जो दिखाते हैं कि उनके पास दावा है लेकिन संपत्तियां कभी-कभी किसी और के मुकाबले कई बार बेची जाती हैं, वे इसे सबूत के रूप में – सामान्य मुख्तारनामा को दिखा सकते हैं। मेरा अपना आकलन यह है कि ऐसे मामले 15 प्रतिशत या उससे अधिक नहीं हैं। हमें इन

कॉलोनियों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों के स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए। मैं जिस अस्थायी निष्कर्ष को अपना रहा हूँ वह 40 से 50 लाख लोगों के बीच है और मुझे लगता है कि इसका मतलब 7 या 8 लाख लोग होंगे जो इन अधिकारों के प्रदान के लिए आवेदन करेंगे।

महोदय, मैं स्वयं को इन परिचयात्मक टिप्पणियों के साथ सीमित रखना चाहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कई मामलों में, सूई जेनरिस, एक तरह का विधेयक है क्योंकि यह इस राजधानी शहर में हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक बार अपवाद प्रदान करना चाहता है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और इसकी अनुमति देते हैं, तो इनमें से कई इमारतें जहाँ 40-50 लाख लोग रहते हैं असुरक्षित रहेंगी। इसमें अस्वच्छता की स्थिति है और उन्हें नागरिक सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। यह एक बड़े काम का हिस्सा है जो हम दिल्ली और शहरी स्थानों के लिए कर रहे हैं।

हाल ही में, हमने लैंड पूलिंग की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप 70 लाख घर बनाए जाएंगे। हमने लगभग 120-130 कि.मी. मेट्रो को जोड़ा है। कुछ अन्य कदम हैं जो हमने पहले ही उठाए हैं और हम अधिक कदम उठाएंगे। इसलिए, मैं इस विधेयक पर विचार और अनुमोदन के लिए सिफारिश करता हूँ।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> “कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के पक्ष में, जो मुख्तारनामा, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र या किन्ही अन्य दस्तावेजों, जिनके अंतर्गत प्रतिफल संदाय के साक्ष्य के दस्तावेज सम्मिलित हैं, के आधार पर ऐसी कालोनियों में संपत्तियों पर कब्जा रखते हैं, ऐसी अप्राधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों का स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करके या अंतरण या बंधक द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष उपबंधों का और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी): राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली(अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019, सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या का.आ.683अ दिनांक 24 मार्च, 2008। यह नोटिफिकेशन 24 मार्च, 2008 को दिया गया। यह समय हमारे प्रिय नेता, श्रीमती शीला दीक्षित जी को दिल्ली के विकास और सड़कों, फ्लाईओवरों और महानगरों, प्रदूषण नियंत्रण, बेहतर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों के विकास के लिए याद करने का है। 15 वर्षों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रही, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लिए डेवलपमेंट किया। उनके द्वारा दिल्ली में रोड, मेट्रो, पॉलुशन कंट्रोल आदि से संबंधित काम करके जो दिल्ली का डेवलपमेंट किया गया, उसके लिए इस सदन को शीला दीक्षित जी को याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उनको याद कर रहा हूँ।

इसमें पैराग्राफ-4 को देखें। मैं पैराग्राफ संख्या 4 का उल्लेख करना चाहता था। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं केंद्र सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता था। पैराग्राफ संख्या 4 में, यह उल्लेख किया गया है, "…हस्तांतरण विलेख या प्राधिकरण पर्ची में उल्लिखित बिक्री प्रतिफल, जैसा भी मामला हो, जो भी अधिक हो।"

[हिन्दी]

यहाँ पर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि लगभग 1797 अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज में करीब 50 लाख लोगों को फायदा होने वाला है इन कॉलोनियों में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर/बहुत गरीब लोग रहते हैं। यह सरकार इन कॉलोनियों में चार्जेज लगाने के लिए क्यों सोच रही है? अगर सरकार 'सबका साथ और सबका विकास' करना चाहती है, तो पूरे भारत के कोने-कोने में जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, बिहार से बंगाल तक, कर्नाटक से केरल तक, आन्ध्र प्रदेश से हिमाचल प्रदेश तक, देश के कोने-कोने के लोग दिल्ली में रहते हैं। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फ्री कर देना चाहिए। कोई भी चार्ज करने के

लिए मत सोचिए। और तो और, इसे पारदर्शी भी रखिए। यानी करप्शन/भ्रष्टाचार का कोई भी सोर्स/स्रोत नहीं रहना चाहिए। कुछ मोहल्लों में अन-एजुकेटेड या बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत होगी, इसलिए सरकार इसे करप्शन फ्री/भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने वाली है, इसके बारे में इस बिल में नहीं बताया गया है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन चार्जेज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छोटे-छोटे लोग, गरीब लोग इन कॉलोनियों में रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सरकार का इस बारे में सोचना जरूरी है।

[अनुवाद]

पिछले पैराग्राफ में, यह उल्लेख किया गया है, "...अप्राधिकृत कॉलोनी जहाँ लेआउट योजना के अनुमोदन के लिए कोई अनुमति नहीं मिली है।"

[अनुवाद]

जिन कॉलोनियों में बिना परमिशन के अन-ऑथराइज्ड रूप से गरीब लोग रहते हैं, वहाँ कोई सिस्टमैटिक रूप से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। यानी उसके लिए जो बेसिक एमिनिटीज जरूरी हैं, उनके लिए कोई बजट ही नहीं होता है। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह इन कॉलोनियों में रोड्स, ड्रेनेज, पीने के पानी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल आदि की सुविधाओं के लिए क्या करेगी? यह देश की राजधानी है। इसे मॉडल मेट्रो सिटी बनाने की जरूरत है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इसके लिए स्पेशल डेवलपमेंट फण्ड के रूप में एक पैकेज देना चाहिए। जैसे आप पूरे कॉलोनीज को डिज़िटल कर रहे हैं, तो डिज़िट्लाइजेशन में डेवलपमेंट के लिए रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल्स, कम्युनिटी हॉल, हेल्थ सेंटर, आम जनता की जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं, इन कॉलोनियों के डेवलपमेंट के लिए भी एक स्पेशल डेवलपमेंट फण्ड रखने की जरूरत है। उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए।

इस समय मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ तीन-चार महीने में दिल्ली में चुनाव होने वाला है। उसके पहले आप यह बिल सदन में लेकर आए हैं। इसी तरह से, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव थे, तो आंध्र प्रदेश के लिए आपने स्पेशल कैटगरी और तेलंगाना के लिए स्पेशल इनसेंटिव्स की बात की, जैसे रेलवे कोच फैक्ट्री, आदिवासी विश्वविद्यालय, आई.आई.एम., और अन्य चीजें। लेकिन पाँच वर्ष बीत गये हैं, ये सभी आज तक नहीं बने हैं।

जब बिहार में इलेक्शन का समय आया था, तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि दो लाख करोड़ रुपये बिहार को स्पेशल पैकेज के रूप में मिलेंगे। लेकिन चुनाव होने के बाद बिहार को कुछ नहीं दिया गया।

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस प्रकार से आन्ध्र प्रदेश री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एश्योरेंसेज दिए गए और पाँच साल के बाद भी वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ। पाँच साल के बाद भी वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसा ही बिहार इलैक्शन में भी हुआ। इस बिल को भी मैं आंध्र प्रदेश और बिहार के पैकेज जैसा नहीं होने देना चाहता हूँ। इसलिए 'सबका साथ, सबका विकास' का मतलब है - सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। शहरी विकास मंत्रालय को इसके लिए कुछ बजट आवंटित करना चाहिए। इसीलिए, मैं सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 1,797 कॉलोनीज में से जैसे सैनिक फार्म्स, महेन्द्र एन्क्लेव, अनंतराम डेयरी और अन्य 66 कॉलोनीज को एक्सक्लूड किया।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए कोई प्लान-बी, इन 66 कॉलोनीज के लिए कोई पैकेज बनाया जाएगा? ये जो कॉलोनीज हैं, इनका दिनांक 24 मार्च, 2008 के आपके नोटिफिकेशन के अनुसार रेग्युलराइज़ेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस के अनुसार, आप इन लोगों के लिए कोई प्लान-बी बनाइए, क्योंकि अगर बाकी सारे काम हो गए और केवल यह काम रुक गया तो काफी दिक्कत हो जाएगी।

मैं एयर पॉल्युशन के बारे में कहूँगा। इतने सारे स्लम्स, छोटी-छोटी झोपड़ियों के होने से ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी डेवलपमेंट/विकास न होने की वजह से एयर पॉल्युशन ज़्यादा हो रहा है। एयर

पॉल्युशन के बारे में हमने इस हाउस में पिछले हफ्ते बहुत बातें की हैं। एयर पॉल्युशन कंट्रोल करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को सोचना जरूरी है। इस समय मैं सरकार से यह डिमांड करना चाहता हूँ कि यह पॉलिटिकल स्टंट नहीं होना चाहिए। आपको इसके लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड देना है और इसमें स्टैंप ड्यूटी फ्री कर देनी है। आपको इन 1,797 कॉलोनीज और अन्य कॉलोनीज के कॉम्प्रेहेन्सिव डेवलपमेंट के लिए कॉमन एमिनिटीज विकसित करनी हैं। इन सभी कॉलोनियों को विकसित करने के लिए आपके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, साइड ड्रेन, बिजली, पेयजल आदि के लिए आधारभूत अवसंरचना का निर्माण करने के लिए कुछ विशेष विकास निधि होनी चाहिए। आप लोग इसमें क्लेयरिटी दीजिए। मिनिस्टर साहब को इस सभा को एश्योरेंस देना है। इस सभा को आपको जो एश्योरेंसेज देने हैं, उन एश्योरेंसेज को इलैक्शन से पहले 100 परसेंट पूरा होना है। आपने डिज़िटलाइज़ेशन के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह दिल्ली इलैक्शन से पहले सब 1,797 कॉलोनीज में जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज हैं, उन सबको रेग्युलराइज कर दे। हमें उसका डॉक्यूमेंट चुनाव से पहले मिल जाए। अगर आप चुनाव के बाद यह काम करने के लिए गए तो यह दूसरा मुद्दा बन जाएगा। इसीलिए मैं सरकार से चुनाव से पहले यह पूरा काम खत्म करने के लिए कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सर, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर, दिल्ली में 40 लाख गरीब लोग 100 गज से कम के छोटे प्लॉटों में जीवन बसर कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से देश के प्रधान मंत्री जी का, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी का और लोग यह कहेंगे कि मैं होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी के लिए धन्यवाद क्यों कह रहा हूँ, लेकिन ये जो 40 लाख गरीब लोग रह रहे हैं, उनकी तरफ से इस बिल को लाने के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। ये लोग 40 सालों से तड़प रहे थे कि हम दिल्ली में अपने मकानों में तो रहते हैं, लेकिन ये मकान हमारे हैं भी या नहीं हैं?

सर, दिल्ली देश की राजधानी है। सबको यहाँ रहने का अधिकार है। राजधानी में लोग अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, अच्छा जीवन-यापन करने के लिए गांवों से निकलकर अर्बनाइज शहरों की तरफ आए थे। उनको उम्मीद थी कि दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी में जाएंगे तो सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी और रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ-साथ यह देश का दुर्भाग्य रहा कि वे लोग ये भूल गए कि दिल्ली में शासन करने वाले कौन लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। दिल्ली में वर्ष 1957 में तत्कालीन सरकारों के माध्यम से डीडीए - दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया गया।

अभी रेड्डी जी लंबी-लंबी बातें बोल रहे थे, मैं इनकी सब बातों का जवाब दूँगा। अच्छा होता कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते, नेता-प्रतिपक्ष से लेकर सब लोग मौजूद रहते और दिल्ली की पीड़ा को समझते और वहाँ के लिए इस प्रकार के कुछ सुझाव देते। ... (व्यवधान) सर, मैं आपको बताऊंगा, आप क्यों चिंता करते हो? ... (व्यवधान) डीडीए ने भू-माफिया के रूप में काम करना शुरू किया और गांवों के किसानों की जमीन कौड़ी के भाव में खरीदकर व्यवसाय करना शुरू कर दिया। त्कालीन सरकारों के माध्यम

से वे जमीनें लुटनी शुरू हो गईं, उन चहेते राजदार लोगों के द्वारा, जो ... [3*] के लोगों के रूप में राज कर रहे थे।

सर, उन जमीनों का बंटवारा हो रहा था। किसान व्यथित था कि कौड़ी की भाव मेरी जमीन ले ली जाती है और बाद में उसका व्यापार किया जाता है। किसानों ने भी अपनी जमीनें कोलोनाइजर्स को देनी शुरू कर दीं। अनियमित कॉलोनियों में लोग रहने लगे। डीडीए उन लोगों को मकान प्रोवाइड ही नहीं कर पाई। तत्कालीन सरकारें व्यवस्था ही नहीं कर पाईं। उनको यह अहसास ही नहीं हुआ कि देश के विभिन्न राज्यों से लोग दिल्ली में रोजी-रोटी के लिए आए हैं, अपने उच्च भविष्य के लिए आए हैं। उन सरकारों को उनकी चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन उन सरकारों ने उनकी कभी चिंता नहीं की। अगर वे चिंता करतीं, तो दिल्ली की 1071 कॉलोनियों से बढ़कर आज 2300 अनियमित कॉलोनियां, अनियमित नहीं कहीं जातीं।

महोदय, 1987 में डीडीए के बाद यहां पर यह स्थिति पैदा हो गई कि जब 1987 में दिल्ली में अनियमित कॉलोनियों के माध्यम से अव्यवस्था फैलने लगी, तो 1987 में बालाकृष्ण नाम से एक कमेटी का गठन हुआ कि दिल्ली की व्यवस्था कैसी बनाई जाए। अब तो दिल्ली राज्य की तरह हो गई है। लोग आ गए हैं, स्लम की तरह बनती जा रही है। बालाकृष्ण कमेटी के माध्यम से संघीय ढांचे के रूप में दुनिया के देशों के अंदर जो संघीय राजधानियां हैं, उनकी स्टडी बुद्धिमान लोगों ने की और वर्ष 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने का संकल्प लिया। विदेशों में भी जो संघीय राजधानियां थीं, वहां पर भी लॉ एण्ड ऑर्डर और लैंड केन्द्र के पास थी, अत: उन बुद्धिमान लोगों ने तय किया कि लॉ एण्ड ऑर्डर और लैंड केंद्र के पास रहने चाहिए। केन्द्र के पास क्यों रहनी चाहिए? आपके माध्यम से मैं दिल्ली और देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में बैठे हुए एक ... * हमेशा इस प्रकार की ... * करते रहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दें, तो वह सब ठीक कर देंगे।

[3*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, वह बुद्धिजीवी लोग समझते थे कि दिल्ली में इस प्रकार के एनार्की लोग भी कभी-कभी सत्ता में आ सकते हैं। लॉ एण्ड ऑर्डर इसलिए है, क्योंकि यहां पर एंबेसीज हैं, यहां पर सभी राज्यों के भवन हैं। उनको सिक्योरिटी चाहिए। यहां पर एनडीएमसी के अंदर, वीआईपी एरिया के अंदर सारे वीआईपी लोग रहते हैं, इसीलिए उस कमेटी के माध्यम से वर्ष 1991 से केंद्र ने लॉ एण्ड ऑर्डर को अपने पास रखा। अर्बनाइज लैंड अपने पास इसलिए रखी, क्योंकि उन बाहर के भवनों को अगर जमीन नहीं दी जाएगी तो ...[4*] जैसे लोग एनार्की करेंगे और धरने पर बैठेंगे, जो अभी कुछ दिन पहले बैठे भी थे। इस प्रकार से वर्ष 1991 में एनसीटी एक्ट बन गया, लेकिन 1993 में खुराना जी के नेतृत्व में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो जनवरी, 1994 तक का एरियल सर्वे कराया गया। केंद्र में नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। चूंकि लैंड का मामला केंद्र सरकार के अधीन था, इसलिए 1071 कॉलोनियों का सर्वे करने के बाद वह फाइल केंद्र सरकार को भेज दी गई कि 1071 कॉलोनियों को पास किया जाए। अधीर जी, मैं मानसिकता बता रहा हूँ। अगर आप कांग्रेस की असलियत जान जाएंगे तो आप भी कांग्रेस को छोड़कर हमारे पास आ जाएंगे।

महोदय, तत्कालीन केंद्र सरकार ने फाइल को 10 साल तक दबाकर रखा। नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में सरकार थी। अगर तब लैंड केंद्र के पास होने के साथ ही इन कॉलोनियों को अप्रूव कर दिया जाता, तो दिल्ली स्लम न बनती। अभी रेड्डी साहब मेट्रो के बारे में बोल रहे थे। रेड्डी साहब, वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री थे। उनके नेतृत्व में शास्त्री भवन, आनन्द विहार से लेकर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। शीला दीक्षित जी को मुख्य मंत्री बने हुए सात दिन भी नहीं हुए थे। मेट्रो को अगर दिल्ली में कोई लाया, तो वह तत्कालीन मुख्य मंत्री मदन लाल खुराना जी थे। प्याज के कारण वर्ष 1998 में कांग्रेस की सरकार बन गई और कांग्रेस वाले श्रेय ले रहे हैं कि शीला जी मेट्रो लेकर आई थीं। ये आंकड़े

[4*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं। आरटीआई से मंगवाकर इन कागजों को देखिए कि दिल्ली में मेट्रो और आने वाले समय में दिल्ली की जनसंख्या बढ़ेगी, इसकी व्यवस्था कैसे की जाए, यह सपना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का था।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हैबी ईडन (एर्नाकुलम): महोदय, मैं उचित प्रश्न पर हूँ। ...(*व्यवधान*)

माननीय सभापति : किस नियम के अधीन?

...(*व्यवधान*)

श्री रमेश बिधूड़ी: व्यवस्था के प्रश्न से आपका क्या मतलब है? ...(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: नियम को उद्धृत करें।

श्री हैबी ईडन: महोदय, मेरा निवेदन अनुच्छेद 353 के तहत है, जो कहता है: "किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मानहानि या अभियोगजनक प्रकृति का कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने पर्याप्त सूचना नहीं दी है ..." आपने एडवांस में नोटिस दिया है? मेट्रो के बारे में, शीला दीक्षित जी के बारे में जो बोला है, वह फैक्चुअल नहीं है। इसे रिकॉर्ड से हटवाइए। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी: सर, आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। माननीय सदस्य कहें कि राजनीति और सदस्यता से त्याग कर देंगे, नहीं तो मैं कहता हूँ कि अगर खुराना जी यह नहीं लाए तो मैं राजनीति से और मेम्बरशिप से रिजाइन कर दूँगा। आप सभा को और देश को ऐसी बातें बोलकर क्यों गुमराह करते हैं? अटल जी ने दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया था। आप कब तक देश को गुमराह करते रहेंगे?

[अनुवाद]

श्री बैन्नी बेहनन (चालाकुडी): महोदय, आपका क्या फैसला है?

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : आप रूलिंग बाद में करते रहिएगा। यह दिल्ली के 40 लाख लोगों के भविष्य का मामला है। ये लोग 40 साल तक ... [5*] करते रहे। सर, उसके बाद वर्ष 1998 में कांग्रेस की सरकार बन गई। ... * बनने के बाद वर्ष 2012-13 तक जो ... * होती रही, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज यह जो कालोनी पास हुई है... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मैं अभिलेख की जाँच करूँगा। यदि कोई अपमानजनक टिप्पणी होगी, तो उसे निश्चित रूप से हटा दिया जाएगा।

…(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, विषय पर बोलें।

…(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : वह देश के महान सपूत और दुनिया और देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी का विजन था। क्योंकि -

"जाके पैर ना फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।"

वह गरीब परिवार से निकलकर आए हैं और गरीब की पीड़ा को समझते थे ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

[5*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सभापति: किसी भी व्यक्ति के खिलाफ की गई किसी भी अपमानजनक टिप्पणी को रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, विषय पर बोलें। दूसरों पर टिप्पणी न करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, मैं सबजेक्ट पर बोल रहा हूँ।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मैंने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ की गई किसी भी अपमानजनक टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, 1 जून, 2015 को हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री आवास योजना की घोषणा की थी कि देश की आजादी के 75 साल वर्ष 2022 तक पूरे हो जाएंगे। देश के हर वर्ग, हर गरीब के पास अपना मकान होना चाहिए। जब सबके पास अपना मकान होना चाहिए तो दिल्ली के 40 लाख गरीब लोग जो अनोथराइज्ड कालोनी में रह रहे हैं, वे अपने मकानों के मालिक क्यों नहीं होने चाहिए? इसीलिए प्रधान मंत्री आवास योजना के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने ... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 02.42 बजे</u>

[अनुवाद]

(इस समय श्री भगवंत मान सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

माननीय सभापति: कृपया अपनी स्थान पर वापस जाएं। मैं आपको सुनूँगा। यह उचित नहीं है।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 02.42 ½ बजे</u>

(इस समय श्री भगवंत मान अपने स्थान पर वापस चले गए)

माननीय सभापति: कृपया विषय से न भटकें, सिर्फ मुद्दे पर बोलिए।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : दिल्ली में हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत गरीबों की पीड़ा को देखते हुए यह निर्णय लिया कि दिल्ली की सभी कॉलोनियां पास होनी चाहिए। वर्ष 1998 में शीला जी मुख्य मंत्री बन गयीं, अधीर रंजन जी फिर से खड़े हो जाएंगे। वर्ष 2007 में कैसा खिलवाड़ किया गया। देश की राजधानी में रहने वाले उन गरीब लोगों को, जो विभिन्न राज्यों से आकर दिल्ली में वास करते हैं, उनकी पीड़ा को नहीं समझा गया। वोट बैंक की राजनीति की गयी। वर्ष 2008 में जब पुन: चुनाव होना था, तो वर्ष 2007 में ... * ने क्या किया? प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नाम पर राम लीला मैदान में एक ... * हुआ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: खुद को विवाद में न डालें।

…(*व्यवधान*)

श्री रमेश बिधूड़ी : वह ...*. से संबंधित थी ... * मैं कैसे नहीं बोलूँगा? सर, 40 लाख लोगों के साथ ... किया गया, उनको ... दिया गया, उनके साथ राजनीति हुई है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मैं इस पर गौर करूँगा। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, तो उसे हटा दिया जाएगा।

…(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : यह उनकी पीड़ा है, तो कैसे नहीं बोलूँगा? मुझे बोलने से कौन रोक देगा? क्या वह ... * नहीं थीं? वर्ष 2007 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मैं इस पर गौर करूँगा। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, तो उसे हटा दिया जाएगा।

…(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: किसी भी विवाद को आमंत्रित न करें। कृपया इस विषय पर बात करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : ... [6*] ने वर्ष 2007 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर यह कहा गया, चूंकि वर्ष 2008 में चुनाव होने थे... (व्यवधान)

[6*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 02.43 बजे

(इस समय श्री भगवंत मान सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अप ने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, इसका मेडिकल टैस्ट करवाया जाए। ... [7*] इसका मेडिकल करवाएं।... (व्यवधान)

अपराह्न 02.43 ½ बजे

(इस समय श्री भगवंत मान अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अपने आप को विषय तक सीमित रखें। वाद-विवाद न करें।

…(*व्यवधान*)

श्री रमेश बिधूड़ी: मैं केवल विषय पर बोल रहा हूँ। …(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: किसी ऐसे व्यक्ति का नाम न लें जो यहां सदन में मौजूद नहीं है।

…(*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ।…(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: आप किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

[7*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी : नियम 353 के तहत।

माननीय सभापति: यह पहले ही उठाया जा चुका है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह कहता है कि किसी मानहानिकारक अथवा …(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: यह अच्छी तरह से लिया गया है। यह माननीय सदस्य द्वारा पहले ही उठाया जा चुका है। मैंने एक स्पष्ट आश्वासन और निर्देश दिया था कि यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपमानजनक बात है, तो उसे हटा दिया जाएगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी: इसके अलावा, उस व्यक्ति का नाम -- जो एक मृतक है और जो यहाँ नहीं है -- यहां संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: मैंने माननीय सदस्य को पहले ही निर्देश दे दिया है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम न ले जो सदन में नहीं है।

...(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, जब वर्ष 2007 में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बांटे गए थे।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आप केवल वर्ष का उल्लेख करते हैं। इसे समझा जाएगा। किसी का नाम न लें।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, गरीब जनता नहीं जानती है। वे 8वीं फेल हैं, कॉलोनियों में मजदूर लोग रहते हैं। उनको यह सच्चाई पता लगनी चाहिए कि देश को कौन लोग लूट-खसोट रहे थे। उनको मालूम नहीं है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया मुद्दे पर आएं।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, सोनिया जी, तो हाउस की मेंबर हैं, मैं उनका नाम तो ले सकता हूँ। वर्ष 2007 में सोनिया जी के माध्यम से लोगों को यह दिखाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी बड़ी सींसियर है, प्रोविजनल सर्टिफेकट्स को बंटवाया गया था।... (व्यवधान) वर्ष 2008 का चुनाव जीतने के बाद केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी थी। तब लोक सभा के अंदर एक अमेंडमेंट पास कराया गया था। महोदय, इसी लोक सभा के अंदर ... * किया गया था और यहाँ पर वर्ष 2008 के अंदर अमेंडमेंट पास कराया गया था कि रेग्युलेशन एक्ट 2008, 5.3 एंड 5.4 उसमें यह तय किया गया था कि एनसीटी एक्ट को बदलकर लैंड का अधिकार, दिल्ली के अंदर ले-आउट प्लान बनाने के अधिकार, दिल्ली के अंदर विकास शुल्क किस प्रतिशत पर लिया जाएगा, यह अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। यह ... * इसी पार्लियामेंट में हुआ था। वर्ष 2008 में यह अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया था। रेग्युलेशन एक्ट, 2008 5.3 एंड 5.4 दोनों के अंदर यह अधिकार ... * को मिल गया गया था। माफ कीजिएगा, गलती हो गई, तत्कालीन ... * को मिल गया था।...(व्यवधान) वर्ष 2008 की तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2012 तक सत्ता का खूब उपभोग किया जाता रहा। वर्ष 2012 तक कॉलोनियों के बारे में याद नहीं आया। इनके डेवलेपमेंट चार्ज क्या होने चाहिए, यह उनको याद नहीं आया था। उन्होंने वर्ष 2012 के अंदर फिर से यह कहा था कि हम लोग इन कालोनियों को पास करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ष 2013 में चुनाव आ गए थे। वर्ष 2013 के चुनाव में ... [8*]कॉलोनियों को पास नहीं होने की वजह से देश के लोग तंग आ गए थे। एक आरटीआई ... * से आकर बैठ गया था कि मैं दुनिया का ईमानदार आदमी हूँ। मैं दिल्ली को बहुत बढ़िया बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, सबको आरटीआई के माध्यम से ईमानदारी का उपदेश दूँगा।... (व्यवधान) वर्ष 2013 के अंदर वह आरटीआई एक्टिविस्ट, जो आज ... * बना बैठा है।...(व्यवधान) महोदय, उन्होंने कहा है कि मैं इन

[8*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कॉलोनियों को एक साल के अंदर पास करूँगा। ...(व्यवधान) मैं इन कॉलोनियों को एक साल के अंदर पास करूँगा, जो आज ... * बैठा हुआ है, ऐसा उसने कहा था। उन्होंने 70 वायदे किए थे। 70 वायदों में से 56वें नंबर पर उन्होंने यह कहा कि मैं अनियमित कॉलोनियों को एक साल के अंदर पास कर दूँगा। ...(व्यवधान) महोदय, आप क्या बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, ऐसे-कैसे वाइंड-अप हो जाएगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: नहीं, आपने बहुत समय ले लिया है।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): वह ...* के बारे में एकवचन तरीके से बात कर रहा है। यह संसद है। …(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: मैं इस पर गौर करूँगा।

...(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कोई परस्पर वार्ता नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं और बोल रहे हैं।

...(*व्यवधान*)

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): यह एक महत्वपूर्ण कानून है जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखना चाहता है। आपने यह भी निर्देश दिया है कि अगर कोई असंसदीय शब्द या अपमानजनक शब्द है, तो उसे हटा दिया जाएगा। जो आप पहले ही बता चुके हैं। अब, मेरा अनुरोध है कि चर्चा को जारी रखें और जब भी आपको अपना मौका मिलता है, तो आप

यह कहने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा अनुरोध है कि चर्चा को सुचारू रूप से चलने दें। ...(*व्यवधान*) **अधीर रंजन जी, एक मिनट। ...(***व्यवधान*)

माननीय सभापति: हाँ, अधीर जी। श्री अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय मंत्री जी के अनुसार, आप पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि अपमानजनक शब्दों को हटा दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग जारी रहेगा। उनके तर्कों के अनुसार, अपमानजनक शब्द लगातार कहे जाएंगे। ...(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: हम इसकी जांच करेंगे।

...(*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मेरा तर्क यह है कि एक बार जब आपने निर्देश दिया है कि ये अपमानजनक शब्द हैं, माननीय सदस्यों को इस तरह के अपमानजनक शब्द नहीं बोलने चाहिए। दूसरी बात, किसी मुख्य मंत्री जी को, चाहे वह किसी भी दल के हों या किसी अन्य दल के हों, उग्रवादी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वह निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। बिधूड़ी जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि एक्ट्रिमिस्ट बोलना बेकार है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका बिंदु अच्छी तरह से लिया गया है।

…(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री रमेश बिधूड़ी, कृपया माननीय सभापति को संबोधित करें। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया कोई आपसी बातचीत नहीं करें।

…(व्यवधान) [9*]

माननीय सभापति: श्री बिधूड़ी, अपनी सीमाओं के भीतर रहें और विधेयक के विषय पर बोलें। कृपया विधेयक के बाहर न बोलें।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो सदन में नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : पता नहीं सर, मैं सुनता ही नहीं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आपके नेता ने बात की है।

…(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कृपया कोई टिप्पणी नहीं करें।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, सन् 2013 में फिर इसी प्रकार की एक नौटंकी हुई। ... (व्यवधान) दिल्ली की विधान सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया। ...(व्यवधान) प्रस्ताव पास करने के बाद यह कहा गया कि दिल्ली की 895 कॉलोनियों को हम पास कर रहे हैं। ... (व्यवधान) सर, जिस पैटर्न पर वह प्रस्ताव 2013

[9*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में पास हुआ, तत्कालीन जो भी सरकार कांग्रेस की थी और जो भी मुख्य मंत्री थी, लोग अखबारों में पढ़ लेंगे कि सन् 2013 में कौन थी। सर, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। जब उनको मालूम था कि उन्होंने कॉलोनियों का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है तो उसके अंदर डेवल्पमेंट चार्जेज क्या होगा, उसके ले-आउट प्लान क्या होगा तो प्रस्ताव पास करने का मेरी समझ में आया नहीं कि वह सन् 2013 में क्यों पास कर के भेजा गया। लेकिन तब एक आरटीआई के नाम से एक और ... * बन कर बैठ गए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली के ... [10*]आ गए। सर, अब तो ठीक है न? …(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अपने स्थान पर बैठें। कृपया आपस में बातचीत नहीं करें।

*…(व्यवधान)**

माननीय सभापति: कृपया अब सभापति को संबोधित करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, वे आ गए तो सन् 2015 में एक सरकार बन गई। वह प्रस्ताव पास आया। सन् 2015 की सरकार ने भी इसी प्रकार का एक और रैग्युलेशन विधान सभा में, दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए, पास कर के भेजा। सर, माननीय मुख्य मंत्री जी क्या यह नहीं जानते थे कि दिल्ली की जनता को केन्द्र सरकार ने नोटिस दिया हुआ है। वह 09.02.2015 में केंद्र सरकार ने लेटर नंबर - डी.डी. वी.आई./15 सितंबर को दिल्ली की सरकार से पूछा कि दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों के लिए आपने एक प्रस्ताव

[10*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पास कर के केंद्र में भेजा है। क्या आपने ले आउट बनाने का वह कार्य पूरा किया? क्या आपने वह कार्य पूरा किया कि इसका आधार क्या होगा कि डेवल्पमेंट चार्ज क्या लेना है? यह मुख्य मंत्री जी से, 2008 की तर्ज पर, यह पूछने की हिमाकत केन्द्र सरकार ने की होगी। सन् 2015 के उस लेटर के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें दो साल का समय दे दीजिए, दिल्ली सरकार को दो साल का समय केन्द्र सरकार ने दे दिया चूंकि मामला अदालत के अन्दर विचाराधीन था।1145/14 रिट पिटीशन कोर्ट में चल रही थी, उन्होंने भी राज्य और केंद्र सरकार से 2015 में जवाब माँगा कि आप इन अनियमित कॉलोनियों के बारे में क्या कर रहे हो तो केंद्र सरकार ने जब राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, नंबर डीडी वी.आई./15 सितंबर को पूछा तो उन्होंने फिर से और दो साल का समय माँगा तो 2017 आ गया। जब 2017 के अंदर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को पूछा कि आपको यह काम करना था तो आपने काम क्यों नहीं किया तो राज्य की सरकार, श्री केजरीवाल साहब जी ने जवाब दिया कि हमने दो एजेंसीज ले आउट प्लान बनाने के लिए एपॉइंट की हैं। कम्पनी का नाम एसकेपी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटिड और प्राइम मैरिडियन सर्वे ऑफ इंडिया है। ये दोनों सन् 2017 तक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाई हैं। हमें और दो साल का टाइम दीजिए। यह कहने के लिए, यह दिल्ली सरकार का लेटर है, 18/08/2017 को फाइल नंबर 840, सन् 2017 में दिल्ली स्टेट अर्बन डेवल्पमेंट अनऑथराइज्ड कॉलोनी - 2771, इसमें सन् 2017 में वे कहते हैं, सन् 2017 में चिट्ठी लिख कर सन् 2019 का समय माँग लिया कि हमको और समय दो।

सर, आप अगर मुझे इजाजत दें तो वर्ष 2017 में दिल्ली सरकार की चिट्ठी, जो 18-08-2017 को लिखी थी, मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

> “माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने रिट याचिका 1145, 2014 में अपने आदेश दिनांक 31.5.2017 के तहत आदेश दिया कि अनाधिकृत कॉलोनी का सर्वेक्षण और नक्शा तैयार करने का कार्य संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाले राजस्व विभाग को सौंपा गया था।“

[हिन्दी]

दिल्ली सरकार ने यह चिट्ठी लिखी थी कि हमने जो दो एजेंसियाँ अपॉइंट की थीं, ये पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही हैं। हमें दो साल का टाइम वर्ष 2019 तक और दे दो। 27 जनवरी, 2019 में केन्द्र सरकार ने उनको एक चिट्ठी लिखी और 28 तारीख को केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ बैठक की। दो साल पूरा होने के बाद, माननीय हरदीप पुरी जी बैठे हैं, वर्ष 2019 में अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के साथ मीटिंग की। 29 जनवरी को केजरीवाल सरकार ने फिर एक पत्र लिखा और कहा कि जो दो एजेंसियाँ हमने अपॉइंट की थीं, वे प्रॉपर-वे में काम नहीं कर पाई हैं, इसलिए हमें क्षमा करें। केवल 300 कॉलोनियों में हमने काम पूरा किया है, वह भी सेटिस्फेक्टरी काम नहीं है। हम तहसीलदार, एसडीएम वगैरह कान्ट्रेक्ट बेसिस पर लेंगे, इसलिए हमें वर्ष 2021 तक का समय दे दिया जाए। वर्ष 2021 तक समय माँगने की बू कहां से आई, यह सरकार चार साल तक क्या करती रही, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन हमें बू नजर आई, उस समय की ... [11*] का वर्ष 2007 का वह आदेश, कि उन्होंने भी ऐसे ही वर्ष 2008 का चुनाव जीतने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे। ये भी वर्ष 2019 में यही ... * कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने उप राज्यपाल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कहा कि तीन महीने के अंदर हमें कमेटी का आदेश मिलना चाहिए। सर, माननीय गृह मंत्री जी ने कमेटी का जवाब दिया और जवाब देने के बाद यह तय किया कि प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सब का घर होना चाहिए, तो दिल्ली के चालीस लाख लोग क्यों अछूते रहे।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री भगवंत मानजी, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

…(*व्यवधान*)

[11*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : यह देश के प्रधान मंत्री जी के मन में तड़प आई। अब यह जो एक्ट आ रहा है, इस एक्ट को लाकर इन कॉलोनियों को पास करने का काम किया। रेड्डी जी बोल रहे थे कि चार साल पहले यह काम क्यों नहीं हुआ। अगर चार साल पहले केन्द्र सरकार अपने पास सारे राइट्स ले लेती तो रेड्डी जी की पार्टी और सरकार यह घोषणा करती कि केजरीवाल जी को काम नहीं करने दे रहे। वह तो कर रहा था, केजरीवाल साहब को चार साल का पूरा टाइम दिया कि आप ले-आउट प्लान बनाइये। आप तय कीजिए कि उसका डेवपलमेंट चार्ज क्या होगा।... (व्यवधान) सर, मेरी पार्टी का टाइम है। यह मेरे से जुड़ा हुआ मामला है, 350 कालोनियाँ मेरे क्षेत्र में हैं। दिल्ली की जनता में विश्वास होना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा है तो ये कॉलोनियाँ पास होंगी, इनमें फैसिलिटीज मिलेंगी। जो 893 कालोनियां हैं, उस समय 372 का सर्वे न करने का, मैं गाँव का आदमी हूँ, यह भाषा बोल ही देता हूँ कि फिर एक... [12*]रचा गया। पीएम साहब ने उसको रिजेक्ट करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वे दोनों के दोनों एक्सपोज हो गए ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि (थूथुक्कुडी): महोदय, क्या वह एकमात्र वक्ता हैं?

माननीय सभापति: उनकी पार्टी के पास पर्याप्त समय है।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कृपया अध्यक्ष पर किसी प्रकार की मंशा न थोपें। आपका भी समय आएगा।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

[12*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रमेश बिधूड़ी : तेरे वायदों पर भरोसा किया था हमने, पर ... * के अलावा कुछ न मिला। उन 40 लाख लोगों को, जिन्होंने 67 सीटें जिता कर दी थीं। अब यकीन कर लें ए दोस्त, रास्ता दिखाने हमारे प्रधान सेवक आ गए हैं। अब ये कॉलोनियाँ निश्चित रूप से पास होंगी। इनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए लोग कितनी ही प्रकार की बातें कर लें, क्योंकि जब देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा, 15 अगस्त को टॉयलेट की बात की, तो बहुत से कांग्रेस के नेता मेरे से कहते थे कि बिधूड़ी जी प्रधान मंत्री टॉयलेट की बातें करते हैं। प्रधान मंत्री गैस कनेक्शन की बातें करते हैं। अब वे भी दो साल के बाद हमारी पार्टी में आ गए हैं। वर्ष 2015 में मुझसे कहते थे, अब वे सारे के सारे कांग्रेसी बीजेपी में काम कर रहे हैं। मैं यहां पर उनके नाम लेना नहीं चाहता। तब वे कहते थे। मैंने जो पहले कहा था- 'जाके पांव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।'

गरीब लोगों की पीड़ा तो गरीब का बेटा ही समझ सकता है। देश के प्रधान मंत्री गरीब परिवार से निकल कर आए हैं। उनको मालूम है कि गरीब की बहनों को चुल्हे की आग से बचाने के लिए कैसे सिलेंडर दिए जाएंगे। वह 16-17 साल की नौजवान बेटी शौच के लिए जंगल की तरफ कैसे जाती होगी, तो उनकी चिंता प्रधान मंत्री की थी। उसी चिंता को देखते हुए हमारे देश के प्रधान मंत्री ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: बिधूड़ी जी, अब समाप्त, करें।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, दो मिनट मुझे और दे दीजिए।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आप पहले ही 30 मिनट ले चुके हैं। आपकी पार्टी से तीन और वक्ता बोलने वाले हैं। तो, कृपया समाप्त करें

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, आप अंग्रेजी में बोल जाते हो, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, पता नहीं क्या बोल

दिया आपने।

<u>अपराह्न 03.00 बजे</u>

हमारे प्रधान मंत्री जी ने गरीबों की इस पीड़ा को समझा। ...(व्यवधान) जो लोग 50-100 गज के प्लॉट्स में रहते हैं, अब इन कॉलोनियों में डेवलपमेंट का सारा काम दिल्ली विकास प्राधिकरण करेगा। इन कालोनियों के अंदर केबिन, ऑफिस बनाकर कैम्प लगाए जाएंगे। उनके रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे। जिनके पास लास्ट पावर ऑफ अटॉर्नी है, वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐफ्लूएंट के नाम से, जो रेड्डी जी बोल रहे थे, हमारे गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन कॉलोनियों को पास करने के बाद, उनका डेवलपमेंट शुल्क बढ़ाने के बाद, उन ऐफ्लूएंट 67 कॉलोनीज, जिन्हें कहा गया है, जिनमें से 30 कालोनी तो इसी प्रकार की हैं, कुछ सरकारी अधिकारी कांग्रेस के जमाने के बैठे होंगे, उन पर उन्होंने ऐफ्लूएंट डाल दिया होगा। वे भी ऐफ्लूएंट में नहीं आती हैं, वे भी इसी प्रकार की कॉलोनीज हैं। उन सबको सेकेंड फेज में इसी रूप में सरकार के द्वारा लिया जाएगा।

मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि गाँव के लोगों की जमीन पर जो कॉलोनी कट गई, वह उनकी अपनी जमीन है, वह उनकी पैतृक जमीन है, उनके पास हज़ार गज जमीन है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास नहीं है, वे वहाँ मकान बनाकर रह रहे हैं, तो उनकी फरद को ही आधार बनाया जाएगा। उनकी पुश्तैनी फरद को आधार बनाकर उसे डेवलपमेंट के लिए माना जाएगा। वे पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ से लाएंगे? इसी प्रकार से गाँव की एक्स्टेन्डिड आबादी है, वे तो अपने गाँव के खेतों में बस गए हैं। उन्होंने मकान बना रखे हैं, उन्होंने नक्शे भी पास नहीं कराए थे। उन गाँव के लोगों ने आरडब्ल्यूए भी नहीं बना रखी थी। वह तो उनकी अपनी जमीन है, गाँव की बढ़ोतरी हुई और हमने मकान बना लिए। एक्स्टेन्डिड आबादी को लेकर भी सरकार इसमें चिंता करे, जो वर्ष 2015 से पहले बने हुए मकान हैं। सरकार इस बात की चिंता करे। मैं अपनी ये दो रिक्वेस्ट माननीय मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूँ। मेरे तीन पत्र और थे, जो शोर-शराबे के कारण आपने मुझे पढ़ने नहीं दिए। ये लोग बहुत परेशान थे और शोर मचा रहे थे। जब चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है, तो वह चिल्लाता है।... (व्यवधान) दिल्ली सरकार ने दो साल तक

का समय और माँगा।...(व्यवधान) मैं केवल यह पत्र पढ़कर अपनी बात समाप्त करूँगा। ...(व्यवधान) वर्ष 2019 का एमसीडी का वह पत्र मुझे जरूर पढ़ना है। ...(व्यवधान) पत्र में कहा गया है कि दिल्ली के एन.सी.टी. की सरकार कुल स्टेशन मशीन (टी.एस.एन.) सर्वेक्षण के संचालन के लिए जाएगी और, *निर्धारित और संचारित* पत्र दिनांक 21.7.2017, दिल्ली के एन.सी.टी. की सरकार को अप्राधिकृत कॉलोनी के सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए 01.08.2019 से 2021 तक दो साल की अवधि की आवश्यकता होगी। ...(*व्यवधान**) यह दिल्ली सरकार का पत्र है।...(व्यवधान) एक तरफ वे कहते हैं कि वर्ष 2015 में हमने प्रस्ताव पास करके भेज दिया। ...(व्यवधान) अगर आपने वर्ष 2015 में प्रस्ताव पास करके भेजा, तो ये काम पूरे क्यों नहीं किए ? ...(व्यवधान) उस प्रस्ताव का महत्व क्या है, जो दिल्ली के ... * में चिल्ला रहे थे। ...(व्यवधान) वे दिल्ली की जनता को गुमराह करना छोड़ दें और दिल्ली की अनियमित कालोनियों को पास करें।... (व्यवधान) वे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद बोलें कि उन्होंने अपने 01 जून, 2015 के सभी गरीबों को मकान देने के संकल्प को पूरा करने का काम किया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन (चेन्नई केन्द्रीय): महोदय, मैं आज राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019 पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

<u>अपराह्न 03.03 बजे</u> (**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** *पीठासीन हुए*)

महोदय, जब मैं इस विषय पर बोलने के लिए यहां खड़ा हूं, तो मुझे तमिलनाडु के चेन्नई में मेरे दिवंगत नेता डॉ. कलईगनर एम. करुणानिधि द्वारा उठाए गए पहले कदम की याद आ रही है। यह 1970 के दशक में था, पहला तमिल नाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड बनाया गया था क्योंकि चेन्नई मलिन बस्तियों से भरा था। किसी भी विकासशील शहरों के लिए अभिशाप के रूप में, गांवों के लोग रोजगार की तलाश में, अवसरों की तलाश में शहरों में भाग रहे थे। मेरे नेता को इसका एहसास हुआ और उन्होंने हमारे संस्थापक नेता डॉ.

सी.एन. अन्नादुरई की सच्ची भावना और अक्षरशः इसका पालन किया; उन्होंने कहा: "*एझायिन सिरिपिल इराइवनै कनबोम*"। हम गरीब लोगों की मुस्कान में भगवान को देखते हैं। हमने यह किया। उस समय, वर्ष 1970 में, श्री जयप्रकाश नारायण चेन्नई में पहले स्लम क्लीयरेंस बोर्ड का उद्घाटन करने के लिए थे। हमने इस कार्यक्रम को विकसित किया। हमारे नेता डॉ. कलैगनार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम विकसित किया कि जब लोग कौम नदी के किनारे की झुग्गियों में रह रहे थे – वे इस तरह की दयनीय स्थिति में थे – उनकी जीवनशैली में बदलाव आता है।

महोदय, वर्ष 1974 में, डॉ. जगजीवन राम को डॉ. कलैगनार करुणानिधि ने गरीबों के लिए एक और बहु-मंजिला आवास परिसर का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था। महोदय, डॉ. जगजीवन राम आए और इसे देखा। वह दिल्ली वापस आए और उन्होंने हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से कहा कि जिस तरह का विकास डॉ. कलैगनार करुणानिधि कर रहे थे और फिर इस इंदिरा आवास योजना का जन्म हुआ। यह डॉ. कलैगनार एम. करुणानिधि का विचार था, जो डी.एम.के. के नेता थे जिनमें से इंदिरा आवास योजना का जन्म हुआ था।

महोदय, आज, बी.जे.पी. के सत्ता में आने तक इंदिरा आवास योजना पूरी गति से चल रही थी। फिर, बी.जे.पी. ने इसे प्रधान मंत्री आवास योजना कहने का फैसला किया है। आप चाहे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, लेकिन जब भी हम किसी गरीब को घर मिलते देखते हैं, तो हम वहाँ केवल डॉ. कलैगनार एम. करुणानिधि को देखते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ इस तरह का योगदान दिया है। मैं वर्ष 2004 में दिल्ली आया था। डॉ. हर्षवर्धन यहाँ हैं। वर्ष 2004 के बाद से, हमने कॉलोनियों की समस्या को ऊपर और नीचे आते देखा है। हमें दिल्ली के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई सेवाओं को कम नहीं करना चाहिए। कॉलोनियों की समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए आप सभी ने अपनी भागीदारी निभाई है।

महोदय, आप दिल्ली के मंत्री हैं। …(*व्यवधान*) हमारे दिवंगत मुख्यमंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित की कड़ी मेहनत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया था। इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दिल्ली में समस्या पुडुचेरी की समस्या

की तरह है। दो अलग-अलग सरकारें हैं। अगर दिल्ली में कांग्रेस का शासन है, तो हमारे पास बी.जे.पी. है। अगर दिल्ली पर बी.जे.पी. का शासन है, तो हमारे पास कांग्रेस है। अंत में, लोगों को बहुत पीड़ा हुई।

इसी तरह, हमें पुडुचेरी में भी समस्या है। हमारे पास एक उपराज्यपाल है जो पुडुचेरी के निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री वी. नारायणसामी को कार्य करने की अनुमति नहीं देते हैं और वह सारा श्रेय लेना चाहते हैं और पुडुचेरी में एक बुरा नाम लाने की कोशिश में एक खलल है। यही कारण हैं कि मैं ऐसा कह रहा हूँ।

आज, श्री हरदीप पुरी एक अच्छा बदलाव ला रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं लेकिन राइडर्स के साथ। आपने जादू की छड़ी ले ली। बहुत कम ही ऐसा होता है कि केंद्र सरकार कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जादू की छड़ी लेकर आती है। आप पूरे दिल से ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप इसे आंशिक रूप से कर रहे हैं। आज, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह कांग्रेस नहीं है, यह बी.जे.पी. नहीं है, यह आम आदमी नहीं है बल्कि यह चुनाव है। जब चुनाव की घोषणा होती है, तो जादू की छड़ी निकलती है। वे दावा कर सकते हैं कि वे वर्ष 2014 में आए थे। बी.जे.पी. सरकार दिल्ली की कॉलोनियों को नियमित करना चाहती है। उन्हें इतना समय क्यों लगा? मैं इस तकनीकी उन्नत राज्य से स्तब्ध हूँ, वे कह रहे हैं कि वे मैप करने में सक्षम नहीं हैं। श्री नितिन गडकरी यहाँ थे। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से उन्होंने सड़कों की मैपिंग की, वह गूगल मैपिंग के माध्यम से है। अब, यातायात के मुद्दों को ठीक किया जाता है और भौतिक सत्यापन द्वारा नहीं बल्कि अच्छे मैपिंग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। हम सभी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। आज, हम व्हाट्सएप पर जासूसी करने के लिए पेगासस का उपयोग कर रहे हैं। हम किसी की भी जासूसी करने के लिए सभी नवीनतम तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। आपका मतलब है कि केंद्र सरकार जो इसे करने के लिए जादुई छड़ी ले सकती है, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? आज, 1700 कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। शेष कॉलोनियों के बारे में क्या? स्वाभाविक रूप से, वे थोड़े अमीर और समृद्ध हैं और वोट कम हैं। जहां भी वोट कम हैं, वहाँ इसकी जरूरत नहीं है। जो कोई भी *सामूहिक मतदान करने जा रहा है,* फिर उसे नियमित किया जाता है। हमें वर्तमान मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करनी चाहिए। वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपना ईमानदार प्रयास कर रहे

हैं कि कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है और इसलिए, प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए, उन्होंने इसका नेतृत्व किया है। इसीलिए, इसने उन्हें तत्काल आधार पर ऐसा करने का डर दिया है। आज, आप कॉलोनियों को नियमित करने जा रहे हैं। हमने यह किया। कॉलोनियों को नियमित करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य था। डॉ. कलैगनार अग्रणी नेता थे। हमने कभी भी नियमित करने के लिए कोई राशि नहीं ली। यदि आप वहाँ हैं और यदि आपका स्वामित्व सिद्ध हो गया है, तो यह निःशुल्क दिया जाएगा। आपके पास बड़ा दिल क्यों नहीं है? आप उन्हें मुक्त क्यों नहीं कर सकते? आप चार्ज क्यों करना चाहते हैं? आप क्या पैसा कमाने जा रहे हैं? क्या आप उस घाटे को भरने जा रहे हैं जो आपके वित्त मंत्री जी ने बजट में बनाया है? नहीं, ये खजाना हैं। आप गरीब लोगों को अधिक पीड़ित क्यों बनाना चाहते हैं? वे काफी पीड़ित हैं। उन्हें स्वतंत्रता दें। उन्हें पूर्ण स्वामित्व रखने दें। बाजार में असमंजस की स्थिति है। दिल्ली में इन सभी गैर-मान्यता प्राप्त कॉलोनियों में लोग बहुत भ्रमित हैं। वे कहते हैं कि घर मान्यता प्राप्त है; सड़क मान्यता प्राप्त है; और क्षेत्र या पूर्ण कॉलोनी मान्यता प्राप्त है। वहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि पूरी कॉलोनी को नियमित किया जाए ताकि उन्हें उचित सीवेज, और उचित सुविधाएं मिल सकें। उन्हें ऊपर उठाइए। आइए हम विकास की अपनी रेखा के अगले चरण पर जाएं। कब तक अथवा कितने वर्षों और दशकों तक, केंद्र सरकार अथवा दिल्ली सरकार इन गैर-मान्यता प्राप्त कॉलोनियों पर बैठेगी? यही कारण है कि हम नहीं बढ़ते हैं। हम चल रहे एक अटक-रिकॉर्ड की तरह बनना चाहते हैं। क्या आप अब सैनिक फार्म के बारे में चिंतित हैं? आपको एक सैनिक फार्म को पहचानने से क्या रोक रहा है? यह एक निजी संपत्ति है। मैं अमीरों का समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आप जादू की छड़ी लेने का फैसला करते हैं, तो इसे खत्म करें। आइए हम विकासात्मक रेखा के अगले चरण पर जाएं। जब आप पांच-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको छोटी-छोटी बारीकियों में नहीं जाना चाहिए और लोगों को चीजों से भ्रमित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि हर सरकार आगे बढ़े। अगर आप ईमानदार हैं, अगर यह फैसला वोट बैंक की राजनीति नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह पुनर्नियमन योजना ईमानदार

होगी और पूरे दिल से प्रयास किया जाएगा। हम आपका समर्थन करेंगे और पूरा समर्थन करेंगे। मैं यही कहूंगा कि कृपया इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश न करें। श्री मोदी जी ने यही किया। हम यह भी जानते हैं कि चुनाव के समय कितने सारे वादे किए गए थे कि हमारे बैंक खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। मैं हर दिन अपना बैंक खाता चेक करता हूं। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो, इसे एक फर्जी चुनावी वादा न बनने दें। इसे पूरे दिल से करें। दिल्ली के लोगों को इस दर्द से छुटकारा पाने दें और विकास होने दें। इस अवसर के लिए धन्यवाद, महोदय।

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

दिल्ली में अप्राधिकृत कॉलोनियां तब से अस्तित्व में हैं जब से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1957 में नियोजित विकास शुरू किया था। अप्राधिकृत कॉलोनियाँ वे आवासीय कॉलोनियाँ हैं जिनका निर्माण लेआउट या भवन योजनाओं के लिए आवश्यक अनुमति के बिना किया गया है। नतीजतन, इन कॉलोनियों के लिए वाहन विलेख रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार द्वारा तब तक पंजीकृत नहीं किया जाता है जब तक कि इन्हें सरकार द्वारा नियमित नहीं किया जाता है। इन कॉलोनियों में संपत्तियों की खरीद-बिक्री का लेन-देन पावर ऑफ अटॉर्नी, कब्ज़ा पत्र, आदि, से प्रमाणित है जो कि *सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड., बनाम राज्य हरियाणा* के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित संपत्ति में कोई स्वामित्व नहीं बताता है।

संपत्ति केवल आश्रय के लिए उपयोग नहीं की जाती है। इसे एक निवेश के रूप में भी देखा जाता है। अरूण दिवाकर जैसे कई लोगों के लिए, जो बिहार के एक प्रवासी श्रमिक हैं, दिल्ली में बस गए, संपत्ति बेकार थी क्योंकि निवेश उनके लिए उपयोगी नहीं था। जब उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी या जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो वह इसे गिरवी नहीं रख सका। अब यह विधेयक इन क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्ति पर एक अधिकार देने का प्रयास

करता है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ लेकिन मेरी चिंता इस बात से भी निहित है कि प्रस्तावित कानून से यह संदेश जाएगा कि भविष्य में सरकार की भूमि के सामूहिक अतिक्रमण को कानूनी बनाया जाएगा।

इसलिए, अब से, सरकार को बहुत अच्छी तरह से जागरूक होना होगा और कॉलोनी में बदलने से पहले अवैध निर्माण से छुटकारा पाना होगा। मेरा सवाल निवासियों की परिभाषा के बारे में भी है। खंड 2(क) में कहा गया है कि निवासी संपत्ति और उसके कानूनी वारिसों से संबंधित दस्तावेज रखने वाला व्यक्ति है।

महोदय, एक घर के निवासी सिर्फ मालिक और उसके बच्चों से ही सीमित नहीं होते, व्यक्ति संतानहीन भी हो सकता है और फिर भी उसका परिवार हो सकता है। इसलिए, मैं मंत्री जी से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ। इसलिए, मालिक के जीवनसाथी, माता-पिता और भाई-बहनों को भी परिभाषा के दायरे में होना चाहिए और, इस प्रकार, 'परिवार' शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। चूंकि मालिक के निधन के मामले में, संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है जो कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है लेकिन हो सकता है कि वह पति या पत्नी हो।

विधेयक का प्रस्ताव बहुत उचित है लेकिन व्यवस्थित कार्यान्वयन प्रदान किया जाना चाहिए। सबसे पहले, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने 'धीमा चलने वाला' होने का गौरव अर्जित किया है।" इस तरह की प्रतिष्ठा का कारण इसकी सुस्तता है। यह एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। इसका समाधान यह हो सकता है - एक समय विंडो को ठीक करना जिसके भीतर आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसे डी.डी.ए. द्वारा हल करना होगा अन्यथा यह वर्षों तक लंबित रह सकता है। सरकार ने हस्तांतरण विलेख का खंड जोड़ा है। इससे पूरी प्रक्रिया में देरी होगी। मंत्री जी को यह तय करना चाहिए कि मालिक कब तक वैध रजिस्ट्री प्राप्त करेंगे।

दूसरी बात, कुछ क्षेत्रों को मैपिंग से बाहर छोड़ दिया गया है। यहाँ, मैं सराहना करूँगी कि नक्शे में गलती से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। लेकिन फिर से, अब तक 1,731 कॉलोनियों में से केवल 40 के नक्शे अपलोड किए गए हैं। इस प्रक्रिया को गंभीरता से तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। सरकार को इन मानचित्रों के स्रोत के बारे में भी बताना आवश्यक है।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि, क्या आप सैटेलाइट मानचित्रों का उपयोग कर रहे हैं और वह भी वर्ष 2015 का? यह एक बड़ी गलती होगी क्योंकि इसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। यहाँ, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मानचित्र तैयार करने में गलती के कारण एक भी परिवार को नुकसान न हो और कोई छूट न जाए, यानी, नौकरशाहों की गलतियों से आम आदमी को नुकसान न हो।

तीसरा, लोग माँग कर रहे हैं कि उनकी कॉलोनियों का नाम नए सिरे से बदल दिया जाए। यह एक वैध माँग है और इसे पूरा किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई कॉलोनियां हैं जो इसमें रहने वाले लोगों की जाति और पेशे से जानी जाती हैं। सिर्फ इसलिए कि भूखंडों पर एक विशेष जाति के लोगों का कब्जा है, इसे *हरिजन बस्ती* के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए। यह न केवल अपमानजनक रवैया है, बल्कि जाति व्यवस्था को भी बढ़ावा देता है और यदि इन कॉलोनी के ऐसे प्रचलित नामों को सरकार स्वीकार करती है तो जाति-आधारित भेदभाव बढ़ना तय है। मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है कि वे भारत की राजधानी में समानता को बढ़ावा देने के लिए इस मामले को देखें।

चौथी बात, वर्ष 2015 से दिल्ली सरकार ने विकास कार्यों के लिए 8147 करोड़ रुप्यये खर्च किए हैं। इसने पाइपलाइनें बिछाई हैं, सीवेज की बेहतर व्यवस्था की है और सड़कों का भी निर्माण किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंधित क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए कितना धन निर्धारित करने का इरादा किया है? क्या सरकार ने इन क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के लिए कोई योजना बनाई है?

अंत में, मैं सरकार से जानना चाहूँगी कि जिन तथाकथित समृद्ध अप्राधिकृत कॉलोनियों को छोड़ दिया गया है उनके लिए क्या व्यवस्था है। क्या *सैनिक* फार्म, वसंत कुंज और छतरपुर और अन्य क्षेत्रों जैसे स्थानों पर कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कोई प्रस्तावित अनुसूची है?

संक्षेप में, मैं यह कहना चाहूँगी कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य निश्चित रूप से उदार है क्योंकि आवास एक मौलिक आवश्यकता है लेकिन पूरी प्रक्रिया को बहुत बुद्धिमान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। या फिर, यह दिल्ली के लोगों के लिए और भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।

मैं एक सरल प्रश्न के साथ समाप्त करूँगी। भाजपा सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। सरकार ने इसे 5 वर्ष में क्यों नहीं लाया और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों लाया? इस प्रस्तावित कानून के पीछे निश्चित रूप से राजनीतिक एजेंडा है। धन्यवाद, महोदय, मुझे अवसर देने के लिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने भाषण का समापन करती हूँ।

श्री रघु राम कृष्ण राजू (नरसापुरम): माननीय सभापति, महोदय, मुझे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 पर बात करने में सक्षम बनाने के लिए धन्यवाद।

निस्संदेह, यह सरकार का एक बहुत अच्छा निर्णय है। मेरे सहयोगियों की राजनीतिक टिप्पणियां कुछ भी हो सकती हैं, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से अराजनीतिक है। यही मुझे लगता है और यह समय की आवश्यकता है। जैसा कि सभी जानते हैं, घर किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता है। *गृहमे कड़ा स्वरगा सीमा* एक तेलुगु कहावत है। हर किसी को अपना घर होना चाहिए। लेकिन शीर्षक के बिना घर होना एक अर्थहीन प्रस्ताव है। इसलिए, सरकार द्वारा शीर्षक या स्वामित्व देना वास्तव में एक अद्भुत संकेत है क्योंकि यह विश्वास दिलाता है कि कल यदि कोई परेशानी है, तो मैं संपत्ति को गिरवी रख सकता हूँ और मैं कुछ ऋण उठा सकता हूँ। हाँ, इस सरकार द्वारा प्रदत्त किए जा रहे, कानूनी आवास के साथ-साथ इन 40 लाख लोगों को प्राप्त हो रहे आत्मविश्वास और सुरक्षा वास्तव में, एक शानदार कदम है। कुछ लोग पूछते हैं कि सरकार को ऐसा करने में पाँच वर्ष क्यों लगे। मैं कहना चाहूँगा कि यह 20 वर्षों में नहीं किया गया था। इतने कम पाँच वर्ष में किसी ने यह फैसला लिया है। इसलिए, मैं सरकार के फैसले का तहेदिल से स्वागत करता हूँ। मैं इस महान कार्य के लिए इस सरकार, विशेष रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी और संबंधित मंत्री जी की सराहना करना चाहता हूँ।

मेरे सहयोगी ने डॉ. कलैगनार का उल्लेख किया है, जो एक महान नेता थे। महान कलैगनार को याद करने के संदर्भ में, मैं इस सभा को हमारे प्रिय नेता डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के बारे में भी याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग सात से आठ लाख घर बनवाए थे, जो एक इतिहास है। एक विशेष वर्ष में देश में बनाए गए घरों की कुल संख्या डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी द्वारा बनाए गए घरों की संख्या से कम थी। उस महान कार्य को जारी रखते हुए, मेरे प्रिय मुख्यमंत्री विभिन्न लोगों को 25 लाख घर स्थल दे रहे हैं। भारत सरकार के समर्थन से जहां उन्होंने लगभग 2.08 लाख घरों को मंजूरी दे दी है, हम पूरे 25 लाख लोगों के लिए घर देने की भी योजना बना रहे हैं जिन्हें हम गृह स्थल दे रहे हैं।

इस विधेयक पर आते हुए, मैं 1,731 कॉलोनियों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए सरकार की सराहना करता हूँ। अधिकांश उपनिवेश काफी सभ्य जहां कहीं भी कॉलोनियां झुग्गी-झोपड़ियों जैसी प्रकृति की हैं, वहां स्वच्छ भारत के हिस्से के रूप में, अच्छी जल निकासी, अच्छे शौचालय आदि के माध्यम से जो भी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाना है, उसे तैयार किया जाना चाहिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां भी कॉलोनियां थोड़ी कमजोर हैं, वहां ऐसा करें।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इन कॉलोनियों को उन कॉलोनियों से अलग न करें जहाँ धनी लोग निवास करते हैं। आप खुले दिमाग से, एक अच्छी बात कर रहे हैं, और आप इन कॉलोनियों को नियमित कर रहे हैं। बेशक, मैं किसी भी अमीर लोगों के लिए संक्षिप्त नहीं हूँ। मेरे पास सैनिक खेतों में कोई फार्म हाउस नहीं है। उन्हें नियमितीकरण से अलग रखना शायद अच्छा न लगे। यदि संभव हो, तो शायद उचित समय पर, आप उन सभी कॉलोनियों को नियमित करने पर भी विचार कर सकते हैं क्योंकि वे भी काफी अच्छी तरह फैली हुई हैं। कृपया इस पर विचार करें।

माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने कितने घर बनाए हैं। साथ ही, जिन कॉलोनियों में लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, उन्हें नियमित करने से एक तरह से दो करोड़ मकानों की मूल योजना में उतने ही मकान और जुड़ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की यह पहल अन्य महानगरों को प्रेरित करेगी, जहाँ भी इस तरह का नियमितीकरण संभव हो। माननीय शहरी विकास मंत्री भी उस पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें।

मैं एक बार फिर इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (कटिहार): माननीय सभापति जी, आज मैं राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

आज का दिन निश्चित रूप से दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है। दिल्ली की अप्राधिकृत कॉलोनियों के लोगों को आज के बाद पूरा अधिकार मिलेगा। इसमें लगभग 1760 कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है, जिसमें 40 लाख लोग निवास करते हैं। लेकिन, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की इन कॉलोनियों में केवल दिल्ली के लोग नहीं रहते हैं, पूरे हिन्दुस्तान के लोग रहते हैं। मैं तो केंद्र सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह देर से जरूर आया लेकिन, हम सौभाग्यशाली हैं कि आप दिल्ली की कॉलोनियों को अधिकार दे रहे हैं और एक प्रकार से पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को यह अधिकार दे रहे हैं।

सभापति महोदय, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यहां देश के कोने-कोने से लोग आते हैं। पूरे हिन्दुस्तान के लोगों की इच्छा होती है और हम लोगों की भी इच्छा होती है, हम लोग एमपी हैं, शायद जितने एमपी होंगे, सब लोगों की यह इच्छा होती है कि हम दिल्ली में रहें, मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ें, दिल्ली में उनका एजुकेशन हो। दिल्ली में लोग खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी हैं। यहाँ साधारण से साधारण लोग भी आते हैं। देश के नागरिक जब यहां आते हैं तो वे हर प्रकार का काम चाहे वह सरकारी रोजगार में हो, गैर-सरकारी क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, रेहड़ी-पटरी वाला हो, खोमचा वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, टेम्पो चालने वाला हो, कोई भी यहाँ आता है और जब वह लंबे समय तक यहाँ रहता है तो उसकी इच्छा होती है कि दिल्ली में रहे। लेकिन, कोई सामान्य आदमी दिल्ली के पॉश एरिया में नहीं रह सकता है, क्योंकि वहां वह खरीद नहीं सकता है। फिर वे अप्राधिकृत कॉलोनियों में चले जाते हैं, मलिन बस्तियों में चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं और वहीं रहकर अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजी-रोटी कमाते हैं। लेकिन, केंद्र सरकार ने जिस ढंग से दिल्ली की मलिन बस्तियों का, कॉलोनियों के लोगों की सुध लेने का काम किया है, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। इससे

पहले हम लोग देखते थे, उस समय मैं एमपी नहीं था, लेकिन रेडियो में, अखबारों में, टी.वी में देखते थे कि दिल्ली के अप्राधिकृत बस्तियों को मान्यता देने के विषय को केंद्र सरकार राज्य सरकार पर फेंकती थी और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर फेंकती थी और इस तरह से 70 वर्षों तक इन मलिन बस्तियों को किसी सरकार ने मान्यता नहीं दी। लेकिन, मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई और अब इन अप्राधिकृत बस्तियों को मान्यता देने जा रहे हैं।

जैसा मंत्री जी बता रहे थे ...(व्यवधान) हाँ सारी अप्राधिकृत कॉलोनियां। हम लोगों के पास वर्ष 1797 का रिकार्ड था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1760 अप्राधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी जानकारी पोर्टल पर आ गई है, जिससे लगभग 40 लाख लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। यह एक स्वागत योग्य कदम है। निश्चित ही इसका लाभ भले देर से हो, लेकिन सभी लोगों को मिलेगा। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ।

दिल्ली में करीब 1800 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। जैसा मुझे बताया गया है कि वर्ष 2017 में उन कॉलोनियों को प्रोविजनल सटिर्फिकेट मिला था। लोग यह जानना चाहते हैं कि उन कॉलोनियों के बारे में वर्ष 2000 से वर्ष 2018 तक सरकार ने क्या विचार किया है। अगर उन सबको इस बिल में अधिकृत कर दिया जाता तो उन्हें भी इसका अधिकार मिलता। अप्राधिकृत कॉलोनियों में लोग पॉवर ऑफ अटार्नी के कागजात पर ही निवास कर रहे हैं, उनके नियमितिकरण के बारे में भी प्रावधान होने चाहिए। अभी वहाँ आधारभूत सुविधाओं की कमी है। इसमें भी समयबद्ध चरणों में विकास होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और यहाँ की सरकार को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ देश के कोने-कोने से लोग आकर बसे हुए हैं। कोई यह भी कह सकता है कि यहाँ मेरा परिवार बीस से तीस वर्षों पूर्व आया हुआ है, किन्तु यहाँ कभी-कभी यह बात उठती है और यह कहना कि दिल्ली में बाहर के लोग आकर बसे हैं, सर्वथा अनुचित है और हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने वाला कार्य है। दिल्ली पूरे देश के लोगों की है और कोई भी स्वार्थ के लिए इससे दिल्ली में आने वाले लोगों को वंचित नहीं कर सकता है, चाहे वह कोई भी सरकार हो।

इस बिल में मालिकाना हक प्रदान करने के लिए कुछ शुल्क लगाए जाने की बात की जा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क शून्य कर दिया जाए और आम लोगों को यह राहत देने का काम सरकार करे।

सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ और साथ ही, इस बिल को लाने के लिए मैं केन्द्र सरकार एवं माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे दिल्ली की अप्राधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बिल पर बोलने का मौका दिया है।

जैसा मुझसे पहले के वक्ताओं ने कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ, केवल दिल्ली वालों की नहीं है। दिल्ली में जो लोग बसते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बिहार के लोग यहाँ हैं, उनके साथ उनकी कॉलोनीज में आप जाइए, वहाँ कितने वर्षों से यह माँग चल रही थी। आज भी इन कॉलोनीज में कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। हम लोग बड़ा कैम्पेन करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान का कैम्पेन चल रहा है, लेकिन अगर उसकी बानगी आपको देखनी है तो दिल्ली की अनअथराइज्ड कॉलोनीज में जाकर देख लीजिए कि कितना स्वच्छ देश को हम बना रहे हैं और देश की राजधानी में लोग किस तरीके से, किन हालात में रह रहे हैं।... (व्याधान) मैं भी चाहता हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता यह काम हो, ऐसे ही हो लेकिन आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार इतनी मजबूत है, मैं नहीं समझता हूँ कि इस बिल को लाने में इतनी देर होनी चाहिए थी। अब भी इस बिल में कई चीजें साफ नहीं हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक 12 नवम्बर, 2015 को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा। यह जगजाहिर है कि किस तरीके से केन्द्र सरकार और मौजूदा दिल्ली सरकार के रिश्ते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गरीबों के लिए, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए अपने-अपने इगो को अलग रखना चाहिए था और यह अधिकार गरीबों को बहुत पहले मिलना चाहिए था। अभी भी यह स्पष्ट नहीं है, मैं बाद में क्लैरिफिकेशन पूछूँगा माननीय मंत्री जी से कि अखबारों में ऐसी भी खबरें छपी हैं कि अभी केवल 100 लोगों को उनकी रजिस्ट्री दी जाएगी। अब यह बात कितनी सच है, कितनी नहीं है, मेरे पास अखबारों की कटिंग है। आजकल मीडिया पर विश्वास करना पड़ता है क्योंकि कई जगहों से खबरें आती हैं कि मीडिया पूरी तरह से सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकता है, लेकिन अच्छे अंग्रेजी के अखबारों में मैंने इसे पढ़ा है। लेकिन अंग्रेजी के अखबारों में मैंने वह पढ़ा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को गरीब के बारे में सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी मुख्य मंत्री थीं और उन्होंने स्वर्गीय कांशीराम जी के नाम से एक अर्बन मिशन चलाया। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर कांशीराम कॉलोनीज अलग-अलग जिलों

में बनी हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे स्वयं के संसदीय क्षेत्र अमरोहा में कांशीराम कॉलोनी पूरी बनी हुई है और बहुत वर्षों से वह बनकर तैयार है। वह सरकार का पैसा है, वह टैक्सपेयर्स की मनी है। आज केंद्र में आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका नोटिस लें और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछें कि आखिर कांशीराम कॉलोनीज में अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहा है और क्यों गरीबों को घर नहीं दिए जा रहे हैं।

सभापति जी, यहाँ चर्चा हो रही थी कि दिल्ली में मेट्रो रेल किसने चलाई। मुझे याद है कि उसके उद्घाटन के दौरान भी देश के मीडिया ने इस बात को उछाला कि कौन इसका उद्घाटन करेगा। इस पर बहुत बहस चल रही थी। मैं बताना चाहता हूँ कि मेट्रो रेल का सर्वे 80 के दशक में हो गया था। वह फाइल धूल में पड़ी थी। मैं ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूँ और जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो इसका नोटिस लें कि पहली बार मेट्रो रेल के लिए बजट का अगर किसी ने एलोकेशन किया तो पहली बार संयुक्त मोर्चे की सरकार ने किया और उस समय देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने पहली बार दिल्ली मेट्रो रेल के लिए बजट का एलोकेशन अपनी केबिनेट में किया। मैं यह बात ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ गरीबों की बात करते हैं। माफ कीजिए कि ये जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए सिवाय नारेबाजी के और कुछ नहीं किया है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। आप गरीबों के लिए कोई भी बिल लाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। आप किसानों के लिए कोई भी बिल लाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं लेकिन आप नीयत साफ रखिए। आपकी नीयत में कहीं न कहीं खोट नजर आ रही है क्योंकि आपने इतने दिनों तक कुछ नहीं किया लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया, तो आप यह बिल लेकर आ रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बीच में मत बोलिए। दानिश अली जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुंवर दानिश अली : मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, जिस भाषा का प्रयोग मेरे आदरणीय साथी ने किया।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुंवर दानिश अली : मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह इनकी सभ्यता हो सकती है कि वे मुख्य मंत्री जी को कैसे एड्रेस करते हैं। मैं सभी मुख्य मंत्रियों का, वे चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन्हें आदर के साथ एड्रेस करता हूँ। प्रधान मंत्री चाहे किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि वे देश के प्रधान मंत्री हैं, वे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, उनके लिए मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। जो आचरण इनका है, मैं वह आचरण नहीं दिखा सकता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली के गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी नीयत को साफ कीजिए। यदि आप गरीबों को असल में अधिकार देना चाहते हैं, तो इस अधूरे बिल में अभी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है।

نے آپ کہ ہوں گزار شکر کا آپ صاحب،میں چیرمین جناب :(امروہہ) علی دانش کنور موقع کا بولنے پر بِل کے کرنے ریگولرائز کو کالونیوں غیرمنظور کی دہلی مجھے راجدھانی کی ملک دہلی کہ کہا نے ممبران معزّز کچھ پہلے سے مجھ کہ جیسا ۔دیا ،ہیں بستے لوگ جو میں دہلی ۔ہے نہیں کی والوں دہلی صرف ،ساتھ ساتھ کے ہونے کی ان ساتھ کے ان ،ہیں یہاں لوگ کے بِہار اور پُروانچل ،پردیش اُتر سے طور خاص کالونیز ان بھی آج ۔تھی رہی چل مانگ یہ سے سالوں کتنے وہاں ۔جائیے آپ میں کالونیز ابھیان بھارت سوچھ ،ہیں کرتے کیمپین بڑا لوگ ہم ۔ہے نہیں سہولیات بنیادی کوئی میں کی دہلی تو ہے دیکھنی کو آپ بانگی کی اس اگر لیکن ،ہے رہا چل کیمپین کا ،ہیں رہے بنا سُتھرا صاف کتنا کو ملک ہم کہ دیکھیئے کر جا میں غیرمنظورکالونیز ۔ہیں رہے رہ میں حالات کن اور سے طریقے کس لوگ میں راجدھانی کی ملک اور اعظم ِوزیر مآب عزّت لیکن ،ہو کام یہ آہستہ آہستہ کہ ہوں چاہتا بھی میں ۔(مداخلت) کو بِل اس کہ ہوں سمجھتا نہیں میں ،ہے مضبوط اتنی سرکار یہ میں قیادت کی صاحب ۔ہیں نہیں صاف چیزیں کئی میں بِل اس بھی اب ۔تھی چاہئیے ہونی دیری اتنی میں لانے پاس ُپرستاو نے کیبنیٹ کی سرکار دہلی کو **2015** نومبر **12** مطابق کے جانکاری میری مرکزی سے طریقے کس کہ ہے ظاہر جگ یہ ۔تھا بھیجا کو سرکار مرکزی کرکے کے غریبوں کہ ہوں سمجھتا میں ۔ہیں رہے رشتے کے سرکار دہلی موجودہ اور سرکار الگ کو ایگو اپنے اپنے لئے کے ان ،ہیں لوگ جوغریب کے معاشرہ محروم ،لئے یہ بھی ابھی ۔تھا چاہئیے جانا مل ہی پہلے بہت کو غریبوں حق یہ اور تھا چاہئیے رکھنا میں اخباروں کہ سے جی منتری گا پوچھوں کلیرفیکیشن میں بعد میں ،ہے نہیں صاف جائے دی رجسٹری کی ان کو لوگوں **100** صرف ابھی کہ ہیں چھپی خبریں بھی ایسی کل آج ۔ہے کٹنگ کی اخباروں پاس میرے ،ہے نہیں کتنی ،ہے سچ کتنی بات یہ اب ۔گی

طرح پوری میڈیا کہ ہیں آتی خبریں سے جگہوں کئی کیونکہ ہے پڑتا کرنا یقین پر میڈیا میں میں اخباروں کے انگریزی اچھے لیکن ،ہے سکتا لکھ نہیں خلاف کے سرکار سے سوچنا میں بارے کے غریب کو سرکار کہ ہوں چاہتا کہنا ہی اتنا میں ۔ہے پڑھا اسے نے نے انہوں اور ،تھیں اعلیٰ وزیر جی وتی مایا کُماری بہن اندر کے پردیش اُتر ۔چاہئیے اندر کے پردیش اُتر بھی آج ۔چلایا مِشن اربن ایک سے نام کے جی رام کاشی سورگئیے جی منتری ذریع کے آپ میری ۔ہیں ہوئی بنی میں ضلعوں الگ۔الگ کالونیز رام کاشی پوری کالونی رام کاشی میں امروہہ حلقہ پارلیمانی کے خود میرے کہ ہے گزارش سے وہ ہے پیسہ کا سرکار وہ ۔ہے تیار کر بن وہ سے سالوں کئی اور ہے ہوئی بنی طرح آپ بھی میں پردیش اُتر ہےاور سرکار کی آپ میں مرکز آج ۔ہے منی کی پیئر ٹیکس سے سرکار پردیش اُتر اور لیں نوٹس کا اس آپ کہ ہوں چاہتا میں ۔ہے سرکار کی غریبوں کیوں اور ہے رہا ہو نہیں کیوں الاٹمینٹ میں کالونیز رام کاشی آخر کہ پوچھیں ۔ہیں رہے جا دئیے نہیں گھر کو

[अनुवाद] **पृष्ठ संख्या 359-बी**

نے کس ریل میٹرو میں دہلی کہ تھی رہی ہو چرچا یہ ،صاحب چیرمین محترم بات اس نے میڈیا کی دیش بھی دوران کے اُدگھاٹن کے اس کہ ہے یاد مجھے ۔چلائی بتانا میں ۔تھی رہی چل بحث بہت پر اس ۔گا کرے افتتاح کا اس کون کہ تھا اُچھالا کو ۔تھی پڑی میں دھول فائل وہ ۔تھا ہوگیا میں دشک کے سروے کا ریل میٹرو کہ ہوں چاہتا نوٹس کا اس تو دیں جواب جی منتری ماننئے جب اور کہ ہوں چاہتا کہنا ریکارڈ آن میں مورچہ متحدہ تو کیا ایلوکیشن نے کسی اگر کا بجٹ لئے کے ریل میٹرو بار پہلی کہ لیں بار پہلی نے جنہوں ،تھے اعظم وزیر جی گوڑا دیوے وقت اس اور کیا نے سرکار کی آن بات یہ میں ۔تھا کیا میں کیبنیٹ اپنی ایلوکیشن کا بجٹ لئے کے ریل میٹرو دہلی

کیجیئےیہ معاف ،ہیں کرتے بات کی غریبوں صرف آپ کیونکہ ہوں چاہتا کہنا ریکارڈ کے بازی نارے سوائے لئے کے ،دلتوں ،غریبوں نے انہوں ،ہیں پارٹیز قامی دو جو ---(مداخلت)۔ ہے کیا نہیں کچھ اور

کہ ہوں چاہتا کہنا ہی اتنا صرف سے ذریعہ کے آپ میں ،صاحب چیرمین محترم کے غریبوں آپ ۔ہیں ساتھ کے آپ ہم تو ہیں چاہتے کرنا کچھ آپ اگر لئے کے غریبوں بھی کوئی لئے کے کسانوں آپ ۔ہیں ساتھ کے آپ ہم ،ہیں چاہتے لانا بِل بھی لئےکوئی میں نیت کی آپ ۔رکھیئے صاف نیت آپ لیکن ہیں ساتھ کے آپ ہم تو ہیں چاہتے لانا بِل لیکن کیا نہیں کچھ تک دنوں اتنے نے آپ کیونکہ ہے رہی آ نظر کھوٹ کہیں نہ کہیں اتنا ہوئے کہتے نہ کچھ زیادہ میں ۔ہیں رہے آ کر لے بِل یہ آپ تو آیا ُچناو کا دہلی جب ---(مداخلت) کہ ہوں چاہتا کہنا ہی

معزّز میرے استعمال کا زبان جس ،ہوں رہا کر نہیں استعمال کا زبان اس میں ،محترم یہ کیونکہ ،ہوں سکتا کر نہیں استعمال کا زبان ایسی میں ---(مداخلت) -- کیا نے ساتھی سبھی میں ۔ہیں کرتے ایڈریس کیسے کو اعلیٰ ِوزیر وہ کہ ہے سکتی ہو تہذیب کی ان کرتا مخاطب ساتھ کے عزت انہیں ہوں کے پارٹی بھی کسی وہ چاہئے کا اعلیٰ وزرائے ،ہیں اعظم ِوزیر کے ملک وہ کیونکہ ، ہوں کے پارٹی بھی کسی چاہے اعظم ِوزیر ۔ہوں کر نہیں استعمال کا زبان ایسی میں لئے کے ان ہیں اعلیٰ ِوزیر کے ریاست کسی وہ کہنا ہی اتنا میں ۔ہوں سکتا دکھا نہیں انداز وہ آچرن وہ میں ہے کا ان انداز جو ۔ہوں سکتا نیت اپنی آپ پہلے تو ہیں چاہتے کرنا کچھ لئے کے غریبوں کے دہلی آپ کہ ہوں چاہتا بِل ادھورے اس تو ہیں چاہتے دینا حقوق کو غریبوں میں حقیقت آپ اگر ۔کیجئے صاف شکریہ بہت بہت ۔ہے ضرورت کی کرنے سُدھار کچھ بہت ابھی میں

(شد ختم)

[13*]**श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण):** माननीय सभापति महोदय, मुझे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। आदरणीय तौर पर, इस विधेयक के माध्यम से दो मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। एक अप्राधिकृत निर्माण और अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के बारे में है।

मैं शुरुआत में ही यह बताना चाहता हूँ कि आगामी चुनाव पर नज़र रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। यह सभी को ज्ञात है। तथापि, मैं यह कहना चाहूँगा कि यह विधेयक केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पूरे देश में हर बेघर लोगों को 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक का व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, जबकि, इस विधेयक का दायरा केवल उन निवासियों तक सीमित है, जिन्होंने दिल्ली में अप्राधिकृत कॉलोनियों में घर बनाए हैं।

मैं बताना चाहूँगा कि देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अप्राधिकृत निर्माण और अप्राधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा हर जगह, देखा जा सकता है। इमारतों का निर्माण शहर या नगर नियोजन प्राधिकरण के दायरे के बाहर किया जाता है। चूंकि इन निवासियों ने अप्राधिकृत कॉलोनियों में अपने घर बनाए हैं, इसलिए उन्हें अपने दम पर घर बनाने के लिए भी कई कमियों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से, उनको सरकारी योजना से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे बहुत सारी सुविधाओं से भी वंचित हैं।

[13*] मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद।

इसीलिए मुझे लगता है कि अगर सरकार ने इस विधेयक के दायरे को बढ़ाकर इसे पूरे देश में लागू करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया होता, तो यह माननीय प्रधान मंत्री जी के सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे होता।

विधेयक को पुर:स्थापित करते समय माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया कि सरकार की मंशा यह है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है और ब्याज सहायता योजना के तहत आवास बनाने के लिए निवासी द्वारा उठाए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि भूमि एक ऐसा विषय है, जो संबंधित राज्य के राजस्व अधिनियम द्वारा विनियमित होता है। हालाँकि, अप्राधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों का यह मुद्दा सभी के लिए और हर जगह चिंता का विषय बन गया है, वह भी देश की स्वतंत्रता के बाद। हर वर्ष देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, सभी नगर और शहरों को अप्राधिकृत निर्माण और कॉलोनियों की बढ़ती हुई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोक सभा के सभी माननीय सदस्य इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं। खाता या संपत्ति का उत्परिवर्तन, संपत्ति पर बैंक ऋण प्राप्त करने जैसी कठिनाइयां हैं, क्योंकि अप्राधिकृत कॉलोनियों के दस्तावेज अवैध हैं। हालांकि, कुछ राज्य सरकारों ने नियमों को संशोधित करने के लिए बार-बार राजस्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए कदम उठाए। लेकिन, न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप हैं और संशोधन प्रभावी नहीं हो सकते। न्यायिक हस्तक्षेपों के कारण राज्य सरकार अप्राधिकृत कॉलोनियों और अप्राधिकृत निर्माणों के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा सकी।

यदि केंद्र सरकार वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए गंभीर है, तो मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि देश के सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों और माननीय आवास मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए और इस मुद्दे पर गहन चर्चा की जाए ताकि अनधिकृत कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

विधेयक के माध्यम से आप अप्राधिकृत कॉलोनियों और एन.सी.टी. दिल्ली में अप्राधिकृत निर्माण की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यह केवल एन.सी.टी. दिल्ली के लिए सोचने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके बजाय, सरकार को समस्याओं की देखभाल करने के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचने की आवश्यकता है, जो देश के सभी राज्यों में व्याप्त हैं। इसलिए, देश के सभी 30 राज्यों में अप्राधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। यह निश्चित रूप से सभी के लिए आवास के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जिसका उद्देश्य देश में हर बेघर व्यक्ति को घर प्रदान करना है।

मैं बताना चाहूँगा कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री जी के रूप में श्री सिद्धारमैया के कार्यकाल के दौरान, हमारी सरकार ने सरकारी भूमि पर आवास बनाने वाले निवासियों के स्वामित्व का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए धारा 94 और 94 ग को लागू करने के लिए राज्य के राजस्व अधिनियम में संशोधन किया।

जहाँ तक स्लम बोर्ड की बात है, यह बड़ी चिंता का विषय है कि देश में हर जगह झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या बढ़ रही है। में मकान बनाने में कई तरह की बाधाएं हैं, जो निजी और सरकारी दोनों प्रकार की जमीनों पर तेजी से उभर आई हैं। जहाँ तक सरकार का संबंध है कि वह रेलवे या रक्षा या पर्यावरण और वन जैसे किसी विभाग की है, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी वाले लोग चालीस-पचास साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में झुग्गी-झोपड़ी वाले लोग हैं।

लगभग दो महीने पहले, रेलवे अधिकारियों ने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों की अप्राधिकृत आवासीय इकाइयों को ध्वस्त कर दिया था क्योंकि यह भूमि भारतीय रेलवे की है।

एक तरफ सरकार सभी को घर देने की घोषणा कर रही है और दूसरी तरफ बने घरों को तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ले-आउट और निजी कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के अलावा, सरकार को उन गरीब लोगों को भी मालिकाना हक देने पर विचार करना चाहिए, जो सरकारी जमीन पर अपना घर बनाते हैं।

मैं एक बार फिर सरकार से आग्रह करूंगा कि वह सभी राज्यों में, अप्राधिकृत तरीके से घर बनाने वाले और अप्राधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले सभी गरीबों को स्वामित्व का अधिकार दिलाने, और देश में सभी के लिए आवास योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक कानून लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करे।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति, महोदय, मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ और इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय सभाप**ति** महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक पर बोलने की अनुमति दी है। दिल्ली के लोग मोदी जी के प्रति यही भाव रख रहे हैं कि मोदी जी, दिल तो एक है, कितनी बार जीतोगे। आज हम जिस बिल पर बहस कर रहे हैं, इस पर दिल्ली के लोगों को वर्षों से आशा लगी थी, उस पर दिल जीता है, क्योंकि जब कैबिनेट से यह मुद्दा पास हुआ था, तो इसकी भनक लग गई थी। कई लोग शंका में भी हैं और शंका में इसलिए हैं कि दिल्ली में जो सरकार है, वह फेक न्यूज के आधार पर लगातार लोगों में भ्रम फैलाती रहती है, उसके कारण जब हम लोग दिवाली में गलियों में गए थे, तो लोग हमें खींच रहे थे कि आओ, हमारे साथ दिया जलाओ। उनको लगा कि दिवाली डबल हो गई। अभी तक न जाने कितने लोग घर के इल्लीगल स्टेटस में ही संसार से चले गए। जब हम इस बिल का पहली लाइन पढ़ते हैं कि पिछले कई दशकों के प्रवास और अन्य कारकों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आए हुए, परप्रान्त से आए हुए और पार्टिशन के बाद इस दिल्ली में आए हुए, सभी को याद है, यहां बैठे हुए हम सभी सदस्यों को याद है कि जब हमारे देश का वर्ष 1947 में विभाजन हुआ, तो बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ में आए और दिल्ली में रहे। हरदीप सिंह पुरी जी भी अपना दर्द बता रहे थे कि इनका जन्म भी ऐसी ही परिस्थिति में, ऐसी ही कॉलोनी में हुआ। कैसे-कैसे हरदीप पुरी जी यहां तक पहुँचे हैं, इसके दर्द को जानना है तो इस बिल के महत्व को जानना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। पार्टिशन से लोग आए, घर बनाए, यहां-वहां रहने लगे, कानून नहीं था। फिर परप्रान्तों से आए। हम इस बिल के महत्व को दो पक्ष से देखेंगे। जो दूसरे प्रान्तों से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, छत्तीसगढ़ से आए, बंगाल से आए, महाराष्ट्र से आए, हिमाचल प्रदेश से आए, उत्तरांचल से आए, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ हर जगह से लोग आए हुए हैं, यहां बैठे हुए हर सदस्य का इस बिल से कुछ न कुछ रिश्ता है। आज रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे, तो मैं उस पक्ष की बेचैनी देख रहा था।

सभापति महोदय, रमेश बिधूड़ी जी की कोई भी लाइन सत्य से जरा भी इधर-उधर नहीं थी। हाँ, जरूर उसको सुनने से कुछ लोगों को तकलीफ होती है और तकलीफ इसलिए होती हैं, क्योंकि वह चुभती है। वह चुभती इसलिए है कि जैसे ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात आती है, वे सारे नाम याद आते हैं। अभी भी कई माननीय सदस्य लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि इतने दिन बाद ही केन्द्र ने यह क्यों किया, इसका भी जवाब हमारे रमेश बिधूड़ी जी ने दिया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार और उसके ... [14*] ने फेक न्यूज फैला रखा, हम उसके लिए यह जरूर कहना चाहेंगे कि वर्ष 2017 की दिल्ली के मुख्य मंत्री की चिट्ठी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डिमार्केशन का काम दो साल में करेंगे, वह पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसे पढ़ने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि एक दिन अखबार में उसका इश्तहार निकलवा दीजिए, दोनों चिट्ठियों को छपवा दीजिए, क्योंकि लोग इस पर बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। दूसरी चिट्ठी वर्ष 2019 में लिखी गई। 2019 में भी यह सरकार बैठी नहीं। वर्ष 2014 में जैसे ही प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पद पर बैठे हैं, चूँकि उन्होंने गरीबी में जीवन गुजारा है, उन्होंने अन-ऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के दर्द को स्वयं जीया है, इसलिए उन्होंने बिना देर किए, दिल्ली सरकार को कहा कि आप इसका जल्दी निराकरण करें, इसकी मैपिंग करें, हम इसे करने को तैयार हैं। वे दोनों चिट्ठियाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। मुझे आज यह भी पता चला है कि दिल्ली के मैक्सिमम लोग अपनी-अपनी नौकरियों पर न जाकर लोक सभा की कार्यवाही देख रहे हैं। हमें इसके बारे में कई सन्देश आ रहे हैं।

इसलिए उनको पता होना चाहिए कि दोनों चिट्ठियाँ, जो वर्ष 2017 और वर्ष 2019 में जवाब के रूप में मंत्री जी को आई हैं, …(व्यवधान) जी हाँ, अब वह तो जगजाहिर है। वह मेरे मोबाइल पर भी है, रमेश बिधूड़ी जी ने तो पढ़ भी दिया। मैं उन चिट्ठियों के संदर्भ में माननीय सदन को और पूरे दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी भी जब यह कैबिनेट से पास हुआ, तो दिल्ली सरकार का पहला रिएक्शन बड़ा इंट्रेस्टिंग था। उन्होंने पहला रिएक्शन यह दिया कि यह काम तो मोदी हमारे दबाव में ही कर रहे हैं। हम लोग

[14*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बहुत खुश हुए और कहा कि कोई बात नहीं, आपको यह तो लगा कि यह मोदी जी कर रहे हैं। दबाव का ही यह नतीजा था कि आपने पहले एक साल में ही इसे करने का वादा किया था। यह दबाव का ही नतीजा था कि आपने दो-दो बार कहा कि हम दो साल का टाइम लेंगे और वर्ष 2019 में बोलते हैं कि हम इसे वर्ष 2021 से पहले नहीं कर सकते हैं। वह चिट्ठी है।

अब जब सवाल उठेगा, तो उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के क्या-क्या दर्द थे, उन पर आज इस सदन में जरूर चर्चा होनी चाहिए। अन-ऑथराइज्ड कॉलोनियों में कोई बैंक नहीं खुल सकता था। जब हम सांसद के रूप में इन अन-ऑथराइज्ड कॉलोनियों में जाते थे, तो सबसे पहली डिमाण्ड यही होती थी, लोग कहते थे कि सांसद जी, एक बैंक खुलवा दीजिए। तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ बैठे हैं, ये बातें इनके सामने ही हुई थीं। इन्होंने कहा था कि चिन्ता मत कीजिए, हम इस पर कुछ करेंगे। लेकिन जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि हमें इतनी देर क्यों हुई, हम उनको बड़ी विनम्रता से बताना चाहते हैं कि 20 साल से बीजेपी दिल्ली सरकार में नहीं है। इसलिए रेस्पांसिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ...(व्यवधान) आप देखिए, आप जितनी तरह से भी बात को घुमाइए, लेकिन सच्चाई यह है कि ...(व्यवधान) यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट नहीं है सर। हमारी सरकार के मिनिस्टर ने दो-दो बार लोकल गवर्नमेंट से कहा कि आप डिमार्केशन करके दीजिए। जब उन्होंने दो बार डिनाइ किया, दो-दो साल का मौका देकर, मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दिल्ली के लगभग 70 लाख लोगों के दर्द को समझा है दानिश भाई। ...(व्यवधान)

उनकी परेशानियाँ क्या थीं? उनकी ये परेशानियाँ थीं कि उनके यहाँ बैंक्स नहीं खुल सकते थे। कॉलोनियों में जो वित्तीय संस्थाएँ होती हैं, वे नहीं खुल सकती थीं। सबसे बड़ी यह बात है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं- हे माँ, हे पिताजी, एक घर बना देना ताकि हम कुछ न करें, तो उस घर से ही आगे के लिए कोई व्यवसाय कर सकें, उसको मॉर्गेज रख सकें। लेकिन उस घर को मॉर्गेज रखने का अधिकार भी नहीं था। यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझता है और इसे देश तथा दिल्ली के लोग भी समझते हैं। जब किसी का अपना घर होता है, किसी का मालिकाना हक होता है, तो उसकी आने

वाली सात पुश्तें यह कहते हुए रह जाती हैं कि मेरे पापा का दिल्ली में घर है। उस घर को मॉर्गेज रखकर हम पैसे लाएंगे और हम कोई व्यवसाय करेंगे। ऐसी व्यवस्था से ये कॉलोनियाँ महरूम थीं। आज नरेन्द्र मोदी सरकार ने उनका निराकरण कर दिया है।

सभापति जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा तो राजनीति में आना सफल हो गया है। मेरा घर बिहार में है। मेरी पढ़ाई-लिखाई बीएचयू, वाराणसी में हुई। मैं यहाँ आया, तब मैं यह बात सोच रहा था। ...(व्यवधान) मैंने मुंबई में काम किया। उस समय हमारे सीपी, पुलिस के मुखिया सत्यपाल जी होते थे। मैं यहां आया, अपने साथियों के साथ बैठा, अब जाकर लग रहा है कि जो लोग गांव छोड़कर, खलिहान छोड़कर, बूढ़े मां-बाप को छोड़कर रोजगार के चक्कर में यहाँ आए, आज उनके लिए जो मोदी सरकार ने कर दिया, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हमारे एक साथी हैं ही नहीं, उसके लिए दिल्ली जो धन्यवाद दे रही है, वह हम शब्दों में यहां नहीं बता सकते।

सभापति महोदय, मैं यहाँ एक दर्द बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है - पिछले कुछ दशकों में प्रवास और अन्य कारकों से आए हुए, ये अन्य कारक क्या हैं? कैसे लोग आए? ये अन्य कारक हैं कि वे लोग रोजगार के लिए आए। वह दिन कलेजा चीर देने वाला था, जब इसी ... [15*](व्यवधान)

महोदय, इसलिए इस बिल का महत्व है। ...(व्यवधान) लेकिन इस बात को आप समझिए, जो लोग दूसरे प्रांतों से आए हुए हैं, जो लोग पार्टिशन के बाद आए, उनके लिए इतने छोटे स्तर का बयान? वह कोई और नहीं, दिल्ली के मुख्य मंत्री जी ने दिया, जिनको इस दिल्ली के उन ही लोगों ने मुख्य मंत्री बनाया। उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद आज इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मोदी जी ने, हरदीप पुरी जी ने जो सुख दिया है, जो खुशी दी है, उसके लिए तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जाए तो वह भी छोटा पड़ जाएगा।

[15*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, मैं इस लाइन की निंदा करता हूँ, लेकिन आज मैं यह जरूर बताना चाहता हूँ कि जितनी परेशानियां थीं, उनके बाद क्या लाभ हुए, क्योंकि उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने फ्री में घर नहीं बनाया। उन्होंने सीमेंट खरीदा, बालू खरीदी, ईंट खरीदी, सब कुछ खरीदा, लेकिन उन्होंने जो पैसा लगाया, वह पैसा नहीं आता था। कुछ भी निश्चितता नहीं थी और अनिश्चितता में जीता हुआ इंसान क्या दर्द पाता है, वह हम-आप सभी लोग समझ सकते हैं। थोड़े दिन पहले दिल्ली की इन्हीं अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों के आरडब्ल्यूए के लोगों ने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए जब उनसे समय माँगा तो प्रधान मंत्री जी - जय हो, वे धन्य हैं, उन्होंने अपने आवास पर दिल्ली की अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों के आरडब्ल्यूए को बुलाया। उसमें बोलते-बोलते उन्होंने यह बात रखी, प्रधान मंत्री जी ने यह लाइन कही कि दूसरे लोग चाहे अपनी ज़िम्मेदारी उठाएं या न उठाएं, यह सरकार गैर-ज़िम्मेदार नहीं हो सकती। तब हमें लगा कि हमें अपना लक्ष्य मिल गया, हमें अपना वजूद मिल गया।

<u>अपराह्न 03.59 बजे</u> (**श्रीमती मीनाक्षी लेखी** *पीठासीन हुईं*)

सभापति महोदया, इससे क्या-क्या लाभ होने वाले हैं? आज इस सदन में जितनी चर्चा होगी, उसे पूरी दिल्ली देखेगी। इसका जो श्रेष्ठ लाभ है, उसके बारे में मैं आज सदन को थोड़ा बताना चाहता हूँ। हम जब अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों में जाते हैं तो वहां छोटा ग्राउंड भी नहीं होता है, कम्युनिटी सेंटर नहीं होता है। उनका भी मन होता है कि हमारी कॉलोनी चमकदार हो, हमारी कॉलोनी में ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स बनें। इस बिल के बाद जो सबसे बड़ा काम हो रहा है, वह रीडेवलपमेंट का काम है। मैं बहुत दिन मुंबई में भी रहा। मुंबई ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है। हम लोग उस पर गाने भी बनाते थे, देखते थे, कहते थे, लेकिन दिल्ली की इन अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों में इतनी बदतर ज़िंदगी क्यों है?

हमारे एक भैया ने गलती से उसको मलिन बस्ती कह दिया, लेकिन उनके भाव में जाइए तो उसके लिए वह शब्द गलत नहीं, वहाँ की ऐसी व्यवस्था थी कि हम वहाँ एमपीलैड फंड नहीं लगा सकते थे। हम जाते थे, वहाँ बैठते थे, उनसे पूछते थे कि क्या हुआ? वे कहते थे कि एमपी साहब दे दो, हम कहते थे कि

हां, ले लो, बजट दे दो, लेकिन हम एमपीलैड फंड नहीं लगा सकते थे। अब क्या होगा? इस बिल के पास हो जाने के बाद वे कॉलोनियां आपस में मिलकर सोसायटी बनाएंगी और सोसायटी बनाने के बाद उनकी रीडेवलपमेंट शुरू होगी। रीडेवलपमेंट होगा तो उन ही कॉलोनियों में ग्राउंड भी बनेगा, कम्युनिटी सेंटर भी बनेगा और लोग कहेंगे, धन्यवाद मोदी जी, आपको दिया हुआ हमारा वोट वसूल हो गया।

<u>अपराह्न 04.00 बजे</u>

हमारे कई साथियों ने कहा कि वर्ष 2012 में प्रोविजन आया, वर्ष 2015 में दिल्ली के मुख्य मंत्री जी भी कुछ लाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप सबको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2012 में तत्कालीन कांग्रेस की मुख्य मंत्री द्वारा प्रोविजन लाया गया और वर्ष 2015 में इन्होंने एक झांसा दिया, उसमें भी मालिकाना हक नहीं था। वह लोग तो सिर्फ चुनावी जुमले करते थे, हम तो चुनाव से पहले ही कर रहे हैं। पहली बार यह देश देखेगा कि लोग चुनाव में वादा करते थे, हम करने के बाद चुनाव में जाएंगे। हम ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं। हमारे रेड्डी साहब और मारन साहब, जो चले गए हैं, इन्होंने कई बार कहा -'डेरोगेटरी वर्ड'

महोदया, अगर डेरोगेटरी शब्द से इतनी परेशानी है तो थोड़ा राहुल गांधी जी को समझाइए। उनको समझाइए कि डेरोगेटरी वर्ड्स क्या होते हैं और किसी को सम्मान देने के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कुछ लोग फीस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं फीस पर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जिस रेट पर इन घरों की रजिस्ट्री होगी, उसकी पड़ताल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह तो न के बराबर है, क्योंकि ऐसा होने से पहले हम लोग जो सर्वे कर रहे थे, तो हम पूछते थे कि कितना रेट होना चाहिए? उन्होंने मुझे जो रेट बताया था, वह बताता हूँ। लोगों ने जो रेट माँगा था, उससे 40 गुना कम, यानी न के बराबर यह रजिस्ट्री होने जा रही है, जिसके लिए मैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी को और नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।

महोदया, इसके न होने के नुकसान से अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप सबको पता है कि दिल्ली में किस प्रकार से सीलिंग का दर्द शुरू हुआ। दिल्ली में 351 सड़कों को मुख्य मंत्री जी द्वारा नोटिफाई करना था कि ये कॉमर्शियल हैं, रेजीडेंशियल हैं या ये मिक्स्ड हैं? दिल्ली सरकार में जो लोग थे, वे न जाने कौन

सी डील में लगे हुए थे कि उन्होंने 351 सड़कों को तब नोटिफाई नहीं किया। अब तो 1200 से ज्यादा सड़कें तैयार हैं, लेकिन ये अभी भी यह नहीं बताते हैं कि ये सड़कें कॉमर्शियल हैं, रेज़ीडेंशियल हैं या ये मिक्स्ड हैं? इसका फायदा कुछ गलत अधिकारी, कुछ गलत लोग लेते हैं और वे जाकर सीधे सील कर देते हैं। इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में घरों के नीचे जो छोटी-छोटी दुकानें हैं, उनको भी वे सील कर देते थे। इस बिल के आने के बाद सारी दुकानें भी सुरक्षित हो जाएंगी। दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को यह भी एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है।

महोदय, मैंने सीलिंग का विरोध किया था। मैं ही वह व्यक्ति हूँ। हम लोगों ने सीलिंग तोड़ी थी। हम लोग कोर्ट में लड़े थे। हमने कहा था कि किसी के साथ पिक एण्ड चूज नहीं होना चाहिए। दिल्ली की वर्तमान सरकार और इससे पहले वाली सरकार भी न जाने क्या-क्या करती थी, यह मेरी समझ के बाहर है। मैं बड़ा सीधा-सादा आदमी हूँ, इसलिए सीधा बोलता हूँ, सीधा सोचता हूँ, सीधा देखता हूँ और सीधा चलता हूँ। मुझे भी कोर्ट में जाकर लड़ना पड़ा। इन सारे तथ्यों के बीच यह दर्द मिटाने वाला कोई बिल अगर आ रहा है, तो वह यह बिल है, जिसके लिए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को न सिर्फ यह पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी धन्यवाद देने वाली हैं। ऐसा वही कर सकता था, जो गरीबी को समझता है, जो गरीबों को समझता है। अभी न जाने और कितनी बातें आएंगी। भगवंत मान जी यहां से चले गए। वह बार-बार दौड़कर इतना बेचैन हो जाते हैं कि ... [16*] आप सोचिए कि फेक न्यूज कैसे फैलाई जा रही है? जब इस योजना का नाम 'पीएम उदय योजना' पड़ गया तो बोले कि ऐसा मेरे दबाव में हो रहा है। इस योजना का पूरा नाम है- 'प्रधान मंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन दिल्ली अधिकार एवं आवास योजना'।

पीएम उदय, जैसे ही यह नाम आया, हमारे गांव में जोंक होती है, वह जानवरों और भैंस को लग जाती है। वह खून चूसती है। उसको ईंट से कूटेंगे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप उस पर थोड़ा नमक डाल दीजिए। पीएम उदय योजना जोंक पर नमक की तरह है। वह जैसे ही आयी, दिल्ली के ... * चिल्लाने लगे

[16*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि ये धोखा दे रहे हैं। मैं उस तरह से नहीं बोल सकता हूँ। मैं एक्टर तो हूँ लेकिन उनकी एक्टिंग के सामने, वह चिल्ला-चिल्ला कर बोलने लगे कि यह सरकार धोखा दे रही है, धोखा दे रही है। हम लोगों ने पूछा कि इसमें क्या धोखा है? यह बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। उन्होंने बोला कि इस सत्र में तो यह बिल लाने की कोई चर्चा ही नहीं है। आज जो भी लोक सभा की प्रक्रिया को सुन रहा होगा, यह बिल हमारे हाथों में है और यह बिल नरेन्द्र मोदी जी सरकार लेकर आयी है। उन लोगों को, पता नहीं यह बोलना पार्लियामेंट्री है या नहीं, लेकिन ... * अगर गलत होगा तो काट दीजिएगा। ...(व्यवधान)

महोदया, यह फेक न्यूज का कितना बड़ा गिरोह है? आज आदरणीय शीला दीक्षित जी इस संसार में नहीं हैं। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। हमने आमने-सामने चुनाव लड़ा था। बेशक हमने चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव रिजल्ट के बाद मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मेट्रो की बात रेड्डी साहब ने कही है। मैं बड़ी ईमानदारी से, मैं एक गांव से आता हूँ और मेरे पिता जी भी गांव के किसान थे। उन्होंने मुझ से उस मुलाकात में कहा था कि मनोज, मैं अटल जी के पास जाकर बैठ गयी और मेट्रो का काम शुरू हो गया। वही बात रमेश बिधुड़ी जी कह रहे थे। वह योजना को शुरू करने के लिए तारीफ कर रही थीं ...(व्यवधान) बिलकुल प्रधान मंत्री थे और इसी नाते केन्द्र और राज्य का आधा-आधा होता है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यह सब कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जा रहा है।

... (व्यवधान)[17*]

[हिन्दी]

[17*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनोज तिवारी : आप देखिए कि 15 साल में तत्कालीन मुख्य मंत्री, उनका नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, ... * ने, अभी एक आरटीआई डाली गयी थी कि कितना एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया गया, 15 साल में 79 करोड़ रुपये खर्च किए गए। भाइयो-बहनो आप लोग नोट कर लेना। 15 साल में उन्होंने 79 करोड़ रुपये खर्च किए और इस वर्तमान सरकार ने केवल इसी टर्म के चार साल में ही 311 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। उसके बाद आज तक जोड़ लीजिए तो यह चार सौ करोड़ रुपये के पार हो चुका है। क्यों, क्योंकि इनको फेक न्यूज फैलाना है। क्यों, क्योंकि इनको मीडिया को धोखा देना है। क्यों, क्योंकि इनको दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंकनी है। सरकारें 60 महीने की होती हैं साहब, सरकारें तीन महीने की नहीं होती हैं और यह तो अच्छा हुआ। इसलिए मैं इस फेक न्यूज की फैक्ट्री वर्तमान दिल्ली सरकार को और कल से और अभी भी बाहर थोड़ी देर पहले तक, एक अलग ढिंढोरा पीट रहे हैं। रोज वह यही कोशिश करते हैं कि अनोथोराइज्ड कालोनी किसी तरह से पास न हो। मैं ऐसे सभी लोगों को यह बताना चाहता हूँ, शायद आप भूल गए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, गरीबों का काम मुमकिन है, ईमानदारों का काम मुमकिन है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है।

सभापति महोदया, इसी संदर्भ में इस बिल में एक लाइन लिखी गई है, वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि 'अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां और जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है'। ...(व्यवधान) महोदय, मैं बस दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं कई ऐसी अप्राधिकृत कॉलोनियों के लोगों को जानता हूँ, जिनकी बेटियों की शादियां रूक रही थीं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने घर बनाए हैं। जब उनकी बेटियों की शादी की बात होती है, तो कई लोग यह सोचते हैं कि वे अप्राधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं और उनकी कॉलोनियों में सारी सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में वे आज जीवन जीने जा रहे हैं, जिसकी शुरूआत हो रही है, अप्राधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए नरेन्द्र मोदी जी मात्र प्रधान मंत्री ही नहीं, बल्कि नरेन्द्र मोदी जी इस देश के एक बड़े समाज सुधारक के रूप में भी याद किए जाएंगे। हम इस बात की खुशी प्रकट करना चाहते हैं।

महोदय, मुझे पता है कि इन सभी सिस्टमों के बीच वर्ष 2015 में जो दिल्ली डेवलेपमेंट एक्ट शुरू हुआ था, उसकी खुशी के साथ-साथ हम जैसे लोगों को, चूंकि यह तभी संभव हुआ है, जब दिल्ली ने सात के सात सांसद दिए हैं और सातों एक ही नोट पर बात करते हैं। सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आप भी उसी सात सांसदों का एक अंग हैं। सभी लोगों ने इस पर एक स्वर में बात की है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली के इस काम को जिस प्रकार से जनता याद करेगी और इसको याद करना भी चाहिए। हम केवल उसके लिए ही खुश नहीं हैं, बल्कि हम इसलिए भी खुश हैं कि आगे आने वाली सात पुश्तों के लिए हमने दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था दे दी है, जो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में हुआ है, हरदीप सिंह पुरी जी के यूडी मिनिस्टर रहते हुआ है और हम सभी के सांसद रहते हुआ है। यहाँ से आगे जाने के लिए न जाने कितने रास्ते खुलेंगे, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम वर्ष 2022 तक सबको घर दे देंगे।

महोदय, घर तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला घर, जिनके पास छत ही नहीं थी। दूसरा घर, जिनके पास घर थे, लेकिन कच्चे थे, वे बारिश में टूट जाते थे। तीसरा, यह भी घर था, लेकिन उसको घर नहीं कह सकते थे, लिख नहीं सकते थे, उस पर अधिकार नहीं था, उसको बेच नहीं सकते थे, ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, मार्गेज़ नहीं रख सकते थे। महोदया, मैं समझता हूँ कि जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था, उन्होंने आज वास्तव में दिल्ली के 60 लाख लोगों को छत देने का काम किया है। मैं उसके लिए भी माननीय नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : जनाब चेयरपर्सन साहिबा, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। दिल्ली हिन्दुस्तान का दिल है, तो जाहिर सी बात है कि हम सबकी दिलचस्पी इसमें है कि यह जो कानून है, इस कानून से किसको लाभ मिल सकता है और इस कानून की मंशा क्या है? हर दिन हज़ारों लोग हिन्दुस्तान के मुख़्तलिफ़ हिस्सों से अपनी आंखों में सपने सजाए हुए दिल्ला का रुख करते हैं, ताकि अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकें।

महोदया, गालिब ने कहा था कि – 'हमने माना रहेंगे दिल्ली में लेकिन खाएंगे क्या'। आजकल तो खाने की बात नहीं है, आजकल तो शहरी सहूलियात की बात है। ये कितनी तकलीफ की बात है कि दिल्ली में 50 लाख लोग बुनियादी शहरी सहूलियात से महरूम हैं। अब जब उनकी तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम सब उसका स्वागत करते हैं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति, मैं राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 का समर्थन करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। हालांकि, कुछ आरक्षण हैं।

सबसे पहले, मैं जानना चाहूँगा कि इस सभा में यह जानने की रुचि है: मामला बहुत लंबे समय तक क्यों विलंबित हुआ? यह सरकार पिछले छह वर्ष से है। प्रस्ताव वास्तव में कब प्राप्त हुआ था? दिल्ली विधान सभा का प्रस्ताव कब पारित हुआ और उस पर कब काम शुरू हुआ?

माननीय मंत्री जी ने जो भी स्पष्टीकरण दिया है, वह संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा निर्णय था, जिसे सैद्धांतिक रूप से लिया जाना था। आप अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लेते हैं; आप सैद्धांतिक रूप से निर्णय लेते हैं और फिर आप केवल तौर-तरीकों और कार्यप्रणाली पर जाते हैं। ऐसा नहीं था कि कार्यप्रणाली पहले दिन ही तय कर ली जानी चाहिए थी।

तो, हमें 24 मार्च, 2008 की समय सीमा पर क्यों रहना चाहिए? देखिए, यह विधेयक 11 वर्ष बाद सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। क्या हमें अभी भी वर्ष 2008 के आँकड़ों का पालन करना चाहिए? इसे समझाने की जरूरत है। क्या ये सूचियाँ अद्यतन हैं, यानि आज की तारीख तक तैयार की गई हैं, या फिर ये वही सूची है जो 2008 में या उसके तुरंत बाद किसी समय अधिसूचित की गई थी?

'निवासी' की परिभाषा देखें? 'निवासी' की परिभाषा खंड 2(क) में दी गई है। यह फिर से लिंग तटस्थ है। एक निवासी को अधिकार दिए जाने हैं। निवासी कौन है? क्या हम इस तथ्य से बेखबर हो सकते हैं कि घर की महिला दिल्ली या कहीं और संपत्ति अधिकारों को प्राप्त करने पर जो भी खर्च किया जाता है, उसमें योगदान देती है? हमें उसे अनदेखा क्यों करना चाहिए? क्या एक परिवार को, एक जोड़े को ये अधिकार प्रदान करना बेहतर नहीं होता? यह इसलिए है, आप जानते हैं, अधिकांश समय घर की महिला ही अपने आभूषण बेचकर अपने पति की सहायता करती है ताकि उसे संपत्ति प्राप्त हो सके। यह कानून लैंगिक

समानता के मुद्दों का समाधान नहीं करता है, जब उसे अधिकारों के वितरण में समान भागीदार या समान लाभार्थी बनाया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्यों की ओर से क्या स्पष्टीकरण आएगा।

फिर, आपको मनमाने ढंग से कुछ कॉलोनियों की अनदेखी क्यों करनी चाहिए? प्रयास अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का है। इसका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि वह कॉलोनी किसी प्रकार के समाज के समृद्ध वर्ग से संबंधित है या उस कॉलोनी के निवासी अच्छी तरह से हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप कॉलोनियों को छोड़ देते हैं, तो समस्या बनी रहेगी। आप इस अधिनियम द्वारा जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह समस्या को दूर करने के लिए है। हाल ही में उस समस्या ने खतरनाक अनुपात धारण कर लिया है और यह हम सभी के लिए चिंता का विषय रहा है। लेकिन अगर आप कुछ कॉलोनियां छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वे धनी लोगों की हैं जो अच्छे तरीके से जी रहे हैं, तो अंत में आपको फिर से उन कॉलोनियों की देखभाल करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि यह एक उचित वर्गीकरण है जब आप कॉलोनियों को समृद्ध या संपन्न लोगों और कमज़ोर वर्गों के लोगों में विभाजित करते हैं। आप, अधिक से अधिक, एक काम कर सकते हैं। उन लोगों के मामले में जिन्हें आप बेहतर महसूस करते हैं, आर्थिक रूप से वंचित नहीं हैं, आपके पास उनके लिए उच्च शुल्क हो सकता है। लेकिन इस वर्गीकरण के द्वारा आप उन्हें कैसे अनदेखा कर सकते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से इस वर्गीकरण को हटाने का अनुरोध करूँगा। जो मुझे समझ में आया है, वह है कि कुल 1797 कॉलोनियां हैं और यदि संख्या सही है तो लाभार्थियों में से 1731 कॉलोनियां हैं। इसलिए, इन कॉलोनियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

धन्यवाद, महोदया।

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार (थेनी): धन्यवाद, सभापति, महोदया, मुझे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर देने के लिए।

सबसे पहले, मैं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शानदार शासन में इस नए विधेयक को तैयार किया है। यह विधेयक दिल्ली में अप्राधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने का इरादा रखता है और इस तरह राष्ट्रीय राजधानी के 175 वर्ग किलोमीटर में फैली 1731 चिह्नित कॉलोनियों को अधिकार प्रदान करने का इरादा रखता है जिसमें निम्न आय वर्ग के 40 लाख लोग रहते हैं।

इस विधेयक के अनुसार, स्वामित्व अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री के लिए करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर दिए जाएंगे, जिसमें हस्तांतरण विलेख या प्राधिकरण पर्ची के माध्यम से भुगतान के साक्ष्य के कागजात भी शामिल होंगे। आवेदकों को केवल ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण करना होगा, आवश्यक दस्तावेज जैसे कि सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी, भुगतान रसीद, कब्जा पत्र आदि अपलोड करना होगा, और इस प्रकार मौजूदा बुनियादी ढांचे, नागरिक और सामाजिक सुविधाओं में सुधार के लिए विकास या पुनर्विकास की सुविधा के लिए इसे 'मान्यता प्राप्त' बनाना होगा, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी।

इसके माध्यम से, दिल्ली निवासी 16 दिसम्बर से स्वामित्व अधिकारों के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं और 180 दिनों के भीतर स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

उपरोक्त के अलावा, केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए 'सभी के लिए आवास' मिशन की घोषणा की, जो सभी पात्र परिवारों को घर प्रदान करने के लिए राज्यों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा और वर्ष 2022 से पहले चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है।

उक्त मिशन भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा जून, 2015 में पूरे देश में घरों के निर्माण का समर्थन करते हुए शुरू किया गया था।

तदनुसार, मेरे राज्य तमिलनाडु में, हमारी प्रिय नेता स्वर्गीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा के तमिलनाडु विजन 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री ओ. पन्नीरसेल्वम के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया गया है। रणनीतिक दीर्घकालिक योजना में तमिलनाडु के सभी शहरी स्लम परिवारों के लिए घरों के प्रावधान की परिकल्पना की गई है और वर्ष 2023 से पहले शहरों/कस्बों को स्लम मुक्त बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत, 65,000 करोड़ रुपये की लागत से तमिलनाडु के सभी शहरी स्लम परिवारों को आवास और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा।

हमारी तमिलनाडु सरकार ने 'सभी मिशन के लिए आवास' के तहत वर्ष 2015-2022 के दौरान तमिलनाडु के 666 शहरों में झुग्गी-झोपड़ी परिवारों और शहरी गरीबों के लिए मकानों के निर्माण को लागू करने की योजना बनाई थी।

मैं एक बार फिर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चरण-1 के तहत इस कार्यक्रम में 191 शहरों को शामिल करने की मंजूरी दी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से भी अनुरोध करूँगा कि वे तमिलनाडु आवास और स्लम निकासी योजनाओं के लिए लंबित राशि तुरंत जारी करें। मैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार को भी बधाई देता हूँ जो हमेशा गरीब से गरीब लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए सोच रही है और काम कर रही है और इस तरह प्रसिद्ध नारे *'इलायिन सिरिपिल इरावनई कानपोम'* का पालन कर रही है। इस नारे का तात्पर्य यह है कि हम गरीब के चेहरे पर मुस्कान रखकर भगवान को देख सकते हैं। मेरी ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी के महान नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुरई ने इस नारे को प्रस्तुत किया है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने गरीबों के जीवन को उजियाला दिया। अब, दिल्ली के लोग हमारे प्रधान मंत्री जी की एक भगवान के रूप में प्रशंसा कर रहे हैं।

देश की राजधानी में इन अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक को सकारात्मक रूप से विचार करना और पारित करना समय की माँग है।

तदनुसार, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): दिल्ली के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय सभापति का धन्यवाद।

महोदया, यह बहुत देर से लाया गया विधेयक है लेकिन मैं सरकार की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यह 'कभी नहीं से बेहतर देर से' है। लेकिन जब हम एक विधेयक का मसौदा तैयार करते हैं और सदन के सामने विधेयक पेश करते हैं, तो विधेयक *पक्का* होना चाहिए और यह एक फुलप्रूफ विधेयक होना चाहिए जिससे दिल्ली की अप्राधिकृत कॉलोनियों के गरीब लोगों को लाभ मिले।

महोदय, सबसे पहले, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक जल्दी से तैयार किया गया है। यह गलत तरीके से तैयार किया गया है। विधेयक के प्रावधानों की जाँच नहीं की गई है। मैं आम आदमी पार्टी, बी.जे.पी. और अन्य राजनीतिक दलों के बीच दिल्ली की राजनीति में नहीं जा रहा हूँ। मैं पूरी तरह से विशेष विधेयक तक सीमित हूँ। मैं विधेयक की भावना का समर्थन करता हूँ। चूंकि यह अप्राधिकृत कॉलोनियों में गरीब निवासियों को स्वामित्व और मालिकाना हक प्रदान कर रहा है; मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके साथ ही, दिल्ली में बहुत जल्द चुनाव आने वाले हैं। आपने आनन-फानन में एक विधेयक बनाया है जिसके द्वारा वैध अधिकार प्रदान किए जाने वाले हैं। क्या यह वैध अधिकार गरीब लोगों को दिया जा सकता है यह वह प्रश्न है जो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

मैं सौभाग्यशाली हूँ, महोदया, कि आप पीठासीन हैं। एक बहुत प्रमुख उच्चतम न्यायालय के वकील के रूप में, मुझे लगता है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं, महोदया। वास्तव में विधेयक क्या है? विधेयक के खंड 3(1) में कहा गया है, '1899 के भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1908 के पंजीकरण अधिनियम और 1961 के आयकर अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी..". तीन अधिनियमों को छूट दी गई है क्योंकि इसके बावजूद प्रावधान है। इसके अलावा, *सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बनाम हरियाणा राज्य* में उच्चतम न्यायालय के फैसले को भी खारिज कर दिया गया है। यह उच्चतम न्यायालय के फैसले के आदेश को दरकिनार कर रहा है। ये चार चीजें हैं जिन्हें हम छूट दे रहे हैं।

लेकिन वह कौन सा कानून है जिसके द्वारा हमारे देश में संपत्ति का हस्तांतरण हो रहा है? संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित मूल कानून संपत्ति अधिनियम का हस्तांतरण है। संपत्ति का हस्तांतरण, बंधक, बिक्री के लिए समझौता—ये सभी लेनदेन मूल रूप से संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम के दायरे में आते हैं। संपत्ति अधिनियम का हस्तांतरण अभी भी है। आप किसी संपत्ति को, पंजीकृत दस्तावेज के बिना, किसी विशेष व्यक्ति को या संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं? आप किसी व्यक्ति को शीर्षक कैसे प्रदान कर सकते हैं? इसीलिए, मैं कह रहा हूँ कि यदि आपकी मंशा *वास्तविक* है, यदि आप दिल्ली के उन गरीब लोगों को उचित लाभ देना चाहते हैं, जो अप्राधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं, तो यह एक त्रुटिरहित कानून होना चाहिए। कानून के अपने सीमित ज्ञान के अनुसार, मुझे लगता है या मुझे आशंका है कि इसमें कमी है। इस विधेयक में बहुत से कानूनी प्रावधानों का अभाव है, जिससे गरीब लोगों को उचित लाभ मिल सके।

यहाँ तक कि, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप इन सभी प्रावधानों को नष्ट कर रहे हैं। पंजीकरण के लिए, पंजीकरण अनिवार्य है। एक दस्तावेज पंजीकृत करना *पक्का है।* बिक्री क्या है, बंधक क्या है, बिक्री के लिए एक समझौता क्या है—इन सभी चीजों को संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण में परिभाषित किया गया है। यह न केवल स्टांप अधिनियम में है, न केवल पंजीकरण अधिनियम में, न केवल आयकर अधिनियम में बल्कि यह संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण में भी है। आयकर अधिनियम आयकर से छूट के बारे में है। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है। लेकिन संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों के बारे में क्या जिसके द्वारा सभी स्थानांतरण हो रहे हैं? इसीलिए, मैं कह रहा हूँ कि यह भ्रमित करने वाला है; यह जटिल है; और अधिकांश प्रावधान विरोधाभासी भी हैं। अतः माननीय मंत्री महोदय कृपया विधेयक के प्रावधानों पर पुनः विचार करें कि क्या यह विधेयक दिल्ली के निवासियों को लाभकारी लाभ पहुंचाएगा या नहीं। यह मेरा पहला तर्क है जो मैं रखना चाहता हूँ।

दूसरा बिंदु जो मैं कहना चाहूँगा वह विधेयक के खंड 3 के बारे में है। कृपया इसे पढ़ लें। खंड 3, उप-खंड (2) में कहा गया है, “केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, जिसके भुगतान

पर शुल्क तय कर सकती है।". 'किसका अर्थ क्या है? ...(*व्यवधान*) महोदया, मैं किसी राजनीतिक बहस में शामिल नहीं हो रहा हूँ। उस प्रावधान में कुछ कमी है। मुझे लगता है कि यह भाषा-वार है या जो भी हो, यह खंड कहीं नहीं जाता है क्योंकि यदि आप पूरे खंड के माध्यम से जाते हैं— मेरे पास इसे प्रमाणित करने का समय नहीं है—कुछ छूट गया है क्योंकि शब्द है, 'केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, जिसके भुगतान पर शुल्क तय कर सकती है। 'जिसका मतलब है, क्या यह वही संपत्ति है जो स्थानांतरित की गई है? या, क्या यह वह संपत्ति है जिसे गिरवी रखा गया है? वहाँ कुछ भी नहीं है। प्रावधान में कुछ कमी है। यदि आप पूरे खंड के माध्यम से जाते हैं, तो यह आगे पढ़ता है, 'नवीनतम के आधार पर अचल संपत्तियों का लेन-देन। यह हर जगह है। इसलिए, मैं यह भी कह रहा हूँ कि यह गलत तरीके से तैयार किया गया है और जल्दबाजी में इसका मसौदा तैयार किया गया है; और विधेयक का मसौदा तैयार करने में कोई गहन जाँच नहीं की गई है। इसीलिए, मैं कह रहा हूँ कि इस मामले पर फिर से विचार करना होगा। अन्यथा, मंत्री जी इतने आत्मविश्वासी और संज्ञानशील हैं कि यह विधेयक कानून में खड़ा होगा और यह एक वैध कानून है। कृपया सदन को बताएं कि क्या तर्क जो उन्नत किए गए हैं वे गलत हैं। तीसरा बिंदु भौतिक कब्जे के संबंध में है। आप किसी व्यक्ति को शीर्षक प्रदान करना चाहते हैं। विधेयक में 'निवासी' की परिभाषा क्या दी गई है?

माननीय सभापति : कृपया इसे समाप्त करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदया, मुझे कुछ समय की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूँ। हम एक कानून ड्राफ्ट कर रहे हैं और विधायिका प्रक्रिया में, हमें कुछ समय निकालना होगा।

महोदया, 'निवासी' का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पंजीकृत बिक्री विलेख या नवीनतम पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर संपत्ति का भौतिक कब्जा है। हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन, मान लीजिए कि मैं अपनी संपत्ति का सही मालिक हूं और मैंने किराए पर एक किरायेदार को अपना घर पट्टे पर दिया है।

मेरे पास भौतिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब है, जिनके पास भौतिक कब्जा नहीं है, लेकिन पूर्ण अधिकार है, वे संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

कृपया विधेयक के खंड 3 को भी देखें। *....(व्यवधान)*

माननीय सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदया, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया विधेयक की सामग्री पर गौर करें। इसमें कई कानूनी खामियां हैं, जिन्हें ठीक करना होगा।

एक बार मैं विधेयक की भावना का समर्थन करना चाहूँगा, जबकि अप्राधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग या तो बंधक बनाकर या हस्तांतरण करके या किसी अन्य दस्तावेज से या पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपने मालिकाना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एम. सेल्वराज (नागपट्टिनम): महोदया, मुझे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए, धन्यवाद।

महोदया, यह पहली बार नहीं हुआ है कि अप्राधिकृत कॉलोनियों के मालिकाना हक इसके निवासियों को दिए जा रहे हैं। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, डॉ. कलैगनार करुणानिधि ने राज्य झुग्गी-झोपड़ी बोर्ड का गठन किया और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को घर सौंप दिए।

अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए जो विधेयक है, वह गरीबों की मदद के लिए एक सही कदम है। हालांकि यह आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा था, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा विधेयक पुर:स्थापित किया गया है। लेकिन इसका श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। वैसे भी हमें सड़कों पर लोगों की मदद करनी होगी।

संपत्ति का अधिकार 1,731 अप्राधिकृत कॉलोनियों के लिए है। अभी भी ऐसी हज़ारों कॉलोनियां हैं। बची हुई कॉलोनियों पर भी विचार करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए।

संपत्ति का अधिकार, देने के साथ-साथ पानी, लाइट, सीवरेज सिस्टम जैसी मूलभूत सुविधाएं भी राज्य सरकार के परामर्श से इन कॉलोनियों को दी जानी चाहिए।

बहुत सारे प्रवासी श्रमिक दिल्ली में रोजगार की तलाश में आते हैं। उनके पास रहने के लिए उचित आवास नहीं है। वे सड़कों और रेलवे प्लेटफार्मों पर रहते हैं। सरकार को उन्हें उचित भूमि या आश्रय प्रदान करने की योजना पर विचार करना चाहिए।

केंद्र ने पूरे भारत में कई स्मार्ट शहरों की पहचान की है। इन स्मार्ट शहरों में उचित स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए। राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र को इन शहरों में सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि हमारी 30 प्रतिशत से अधिक आबादी अस्वच्छ वातावरण में झुग्गी बस्तियों में रहती है। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले, मसूदी जी ने जो बात कही, उसे मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि दिल्ली देश का दिल है। किसी शरीर के लिए, अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए जिस तरह से उसके दिल का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, उसी तरह से हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए भी एक स्वस्थ दिल्ली का होना बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ते भी हमने दिल्ली के वायु प्रदूषण के बारे में एक अच्छी और गम्भीर चर्चा की। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। गरीब लोग जो दिल्ली की अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, उन्हें बहुत सालों से जो समस्या हो रही थी, उसे ठीक करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी एक अच्छा बिल लेकर आए हैं, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ और उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूँ।

इसमें दो-तीन बातें हैं, जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वैसे तो बहुत सारी राजनीतिक बातें भी यहाँ हुईं, उन्हें हमें दिल्लीवालों के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक हैं। वही देखेंगे कि किसके साथ हैं, किसको पसंद करते हैं, किसने क्या किया, यह सब चुनाव में हमें पता चल जाएगा। हमारा मकसद यह है कि सिर्फ रेग्युलराइज नहीं करना है। यह केवल अप्राधिकृत कॉलोनियों को नियमित नहीं कर रहा है। हमें यह भी देखना है कि और किस तरह से जो उनकी सुविधायें हैं, उनकी जो बाधायें हैं, उन सबको कैसे ठीक करें।

दिल्ली एक ऐसा शहर है, जहां देश के कोने-कोने से लोग काम करने के लिए आते हैं। मेरा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम है। मुझे यह जानकर भी बहुत आश्चर्य हुआ कि श्रीकाकुलम के लाखों लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली ऐसी जगह है, जो सबको खींचकर लेकर आती है। एक नयी जिंदगी का सपना दिखा कर, एक नये रास्ते की खोज में बहुत से लोग यहां आते हैं, काम करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है कि उनका अपना एक मकान हो। मकान सिर्फ इसलिए नही कि कहीं धूप हो या बारिश हो, उसके अंदर रहने के लिए नहीं है, एक मकान होने से उनकी काफी सारी समस्याओं का समाधान उनको मिलता है। मकान होने से उनको लोन लेने का एक मौका मिलता है। मनोज तिवारी साहब

बोल रहे थे कि शादी भी इससे जुड़ा हुआ एक मामला है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो गरीब लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों से आते हैं, उनके लिए मकान एक बहुत जरूरी मामला है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ यहाँ पर हैं और जिस तरह से वे बनी हैं, तो हमें यह भी नजर में रखना पड़ेगा कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज अनप्लान्ड कॉलोनीज़ भी हैं। यहाँ पर बहुत सारी सुविधायें बाद में देने के लिए भी बहुत काम हमें करने पड़ेंगे। उन कॉलोनीज़ में स्मार्ट पाइपलाइन हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फायर सेफ्टी हो, ग्रीन कवर हो, ये सब इन कॉलोनीज़ तक पहुँचाने के लिए एक सख्त प्लान बनाने की भी बहुत जरूरत है। हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है, कुछ लोग कह रहे थे कि अभी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये बिल लाए हैं। ये कॉलोनीज़ तो अभी बंद नहीं होंगी। लोग दिल्ली आते रहेंगे और यह प्रॉब्लम कंटीन्यू होती रहेगी। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम न केवल दिल्ली में बल्कि देश भर के सभी शहरों में देख रहे हैं। जब यह शहरीकरण इतने उच्च स्तर पर हो रहा है, तो यह जारी रहेगा। अगले साल भी लोग दिल्ली में आएंगे, अगले साल भी इस तरह से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ बनेंगी, तो उनका हम क्या करेंगे? उसके लिए और पाँच साल के बाद जब चुनाव आएगा, तब एक और बिल लेकर आएंगे। ऐसा एक रजिस्टर बनाकर रिकोग्नाइज करेंगे या अभी से हम उनके लिए हाउसिंग का एक प्लान बनाकर सोचने का काम करेंगे। मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो आगे का समय है, उसमें हम यह ध्यान रखें कि कितने इमीग्रेंट्स यहाँ आते हैं, कितने लोग दूसरे राज्यों से काम की तलाश में आते हैं, कौन यहाँ से ट्रैवल करके, कम्यूट करके बाहर भी जा सकते हैं, इस तरह की प्लानिंग करके हाउसिंग की एक प्लानिंग दिल्ली में होनी चाहिए।

[अनुवाद]

इसके अलावा मुझे लगता है कि, यहाँ भी एक उचित विवाद निवारण प्रणाली होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिसे दूसरे माननीय सदस्य ने भी उल्लेख किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन्हें उन दस्तावेजों के आधार पर नियमित कर रहे हैं जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। ये सभी गैर-मान्यता प्राप्त दस्तावेज हैं जो शायद हाथ से लिखे गए हैं, कुछ लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, आदि। इसलिए, जब

तक हमारे पास कुछ उचित विवाद निवारण प्रणाली नहीं है, इससे बहुत सारे मुकदमे और मामले हो सकते हैं जहाँ यह वकीलों का स्वर्ग बन जाएगा। हमारे यह विधेयक लाने का पूरा कारण यह है कि इसका निपटान उचित निवारण प्रणाली के माध्यम से हो जाता है।

[हिन्दी]

मान लीजिए कि कोई रेंट पर रह रहा है। मकान किसी और के नाम पर है, जो भी डाक्यूमेंट हम देखते हैं, उसमें मकान किसी और नाम पर है और 30 साल से कोई और बंदा वहाँ पर रह रहा है, तो "हम इससे कैसे निपट सकते हैं?" अगर वहाँ पर कोई समस्या आती है, तो कौन देखेगा? हमने एक तरह से अधिकार आफिसर्स को दिए हैं, लेकिन यह भ्रष्टाचार की समस्या की ओर ले जा सकता है। यह केवल एक मुद्दा नहीं है। कई बार हमने देखा है कि जब हम अधिकारियों को ऐसी शक्तियां देते हैं, तो एक दरवाजा होता है जो भ्रष्टाचार के लिए भी खुलता है। इसलिए, हमें इसका ध्यान रखना होगा।

[अनुवाद]

एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ वह यह है कि, निवारण प्रणाली की समस्या के अलावा शहरी योजना के साथ एक समस्या है। इस शहरी योजना के भीतर कई विभाग हैं। कभी भी हमें एक्सेप्टेंस या अप्रूवल चाहिए होता है, तो इन सबके लिए एक साथ मिल कर काम करने का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। अन्यथा यह बहुत मुश्किल है। हम कई बार काम करते हैं और देखते हैं कि फायर सेफ्टी का कुछ काम रह गया है, प्लानिंग या सेटबैक्स, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक बॉडी हो, जहाँ से इन सब चीजों का अप्रूवल मिले। फिर आगे भी किसी तरह की प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा, मैं सरकार के वह प्रयासों की सराहना करना चाहूँगा जो वर्तमान में किए जा रहे हैं और मैं यह भी दर्ज करना चाहता हूँ कि राज्य सरकारें – वर्तमान और पिछली – ने भी अपना हिस्सा निभाया है। राजनीति की बातें कम करके हम सभी को मिल कर काम करना चाहिए, जो पीड़ा है, जो समस्या है, उसको किस तरह से हल करें, उस बारे में चर्चा करनी चाहिए। मैं इस पर बोलने वाले सभी अध्यक्षों की सराहना करता हूँ। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर दिया। इस बिल पर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और अभी पूरा देश देख रहा है। पिछले तीस-चालीस सालों से इन अप्राधिकृत बस्तियों को लेकर दिल्ली में हमेशा से आंदोलन होते रहे हैं। दिल्ली के अंतिम छोर पर बैठा गरीब आदमी जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से यहाँ आकर अपना जीवनयापन करता है, वह कहीं न कहीं बस गया, लेकिन आज भी उसको अधिकार नहीं मिला कि वह दिल्ली का वासी है।

प्रधान मंत्री जी की बहुत बड़ी सोच है। प्रधान मंत्री आवास योजना में गांव के अंदर लगभग एक करोड़ मकान स्वीकृत किए हुए, सताईस लाख बनाकर दे दिए और पचास लाख से ज्यादा मकान बन कर तैयार हैं, यह ग्रामीण लोगों के लिए गांव की योजना है। दिल्ली में हर बार चुनावी नारा लगता था। जब दिल्ली का चुनाव आता है, अप्राधिकृत रूप से सरकारी जमीन या दूसरी जमीन पर कॉलोनियां बस गई हैं, हम उनको हक देंगे। हमने लगातार कई सरकारों को देखा, पच्चीस-तीस सालों से देख रहे हैं लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि उन गरीबों को नियमन का अधिकार मिले, उनके बच्चों को सारे राइट्स मिले। वह अपने घर पर लोन ले सकें, अपना काम कर सकें और सरकारी योजना का फायदा ले सकें। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह जी को धन्यवाद दूँगा। ... (व्यवधान) तैयार होकर आ गए क्या।

माननीय सभापति : हनुमान जी, आप इधर एड्रेस कीजिए। भगवंत मान जी आप बैठ जाइए। आपस में बात मत नहीं कीजिए। मैं आपका पूरा ध्यान रखती हूँ।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, आपकी पार्टी तो दिल्ली के बाहर नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं, केवल दिल्ली तक ही सीमित है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: हनुमान जी, आप इधर देखकर बात कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, 'आप पार्टी' जैसी तो हमारी खुद की पार्टी है, हम खुद पार्टी लेकर घूम रहे हैं। ...(व्यवधान) मान साहब।

माननीय सभापति: हनुमान जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए, आप उधर ध्यान मत दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं ही आपको मिला, सुबह से इतने लोग बोल रहे थे। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा। दिल्ली में अंतिम छोर पर बैठे देश के गरीब, जवान और किसान की चिंता निश्चित रूप से है। विपक्ष वाले दो-तीन दिन से इसलिए ज़्यादा राजी हो रहे हैं कि दो-तीन उप-चुनाव जीत गए और महाराष्ट्र के अंदर हमारी शपथ होगी, महाराष्ट्र के अंदर पूरा का पूरा मिक्स वेज बना दिया है। क्या हो गया, कोई बहुत ज़्यादा थोड़े हो गया। इस पर ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2024 तक का पट्टा प्रधान मंत्री जी को देश की जनता ने देखा है। 2024 तक आप कितना भी कुछ कर लो, बॉयकाट कर लो या बाहर चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम आपको सुनते हैं और आप हमें सुनो। इसमें कितना आनंद आता है। इस विधेयक से दिल्ली की तमाम कॉलोनियां जिनके अंदर जो लोग रह रहे हैं, प्रधान मंत्री जी को चालीस लाख लोग दुआ देंगे। लोग हमेशा वोट के लिए घोषणा पत्र लेकर आते हैं, लेकिन अनाधिकृत बस्तियों को नियमित किसी ने नहीं किया। माननीय प्रधान मंत्री जो को गरीब लोगों की बहुत दुआएं लगेंगी।

इस बिल के माध्यम से अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वे मकानों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे, बैंक से लोन ले सकेंगे। इस सोच के साथ सरकार यह बिल

लेकर आई है। इस बिल के तहत संपत्तियों का पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क में रियायत मिलेगी। ऐसी कॉ नियों में विकास के लिए मौजूद अवसंरचना और जनसुविधाओं को भी बेहतर बनाने का फैसला लिया गया है।

आज हर आदमी शहर की ओर भाग रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण रोजगार की तलाश है। गांव खाली हो रहे हैं, यह चिंता का विषय है। हमारे गांव की आबादी में से काफी लोग शहरों में आकर बस गए हैं। वे दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में किसी नगर पालिका क्षेत्र या नगर परिषद् क्षेत्र में रोजगार की तलाश में आते हैं। यह सरकार बेरोजगारी के ठोस समाधान के लिए भी निश्चित रूप से काम करेगी। 70 साल के गड्ढे 10-15 साल में नहीं भरे जाएंगे।

इस निर्णय से 175 वर्ग किलोमीटर में फैली 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमन होगा। सरकार गरीब के हितों के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रही है ताकि देश के प्रत्येक शहर में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग मूल धारा से जुड़ें, उनका विकास हो, उन्हें हर अधिकार मिले, जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। इस सोच के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार यह बिल लेकर आई है। हम सबको इस बिल का समर्थन करना चाहिए। आज जब बिल दिल्ली में आ गया है तो देश के तमाम महानगरों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के क्षेत्रों में, जिनका नियमन नहीं हो रहा है, काम अटके पड़े हैं, उन सब व्यक्तियों के मन में एक आस और उम्मीद जग गई है कि हमें भी घर मिलेगा।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बार-बार धन्यवाद दूँगा। माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने बहुत अच्छी सोच जाहिर की है और इस बिल को बनाने में बहुत समय लगाया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय मंत्री जी और तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारे साथियों ने विरोध नहीं किया और कहीं न कहीं अपनी बात रखी।

इस बिल के पास होने से अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति को अच्छे स्कूल, अस्पताल, रहने की जगह और अच्छी आबोहवा की सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली के पर्यावरण को लेकर चिंता की गई, प्रदूषण को लेकर

चिंता की गई और अब अनाधिकृत बस्तियों को नियमित करने जा रहे हैं। यह बिल ऐतिहासिक है, आरएलपी पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है। धन्यवाद।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): माननीय सभापति जी, मैं आज बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार दिल्ली के लाखों गरीबों के सपने को पूरा करने जा रही है। मैं अपनी सरकार के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय मंत्री हरदीप पुरी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी, डीडीए के वी.सी., अन्य अधिकारीगण और सभी विपक्षी पार्टियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्यों**कि** जब खुशी का अवसर होता है तो कोई एक पक्ष नहीं देखा जाता है। देश में कितने लोग सीधा प्रसारण देख रहे हैं, पता नहीं, लेकिन कम से कम आधी दिल्ली देख रही है कि मेरे ऊपर जो अनाधिकृत का धब्बा लगा हुआ था, आज वह बिल पास होने जा रहा है।

इस बिल का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 है। यह पीएम उदय योजना के अंतर्गत अनऑथोराइज्ड कालोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना है। ऐसे लाखों लोग दिल्ली में इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में पैदा हुए और इन मकानों में ही मर गए। मगर उनको यह दिन कभी देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मेरा मकान भी आज पक्का हो गया है। पूरा भारत यहाँ पर रहता है। देश में ऐसी कोई भी पार्लियामेंट की कांस्टिट्यूएंसी नहीं होगी, जिसके हज़ारों लोग दिल्ली की अनॉथराइज्ड कॉलोनीज में न रहते हों। इसलिए यह केवल दिल्ली के सांसदों के लिए ही नहीं, बल्कि आज पूरे पार्लियामेंट के हर मेम्बर के लिए खुशी की बात है। आपकी कांस्टिट्यूएंसी के जितने लोग दिल्ली में नागरिक के रूप में रहते हैं, आज सभी को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बिना यह देखे कि वह हिन्दू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बिना यह देखे कि वह कौन-सी जाति से आया है। ...(व्यवधान) आज प्रधान मंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा सच करके दिखाया है। मैं दो लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ- "इतिहास ने ढाए हैं जो जख्म दिल्ली पर, उसको मिटाना है। बहुत देखे हैं हमने मुगल, तुगलक और अंग्रेज, अब इस दिल्ली को राम राज्य दिखाना है।" प्रधान मंत्री जी दिल्ली को राम राज्य दिखाएं, दिल्ली में हर आदमी के पास अपना मकान हो, अपनी छत हो।

मेरे से पहले यहाँ दयानिधि मारन जी, गोस्वामी जी, दानिश जी बोल रहे थे, मैं समझता हूँ कि अभी भी सांसदों को यह नहीं पता कि अप्राधिकृत कॉलोनी विषय क्या है? मैं आपको थोड़ा-सा उसकी बैकग्राउंड में ले जाता हूँ ताकि आपको विषय समझ में आए। एक सीधी बात है कि अगर आप 2014 में दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में एक साल के अंदर कॉलोनियों को पास कर देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, हमने विधान सभा चुनाव में कहा था कि हम कॉलोनियां पांस करेंगे। मगर, भारत सरकार ने लोक सभा के मैनिफेस्टो में यह कभी नहीं कहा, क्योंकि यह विषय भारत सरकार का कभी नहीं था, यह विषय दिल्ली सरकार का था, जिसके ऊपर दिल्ली की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की रही हो, हमेशा ये सरकारें राजनीति करती आई हैं। अप्राधिकृत कॉलोनी है क्या? वर्ष 1947 में दिल्ली में केवल 17 लाख की जनसंख्या थी। आज दिल्ली की ढाई करोड़ जनसंख्या है। जब लोगों ने यहाँ आना शुरू किया, डीडीए 1962 में कांस्टिट्यूट हुई, 1957 में एक्ट बना, मगर उसके बीच में लोग कहाँ जाते, वे अपना मकान कहाँ बनाते, दिल्ली में लोगों को मकान देने का हक डीडीए का था। उस समय डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों ने दिल्ली में कोई प्लानिंग नहीं की, दिल्ली के लोगों को कोई मकान नहीं दिया। देश के हर कोने-कोने से लोग आए, चाहे वह बिहार से आया हो, चाहे पार्टिशन के बाद, जिनको पाकिस्तान में जगह नहीं मिली, वह दिल्ली में आया हो। जम्मू-कश्मीर में वहाँ के पंडितों को वहाँ की सरकार ने जिंदा जलाकर उनको कश्मीर से निकाल दिया, उसने दिल्ली में आकर अपना घर बनाया, जब पंजाब में आतंकवाद की जड़ें फैल रही थीं, वहां के लोगों ने दिल्ली में आकर अपना घर बसाया। अगर डीडीए उनको घर नहीं देती तो वे अपना मकान कहाँ बनाते। बिहार के लोग जो अपनी बीबी का, अपनी मां का गहना बेचकर, वहाँ की अपनी जमीन बेचकर दिल्ली में अपना घर बनाते हैं, वे कहाँ से घर बनाते। यूपी, हरियाणा, राजस्थान से लोग आकर यहाँ मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, अपनी रेहड़ी लगाते हैं, मोची का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, वे यहाँ पर दिल्ली के विकास की रीढ़ की हड्डी बनकर आए हैं, आज अगर उनको यहाँ पर मकान दिया गया है तो इसके लिए मैं दिल्ली के 360 गांव के लोगों को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि दिल्ली में 360 गांवों के लोगों ने

सारी कॉलोनियों को मकान दिया, उन्होंने गरीब लोगों को मकान दिया। हजार-हजार रुपये गज में अपनी जमीन बेचकर उन्होंने वहां पर लोगों को मकान बनाने का स्थान दिया। मैं दिल्ली के उन गांवों को बधाई देना चाहता हूँ। मगर, सरकार ने क्या दिया? ये जो कॉलोनियां बनी हैं, ये पचास साल से बनी हुई हैं। ये कॉलोनियां पचास साल से दिल्ली में बसी हैं। ... (व्यवधान) जिस कॉलोनी में सड़क नहीं है, जिस कॉलोनी में पानी नहीं है, जिस कॉलोनी में सीवर की लाइन नहीं है, नाली नहीं है, आप सभी माननीय सदस्य सोचकर देखिए कि 60 लाख आदमी दिल्ली में बिना पानी, सीवर, नाली, सड़क के कैसे रहते होंगे? वहाँ कोई सड़क नहीं है, वे लोग कैसे रहते होंगे। आज वे सारे काम हो रहे हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री भगवंत मान, बैठ जाइए।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: नहीं, आप बीच में नहीं बोल सकते। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : मुझसे पहले बहुत से सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार को अलग से फण्ड देना चाहिए, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि उन अप्राधिकृत कॉलोनीज में सांसद का एक भी रुपया नहीं लग सकता, एमसीडी का एक रुपया नहीं लग सकता, भारत सरकार अपना एक रुपया नहीं लगा सकती। उन कॉलोनीज में मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर कोई पैसा लगा सकता है तो वह दिल्ली की सरकार लगा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे, मैं बहुत हैरान होता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने 15 साल राज किया और उन्हीं 15 सालों में भारत सरकार में कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी ने राज किया। दोनों सरकारें एक ही पार्टी की थीं। भारतीय जनता पार्टी को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि भारत में भी हमारी सरकार हो और दिल्ली में भी हमारी सरकार हो। कांग्रेस ने दस साल दिल्ली में भी राज किया और भारत में भी राज किया, मगर आज वे हमसे यह कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो आप कॉलोनीज को पास कर रहे हैं। आपके समय में भी तीन-चार चुनाव आए, दिल्ली में आप भी थे, भारत में आप भी थे, तो आपने कॉलोनी क्यों नहीं पास की? यह हमारा सौभाग्य है, यह काम मेरे मोदी ने कर दिखाया। ... (व्यवधान) बड़े-बड़े मुद्दे जिनको सालों से कोई भारत सरकार नहीं सुलझा पाई, उसे मेरे प्रधान मंत्री जी ने सुलझाए हैं और चुटकी में सुलझाए हैं। अनुच्छेद 370 खत्म किया, कोई दंगा नहीं हुआ। श्री राम मंदिर बन रहा है, मेरे प्रधान मंत्री जी के कार्यकाल में बन रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। अनुच्छेद 35ए हटा, कहीं कुछ नहीं हुआ, ट्रिपल तलाक हटा। ऐसे 200 से 300 साल पुराने मुद्दे थे। मैं समझता हूँ कि अनथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में अगर यहाँ पर बैठा हुआ एक भी सांसद इसका विरोध करेगा तो उसे शर्म आनी चाहिए।

उसे 100 फीसदी बोलना चाहिए कि मैं इसका समर्थन करता हूँ। क्यों कोई इसका विरोध करे? ...(व्यवधान) मुझे खुशी है कि यह दिल्ली का ऐसा आखिरी चुनाव होगा। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) मुझे खुशी है कि यह दिल्ली का आखिरी चुनाव होगा, जिसमें अप्राधिकृत कॉलोनीज का मुद्दा इसके बाद शेष नहीं रहेगा। ...(व्यवधान) हमने एक ही कार्यकाल में ऐसे काम कर दिए कि आप एक-एक काम के ऊपर बीस-बीस साल सरकार बना सकते थे। मेरे मोदी ने एक ही कार्यकाल में ऐसे काम कर दिए, मेरी सरकार ने ऐसे काम कर दिए। ...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): मैडम, क्या मोदी जी मेरे नहीं हैं? ...(व्यवधान)

<u>अपराह्न 05.00 बजे</u>

माननीय सभापति : मान साहब, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। मोदी जी आपके भी हैं, बिल्कुल हैं। आप अपने भाषण में कहिएगा। वह आपके भी प्रधान मंत्री हैं। आप अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मान साहब, आप बैठिए। प्लीज आप बैठिए। वह आपके भी प्रधान मंत्री हैं। आप अपने भाषण में कहिएगा। आप भी क्रेडिट लीजिएगा। उनके काम का क्रेडिट आप भी लीजिएगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : मोदी जी देश के 150 करोड़ लोगों के प्रधान मंत्री हैं, किसी एक के प्रधान मंत्री नहीं हैं।

माननीय सभापति : बिल्कुल ठीक है, आगे बोलिए। अब आप अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : मैडम, जब लोगों ने आकर मकान बनाया। ...(व्यवधान) मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इसमें दो कैटेगरीज बनाई गई हैं - प्राइवेट लैण्ड और गवर्नमेंट लैण्ड। अब यह गवर्नमेंट लैण्ड कैसे हुई? आप यह सोच रहे होंगे कि क्या सरकार ने गवर्नमेंट लैण्ड के ऊपर लोगों को मकान दे दिया फ्री में? क्या सरकारी जमीन के ऊपर जो मकान बने हैं, वे भी दे दिए? यह सरकार की जमीन नहीं थी। अंग्रेजों

ने जो कानून बनाया था, उसमें सेक्शन 33 और सेक्शन 81 थे। जब हमारा किसान बाहर से आए लोगों को मकान देता था, वहाँ पर प्लॉट काटता था, तो सरकार अंग्रेजों के बनाए कानून की सेक्शन 81 लगाकर उस जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर देती थी। इस तरह से वह सरकारी जमीन बनती थी, सरकार उसका मुआवज़ा भी नहीं देती थी। वह जमीन आज भी प्राइवेट लैण्ड है। जो दो कैटेगरीज बनाई गईं- प्राइवेट लैण्ड और सरकारी लैण्ड, वह सरकारी लैण्ड नहीं है, वह ओरिजिनली किसान की जमीन है, जिसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसलिए जो 100 मीटर का प्लॉट है, अगर वह प्राइवेट लैण्ड के ऊपर है ...(व्यवधान) सब कह रहे हैं कि फ्री कर दो, फ्री कर दो। क्या दिल्ली के लोगों को स्वाभिमानी नहीं बनाना है? क्या बिजली-पानी के ... *[18*]** वायदे करके हम सबको भिखारी बनाना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि अगर उस 100 मीटर के प्लॉट का मेरी सरकार 2900 रुपये ले रही है, …(व्यवधान) मेरी सरकार अगर 2900 रुपये ले रही है तो वह गरीब जनता को स्वाभिमानी बना रही है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : भगवंत मान जी, आप बैठिए। जब आपकी बारी आए, तब बोलिएगा। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : कुछ लोगों का स्वाभिमान नहीं होता, मगर मेरी सरकार दिल्ली के गरीब लोगों को स्वाभिमानी कर रही है, ताकि एक बाप अपने बेटे को बोले कि मैंने यह प्लॉट मुफ्त में नहीं लिया, मैंने इसके लिए 2900 रुपये जमा कराए हैं, ताकि वह बेटा जीवन भर मेहनत की रोटी खाए और अपने खरीदे हुए मकान में अपने स्वाभिमान के साथ जिए। यह काम मेरे प्रधान मंत्री जी ने करके दिखाया है। ... (व्यवधान) जैसे मेरे पहले कॅलीग्स ने बोला, मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि आज केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्य मंत्री सभी को कह रहे हैं कि जल्दी से रजिस्ट्री शुरू करो। वह यह दिखाना चाहते हैं कि इसमें मेरा भी साथ है, योगदान है। एक भी योगदान नहीं है, आज अगर लोगों को रजिस्ट्री कोई देगा तो वह डीडीए देगा, भारत सरकार देगी। ... (व्यवधान)

[18*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री भगवंत मान (संगरूर): डीडीए किसकी है? ...(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : आपको कुछ पता ही नहीं है, बस बोलते जाते हो। डीडीए भारत सरकार की है। आप बैठ जाओ। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : भगवंत मान जी, आप बैठ जाइए, यह आपको आखिरी वार्निंग है। यहाँ से आपको वार्निंग दी जा रही है। अब आप उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। जब आपकी टर्न आएगी, तब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : मैं यह कहना चाहता हूँ कि 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज किया, मगर उन 15 वर्षों में और पिछले पाँचवर्षों में दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नया हॉस्पिटल नहीं बना। आप सभी को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 20 सालों में कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नया हॉस्पिटल नहीं बना। अगर दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनी तो 1993 से 1998 तक जो हमारी सरकार थी, उसमें यूनिवर्सिटी बनी थी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 1996 में एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में पीआईएल डाली कि सारी अनथराइज्ड कॉलोनीज बन रही हैं, इनको तोड़ दिया जाए। उस समय, 1996 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि क्यों न सारी अप्राधिकृत कॉलोनीज को तोड़ दिया जाए। दिल्ली में हमारी सरकार थी। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्य मंत्री थे, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्य मंत्री अपनी दिल्ली की जनता का वकील बनकर हाई कोर्ट में गया और वहाँ उन्होंने खुद बहस की। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनीज को मत तोड़िए, मैं आपको सारा रोडमैप बनाकर दूँगा। अगर दिल्ली में वे 25 लाख मकान दिल्ली अप्राधिकृत कॉलोनीज में आज भी खड़े हैं तो वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से खड़े हैं।

हमारी दिल्ली में 15 साल तक सरकार नहीं थी। आज जो दिल्ली में सरकार चल रही है, उसने 15 साल पहले वाली ... *अपनी सरकार बनाई। जब उनकी 28 सीट आईं और हमारी 32 सीट आईं, जैसे आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में होने के बाद भी हम विपक्ष में स्वाभिमान के साथ बैठे हैं, वैसे ही दिल्ली में भी विपक्ष में बैठे और 28 सीट जीतने वाली पार्टी ने जिस 15 साल की सरकार को ... * बोलकर 28 सीटें जीतीं, उसके साथ हाथ मिलाकर अपनी सरकार दिल्ली में बनाई। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ-

"जिसे ... [19*] कहकर खूब चिल्लाया

सत्ता में आने के लिए उन्हीं से हाथ मिलाया

हो सकता था जिन पैसों से दिल्ली का विकास

वह पैसा विज्ञापनों पर लुटाया

जिनको जिंदगी बदल देने का दिलासा दिया

पाँच साल में बस उन्हें जहरीली हवा और जहरीला पानी पिलाया।"

आपने यह काम किया। ...(व्यवधान) मैं आपको और सदन को तथ्यों के साथ बता रहा हूँ कि आज यदि आईपी यूनीवर्सिटी बनी, तो मेरी सरकार ने बनाई थी।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : आप 'मेरी सरकार' क्यों कह रहे हैं?

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : आप क्यों मेरे से पंगा ले रहे हो? मैं जाट हूँ, क्या आपको पता है?...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मिस्टर वर्मा, आप चेयर को देखकर अपनी बात कीजिए।

...(व्यवधान)

[19*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : अगर दिल्ली में यूनीवर्सिटी बनी थी, तो मेरी भाजपा सरकार ने बनाई। अगर दिल्ली में कॉलेज बना, तो मेरी भाजपा सरकार ने बनाया। अगर दिल्ली में कॉलोनियों को टूटने से बचाया, तो मेरी सरकार ने बचाया। आज 20 सालों से दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : भगवंत मान जी, आप बीच में न बोलें।

...(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : मेट्रो बोर्ड 1996 में बना था और मेट्रो कार्पोरेशन एक्ट 1997 में बना था, जब दिल्ली में मेरी सरकार थी।

<u>अपराह्न 05.07 बजे</u>

(**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष जी, जब मेट्रो का उद्घाटन हुआ, तब वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे। जितना दिल्ली में काम हुआ, वह मेरी सरकार ने, मेरे प्रधान मंत्री ने, मेरी भाजपा सरकार ने करके दिखाया। मेरी सरकार ने देश में आयुष्मान योजना दी, लेकिन वह दिल्ली में लागू नहीं हुई। मेरी सरकार किसानों को एमएसपी योजना देती है, लेकिन दिल्ली के किसानों को वह योजना नहीं मिलती। मेरी सरकार, मोदी सरकार जब दिल्ली की अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों को पास करती है, तो यहाँ बैठे कुछ लोगों को दर्द हो रहा है कि यह काम मोदी जी ने कैसे कर दिया? आप सभी को इस बात का समर्थन करना चाहिए कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को आथोराइज का दर्जा नहीं दे पाई, मगर दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्यों का वोटर कार्ड बनाकर दिल्ली सरकार ने उन्हें आथोराइज्ड का दर्जा दे दिया, लेकिन जो दिल्ली के बाशिंदे थे, वे आज भी अनआथोराइज्ड हैं। ऐसा दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया। मेरे प्रधान मंत्री जी ने...(व्यवधान) भगवंत मान जी के जो प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने देश के हजारों-करोड़ों लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना में मकान दिया है, वैसे ही आज दिल्ली के करीब 60 लाख लोग सदन को बधाई दे रहे होंगे कि सदन आज यह बिल

पास कर रहा है और जब बिल राज्य सभा में पास हो जाएगा, तब मैं मिठाई लेकर आऊंगा और आप सभी को खिलाऊंगा कि आपने भारी बहुमत से इस बिल को पास किया। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान जी। माननीय सदस्य, पहले आप सीट पर जाएं। आपने बहुत टोका-टाकी की है।

श्री भगवंत मान: अध्यक्ष जी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बात-बात पर 'मेरा प्रधान मंत्री'। क्या प्रधान मंत्री जी हमारे नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप भाषण शुरू कीजिए।

श्री भगवंत मान: महोदय, अप्राधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के इस बिल का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बिल के सपोर्ट में हूँ। मैं उसके सपोर्ट में हूँ। हालांकि मेरी ...(व्यवधान) हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। लेकिन 7500 करोड़ रु. वहां पर खर्च कर दिया लेकिन यहां पिछले 70 साल से पानी ही नहीं पहुँचा था। जहाँ पर टैंकर माफिया था, ...(व्यवधान) तब तो कांग्रेस और इनकी, दोनों की थी। हमारी पार्टी की सरकार पिछले कुछ सालों से आई है। अब दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐसी कर दी कि एक जज का बेटा, एक डी.सी. का बेटा और एक रिक्शेवाले का बेटा एक बैंच पर बैठकर तीनों पढ़ते हैं। ...(व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): 5 साल ड्रॉप-आउट हो गये थे। ...(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: एक भी नया स्कूल दिल्ली में नहीं बना है।

श्री भगवंत मान: इसका मतलब इनको जानकारी ही नहीं है। ...(व्यवधान) अरविंद केजरीवाल ने वह काम कर दिया जिसका इनको पता ही नहीं है। हाँ, इनको दुख बहुत है क्योंकि ये दिल्ली नहीं जीत पाएंगे। अगली

बार भी हम दिल्ली जीत रहे हैं। देखिए, ये मेरी-मेरी कर रहे हैं। दिल्ली इनकी नहीं है। ...(व्यवधान) दिल्ली अब इनकी नहीं है। राजधानी में इनके 3 एमएलए हैं। ...(व्यवधान) [20*]

सर, राजधानी में इनके 3 एमएलए हैं। एमसीडी किसकी है? डीडीए किसका है? वह सब आपका है। आप रविदास जी का मंदिर तोड़ देते हैं। अरविंद केजरीवाल का कुसूर क्या है? ...(व्यवधान) राजधानी में इनके 3 एमएलए हैं। कांग्रेस का तो कोई भी नहीं है। ...(व्यवधान) बिधूड़ी साहब, आराम से बैठिए।

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य, माननीय सदस्य को बोलने दें और माननीय सदस्य से आग्रह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय क्या आप पोलिटिकल भाषा बोल सकते हैं? नहीं। तो आप इस विधेयक पर बोलिए।

श्री भगवंत मान: माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने 20000 लीटर पानी फ्री कर दिया। 16 लाख घरों का ज़ीरो बिल आया, तो किसने किया? ना जी, अरविंद, अरविंद। मतलब पूरी दिल्ली को इन्होंने देश समझ लिया। जो आता है, दिल्ली, दिल्ली। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, हम तो फिर जीत जाएंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या बिल में जीतने-हारने का लिखा है?

श्री भगवंत मान : सर, जीत जाएंगे। लेकिन इनको चुप करवाइए। इनसे दिल्ली चली गयी। इसलिए बस। दिल्ली में तीन सरकारें हैं। एमसीडी, डीडीए और अरविंद केजरीवाल।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए। सीनियर माननीय सदस्य आपको ज्ञान देना चाहते हैं।

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक पर हम बहस कर रहे हैं। दिल्ली सरकार

[20*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के कार्यकलाप पर बहस नहीं कर रहे हैं। अगर दिल्ली के कार्यकलाप पर बहस करनी हो तो उसके लिए अलग से समय तय कर दीजिए। डिबेट हो जाए।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ लेकिन पिछले तीन घंटे से यही हो रहा था, जो अब ये कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : हो रहा होगा। मेरी मौजूदगी में विधेयक के अलावा कोई शब्द बोला तो मैं अगले माननीय सदस्य को बुला दूँगा। आप बिल पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: अब मुझे मौका मिला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी शांत रहिए, इनको बिल पर बोलने दीजिए।

श्री भगवंत मान : मान्यवर, मैं बहुत बड़ा सैटरिस्ट हूँ, मतलब मैं अपनी इज्जत बहुत करता हूँ। मैं अपने-आप को मान साहब कह कर बुलाता हूँ। दान की शुरुआत घर से होती है। अगर मैं मान साहब नहीं कहूँगा तो मुझे कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा। ...(व्यवधान) मुझे यह बता दीजिए कि ये लोग अरविन्द केजरीवाल को गालियां क्यों दे रहे हैं? दिल्ली की कैबिनेट ने अप्राधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का बिल नवम्बर, 2015 में पास कर दिया था, तो अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया? यह अब आ गया, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्यादा ज़ोर से मत बोलो, नहीं तो धारा-3 पीडीपी लग जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: सर, मेरा गला बहुत कमाल है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, इसको ज़ोर- ज़ोर से दबा रहे हो, अगर यह कहीं टूट गई तो आप पर धारा-3 पीडीपी लग जाएगी।

... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान : मान्यवर, मैं यह पूछ रहा हूँ कि यह बिल अब क्यों आया, क्यों**कि** चुनाव है। राहत इंदौरी का एक शेर है, मैं वह कह कर बैठ जाऊंगा।

सरहद पर तनाव है क्या,

पता करो,

चुनाव है क्या?

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है।

प्रजा सुखे सुखम् राजा, प्रजानां च हिते हितम्,

नात्म प्रियम **प्रि**यम राजा, प्रजानाम तु प्रियम प्रियम।

यानी, प्रजा के सुख में सरकार का सुख है और प्रजा के हित में सरकार का हित है। प्रजा को जो प्रिय है, वही सरकार को प्रिय है। यह बिल सही मायने में जनता को प्रिय है, वही काम सरकार कर रही है।

अध्यक्ष जी, 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', इस सिद्धांत को लेकर हमारी सरकार और खास तौर पर मान साहब के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी काम कर रहे हैं और उसी काम के आधार पर जनता के हक की लड़ाई हम सभी लोगों ने लड़ी और इतने वर्षों के बाद वह हक की लड़ाई आज पूरी हुई। जब कच्ची कॉलोनी की बात आती है, तो मुझे वे सब बैंक के खाते भी याद आते हैं, जो कि 'जन-धन' के माध्यम से इन कॉलोनीज में खुले। मुझे वे गैस कनेक्शंस भी याद आते हैं, जो बहनों को दिए गए। मुझे वे तमाम वादे याद आते हैं, जो प्रधान मंत्री **रि**लीफ फंड के माध्यम से हम ने यहाँ के लोगों को राहत पहुंचाई, लेकिन हम लोग मकान का अधिकार नहीं दे पाए। जब मकान के अधिकार को लेकर बात आती है, तो मुझे यह भी याद आता है कि इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, जहाँ जनता का बहुत बड़ा समूह रहता है, बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, वे कौन लोग हैं और अनऑथराइज्ड कैसे हुई? गांव, देहात, ओवर टाइम काम करने वाले लोग,

स्लम्स, झुग्गी-झोपड़ी और अनऑथराइज्ड कॉलोनी, आज दिल्ली की यह स्थिति है। मैं बहुत गर्व से अपने इतिहास को याद करती हूँ। मेरे पिताजी का जो परिवार है, हमारा परिवार मिणकुंभरी से आता है, जो हड़प्पा का क्षेत्र है। मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को बनाने वाले लोग हैं, लेकिन वह परिवार एक माइग्रेट के रूप में दिल्ली भी आया और जब दिल्ली में एक रिफ्यूजी की तरह रहा, तो कहते हुए शर्म आती कि दिल्ली की क्या स्थिति है, जो कि टोटली अनऑथराइज्ड हुआ और अनऑथराइज्ड क्यों हुआ, यह 70 साल की ... [21*]की निशानी है। जिस प्लान्ड सिटी की कामना आज हर भारतवासी करता है, उसकी प्लानिंग पर ढेले भर का काम नहीं हुआ और अनऑथराइज्ड को हम अनऑथराइज्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि वे सभी कॉलोनीज, जिनको हम कच्ची कॉलोनीज कहते हैं, वे जोनल प्लानिंग के बाहर थीं। वे जोनल प्लानिंग के बाहर इसलिए थीं कि दिल्ली को एक मास्टर प्लान दिया गया। उस मास्टर प्लान में यह बनाया गया कि यह गांव का इलाका है, यह शहर का इलाका है, यह ऐसा इलाका है, यह वैसा इलाका है और जोन माफ कर दिए गए, लेकिन जोन माफ करने के बाद भी जो किसानों की जमीन थी, उसको हथिया गया। मैं शब्द 'हथिया गया' इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब आप एक्वायर करते हैं तो एक्विजिशन प्रोसिडिंग्स होती हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, उनको याद होगा कि एक्विजिशन प्रोसिडिंग्स में क्या-क्या अन्याय इस शहर की जनता के साथ किया। क्योंकि यह शहर गाँवों का एक समूह था। उन सबकी जमीनों को एक-दो रुपये प्रति एकड़ पर ले लिया गया और 70 साल के बाद आज भी चार-पाँच सौ मुकदमे एक्विजीशन के अटके हुए हैं। एक्विजीशन के बावजूद, कुछ भी प्लांड तरीके से नहीं किया गया, बल्कि कई प्राइवेट कॉलोनीज, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत-से प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को एक परदे के रूप में इस्तेमाल किया गया और आज भी उन सरकारी जमीनों पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा करके कॉलोनाइज करके बेचा है। जिसने कॉलोनाइज करके बेचा, उसको अधिकृत किया गया। जो जमीनें एक या दो रुपये एकड़ थीं, उनको कई सौ रुपये एकड़ पर बेचा गया। इसी कारण ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्सटेंशन, डिफेन्स कॉलोनी आदि बने हैं। ये सब पाप का इलाज है। इन सबके बावजूद, कुछ गाँव वालों ने और कुछ

[21*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कॉलोनाइजर्स ने सोचा कि ये जमीनें पड़ी हैं, इससे पहले कि सरकार इनको एक या दो रुपये एकड़ पर एक्वायर करे, हम खुद कॉलोनी काटकर बेच देते हैं। उस तरह से जोनल प्लानिंग के बाहर ये कॉलोनीज बनी हैं। मान लीजिए कि सब-डिवाइडेड एग्रीकल्चरल लैंड का ढाई एकड़ का प्लॉट होना चाहिए, ढाई एकड़ का प्लॉट नहीं है और उसके अंदर आपने पाँच या दस लोगों को बेच दिया। इसी तरह से ये अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज बनीं।

पार्टिशन के बाद पूरे देश भर के अन्य स्थानों से रोटी-रोजगार, पढ़ाई-लिखाई की जरूरत के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए, एम्स में इलाज करवाने आदि के कारण दिल्ली बसी। सही मायने में जब यह कहा गया कि दिल्ली देश का दिल है, चूँकि यह देश की राजधानी है, इसलिए हर वर्ग, हर राज्य, हर स्थान, हर कस्बे से लोग यहाँ आते हैं। जब दिल्ली में सभी लोग आते हैं, तो दिल्ली सबकी साझी विरासत है। इस साझी विरासत की हम लोगों ने यह हालत कर रखी थी, जिसमें न पीने का पानी, न सड़कें, न टॉयलेट्स, न सीवर थे। ये सब अन-ऑथराइज्ड तरीके से इतने वर्षों तक बनने दिया गया। इतिहास में जाएँ, मेरे मित्र श्री बिधूड़ी जी ने वर्ष 2007 और 2008 की बात बताई। लेकिन मैं उससे भी कुछ साल पहले जाना चाहती हूँ। वर्ष 1970 में यह सिलसिला शुरू हुआ। 1970 के बाद 1996 आया, 1996 से 1998 आया, मामला कोर्ट में गया, गाइडलाइंस माँगी गईं, मगर किसी ने इस पर काम नहीं किया। इस पर क्यों काम नहीं किया, मुझे लगता है कि जो 1071 कॉलोनीज थीं, वे बढ़कर 1700 से ऊपर हो गईं। उसका सिर्फ एक कारण यह था कि इसका राजनैतिक फायदा उठाया जाए। प्लानिंग का काम मेहनत का काम होता है। प्रधान मंत्री आवास योजना में बाकायदा मकान बनाकर देनी पड़ती है और कुछ काम न करना पड़े या अन-ऑथोराइज्ड चलती रहें, चुनाव के वक्त केवल लालच देकर चुनाव जीतते रहें, लेकिन काम न किया जाए। राजनैतिक मंसूबों से जो लोग दिल्ली को चला रहे थे, इसी कारण से ऑथोराइज करने के लिए कोई काम नहीं किया गया।

अगर आप इसके इतिहास में और गहराई में जाएंगे, तो पता चलेगा कि ऑथोराइज कॉलोनीज में जो जमीनों की कीमतें थीं, उस कीमत के 10 प्रतिशत से कम कीमत पर यहाँ पर जमीनें उपलब्ध थीं। लोग सस्ती जमीनों की वजह से यहाँ आकर बसते थे और अन-हाइजिनिक कंडिशंस में रहते थे।

वर्ष 2007, 2008, 2012 और कॉमन कॉज का एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया, जहाँ पर पूछा गया कि आप अन-ऑथराइज्ड को कैसे ऑथराइज्ड करेंगे, क्या गाइडलाइंस बनाएंगे, तो कोई भी गाइडलाइंस नहीं बनाई गईं। इसकी मुख्य तीन दिक्कतें हैं। पहली बात तो यह है कि कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता है। पूरा शहर अन-प्लांड सिटी है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सीवर, पानी, बिजली आदि की दिक्कतें रहीं।

इसमें एक रिपोर्ट है- काउंटर मैग्नेट एरियाज टू दिल्ली एंड एनसीआर, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक 497 घरों के अन-ऑथराइज्ड सेटलमेंट का ब्यौरा दिया गया। कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु आदि यहाँ पर लिखा गया। यह पाया गया कि 92.3 प्रतिशत लोग यानी 90 प्रतिशत से अधिक लोग 1990 के पहले से यहाँ पर बसे हुए हैं। यानी 1990 के पहले का मतलब यह है कि तकरीबन 30 साल से पुरानी इन कॉलोनीज के अंदर रिहाइश हैं। इन कॉलोनीज में अधिकतर लोग एससी कम्युनिटी के हैं, बैकवर्ड क्लासेज के हैं, कम पढ़े-लिखे हैं, जहाँ पर डिस्टर्बिंग लेवल्स ऑफ एजुकेशन है। 45.9 प्रतिशत लोगों की हायर सेंकेडरी की पढ़ाई से कम की पढ़ाई है। मेजॉरिटी में लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ वेंटिलेशन का प्रावधान नहीं है, हवा का प्रावधान नहीं है, कमरे छोटे-छोटे हैं और पूरे परिवार के रख-रखाव का वहाँ कोई प्रावधान नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ रहते हैं।

अगर इनकम की बात आए तो उनकी कितनी कमाई है? दो हज़ार रुपये से आठ हज़ार रुपये तक। 13.9 प्रतिशत लोग हैं, जो आठ हज़ार रुपये तक कमाते हैं। अन्य सब लोगों की इससे कम कमाई है। तकरीबन 70 प्रतिशत बच्चे यहाँ काम करते हैं, क्योंकि उन परिवारों के पास बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 67 प्रतिशत लोग अपने परिवार और रिशतेदारों के साथ माइग्रेंट पॉप्युलेशन का हिस्सा हैं। 99 प्रतिशत लोगों को पैसा बॉरो नहीं करना पड़ा। 500 रुपये की बात हो रही थी, दानिश जी

कुछ कह रहे थे। उनको शायद 500 रुपये नहीं लाने पड़े, शायद आपको केजरीवाल जी को समझाना पड़ेगा कि लोग बिना पैसा उधार लिए दिल्ली आए हैं। ...(व्यवधान) 42.3 प्रतिशत लोग काम के लिए आए हैं। ...(व्यवधान) जब इस पूरी सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक रूप से पूरे समाज का और पूरे हिन्दुस्तान का जो डिसएड्वांटेज सेक्शन है, वह दिल्ली आकर बसता है। वह आर्थिक और सामाजिक कारणों से अपना घर-बार, गांव छोड़कर दिल्ली आकर बसता है। उसका मकसद सिर्फ एक है - आर्थिक रूप से, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उसको वह सब प्राप्त हो। यानी, एस्पिरेशनल क्लास, जिसकी हम लगातार बात करते हैं, वह एस्पिरेशनल क्लास दिल्ली में आकर बसती है।

सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कई बार जहाँ उनकी अपनी जगह है, वहाँ उनको न आर्थिक सुरक्षा है, न सामाजिक सुरक्षा है। इस कारण दिल्ली में आकर लोग जाति, धर्म, इस सब भेदभाव से हटकर, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यह न इसका है, न उसका है, वह सबका है। इसलिए, सबका होने के कारण, वह सबको सुरक्षा का माहौल प्रदान करता है। सबसे दु:ख की बात है कि जो दिल्ली सब लोगों को इतना सब कुछ देता है, पूरे भारतवर्ष को देता है तो दिल्ली की चिंता करने वाले लोग दिल्ली की चिंता न करें, ऐसे कैसे चलेगा? वही उदाहरण, इन अप्राधिकृत कॉलोनीज का जो यह बिल है, वह बताता है कि जिन लोगों को दिल्ली की चिंता करनी थी, उन्होंने दिल्ली की चिंता नहीं की। एक और व्यक्ति जब गुजरात से उठकर दिल्ली आया, उसे भी अगर एक माइग्रेंट के रूप में देखा जाए तो उसने आकर दिल्ली की चिंता की और इस बिल को लेकर आया। वर्ष 1970 से आज तक यह बिल नहीं आया था। सबसे अच्छी जो चीज है, जो मैं भारत के बारे में बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। हमने बहुत सारी दिक्कतें झेलीं, बहुत सारी दिक्कतें देखीं, लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और इस सरकार ने उन उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। यह इन अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज, कच्ची कॉलोनीज को पक्का करने का समाधान ढूंढने का प्रयास है।

दिल्ली सबको अपनेपन का एहसास देती है और सुरक्षा का माहौल प्रदान करती है, लेकिन एक व्यक्ति, जिसको चौबीस घंटे अपने मकान की ही चिंता रहे, उसको लगे कि कल बुल्डोजर चल जाएगा, परसों

बुल्डोजर चल जाएगा। उस बुल्डोजर के चलने से कोई मॉनिटरिंग कमेटी बैठ जाएगी, कब ताला लगा देगी, कब मकान गिरा देगी। वर्ष 2008 की मॉनिटरिंग कमेटी आज तक चल रही है। पता नहीं कितने जज बदल गए, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी वहीं की वहीं है। इस सबसे असुरक्षा का माहौल उन 40 लाख लोगों के मन में बैठता है। आप सोच सकते हैं कि जो सुरक्षा की चिंता करते हुए उम्मीद के साथ दिल्ली आकर बैठा है, उसको दिल्ली ये सब न देकर असुरक्षा प्रदान कर रही है। उसकी बहू, बेटी, बच्चे - सब असुरक्षित माहौल में पल-बढ़ रहे हैं।

जमीन के अधिकार की बात की गई। प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि इस बिल के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कन्सिडर नहीं किया है। मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रहते हुए, वे वकील हैं, उनको भी पता है कि जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं हो सकता तो लोग जमीन का ट्रांसफर कैसे करते हैं। विल बन जाती है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है, अधिकार दे दिए जाते हैं, रिसीट दे दी जाती है। इस वजह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के उल्लंघन में तो यह बनी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के उल्लंघन में यह कार्य हुआ, इसलिए यह अनऑथराइज़्ड कहलाया। उसी को ऑथराइज्ड करने के लिए यह बिल आया है। जमीन का अधिकार देने के लिए, विकास कार्य करने के लिए, जिसमें सरकार और प्राइवेट लोग व मेरे अन्य मित्रों और सभी ने बताया कि एमपी लैड का पैसा आप नहीं लगा सकते। सरकार द्वारा अन्य प्रावधान करके यह पैसा यहाँ पर लगा दिया जाए, इसलिए यह बिल लाया गया है। मैं अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए अन्ना ज़ीम्मर को क्वोट करना चाहती हूँ। "उनके लेख में, उन्होने कहा, “अर्ध-दृश्य को इंगित करना”। नई दिल्ली की भी अगर बात करे, तो लोग सोचते हैं कि नई दिल्ली में पता नहीं कैसे लोग रहते हैं? शायद लुटयन दिल्ली जैसे लोग रहते हैं। सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग, जो आधे दिखाई देते हैं, जो इस शहर को चलाते हैं, वे लोग इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बसते हैं। इसलिए आंतरिकता और अनुमानीकरण को अधिकृत करना, मौजूदा नगरीय सेवाओं की प्रावधानिकरण, निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल होना और शहर के प्रति एक और सम्बहुली हक सभी को नगरीय नागरिकता से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारों के रूप में समझे जाते हैं। अनौपचारिक बस्तियों के निवासियों से इन अधिकारों को रोकना

इसलिए शहरी समितियों में नागरिकता के समावेश के बारे में एक मजबूत सवाल उठाता है। इस कारण कि 'सबका साथ, सबका साथ' का जो वायदा है, वह पूरा करने के लिए यह काम किया गया है।

महोदय, अनुभाग 2(अ) की बात की गई। उसमें जिन रेजिडेंट्स को क्वालीफाई किया गया है, वह सोशियो लीगल और पॉलीटिकल पोजीशन से किया गया है, उन कॉलोनियों के निवासी के रूप में। सेक्शन 3(1) से जमीन की सम्पत्ति के अधिकार को रेगुलराइज करने के लिए इन ट्रांजैक्शन्स को लिया गया है। सेक्शन 3(2) फिक्स चार्जेस का प्रोविजन किया है। आपने जो चार एक्ट्स बताए कि इन चारों के उल्लंघन में यह प्रावधान है तो वह उल्लंघन में नहीं होते हुए, उनको सामने रखते हुए सरकार ने अपनी रजिस्ट्री और इन सब अमाउंट्स को वेव ऑफ किया है और फिक्स चार्जेस को आधार बनाया है, ताकि यह कोर्ट में चैलेंज न हो। कोर्ट में यह चैलेंज न हो, इसीलिए कुछ पैसा चार्ज किया जा रहा है। अगर कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करते और फ्री में कर देते तो ये सब वायलेट होते। इस वजह से फिक्स चार्जेस करके कम पैसों में काम किया गया है। इस कानून के माध्यम से, सरकार ने कोशिश की कि सुरक्षा का अधिकार सभी को मिले और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय, शहर में रहने वाले सभी लोगों को मिल सके।

यह मार्ग है विकास का, विश्वास का, प्रयास का, उल्लास का, कृषक का, श्रमिक का, निर्धन बंजारे का, घुमंतू और निम्न वर्ग का, मध्य वर्ग का, ग्रामीण का, शहरी पथिक का, शहरी वर्ग का, भारत की शान का, जन-गण के प्राण का और देश के नवनिर्माण का। बहुत-बहुत आभार।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, घंटे भर से यह चर्चा हो रही है। इसमें सबको पता लगा कि एक जंग हो रही है, चाहे इसे चुनावी जंग कहें या व्यक्तिगत जंग कहें। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि साहब सिंह वर्मा जी स्वर्गीय हैं और शीला दीक्षित जी भी स्वर्गीय हैं। इन सभी ने दिल्ली के लिए कुछ न कुछ किया है। लेकिन आज सदन में दो स्वर्गीय व्यक्तियों का नाम लेकर हम लोग आपस में इस तरह की लड़ाई कर रहे थे कि साहब सिंह वर्मा जी ने ज़्यादा काम किया या शीला दीक्षित जी ने ज़्यादा काम किया। दोनों का ही योगदान है। सब मानते हैं कि शीला दीक्षित जी ने जरूर कुछ काम किए हैं, साहब सिंह वर्मा जी ने भी कुछ काम किए हैं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जो स्वर्ग में चले गए हैं, उनके नाम पर इस सदन में अगर हम आपस में जंग करें तो यह सदन की मर्यादा के लिए शोभा नहीं देता। महोदय, दिल्ली हिन्दुस्तान की पॉलिटिकल कैपिटल है। मुंबई, जहाँ से हमारे डीजी साहब सत्यपाल जी आते हैं, वह हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। मैं बंगाल से आता हूँ, जिसे कभी कल्चरल कैपिटल कहते थे। आजादी के बाद लाखों की तादाद में लोग पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था, दिल्ली में रोजगार और रोजी-रोटी के लिए आते रहे। यह आज का सिलसिला नहीं है, यह फिनोमिना चला आ रहा है। दिल्ली नो-मैन लैण्ड की तरह से हमारे सामने आती है। कोई भी यहाँ आ सकता है, रुक सकता है, रोटी-रोजी कमा सकता है और दिल्ली के विकास के लिए योगदान भी कर सकता है। इसलिए दिल्ली का कोसमोपोलिटन केरेक्टर बन गया है, कोसमोपोलिटन नेचर बन गया है। हम सब गर्व करते हैं कि दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। लेकिन इस नेशनल केपिटल में भी एक कोननड्रम है। कंफ्यूजन/दुविधा क्या है? दिल्ली में एक ऐसी उलझन देखी जा रही है जिसे 'पेनरी इन प्रचुर मात्रा' कहा जाता है। कहीं फाइव स्टार होटल्स हैं और कहीं इतनी सारी कॉलोनियां, सभी एक साथ चल रहे हैं। इन कालोनियों को रेग्यूलराइज करना जरूरी था और यह कोई भी सरकार करे। यह आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है। इस बारे में अगर कोई भी पहल करता है तो यह अच्छा है। यह पहल आज की नहीं है, बहुत दिनों से यह चल रही है। कॉलोनी में जो रहने वाले हैं, यह उन लोगों की लड़ाई है, यह उन लोगों का संघर्ष है और उन लोगों ने अपने संघर्ष को हम लोगों तक पहुँचाया है, तभी हम इसे इस सदन में लेकर आए हैं। आप यूपीए की

सरकार की बात करते हैं। एनडीए की सरकार भी थी और एक बार नहीं दो बार थी, लेकिन आज क्यों आया है? हमारे पुरी साहब जब यह कानून लेकर आए तब कह रहे थे दूरदर्शी क्रांतिकारी निर्णय। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। हर चीज में, हर सिद्धांत में टाइम एंड स्पेस डायमेंशन होता है। अगर इसको देखा जाए तो मैं यह आराम से कह सकता हूँ कि यह "पोल-दृष्टिकोण क्रांतिकारी निर्णय है।" क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और बिना मतलब यहाँ कोई काम नहीं होता है। जरूर कोई मतलब रहा है, इसलिए यहाँ बात उठ रही है।

<u>अपराह्न 05.38 बजे</u> (**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** *पीठासीन हुए*)

अगर आप पहले कर देते तो बात नहीं उठती। आप जिस समय इसको कर रहे हैं, उस समय को लेकर यह बात उठ रही है। …(व्यवधान) मैं इसका समर्थन करता हूँ। …(व्यवधान) अगले साल चुनाव होने हैं। आज बोलने वाले ज़्यादातर स्पीकर दिल्ली के हैं। ...(व्यवधान) दिल्ली हम सभी की है। …(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: अधीर रंजन जी, कृपया सभापति को संबोधित करें।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी : दिल्ली के सभी सांसदों से मैं दरख्वास्त करता हूँ। मुझ से मिलने मेरे घर पर यहाँ के कुछ गरीब लोग आए थे। उन लोगों की माँग थी कि हमारे यहाँ के गांव में बिजली नहीं है। मैं सभी दिल्ली के सांसदों से दरख्वास्त करूँगा कि आप सभी इस विषय को सुलझाने की कोशिश कीजिए। किर्बी प्लेस और बरार स्कवेयर से बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे और मुझ से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि हमारे गांव में बिजली का इंतजाम कर दीजिए। मनोज तिवारी जी सीएम बनने वाले हैं, "सीएम होंगे।" मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप बिजली की समस्या के बारे में सोचें।... (व्यवधान) पुरी जी ने मान लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यह पुरी जी का रवैया है, मेरा नहीं है। इसलिए मैंने दरख्वास्त कर दी है। होगा यानी, हो भी सकता है।

[अनुवाद]

"मेरा अनुरोध है कि मान्यवर मंत्री जी से पूछा जाए कि कृपया नरेला सब-सिटी के पी1 जोन की स्थिति को स्पष्ट करें, जिसे भू-संग्रहण प्रणाली के तहत पंजीकरण प्रक्रिया से बाहर छोड़ा गया था।" अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर, 2019 के राजपत्र अधिसूचना के तहत पी1 क्षेत्र के गांवों को आर1 क्षेत्र घोषित किया है। सरकार और स्वायत्त संगठनों की कई समितियों ने भूमि पूलिंग नीति में भाग लेने के लिए पहले ही पी1 जोन में भूमि खरीद ली है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया उत्तर दें कि डी.डी.ए. द्वारा पी1 ज़ोन के गांवों को भूमि पूलिंग नीति के लिए कब अधिसूचित किया जाएगा और इन गांवों के भूमिधारकों को भूमि पूलिंग नीति के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

[अनुवाद]

यह लैंड पूलिंग पॉलिसी बहुत दिनों से चल रही है। मैं सिर्फ दो-तीन जानकारियां प्राप्त करना चाहता हूँ कि आप अप्राधिकृत कॉलोनियों को रेग्युलराइज करने जा रहे हैं, क्या आपके पास इसका कोई टाईमफ्रेम है? दूसरा, इसमें किस तरह से मैपिंग की गई है? क्या सैटेलाइट मैंपिग की गई है या फिज़िकल मैपिंग की गई है? तीसरा, आप जो चार्जेस ले रहे हैं, उन चार्जेज को थोड़ा कम कीजिए। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो चार्जेज को थोड़ा कम कर दीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान है, रेग्युलराइज करने के बाद उसको मास्टर प्लान के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? आप हम सबको इन दो-चार चीजों के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आम लोगों को शंका है। आप बुरा मत मानिएगा, आम लोगों को यह शंका है कि यहां पर जो राजनीतिक नेता हैं, वे चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आते हैं। यहाँ पर बड़े-बड़े भाषण दे रहे रहे हैं, हमारे सामने बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं। हम लोग चुनाव खत्म होने के बाद जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, हमारे लिए कोई भी आने वाला नहीं है। आप इस बात की गारंटी दे दीजिए कि आप चाहे चुनाव में जीतें या हारें, यह चलता रहेगा। हमारा यह टाईमफ्रेम है, हम इसी के अंदर इसको करेंगे।

माननीय सभापति : अधीर रंजन जी, धन्यवाद। प्लीज, कन्क्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, बंगाल के लाखों लोग दिल्ली में रहते हैं। वे भी बहुत सारी अप्राधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। वे लोग भी मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि इससे तरह-तरह की असुविधाएं होती हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली को जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली कॉनेन्ड्रम है, एक तरफ डैज़लिंग है और दूसरी तरफ डिस्मल है। इन दोनों तरफ को मिलाकर दिल्ली को बनाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है। मैं इस बिल का जरूर समर्थन करूँगा। लेकिन मैं दोबारा यह कहना चाहता हूँ कि जो वायदा किया है, उसको निभाना पड़ेगा। आपने जो वायदा किया है, उसको निभाना पड़ेगा और आप कितने समय तक उसको निभा पाएंगे, वह सदन में बताइए।

[अनुवाद]

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) : महोदय, मैं सबसे पहले इस बहस में भाग लेने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने नोट किया है कि उनमें से 16 ने भाग लिया है। यह बहुत समृद्ध चर्चा रही है। "मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, मुझे इस बात पर अत्यधिक संतोष है कि एक भी माननीय सदस्य ने विधेयक का विरोध नहीं किया।।" कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैंने जो कहा था कि यह एक दूरदर्शी और क्रांतिकारी पहल और कदम है, उसे याद करते हुए, शायद मुझे यह भी कहना चाहिए था कि यह राजनीति से प्रेरित या जनमत संग्रह से प्रेरित है। इसका तात्पर्य यह है कि इस विधेयक को लाने के पीछे कोई राजनीतिक प्रेरणा है।

अच्छा, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं, दक्षता के हित में--यदि आप अनुमति देते हैं, तो महोदय--मेरी प्रतिक्रिया को तीन खंडों में विभाजित करूँगा। "एक खंड ऐसा है जहां माननीय सदस्यों ने बहुत विशिष्ट प्रश्न उठाए हैं जिनके लिए हमारी समझ, हमारी मंशा, हमारे द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा हमारे द्वारा इसे क्रियान्वित करने के प्रस्ताव के संदर्भ में सरकार से उत्तर की अपेक्षा है।" इसलिए मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करूंगा। लेकिन एक या दो अतिरिक्त बिंदु हैं जो मुझे लगता है कि इस तथ्य से उत्पन्न हुए हैं कि मैंने विधेयक, इसके प्रारूपण और अधिसूचित किए गए विनियमों पर अधिक समय और अधिक रातें बिताई हैं। चूंकि माननीय सदस्य स्पष्ट रूप से बहुत व्यापक कैनवास पर व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें उस पर विचार करने का मौका नहीं मिला है। इसलिए, मैं एक या दो बिंदुओं को स्पष्ट करूंगा। और, अंत में आसान राजनीतिक प्रतिक्रिया है जिसकी आवश्यकता है और जो कुछ माननीय सदस्यों की ओर से आई है।

मेरे प्रतिष्ठित मित्र, श्री दयानिधि मारन, और अन्य लोगों ने तमिलनाडु राज्य में चेन्नई में किए गए कार्यों को याद किया है। कुछ ने पूछा है कि हम शेष भारत में ऐसा क्यों नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ

एक मौलिक गलतफहमी है जो जिसे हमने शायद माननीय सदस्यों के समक्ष नहीं रखा है कि वह क्या है। लेकिन मुझे इस बिंदु से शुरू करना चाहिए कि यह एक चुनावी दृष्टि वाला है। मुझे इस बात का खेद है कि मेरे माननीय मित्र, श्री भंगवंत मान सभा में उपस्थित नहीं। महोदय, मैं आपके, माध्यम से सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र में तथ्यों का कितना अपमान हुआ है और मैं इसे गंभीरता के साथ कहता हूँ।

मेरे मित्र और मेरे सहकर्मी श्री रमेश बिधूड़ी ने सभी सरकारी पत्रों, दिल्ली के मुख्य मंत्री जी को लिखे गए पत्रों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने न्यायालय के समक्ष जो कहा है और मैंने उनके साथ जो बातचीत की है, उसे संकलित किया है। मेरा मतलब है कि जो जानकारी मैं सदन के समक्ष रख रहा हूँ, वह पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है।

महोदय, मामले की जड़ यह है कि जिन नियमों के आधार पर 1769 कॉलोनियों की पहचान की गई है वे वर्ष 2008 के राजपत्र अधिसूचना में वापस चले जाते हैं। जब मैंने विधेयक लाया था, तब मैंने इसे उद्धृत किया था। इसलिए, जब कोई माननीय सदस्य मुझसे पूछते हैं कि वर्ष 2008 क्यों लिया गया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सबसे व्यापक अधिसूचना है, हमारे पास सूची 79 है।

ट्रेजरी बेंच के एक अन्य माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा - उन लोगों के बारे में क्या जो फिट नहीं बैठ रहे हैं? सरकार बहुत स्पष्ट है और पारदर्शी तरीके से हमने कुछ कॉलोनियों को बाहर कर दिया है। मैं इस पर भी आऊंगा कि हमने उनको बाहर क्यों किया है। मैं ज़िम्मेदारी की भावना के साथ बताता हूँ कि हम उन कॉलोनियों को बाद के चरण में संबोधित करेंगे। यदि कोई कॉलोनी ऐसी है जो या तो फिट नहीं होती है या जहाँ गलत फिटिंग है, तो हम इसे करेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा अभी करेंगे तो इससे समस्याएं और बढ़ेंगी। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं यह आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर हम पहले उन 69 कॉलोनियों के साथ आते, तो आपने कहा होता कि यह सूट-बूट की सरकार है। ये तो गरीब आदमी का ध्यान ही नहीं रखते हैं।

इसलिए, जैसा कि माननीय सदस्य मेरी बहन ने कहा, हम उन लोगों से शुरुआत कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, जो वंचित हैं और हम 1731 कॉलोनियों से शुरुआत करते हैं। हम बाद में अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे।

महोदय, वर्ष 2008 में, हमारे पास एक राजपत्र अधिसूचना थी, जिसमें 1790 कॉलोनियों की पहचान की गई थी। मैं इस चर्चा में नहीं पड़ना चाहता कि मेट्रो किसने शुरू की क्योंकि मैं मेट्रो के लिए ज़िम्मेदार मंत्री भी हूँ। यह इस बात पर चर्चा नहीं है कि मेट्रो किसने शुरू की। यह कोई सवाल नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री 'एक्स' ने पूर्व मुख्यमंत्री 'वाई' से अधिक काम किया है। मैं एक अलग परंपरा से संबंधित हूँ। मैं चार दशकों से सिविल सेवक हूँ। मुझे लगता है कि इस राज्य के हर मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली को बनाने में योगदान दिया है। यह एक तथ्य है। समान रूप से मैं कहूँगा, अगर हम थोड़ी सी अव्यवस्था में हैं और यदि दिल्ली में वायुमंडलीय प्रदूषण के मामले में, भीड़ के मामले में स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी, तो प्रत्येक मुख्यमंत्री भी ज़िम्मेदारी का हिस्सा होता है। लेकिन मैं इससे हटाना चाहता हूँ और मैं बस इन अप्राधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर आना चाहता हूँ।

मैं वही दोहराना चाहता हूँ जो मैंने शुरू में कहा था। इन कॉलोनियों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया तब तक जारी थी जब तक कि वर्ष 2011 में सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज बनाम हरियाणा राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला निष्कर्ष पर नहीं आ गया या यूं कहें कि एक निष्कर्ष आया, जिसे मैं पढ़ूंगा, कि अब ऐसा नहीं होगा। वे पंजीकरण के उद्देश्य से इन पाँच प्रकार के दस्तावेजों को पहचानते हैं – सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत, बिक्री का समझौता, आदि। यहीं से समस्या शुरू होती है।

अब, किसी भी सरकार को यह स्पष्ट था जो उस समय दिल्ली या केंद्र में ज़िम्मेदार थी कि आपको इस समस्या से निपटना था। वहाँ लगभग 40 से 50 लाख लोग रह रहे हैं। यह 43,000 एकड़ की तरह कुछ में फैला हुआ है। जब मैं विधेयक पेश कर रहा था तो मैंने वर्ग किलोमीटर का भी उल्लेख किया है। यदि आप ऐसा होने देते हैं, तो यह कुल अराजकता के लिए एक नुस्खा है। इसलिए, हमें इससे निपटना पड़ा।

उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। हमें इससे कैसे निपटना पड़ा। यह भी बहुत स्पष्ट था। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को इन कॉलोनियों का नक्शा बनाना आवश्यक था क्योंकि यदि आप नहीं जानते कि कॉलोनियाँ क्या हैं, तो आप अगले चरण में नहीं जा सकते। अब, मैं दोषारोपण खेल में नहीं पड़ना चाहता, मामले का तथ्य यह है कि पत्राचार हुआ है जो सार्वजनिक डोमेन में है। मेरे पास यह पत्र है जो मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है और मुझे कोई जवाब नहीं मिला।

मोदी सरकार मई 2014 में कार्यालय आई।

<u>अपराह्न 05.50 बजे</u>

(**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

मैं सितंबर 2017 में मंत्री बना। जब मैं हमारे सामने सभी मुद्दों को देख रहा था, उस समय बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि दिल्ली का सुधार जो है, इस अन-अथोराइज्ड कालोनीज का रेग्युलराइजेशन, रेग्युलराइजेशन तो अंग्रेजी का शब्द है। पर इनको मालिकाना हक, जब तक यहाँ पर हमारे जो नागरिक हैं, यह शब्द इस्तेमाल किया गया कि वे डिस-एडवांटेज्ड हैं। डिस-एडवांटेज क्यों है, क्योंकि हमारी नीतियाँ ठीक नहीं हैं। गरीब लोग अप्राधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं। वे गरीब हैं क्योंकि आपकी नीतियां गरीब थीं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसकी गलती है, आपकी है या हमारी है। हमारी कलेक्टिव रिसपोंसबिलिटी है। 17 सितम्बर में हमने यह कॉरेसपोंडेंस चालू की। हमने दिल्ली सरकार को लिखा। कई बार केजरीवाल जी मुझसे मिलने आए, मैंने उनको लंच भी खिलाया। ये हमेशा मुझसे कहते गए, हमें थोड़ा समय दीजिए। मुझे उन्होंने क्या कहा, हम कम्पनी को कान्ट्रेक्ट देने वाले हैं वह कम्पनी इसकी डिजिटल मैपिंग करेगी। मुझसे यह प्रश्न पूछा गया कि यह सैटेलाइट इमेजनरी होगी या फिजिकल होगी, दोनों। सैटेलाइट इमेजनरी से आपको इमेजेज मिलेंगी। उन इमेजेज को आप अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जो हमने ऑलरेडी कर

दिया है। प्रोसेस चालू हो गया है। उसके बाद हमारे लोग जाकर वहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं उनको फिजिकली वेरिफाई करेंगे, आरडब्ल्यूए से पूछेंगे कि यह आपकी थी क्या? 15 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेज आएगा। एक पोर्टल बनाएंगे और उस पोर्टल में इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक की बात होगी। एक बार मालिकाना हक मिल गया, तो फिर वह रजिस्ट्री करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस दौरान मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि वह फेक नेरेटिव बन रहा है। वह राजनीतिक एटमॉस्फियर है, उसमें जिन लोगों ने रुकावटें डाल रखी हैं, अब वे कह रहे हैं कि जल्दी करो। हमने कब यह निर्णय लिया? उस समय लिया, जब केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर एक ऐफिडेविट दिया कि हमें दो साल का और समय चाहिए। अगर इसमें पोल साइटेड है, वर्ष 2017 में मैं नया मंत्री बना था, उस समय तो कोई पोल आने वाला नहीं था। मैं डिस्टिंगविश्ड मित्र अधीर रंजन चौधरी जी से कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ कुछ समस्या ऐसी बन गई है कि आप कोई भी काम कभी-भी करिए कोई न कोई पोल तो आ ही रहा होगा। मान लें, आज कर लें तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली में पोल आ रहा है या छत्तीसगढ़ में आ रहा है। अगर एक साल बाद करें तो पोल कहीं और आ रहा है। या तो एक बार नेशनल पोल करवा दीजिए तो हमारी समस्या हल हो जाए, नहीं तो हमेशा यह कारण रहेगा कि यह पोल साइटेड है।... (व्यवधान) अब मैं उन कुछ बुनियादी मुद्दों पर आता हूँ जो माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे क्यों कमेंट करते हो। आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री हरदीप सिंह पुरी: मेरे प्रतिष्ठित मित्र, माननीय दयानिधि मारन ने कहा, 'बड़े दिल वाले बनो और इसे मुक्त करो'। मैं इस सोच का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं एक अलग विचारधारा से संबंधित हूँ कि यदि आप कुछ भी मुफ्त बनाते हैं, तो लोग इसका सम्मान नहीं करेंगे। क्योंकि आप मुफ्त में दे रहे हो, वह कह रहे हैं कि इसमें कुछ है नहीं। हमने जो रेट्स तय किए हैं, मैंने केलकुलेशन भी करवाई है कि कितने रेट्स मिलेंगे? हर एक एरिया का एक सर्कल रेट होता है। अब यह अन-अथोराइज्ड कॉलोनीज दिल्ली शहर में 'ए' और 'बी' ज़ोन्स में नहीं हैं। वे हैं- 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ', 'जी', 'एच' में। मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि अनुवाद बहुत अच्छा है। मुझे एक समस्या है। यदि मेरे पास डिफाल्ट प्रतिक्रिया है, तो मैं आम तौर पर

अंग्रेजी में उत्तर देता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझे 40 वर्ष के लिए देश के बाहर रखा है। लेकिन मैं वापस हिंदी में आ रहा हूँ। ऐसा है, कालोनी 'एच' में अगर 100 गज का प्लॉट होगा तो इसमें टोटल 1217 रुपये का चार्ज लगेगा। यह ज़्यादा है या कम है, यह तो आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है। मेरे लिए यह मुफ्त के बराबर है। जिन लोगों को यह राइट्स मिलने वाले हैं और मालिकाना हक मिलने के बाद वहाँ पर लोन ले पाएंगे, वह प्रोपर्टी को डेवलप कर पाएंगे। जो प्रोपर्टी का रेट होगा, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इन तथाकथित अप्राधिकृत कॉलोनियों के एक भी निवासी से नहीं सुना है कि वे इसे मुफ्त चाहते हैं। मेरे पास कोई नहीं आया है क्योंकि दरें इतनी तर्कसंगत हैं।

[अनुवाद]

एक विनियम है और एक अधिसूचना है जहाँ इन चीजों को डी.डी.ए. की वेबसाइट पर रखा गया है। कृपया इस पर एक नज़र डालें। मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ लेकिन कोई भी यह सुझाव नहीं दे रहा है कि हमें यह करना चाहिए। क्या सरकार इन कॉलोनियों में सामाजिक बुनियादी ढांचा बनाएगी?

[हिन्दी]

महोदय, बात सही है, पिछले 11 साल से इन पर कुछ किया नहीं है, कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही है, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो सिविक सुविधाएँ हैं, वे हैं नहीं, इसलिए हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना होगा और यह सरकार बनाएगी। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो "उदारीकृत विकास नियंत्रण नियम" हैं, जो वेकेंट प्लॉट्स हैं, जहाँ खाली जमीन है, उन पर हम "उदारीकृत विकास नियंत्रण नियम" इस्तेमाल करके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीडेवलपमेंट करेंगे, इसलिए हमने रेग्युलेशंस नोटिफाई कर दिए हैं। अगर आप एक बार उन रेग्युलेशंस को देख लें, मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद कोई डाउट किसी के मन में नहीं रहेगा। जो चार्ज कलेक्ट होगा, मान लीजिए एच के लिए 1200 रुपये, किसी के लिए 4 हजार रुपये होगा, इसको हम एक स्पेशल फंड में रखेंगे और उस स्पेशल डेवलपमेंट फंड को हम इन कॉलोनीज पर लगाएंगे। मैं यहाँ पर जवाबदेही की भावना के साथ कह

रहा हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट फंड से या जहाँ से भी लगाना हो, हम लगाएंगे, पर इसमें और सुधार होगा। एक बार यह रेग्युलराइजेशन हो जाए, मालिकाना हक मिल जाए तो हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वे अपनी सांसद निधि से भी पैसा लगा पाएंगे और बाकी रिसोर्सेज भी आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो 40-50 लाख हमारे भाई और बहन यहाँ पर रह रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस दिल्ली का पूरा नक्शा एकदम बदल जाएगा और ये जो कॉ कॉलोनीज हैं, जिन्हें हम अनऑथराइज्ड कह रहे हैं, हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द, क्योंकि यह काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, यहाँ पर लैंड प्राइसेस और लोगों को इसमें प्राइड होगी, ईज ऑफ लिविंग होगी और यह जल्दी डेमन्स्ट्रेट हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप एक मिनट रूकिए।

माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो वर्तमान विधेयक, जो चल रहा है और शून्यकाल की समाप्ति तक सदन का समय बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री हरदीप सिंह पुरी : दयानिधि मारन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस डिजिटल मैपिंग को करने के लिए तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रौद्योगिकी सभी के लिए उपलब्ध है। आप सैटलाइट इमेजनरी प्राप्त कर सकते हैं; आप सबमीटर इमेजनरी भी प्राप्त कर सकते हैं जहाँ आप स्कूटर प्लेट पर नंबर देखते हैं। लेकिन आपको इसे करने के लिए राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए; आपको कुछ करने के लिए उस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

मैं चिंतित था क्योंकि मैं इस ऑपरेटिंग वातावरण के लिए नया हूं। मुझे चिंता यह हुई है, अभी एक आदरणीय सदस्य कह रहे थे कि जो बाहर का रेट है, यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में तो उसका 10 प्रतिशत रेट है। यह सही है। यह सही है। लेकिन मुझे चिंता की बात यह है कि बहुत ही ज़िम्मेदार लोग उन अप्राधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इसे निवेश के रूप में देख रहे हैं। यदि आप इस जाल में फंस जाते हैं कि आप भूमि बैंक का उत्पादन करने के लिए एक अप्राधिकृत कॉलोनी में संपत्ति खरीदना चाहते हैं और फिर आप इसे अधिकृत करते हैं, तो आप लाभ घटा देंगे। मुझे लगता है कि अधीनस्थ स्तर पर इतने लंबे समय तक कार्य करने का निर्णय नहीं था। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इसमें इतना समय क्यों लगा? आज हम क्यों कर रहे हैं? "मैंने इसे वर्ष 2017 में कर दिया होता।" मुझे माननीय मुख्यमन्त्री ने बताया कि हमें आप दो साल दीजिए, अभी करने वाले हैं। यह वैसा ही है, जैसे बसों के बारे में बातें होती हैं।

<u>सांय 06.00 बजे</u>

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, हमें दिल्ली को सुधारना होगा और हमें मेट्रो सिस्टम बनाना होगा। इस समय दिल्ली में 380 किलोमीटर का मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है। जब हम फेज-iv लाएंगे तो यह 500 किलोमीटर तक चला जाएगा। पर, मेट्रो में और बाकी चीजों में भी, हम लोग जो को-ऑपरेशन चाहते हैं, वह हमें नहीं मिलता है। किसी बात पर हमें कहा जाता है कि हम इन-प्रिंसिपल एप्रूवल दे रहे हैं और इन-प्रिंसिपल एप्रूवल देंगे, पर पैसे नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्ट किया कि वे हमारी सहायता करें और हमें को-ऑपरेट करें। मैं निन्दा नहीं कर रहा हूँ। ये फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में हैं। हमारे मेरठ का आर.आर.टी.एस. का 82 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया गया।... (व्यवधान) इसलिए, मैं एक मुद्दा बना रहा हूँ कि हमने आगे बढ़ने का फैसला किया था, और मेरा विश्वास करो कि दिल्ली चुनाव अभी भी बहुत दूर थे। हमने यह काम कब शुरू किया? सरकार की जो एजेंसीज होती हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती हैं, आप उसे नैविगेट करना शुरू करते हैं।

मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। हम पिछले चुनावों के पहले ही इसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष ले आए थे। इसे हम केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने तब लाए, जब हमें दिल्ली की सरकार ने कहा कि वर्ष 2021 से पहले यह काम हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम अप्रैल-मई, 2019 के चुनावों के पहले इसे लाए, उस समय दिल्ली चुनाव हमारे होराइजन में भी नहीं था। उस समय नेशनल इलेक्शंस थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि, हाँ, यह क्रांतिकारी और दूरदर्शी है। जहाँ तक 'चुनाव दृष्टि' का संबंध है, आप और मैं एक कॉफी ले सकते हैं, और चर्चा कर सकते हैं कि चुनाव-दृष्टि क्या है। हो सकता है, हम सभी राजनेता बन गए हैं। हम सभी, चाहे हम कुछ भी कहें और जिन शब्दों का उपयोग करें वे 'मतदान-दृष्टि' वाले बन जाते हैं। लेकिन मैं इस चर्चा से खुश हूँ।

[अनुवाद]

मेरी सहयोगी, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, ने कहा कि इन कॉलोनियों के नाम जाति, आदि का अर्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सरकार किसी खास कॉलोनियों को नाम नहीं देती। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं एक अलग श्रेणी से निपट रहा हूँ। यह अप्राधिकृत नहीं है, लेकिन यह कठपुतली कॉलोनी है। इसे कठपुतली कॉलोनी कहा जाता है क्योंकि वहाँ कारीगर हैं और वहां हम झुग्गी-झोपड़ी ले रहे हैं। फिर से, मुझे 'स्लम' शब्द का उपयोग करना पसंद नहीं है, लेकिन 'अनौपचारिक बस्ती' शब्द का उपयोग करना पसंद है। वहाँ 2800 परिवार स्लम-लाइक कंडीशंस में रहते थे। हम उनके लिए एक नया मॉर्डन स्ट्रक्चर बना कर दे रहे हैं। हमें दिसम्बर तक इसके तीन टावर्स तैयार करके देने थे, पर एन.जी.टी. की तरफ से कंस्ट्रक्शन पर जो बैन लगाया गया, उससे थोड़ी डिले हुई। पर, इसे दिसम्बर नहीं तो जनवरी में जल्दी ही कर देंगे। पर, यह काम भी छ:-सात सालों से चल रहा था। इसलिए, नाम निर्दिष्ट करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है।

[हिन्दी]

अफ्लूएंट कॉलोनीज की भी बात आई। कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बात की। हमारी पार्टी के भी कई माननीय सदस्यों ने इसकी बात की। देखिए, एक बात सही है कि जब आप ऐसा कोई क्रांतिकारी

स्टेप लेने जाते हैं तो उसमें थोड़ी-सी चिंता होती है। चिंता यह होती है कि इसे कितनी स्पीड में कर पाएंगे, यह काम रुक तो नहीं जाएगा? यह जो लीगल प्रिंसिपल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या यह और जगहों पर भी अप्लाई होगा? यह बिल्कुल अप्लाई होगा। अगर हम मान लेते हैं कि किसी कॉलोनी में हम 'कन्फरमेंट ऑफ राइट्स' इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि यह प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 'जी.पी.ए.' के जरिए हुआ है या 'सेल' या 'एग्रीमेंट-टू-सेल' या 'विल' से हुआ है तो अगर यह और कैटेगरीज में अप्लाई करेगा, खासकर उन जगहों पर जहाँ पर अफ्लूएन्ट या 'वेल-टू-डू सेक्शंस ऑफ सोसायटी' है तो मेरा इसमें यही रिस्पॉन्स है कि इसे हम अलग से एड्रेस करेंगे। पर, इस समय, स्पष्टता के लिए, हमने उन 65 कॉलोनियों को बाहर कर दिया है, क्योंकि इस समय काम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या लोअर-इनकम ग्रुप पीपल का है और इसमें इनकी जनसंख्या बहुत है। पर, दूसरे को भी हम बाद के स्टेज पर एड्रेस करेंगे।

महोदय, मेरे पास लोग रिप्रेजेंटेशंस लेकर आते हैं कि कई कॉलोनीज की कैटेगेराइजेशन ठीक नहीं हुई है। मैं उसे भी जल्द एड्रेस करूँगा। पर, इस बीच हमने दो पोर्टल्स बनाए हैं। एक, सारी सैटेलाइट इमेजनरी को अपलोड करके बनाया है। सैटेलाइट इमेजनरी तो सभी जगह उपलब्ध रहती हैं, लेकिन आपको उस छवि का उपयोग करना होगा और इसे पीडीएफ फ़ाइलों में बदलना होगा। एक बार जब आप इसे पी.डी.एफ. फाइल में बदल देते हैं, तो आप इसे अपने पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जो फिजिकल डायमेंशन है, उसकी आप चारों कोनों से फोटो खीचेंगे। आप आरडब्ल्यूए को 15 दिन का समय देंगे कि वे अपने व्यूज़ भेज सकें। 15 दिन के बाद जब सारी इनफोर्मेशन अपलोड हो जाएगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम दूसरे पोर्टल के माध्यम से बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। खरीद और बिक्री वकील की सामान्य शक्ति के आधार पर किया गया है। जनरल पॉवर ऑफ अटार्नी क्यों है? इसका बहुत स्पष्ट कारण है। लोग स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना चाहते हैं। एक कल्चर बन गया कि सब प्रापर्टीज़ जीपीए पर हो जाएं। अब कोर्ट ने उसमें रुकावट डाल दी। एक और माननीय सदस्य ने पुछा कि आप पोजेशन पर क्यों इनसिस्ट करते हैं। हम पोजेशन खाली पर नहीं इनसिस्ट करते हैं। मान लीजिए कहीं पर एक्स प्रापर्टी है। एक्स के दो दावेदार आ जाते हैं। एक के पास 5 डाक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि कई प्रापर्टीज एक, दो या तीन बार बिकी है और दूसरे के पास जीपीए है, तो हम

देखेंगे कि कौन सा लेटेस्ट है, क्या ट्रांजैक्शन है, वहाँ कौन रह रहा है? अगर दोनों में से एक वहाँ रह रहा है, "तब पॉसेशन को अतिरिक्त वजन मिलेगा।" यदि आप अधिसूचना पढ़ते हैं, तो यह बहुत, स्पष्ट हो जाता है।

दानिश अली जी ने कहा हम स्वच्छता की बड़ी बातें करते हैं। मैं सिर्फ यही सबमिट करना चाहूँ कि जो स्वच्छता का आंदोलन हुआ है, "स्वच्छता अभियान सरकार की, एक परियोजना के रूप में शुरू हुआ था "यह एक जन-आंदोलन बन गया है। मेरा मंत्रालय अर्बन है, शहरी क्षेत्र के हमारे काम हैं। यहाँ हमने 65 लाख से अधिक इंडीविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट्स बनाए हैं। हमने पब्लिक कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए हैं। सारे टार्गेट्स हमने मीट किए हैं। आपका पाइंट अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में है कि आप वहाँ जाकर देखिए कि क्या स्थिति है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस निर्णय से, मालिकाना हक देने से यहाँ पर जो बदलाव आएगा, यहाँ पर जो परिवर्तन आएगा, वहाँ आप देखेंगे कि स्वच्छता सिचुएशन एकदम इम्प्रूव करेगी। इसके कई कारण हैं। एक तो बाहर से फंड्स आ सकेंगे और दूसरा यहां अकांउटिबिलिटी होगी। हमारे यहां कुछ ऐसा कल्चर बना हुआ है कि अगर आप कुछ करिए तो कहते हैं कि इल्लीगल है। वह इल्लीगल नहीं था। किसी ने उसे खरीदा है। किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है, पर उसकी *सुरज लैम्प एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य* के डिसीजन के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई।

श्री डी.के.सुरेश जी ने जो कहा, वह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। "उनका इस विधेयक, का स्वागत है।"पर उन्होंने कहा कि इसे बाकी देश के लिए क्यों नहीं करते? मैं पूरी विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि भूमि और उपनिवेशीकरण राज्य के विषय हैं। इसमें केंद्रीय सरकार का कोई रोल नहीं है। कोई और सरकार करना चाहे, तो बड़ी खुशी से करे। हम दिल्ली में इसलिए करा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में लैंड यूनियन ऑफ इंडिया के पास है। इसमें यह नहीं है कि दिल्ली में चुनाव आ रहा है, इसलिए दिल्ली में करने जा रहे हैं। हम बाकी जगह कर ही नहीं सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स इसे कर सकती हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे करें। अगर कहीं पर समस्या है, जैसे तमिलनाडु के ऑनरेबल मेंबर ने कहा है कि उनके लीडर ने 2007 में ऑलरेडी कुछ किया था ...(व्यवधान) 1970 में कुछ किया। वे इसे करने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि भूमि राज्य का विषय है। हमसे पूछा जाता है कि कई जगह इनफोर्मल सैटलमेंट्स स्लम्स हैं, आप क्या कर रहे

हैं? हमें नहीं करना है, न तो हमारे पास डेटा है। लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। जिस स्टेट को लगता है कि वहाँ पर इनफोर्मल सैटलमेंट्स या स्लम्स ज्यादा हैं, उसमें सुधार करें। इसमें हमारी कोई गहरी चाल नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हैं। हम इसे तीन साल पहले दिल्ली के लिए करना चाह रहे थे। ...(व्यवधान) अगर केजरीवाल जी इसमें ...(व्यवधान) मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। …(व्यवधान) यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जिसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं। यहाँ पर एवीडेंस है कि पिछले तीन साल से वे हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। अगर 3 साल पहले किया होता, तो आप कहते कि हमने यह हरियाणा के चुनाव के लिए किया या किसी और के लिए किया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप किसी माननीय सदस्य का कोई जवाब मत दीजिए।

[अनुवाद]

श्री हरदीप सिंह पुरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने उत्तर दे दिया है और कम से कम मैंने दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है कि हमने इसमें और 2008 की अधिसूचना में इतना विलंब क्यों किया।

[हिन्दी]

"यह पूरी तरह संभावना है कि हम 1731 कॉलोनियों को डिजिटल अपलोडिंग, जहां चालीस लाख नागरिक रहते हैं। मुझे लगता है कि सात-आठ लाख लोग क्लेम करेंगे। एक परिवार में भी अगर चार-पांच लोग हैं तो यह चालीस लाख बन जाता है। अगर हमें पता लगता है कि कहीं और कॉलोनी है "यह वह निर्णय है जिसे हमें पुनः देखना होगा।" मुझे लगता है कि अगर हम एक झटके में इसे कर दें तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। "मान्यवर सदस्य, एन.के. प्रेमचन्द्रन जी के लिए – मैं उनके टिप्पणियों को बहुत ध्यान से सुनता हूँ – मेरे पास दो छोटी सी टिप्पणियाँ हैं।" मीनाक्षी जी ने कुछ जवाब दिया। हमने जो रेग्युलेशन नोटिफाई किए हैं, अगर आप उसे देख लें, मैं आपको उसकी कॉपी भेज दूँगा। वे डी.डी.ए. वेबसाइट पर हैं। इनकम टैक्स की रेफरेंस है उसके लिए हमने ऑलरेडी कॉरिजेंडा इश्यू किया हुआ है।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : हमें सुधार नहीं मिला।

श्री हरदीप सिंह पुरी: फिर, मुझे लगता है, यह कुछ ऐसा है जिसे हमें सुधारना होगा। हमारे पास विधेयक के साथ 22 नवम्बर की तारीख वाला शुद्धिपत्र है। मैं आपको एक प्रतिलिपि भेजूँगा। यह बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, बिंदु 4, पृष्ठ 3, पंक्ति 3 में, 'आयकर 1971 या 'या' पढ़ने के लिए। तो, इसका लोप किया गया। मुझे पता है, विधायी मसौदा एक विशेष कौशल है। दो-तीन व्यक्ति बैठ जाएं और अगर तीन में से कोई दो वकील हों तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट बहुत इंट्रेस्टिंग हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह जल्दी में नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कुछ हफ्ते पहले प्रधान मंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा था कि मैं कुछ बाहर के राजदूतों के साथ अमृतसर जाऊं क्योंकि गुरूनानक देव जी की 550वीं जन्मतिथि थी। जब मैं वहाँ था और मुझे पता लगा कि राष्ट्रपति ने पहले ही संसद की सत्र को बुलाया है, अगली सुबह यह कैबिनेट में लिस्टेड था। मैंने वहाँ से फोन किया कि इसे विदड्रॉ कर लो। उस समय संसद सत्र में नहीं थी| हम ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे थे। उसके बाद हमने विदड्रॉ किया। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के लिए ला रहे हैं बल्कि पिछले आठ-नौ महीने से इस पर काम चल रहा है। अगर हमने पहले 2017-18 में किया होता तो अब तक यह काम कम्पलीट हो गया होता। अभी भी हमारी कोशिश रहेगी, जो इंडीव्जुअल अप्लाई करेंगे क्योंकि दूसरा पोर्टल 16 दिसम्बर को शुरू होगा। उसको करने के बाद उनको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। केजरीवाल जी, "मैं उसे चेतावनी देना चाहता हूँ।" वह रोज स्टेटमेंट दे देते हैं, जो ठीक नहीं होती। एक दिन कहा कि यह लेजिस्लेटिव बिजनेस में लिस्टेड ही नहीं है और महात्मा गांधी की समाधि के पास जाकर नारे लगाने शुरू किए। सदन में भी बोले, लेकिन क्या हुआ? हम एक कैबिनेट में नहीं लाए, दूसरी कैबिनेट में लाए, इसमें भी समय लगता है। उसके बाद कहना कि यह लिस्टेड नहीं है कि जनता के साथ केन्द्रीय सरकार धोखा कर रही है। शीशा लेकर देखो आपने कितनी रुकावट डाली है। [अनुवाद] इसमें मैं एक चीज और कहना चाहता हूं ऑपरेटिव प्रोविजन तीन दिन में रजिस्ट्री करा दो। भाई साहब, ध्यान से रजिस्ट्री हम नहीं कराएंगे, डी.डी.ए. नहीं कराएगा, रजिस्ट्री दिल्ली की सरकार कराएगी, पैसे लेकर करें या न करे वो समस्या नहीं है एक दिन में रजिस्टार कितनी प्रोपर्टी को रजिस्टर कर सकता है, यह सवाल पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से आप मैकेनिकली करे तो केजरीवाल की मुंह से कही बात खुद ही न खानी पड़ जाए। अगर तीन दिन में करा दो, हम सबका करा देंगे, सेंकड पोर्टल करा कर उसके बाद तीन दिन में होती है कि तीस दिन में होती है हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी बार-बार किसी का नाम मत लो।

श्री हरदीप सिंह पुरी: महोदय, मैं राज्य सभा का डिस्पिलिन्ड मेंबर हूँ। मुझे माननीय अध्यक्ष से जो गाइडेंस मिलेगा, उसे मैं करूँगा। मैं कनक्लूड करना चाहूँगा। मैं सिर्फ तीन चीजें कहना चाहूँगा। इसमें रुकावटें लाई गईं, जो काम ग्यारह साल में नहीं हुआ, इसे हम तीन महीने नहीं, तीस दिन में कोशिश करके पूरा करेंगे। दूसरी बात, हमने सिर्फ कानून लाकर पोर्टल बना कर नहीं किया है, हमने डीडीए से रिक्वेस्ट की है कि वह अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हैल्प सेंटर लगाएं। उन्होंने पहले कहा था कि 25 लगाएंगे, मैंने गृह मंत्री जी के साथ कंसल्टेशन की तब मैंने कहा कि 25 मत लगाओ, 50 या 75 लगा दो ताकि कोई भी ऐसा नागरिक न हो जो वहां रहता हो और उसे सहायता मिलने में कोई कमी रह जाए। तीसरी चीज, यह बहुत ही रिवाल्युशनरी स्टैप/ कदम है। मैं अपने साथियों से हमेशा कहता हूँ, हो सकता है इसे इम्पलीमेंट करने में कहीं अगर कोई छोटी सी कमी रह गई,"हम 24x7 उपलब्ध हैं, और यदि कोई कठिनाईयां हैं, तो उप-राज्यपाल, डी.डी.ए. आवास मंत्रालय... और बाकी एजेंसियां आपके साथ बैठकर इस काम को पूरा करेंगी, हमें इस अन्याय को जो चल रहा है उसे समाप्त करना है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य बीच में बोलते हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं आता है। कल भी सुबह डिबेट में चर्चा हुई थी, मैं फिर क्लेरिफिकेशन कर दूँ कि न तो उनका रिकॉर्ड में पहले से था और न रहेगा। मेरी इजाजत के बिना जो माननीय सदस्य बोलते हैं, वह रिकॉर्ड में तब तक नहीं आता है जब तक मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के पक्ष में, जो मुख्तारनामा, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र या किन्हीं अन्य दस्तावेजों, जिनके अंतर्गत प्रतिफल संदाय के साक्ष्य के दस्तावेज सम्मिलित हैं, के आधार पर ऐसी कालोनियों में संपत्तियों पर कब्जा रखते हैं, ऐसी अप्राधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों का स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करके या अंतरण या बंधक द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष उपबंधों का और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 परिभाषाएं

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : मैंने भौतिक कब्जे के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। अगर कोई व्यक्ति जो संपत्ति का मालिक है, उसने अपना मकान किराए पर दे रखा है या किराए पर मकान ले रखा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास संपत्ति का भौतिक कब्जा नहीं है। इस समस्या का समाधान कैसे होगा?

श्री हरदीप सिंह पुरी: यह एक मुद्दा है जिसे हमें संबोधित करना होगा। जमीनी स्तर पर लोगों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मेरा अनुमान है कि लगभग 10 से 15 प्रतिशत मामलों में ऐसा होने की संभावना है। होगा क्या, अगर एक ही व्यक्ति के पास डॉक्युमेंट्स हैं और पोजेशन नहीं है तो कोई प्राब्लम नहीं है, क्योंकि कोई और क्लेमेंट नहीं है। अगर दो के पास है और दोनों में से एक कहता है कि मैंने किराए पर दिया हुआ है, दूसरा कहता है कि कागज मेरे पास हैं और मैं रह रहा हूँ, हमें एक निर्धारण करना होगा। लेकिन इसका समाधान हो जाएगा और जिन लोगों को ये कठिनाइयाँ हैं, उनके साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: माननीय सदस्य द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर मंत्री जी ने कहा कि भौतिक कब्जे के मामले को संबोधित किया जाएगा, मैं संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिमा मंडल जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 और 10 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जय नगर): माननीय अध्यक्ष, महोदय, विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि संपत्ति के प्रमाण के रूप में कई दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कॉलम 2, पंक्ति 7,-

"बिक्री विलेख"	*के पश्चात्*	

"या उपहार विलेख"	*अंत:स्थापित किया जाए*	(9)

कॉलम 2, पंक्ति 10,-

"कानूनी उत्तराधिकारी" *के स्थान पर*

"परिवार" *प्रतिस्थापित किया जाए* (10)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्रीमती प्रतिमा मंडल द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 और 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): माननीय अध्यक्ष जी, मैं बोलने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आप बीच में बात काट देंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जो लोग संशोधन पेश करने की परेशानी उठाते हैं, उन्हें समय दें। एक मिनट बोलने का समय देने से कोई हर्ज नहीं होता। आप बाद में क्लेरिफिकेशन देते हैं, बोलने के लिए समय दीजिए। क्यों जल्दी है? इतनी देर तक चर्चा चली।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रोफेसर सौगत राय:सर, मैं स्थानांतरित होने का अनुरोध करता हूँ:

[अनुवाद]

कॉलम 2, पंक्ति 10,-

"किरायेदार"	*के पश्चात्*
"या कोई भी व्यक्ति जिसके पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक से अधिक आवास इकाई हो"	*प्रतिस्थापित किया जाए*

(11)

मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों के पास पहले से ही आवास इकाइयां हैं, उन्हें अप्राधिकृत कॉलोनियों में और अधिकार दिए जाएं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 संपत्ति अधिकारों की मान्यता

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 4 से 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कॉलम 3, पंक्ति 6, --

लोप किया जाए "नवीनतम"।" (4)

"कॉलम 3, पंक्ति 8, --

"प्रतिफल का भुगतान" *के स्थान पर*

"लेन देन" *प्रतिस्थापित किया जाए* (5)

"कॉलम 3, पंक्ति 12, --

"नवीनतम" *लोप किया जाए* (6)

"कॉलम 3, पंक्ति 14, --

"प्रतिफल का भुगतान" *के स्थान पर*

"लेन देन" *प्रतिस्थापित किया जाए* (7)

"कॉलम 3, पंक्ति 23, --

"प्रतिफल का भुगतान" *के स्थान पर*

"लेन देन" *प्रतिस्थापित किया जाए* (8)

यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृपया 'प्रतिफल के भुगतान' को प्रमाणित करने से संबंधित इस मुद्दे पर विचार करें। अगर मैंने दस वर्ष पहले कैश देकर एक घर खरीदा है, तो सबूत क्या है? भुगतान के

पास सबूत होने चाहिए लेकिन यहां हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यदि चेक लेनदेन होता है, तो सबूत होंगे; कुछ अन्य लेनदेन के लिए भी, सबूत होंगे। अगर मैंने एक घर खरीदा या नकदी पर एक घर बेचा, तो कोई सबूत नहीं होगा। इसलिए, मेरा संशोधन 'प्रतिफल के भुगतान' को प्रमाणित करने से संबंधित है। मैं एक बहुत स्पष्ट कानूनी लेनदेन कर रहा हूं। इसे एक 'संव्यवहार' होने दें जो प्रमाणित है। यही वह संशोधन है जिसे मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ।

श्री हरदीप सिंह पुरी : महोदय, वह एक कानूनी बात उठा रहे हैं और मैं जवाब देना चाहता हूं। अब, यह 'प्रतिफल' का प्रमाण है, लेकिन आपके पास अभी भी उन पांच दस्तावेजों में से एक या उन पांच दस्तावेजों में से तीन हैं। आपने नकदी का भुगतान करके घर खरीदा होगा, मैं उस पर नहीं जा सकता; हालांकि, आपके पास कब्जा और सबूत है कि वकील की शक्ति, बेचने के लिए एक समझौता, आदि हो सकता है। अब, उसके ऊपर, आपके पास यह है। तो, वह लेनदेन समाहित है। आपके पास बिजली का बिल भी हो सकता है, आपके पास वहां बना राशन कार्ड हो सकता है। तो, वह सब सबूत है जिसका मैं यहां उल्लेख कर रहा हूँ। स्पष्ट रूप से, यदि आप इसे पढ़ते हुए पढ़ते हैं, तो आपका संशोधन अनावश्यक है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 से 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो.सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

प्रोफेसर सौगत राय : महोदय, मैं आगे प्रस्ताव करता हूँ:

"कॉलम 3, पंक्ति 10 *के पश्चात*, -

अंतःस्थापित किया जाए

"बशर्ते कि अप्राधिकृत कॉलोनी का नियमितीकरण केवल तभी लागू होगा जब निवासी सार्वजनिक सड़कों, नालों, नालियों, और सरकारी एजेंसियों द्वारा पार्कों या सामान्य स्थानों के रूप में उपयोग की जाने वाली खुली भूमि पर समयबद्ध तरीके से अतिक्रमण को खाली करते हैं:

बशर्ते कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, नगर निगम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जैसी सरकारी एजेंसियां दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के तहत सार्वजनिक स्थानों और चौड़ी सड़कों पर अतिक्रमण न होने को सुनिश्चित करेंगी:

यह भी प्रावधान है कि नियमितीकरण के लिए चिन्हित अनाधिकृत कालोनियों में कोई वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं होंगी।"।"

(12)

"कॉलम 3, पंक्ति 29 के पश्चात्, -

अंतःस्थापित किया जाए

"(7) पिछले कर निर्धारण वर्ष के दौरान प्रति वर्ष दस लाख रुपये से अधिक आय वाले किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत कोई संपत्ति अधिकार प्रदान करने या मान्यता देने पर विचार नहीं किया जाएगा।"।" (16)

मेरे अपने संशोधन में पंक्ति 10 के पश्चात एक प्रावधान जोड़ा है, वह है खंड 3 (1) क्योंकि अगर किसी को अधिकार दिया गया है और उसने पहले ही किसी सरकारी जमीन या ऐसी संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया है, तो उसे अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यही प्रावधान मैं जोड़ना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 13 से 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब):महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कॉलम 3, पंक्ति 11, --

"ठीक करें"	*के स्थान पर*	
"ठीक नहीं करें"	*प्रतिस्थापित किया जाए*	(13)

"कॉलम 3, पंक्ति 19, --

"मुद्रांक शुल्क"	*के स्थान पर*	
"कोई स्टांप शुल्क नहीं"	*प्रतिस्थापित किया जाए*	(14)

"कॉलम 3, पंक्ति 25 *के स्थान पर*, --

"मामला हो सकता है"	*प्रतिस्थापित किया जाए*	(15)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 से 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री हरदीप सिंह पुरी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): पुरी साहब मैंने टाइम फ्रेम के बारे में पूछा है क्योंकि यह चौथी बार रेगुलेशन हो रहा है। यह रेगुलेशन नया नहीं है, पीछे भी हुआ है। आपसे मैंने लैंड पुलिंग के बारे में भी एक सवाल पूछा था। मास्टर प्लान के साथ इसका क्या ताल्लुक रहेगा, ये तीन विषयों पर आप बोल दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, आप भी एक प्रश्न पूछ लीजिए।

अभी प्रतिमा मंडल जी को पूछ लेने दीजिए। दादा आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिमा मण्डल : महोदय, एक कनिष्ठ सदस्य और एक महिला सदस्य होने के नाते, मुझे आपके प्रोत्साहन और समर्थन की आवश्यकता है। वे वरिष्ठ सदस्य हैं। आप उनके लिए बहुत समय दे रहे हैं। मुझे समय नहीं मिला। इसलिए, मुझे आपके समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

हालांकि संशोधन का पहले ही निपटारा कर दिया गया है, मुझे वह पूरा करने का मौका नहीं मिला जो मैं कहना चाहता था। मैं एक स्पष्टीकरण आपके, माध्यम से, माननीय मंत्री जी से प्राप्त करना चाहूँगा। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं या संपत्ति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें, "सौदा-नामा" गायब है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसे भी शामिल करें। धन्यवाद, महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[हिन्दी]

श्री हरदीप सिंह पुरी: अध्यक्ष महोदय, एक अन्य सवाल भी आया था कि जो रजिस्ट्रेशन होगी, वह महिला के नाम में होगी, यहां पर अलग-अलग रेट्स हैं। यदि आप एक महिला के रूप में पंजीकरण करते हैं तो आपको कम दर मिलेगी। इसलिए, मुझे आशा है कि अधिक से अधिक लोग अनुकूल दरों का लाभ उठाएंगे और महिलाओं के नाम पर संपत्ति का पंजीकरण करवाएंगे। यह मैं कहना चाहूँगा। मैंने आपको यह भी बताया है कि प्रधान मंत्री आवास योजना में हमने 95 लाख से भी अधिक सैंक्शन किए हैं, एक मौलिक शर्त है कि संपत्ति को या तो घर की महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। तो, यह लैंगिक सशक्तिकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। आपने एक प्रश्न पूछा था, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे लगा कि इसे जल्दी में कर रहे हैं, मेरे पास इसकी इन्फार्मेशन है। मास्टर प्लान में हम लिब्रलाइज्ड डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स इस्तेमाल करेंगे। इसमें टाइम फ्रेम क्या होगा, यह मैं आपको बताता हूँ। यह सारा काम डीडीए करेगी। इसके लिब्रलाइज्ड डेवलपमेंट नॉर्म्स भी डीडीए बनाएगी, उसके बाद ले-आउट प्लान्स बनेंगे। डीडीए यह काम करेगी। इसके दो स्टेप्स हैं। एक तो हमें जानकारी चाहिए कि 1731 कौन सी कालोनीज हैं, उनकी क्या बाउंड्रीज हैं और जो डिजिटल सेटेलाइट इमेजरी है,

उसकी ग्राउंड पर वेरिफिकेशन होगी कि वे एकसमान हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि सेटेलाइट इमेजनरी पुरानी होती है, कॉलोनीज का शेप बदल चुका होता है। इसके लिए 15 आरडब्ल्यूए को 15 दिन दिए जाएंगे। यह कार्य शुरू हो गया है। आज तक करीब 600 कॉलोनीज की सेटेलाइट इमेजेज मिल गई थीं, उनको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, फिर उनको अपलोड करेंगे। उसके बाद 16 दिसम्बर को एक अन्य पोर्टल इनॉगरेट होगा, जिससे व्यक्तिगत आवेदक आवेदन कर सकते हैं। अब पूरी 1731 कालोनीज का काम कब खत्म होगा, इन कालोनीज में जो हमारे 40 लाख नागरिक रहते हैं, सात लाख या आठ लाख एप्लीकेंट्स हो गए, जैसे ही पोर्टल खुला, वे यदि एकदम आना शुरू हो गए तो मैं समझता हूं कि यह काम 15 दिन में भी हो सकता है। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल लिया जा रहा है। मेरे पास बहुत लम्बी सूची है, इसलिए मैं उन माननीय सदस्यों को, जो कल और आज सुबह शून्य काल में बोल चुके हैं, आज मौका नहीं दे रहा हूँ, कल उन पर विचार किया जाएगा।

श्रीमती साजदा अहमद।

[अनुवाद]

श्रीमती साजदा अहमद (उल्बेरिया): मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, महोदय, मुझे 'शून्यकाल' के दौरान बोलने का मौका देने के लिए। मैं देश भर में वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर बोलना चाहती हूँ।

सरकार द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि देश में 16,937 वक्फ बोर्ड संपत्तियों का अतिक्रमण किया गया था। ये अतिक्रमण निजी पक्षों द्वारा और कभी-कभी सरकारी एजेंसियों द्वारा भी किए जाते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा और अतिक्रमण को रोकने के लिए, एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की गई है। लेकिन अब तक, वक्फ बोर्ड की 5,94,139 अचल संपत्तियों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। लेकिन अभी तक इन संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कोई तंत्र अपनाया नहीं गया है।

वक्फ अधिनियम के अनुसार, राज्यों में सभी वक्फ संपत्तियों की अधीक्षण राज्य वक्फ बोर्डों के पास निहित है, जो अप्राधिकृत कब्जे और ऐसी संपत्तियों के अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और प्रबंधन करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन राज्य वक्फ बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ कानून के साथ तय किए जाते हैं।

जैसा कि मीडिया में बताया गया है, वक्फ संपत्तियों पर लगभग 24,000 मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं और राज्य वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों को मुफ्त पाने की स्थिति में नहीं हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मुकदमेबाजी में देरी और कानून में किसी भी खामियों का अध्ययन और समीक्षा करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित की जाए, ताकि सभी वक्फ संपत्तियों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जा सके और मुसलमानों के बड़े लाभ के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि आप लिखकर भी लाएं हैं, तो अपनी बात संक्षिप्त में बोलें। आप एक मिनट में अपने विषय और अपनी माँग को रखें। मैं कल सुबह भी आपको मौका दूँगा।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): महोदय, आपने मुझे बहुत संवेदनशील विषय पर बोलने का मौका दिया है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र सीधी जिले के रेल के सपने को पूरा करने वाली 35 साल पुरानी परियोजना की कठिनाई को बताने जा रही हूँ, जो अब हमारे क्षेत्र की ज्वलंत समस्या बन गई है। जब कोई भी सरकार किसी क्षेत्र में किसी परियोजना को लेकर आती है तो उस परियोजना के लिए भूअधिग्रहण करती है और उसके मुआवजे से लोगों की कई कठिनाइयां दूर होती हैं और निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार भी मिलता है। इसी तरह हमारी ललितपुर-सिंगरौली परियोजना 35 साल पुरानी परियोजना है। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि पर्याप्त बजट की उपलब्धता होने के कारण इस परियोजना को हम पुन: जीवंत कर पाए हैं और इसके कार्य को गति प्रदान कर पाए हैं। इससे हमारे क्षेत्र के कई बेरोजगारों को रोजगार भी मिला है और पर्याप्त मुआवजे की राशि भी वितरित हुई है।

महोदय, मैं जो मुख्य बिंदू आपके सामने रखना चाहती हूं, वह यह है कि 11.11.2019 को हमें एक पत्र प्राप्त हुआ और उसमें यह आदेश प्राप्त हुआ कि अब भूअधिग्रहण के बाद दी जाने वाली नौकरियां देना बंद हो जाएगी और साथ ही मुआवजे की राशि कम कर दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इससे हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों के वे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, जो इस परियोजना से जुड़े हुए थे। मेरा आपसे आग्रह है कि 11.11.2019 से पहले के जितने भी भूअधिग्रहण के मामले हैं, उन्हें नौकरियां दे दी जाएं और साथ ही मुआवजे की राशि का कलेक्टर दर पर वितरण किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. ए. चेल्लाकुमार (कृष्णागिरी): माननीय अध्यक्ष, महोदय, ई.एस.आई. अस्पताल प्रसिद्ध हैं और अपने रोगियों की देखभाल के लिए सराहना करते हैं।

ई.एस.आई. के लाखों पंजीकृत सदस्य हैं, लेकिन माध्यमिक और तृतीयक देखभाल ई.एस.आई. पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या के बराबर नहीं है। आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान होसुर के ई.एस.आई. अस्पताल की ओर दिलाना चाहता हूँ जो मेरे कृष्णागिरि संसदीय क्षेत्र में है। 1.5 लाख ई.एस.आई -पंजीकृत लोग हैं। 1.5 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए छह डिस्पेंसरी और एक प्राथमिक देखभाल अस्पताल हैं।

होसुर एक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक केंद्र है जिसमें स्वास्थ्य के संबंध में उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम वाले उद्योग हैं। ऐसे सभी उद्योगों के कर्मचारियों को विभिन्न व्यावसायिक बीमारियों और खतरों का सामना करना पड़ता है।

सभी मेहनती मजदूरों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए वर्तमान प्राथमिक देखभाल अस्पताल को मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में उन्नत करने की आवश्यकता है। होसुर ई.एस.आई. अस्पताल में 8 एकड़ भूमि है। इसका उपयोग विकास और विस्तार कार्य के लिए किया जा सकता है। एक नया मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल वहाँ की तत्काल आवश्यकता है और इसे आठ एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा सकता है जो पहले से ही उपलब्ध है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और परियोजना को तत्काल मंजूरी दें। धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यावती (अनाकापल्ले): माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं उत्तरांन्ध्रा सुजला स्रावन्ति के बारे में हिन्दी में बात करने की कोशिश करूँगी। उत्तरांन्ध्रा सुजला स्रावन्ति, उत्तरान्ध्रा की प्रमुख सिंचाई प्रणाली है, जो विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम इन तीन प्रमुख जिलों को कवर करती है। राज्य सरकार ने दिवंगत माननीय मुख्य मंत्री श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में इसको 7214 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दे दी थी किंतु अब परियोजना की लागत बढ़ कर लगभग 16,586 करोड़ रुपए हो गई है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आन्ध्र प्रदेश बहुत वित्तीय संकट में है। इस हाउस को मालूम है कि हमारे राष्ट्र में रेवेन्यू में डैफिसिट हुआ है, इसलिए इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए केन्द्र से निधि आबंटित करें क्योंकि इस परियोजना से उत्तरी आन्ध्र प्रदेश के तीन प्रमुख जिलों की सिंचाई की और जलापूर्ति की मांग पूरी होगी। धन्यवाद।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): माननीय अध्यक्ष जी, शून्यकाल में अपने क्षेत्र के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे विस्तार को लेकर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। वर्ष 2003 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र, विशेष रूप से बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़, पौंटा साहिब-काला आम्ब और मोगीनंद इत्यादि क्षेत्रों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगीं। यहीं नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगीं, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र का यह जो क्षेत्र है, अभी भी रेलवे विस्तार से वंचित है। मैं सरकार से यह माँग करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के बद्दी- बरोटीवाला-नालागढ़, जो कि चंडीगढ़ के बहुत समीप पड़ता है, उसको रेलवे से जोड़ा जाए। साथ ही पौंटा साहिब जो कि फार्मास्युटिकल्स के लिए पूरे एशिया में नं. एक पर है और इसके साथ ही कालाआम्ब और मोगीनन्द जो कि देहरादून के पास पड़ते हैं, इनको भी रेलवे के साथ जोड़ा जाए। नरेन्द्र मोदी जी जो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते

हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस माँग को पूरा किया जाए और रेलवे का विस्तार यहाँ पर किया जाए। धन्यवाद।

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि अंडमान और निकोबार दूर दराज का एरिया है और अंडमान निकोबार में हैल्थ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज अंडमान निकोबार में 3 जिला अस्पताल हैं, 22 पीएचसीज हैं और 4 सीएचसीज हैं। सरकारी तंत्र के हिसाब से तो वहां सुविधाएं हैं लेकिन इलाज के तौर पर वहां पर सुविधाओं की बहुत कमी है। छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज वहां पर होता है लेकिन कोई भी जो मेजर इश्यू है, हार्ट का हो या लंग्स का हो, किडनी का तो वहां डायलिसिस होता है, लेकिन ब्रेन का हो, नर्वस सिस्टम का हो, वहां पर कोई भी इलाज नहीं होता है। आम तौर पर अंडमान निकोबार के लोग गरीब हैं। वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। लोगों की इनकम का जरिया नहीं है। इसलिए जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो उनको अंडमान निकोबार से या तो चेन्नई जाना पड़ता है या कोलकाता जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में जितने 22 पीएचसीज हैं, उनमें अल्ट्रा-साउंड की सुविधा देने का प्रबन्ध किया जाए। इसलिए वहां अल्ट्रा साउंड की सुविधा का प्रबंध किया जाए, क्योंकि वहां के लोग गरीब हैं। वहां पर जो एरियाज हैं - दिगलीपुर, मायाबंदर, रंगा, कदमतल्ला, बाराटान, लिडलैंडामान, कैमलवे, नानकौरी, निकोबार, ये दूर-दराज के एरियाज हैं। यदि वहां पर किसी मां-बहन को पेट की तकलीफ होता है और वहां से पोर्टब्लेयर के मेन हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, तो जब वे वहां से आती हैं, इंसानियत की बात है, गौर करने वाली यह बात है कि लोग गरीब हैं, वहां से पोर्टब्लेयर 300 किलोमीटर दूर है, वहां से आने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। वहां उनको साथ में किसी को ले जाना पड़ता है। वे अपने पिताजी को लाएं या पति को लाएं, उनके लिए वहां से आने के लिए पैसा नहीं होता है। वहां से एक और इंसान को साथ में लाना बहुत मुश्किल होता है। जब वे मेन हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, तो यह दु:ख की बात है कि वहां उनको आज पेट में तकलीफ

है, लेकिन उनको 10 दिन या 20 दिन बाद की डेट दी जाती है। आप 10 दिन या 20 दिन के बाद आएंगे, तब हम लोग अल्ट्रासाउंड करेंगे। हम ने बहुत पहले एक 'दामिनी' पिक्चर देखी थी, जिसमें सन्नी देओल साहब थे, जो बोलते थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आज अंडमान और निकोबार में यह सिलसिला है। इंसान को आज तकलीफ है, लेकिन उसको पांच-दस दिनों के बाद ट्रीटमेंट का मौका मिलता है। ...(व्यवधान)

सर, बहुत मुश्किल से मौका मिला है, कृपया आप मेरी बात सुन लीजिए। वह बहुत दूर-दराज का इलाका है। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस तकलीफ को दूर करने के लिए वहां पर जो 22 प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स हैं, उनमें अल्ट्रासाउंड मशीन का बंदोबस्त किया जाए। जो चार सीएचसी हैं, वहां डायलिसिस मशीन का बंदोबस्त किया जाए। अगर ये सुविधा होगी तो वहां के लोगों को आराम होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, वहां के लोगों को बहुत मुश्किल होगी।

मैं दूसरी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वहां 50 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पोस्ट्स सैंक्शन्ड हैं। यह बड़े दु:ख की बात है, वहां पर 10-20 सालों से 50 में से सिर्फ 14 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, 36 पोस्ट्स खाली हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहता हूँ कि कोई न कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि वहां डॉक्टर्स की भर्ती के लिए अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत प्रयास करता है, लेकिन वहां कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं जाता है। एम्स या बड़ा कोई हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि एक साल या छ: महीने के लिए यहां से डॉक्टर्स जाएं, ताकि गरीबों को मुसीबत से छुटकारा मिल सके।

सर, लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहां पर मेडिकल के बहुत पद खाली हैं, नर्स, फार्मासिस्ट, एएनएम और आया की बहुत सारी पोस्ट्स वैकेंट हैं। मेरी माध्यम से सरकार से यह भी माँग है कि पोस्ट्स को जल्द से जल्द भरा जाए और वहां के लोकल लोगों को ही उन पोस्ट्स पर भर्ती किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. पार्थिबन (सलेम): माननीय अध्यक्ष, महोदय, मुझे अविलंबनीय लोक महत्व का विषय उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सलेम इस्पात संयंत्र के निजीकरण के लिए वैश्विक बोलियाँ आमंत्रित की हैं। तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों ने सलेम इस्पात संयंत्र के निजीकरण का कड़ा विरोध किया है और केंद्र सरकार से इस निर्णय को छोड़ने का आग्रह किया।

नए सलेम इस्पात संयंत्र के निजीकरण ने श्रमिकों और जनता के बीच अशांत माहौल पैदा कर दिया है। "सलेम स्टील प्लांट के हज़ारों कर्मचारी उनके परिवारों के साथ, और सलेम जिले की आम जनता केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।"

महोदय, श्रमिकों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए, मैं अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार को सलेम इस्पात संयंत्र के निजीकरण की घोषणा को रद्द करना चाहिए, और इसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में कार्य करना जारी रखना चाहिए।

सलेम इस्पात संयंत्र 1981 में मुथमिल अरिंगर डॉ. कलैगनार द्वारा शुरू किया गया था। सलेम इस्पात संयंत्र के उत्पादों ने अपनी गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित की है। उन्हें 37 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। सलेम इस्पात संयंत्र बहुत अच्छी अवसंरचना सुविधाएं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, तथा इसकी परिसंपत्तियां 40,000 एकड़ भूमि सहित लगभग 15,000 करोड़ रुपये की हैं। इस क्षेत्र के किसानों ने सलेम इस्पात संयंत्र शुरू करने के लिए अपनी कृषि भूमि सरकार को देने के लिए स्वेच्छा से कार्य किया था।

सलेम इस्पात संयंत्र सलेम के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। सलेम इस्पात संयंत्र ने अपने विस्तार कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ली गई ऋणों का उपयोग किया है। सलेम इस्पात संयंत्र का अधिकांश लाभ बैंकों को ब्याज भुगतान के लिए जाता है।

इसलिए, केंद्र सरकार को सलेम संयंत्र के ऋण और ब्याज राशि को तुरंत माफ करना चाहिए।

केंद्र सरकार को इस लाभदायक सलेम इस्पात संयंत्र को चलाना जारी रखना चाहिए। श्रमिकों के कल्याण की रक्षा की जानी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से सलेम इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि तुरंत आवंटित करने का आग्रह करता हूँ।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिन्होंने आज अपनी रिक्वेस्ट दी है, जो माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं, उन सबको आज और कल बोलने का अवसर देने की जिम्मेवारी मेरी है। जो सदस्य सदन में बैठे हुए हैं, उनको मैं आज भी बोलने का अवसर दूँगा और कल भी दूँगा।

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेन संख्या 54075 और 54076 सीतापुर से शाहजहाँपुर होते हुए दिल्ली तक चलाई जा रही थी। आज वह ट्रेन सीतापुर से बंद कर दी गई है। उसका आवागमन शाहजहाँपुर से दिल्ली के लिए कर दिया गया है। सीतापुर से शाहजहाँपुर की दूरी 90 किलोमीटर है। सीतापुर से लखनऊ की दूरी 100 किलोमीटर है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो ट्रेन शाहजहाँपुर से चलाई जा रही थी, उसको पुन: सीतापुर से चलाई जाए ताकि सीतापुर और लखीमपुर के यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती मंजुलता मंडल (भद्रक): माननीय अध्यक्ष, महोदय, मुझे इस महती सभा में बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र भद्रक है जो ओडिशा राज्य का एक तटीय हिस्सा है, वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं आम लोगों की नंगे न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वर्तमान जिला मुख्यालय अस्पताल में हृदय रोग, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी आदि जैसी कई महत्वपूर्ण शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं।

इसके अलावा, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि, यह मुख्यालय आस-पास के चार जिलों का संगम है जिसके कारण हज़ारों मरीज नियमित और आपातकालीन उपचार के लिए दैनिक रूप से आते हैं। आम पुरुषों को बेहतर उपचार प्राप्त करने के लिए 120 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है।

लोगों की मांग कई आंदोलनों, *धरनाओं*, रैलियों का आयोजन, *बांध* सिविल सोसायटी, वकीलों के संघ, वरिष्ठ नागरिकों, सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा बार-बार व्यक्त की गई है।

हालांकि मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए जिला मुख्यालय में जमीन उपलब्ध है, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

आपके माध्यम से, महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम 100 बेडों के साथ एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए जिसमें अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ और पर्याप्त आधारभूत संरचना हो जिससे सामान्य जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।"

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रमा देवी जी, आप तो कानून का पालन करेंगी।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिले सहित बिहार में समेकित बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। वैसे देखा जाए, तो यह योजना बाल विकास के लिए कम और सरकारी राशि की बंदरबांट हेतु ज़्यादा जाना जाता है। इसके क्रियान्वयन में काफी विसंगतियाँ हैं, जिनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आम तौर पर यह देखा जाता है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार के लिए दी जाने वाली राशि में कमीशनखोरी के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों का बुरा हाल है। जो पोषाहार बच्चों के बीच वितरित किया जाता है, वह निर्धारित मापदंड से कम होता है तथा गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है। इस लूट-खसोट में सीडीपीओ, पर्यवेक्षिका से लेकर आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन एवं नियंत्रण, महिला पर्यवेक्षिका व बाल विकास परियोजना अधिकारी के जिम्मे होता है। परन्तु, इनकी मिलीभगत से केन्द्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी योजना का शत-प्रतिशत लाभ गरीब परिवार के बच्चों को नहीं मिलता है।

अत: सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि समेकित बाल विकास परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए, इसके निवारण हेतु कोई ठोस नीति बनाई जाए, ताकि सरकार की नौनिहालों को स्कूल से पूर्व शिक्षा दिए जाने की योजना को उद्देश्यपूर्ण सफलता मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती नुसरत जहां (बसीरहाट) : आज, मैं पूर्वी रेलवे के अंतर्गत हसनाबाद से समसर्नगर, हिंगलगंज तक अपने जिले बसीरहाट में रेलवे लाइन के विस्तार की माँग करने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। यह प्रस्ताव उस क्षेत्र में पर्यटन के व्यापक हित और उस सुदूर क्षेत्र में रहने वाले हज़ारों लोगों की आजीविका के लिए जिला

शहर और कोलकाता की राजधानी के साथ बिना किसी रेलवे संपर्क के बहुत महत्वपूर्ण है। वे पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर हैं जो पर्याप्त नहीं है। इससे उन क्षेत्रों के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, विशेष रूप से छात्र, विक्रेता और छोटे व्यापारी। रेलवे संपर्क के अभाव में कई लड़कियों और लड़कों की नौकरी छूटती जा रही है। कुछ वर्ष पहले, पूर्व रेल प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण किया गया था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से, संबंधित मंत्री जी से, अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस प्रस्ताव पर विचार करें ताकि उस क्षेत्र के लोगों को कुछ राहत मिल सके।

[हिन्दी]

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज की तरफ ले जाना चाहूँगी। लालगंज के ब्लॉक लालगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महिला चिकित्सालय केन्द्र कटघर में बना था। वहां कई वर्षों से क्षेत्रीय महिलाओं का उपचार भी होता रहा, लेकिन महिला स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में बंद पड़ा है।

इसके अलावा मेरे जनपद आजमगढ़ में लगभग सभी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमोवेश बहुत ही दयनीय स्थिति है। कहीं दवा नहीं है तो कहीं डॉक्टर उपलब्ध नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राथमिक सामुदायिक केन्द्रों में डॉक्टरों और दवाओं की उपबल्धि जल्द से जल्द कराई जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बैन्नी बेहनन (चालाकुडी): मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि केरल के एक स्कूल में एक अभूतपूर्व और दुखद घटना घटी है, जहाँ एक बारह वर्षीय छात्र की साँप के

काटने से मृत्यु हो गई। सांप कक्षा में था। सांप के काटने के बाद, तुरंत कोई चिकित्सा देखभाल प्रदान नहीं की गई। यह घटना इतनी गंभीर है कि इसने स्कूल प्रणाली की अंतरात्मा को झकझोर दिया। यह समस्या कई स्कूलों में हो रही है, क्योंकि कई स्कूलों में सांप स्कूल के मैदान, कक्षा और शौचालय में आ रहा है। यह आदिवासी क्षेत्रों में अधिक है। जनजातीय क्षेत्रों के अधिकांश मॉडल शोध विद्यालय जंगलों में हैं और उनके छात्रावास भी जंगलों में हैं। ये सभी भवन जर्जर हालत में हैं। राज्य सरकार ने पहले ही स्कूल के नवीनीकरण के लिए धन की मंजूरी दे दी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए, केंद्र सरकार को स्कूल भवनों, स्कूल छात्रावासों और शौचालयों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त धन मंजूर करना चाहिए क्योंकि आजकल छात्रों के माता-पिता अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजने से डरते हैं।

श्री रामुलु पोथुगंती (नगरकुरनूल): महोदय, मेरे तेलंगाना राज्य में, 12,751 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से कुल अनुसूचित ग्राम पंचायतें 1281 हैं और 100 प्रतिशत ग्राम पंचायतें 1177 हैं। इस संबंध में, यह कहा गया है कि राज्य भर में केवल 5833 डाकघर स्थित हैं जो अन्य राज्यों की तुलना में घाटे में हैं। इसलिए, तेलंगाना राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में नए पोस्ट ऑफिस की शीघ्र आवश्यकता है, जिसमें उचित कर्मचारी हों जैसे कि शाखा पोस्ट मास्टर (बी.पी.ओ.), पोस्टमैन, जो ऐसे पोस्ट ऑफिसेस नहीं हैं। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवा नेटवर्क प्रणाली नहीं है, प्रत्येक गांव में नए डाकघरों को खोलने से अतिरिक्त लाभ होगा और पोस्टमैन/डाक सेवक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा, जैसे प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पेंशन भुगतान का वितरण और मनरेगा के ग्रामीण लाभार्थियों को मजदूरी का वितरण। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे डाकघरों को खोलना अत्यधिक लाभकारी होगा, विशेष रूप से वृद्ध लोगों और बीमार व्यक्तियों के लिए जो लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा, यह न केवल अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि इसे बचत खाते खोलने आदि के संदर्भ में ग्रामीण परिवारों से अधिक आय प्राप्त होगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इसलिए, मैं, केंद्र सरकार और माननीय संचार मंत्री जी से तेलंगाना राज्य में शेष 6,918 ग्राम ग्राम पंचायतों में डाकघर खोलने की मंजूरी देने का आग्रह करूंगा। इससे ग्रामीण लोगों को जोड़ने में, डाक सेवाओं तक पहुंचने में, बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मेरा आग्रह है कि कल मैं शून्य काल लूंगा और जिन माननीय सदस्यों को आज जाना है, वे अपनी रिक्वैस्ट दे दें, बाकी को कल 12 बजे के बाद सभी सदस्यों को, जो यहां मौजूद है, उनको बोलने का मौका दूंगा।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र के संदर्भ में आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूं कि पटना मुख्य नहर एवं सभी निश्रित प्रणालियों से बिहार के पटना, अरवल और औरंगाबाद जिले जुड़े हुए हैं। इनमें बानसागर जलाशय और रिहन्द डेम द्वारा पानी भेजा जाता है, लेकिन नहर का उतार-चढ़ाव ठीक न होने व जर्जर अवस्था में होने के कारण सभी जगह पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है और किसानों में काफी आक्रोश है। यह पूरा इलाका खेती पर डिपेंड है। खेत की सिंचाई समुचित रूप से नहीं हो पा रही है इससे किसानों में आक्रोश है। किसानों की स्थिति खराब है। बिहार सरकार द्वारा कदवन जलाशय का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कदवन जलाशय का डीपीआर बनाने का कार्य चल रहा है। कदवन जलाशय का निर्माण होने से बिहार राज्य के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कदवन जलाशय का निर्माण कार्य जल्द से जल्द हो जाए। इन्द्रपुरी जलाशय से निश्रित पटना मुख्य नहर एवं इससे निश्रित प्रणालियों का पक्कीकरण करवाने का कष्ट करें। मैं आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव आपके पास लम्बित पड़ा हुआ है, उसकी स्वीकृति अविलम्ब प्रदान करके पटना में हमारे संसदीय क्षेत्र का इलाका, खास तौर पर पाली, नौबतपुर, बिक्रम इत्यादि। अरवल और औरंगाबाद का बहुत बड़ा इलाका जहां सिंचाई की सुविधा नहीं होने की वजह से, नहर अव्यवस्थित होने से लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुन: जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, मैंने उनसे मिलकर

व्यक्तिगत अनुरोध भी किया था और अब पुन: सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र कार्रवाई करें और इस योजना की स्वीकृति प्रदान करके किसानों को समुचित सहायता प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इंदौर की ओर दिलाना चाहता हूं। इंदौर स्वच्छता में लगातार तीन वर्षों से पूरे देश में नंबर वन आ रहा है और इस बार भी यानी चौथी बार भी नंबर वन आने वाला है। लेकिन रेल की समस्या है। इंदौर से हावड़ा ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलती है। इसके स्टेशंस की संख्या ज्यादा है और इस पर पेसेंजर्स का लोड भी बहुत ज्यादा रहता है।

सांय 07.00 बजे

मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इस क्षिप्रा एक्सप्रेस, जो इंदौर से हावड़ा तक के लिए चलती है, उसको प्रतिदन चलाया जाए। माननीय रेल मंत्री जी ने भी 16 अप्रैल को इंदौर और भोपाल में इसकी घोषणा की थी। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि एक ट्रेन इंदौर से पटना तक के लिए है, जो तीन दिन चलती है, उस ट्रेन को भी पूरे सप्ताह चलाया जाए, क्योंकि पैसेंजर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से वेटिंग लिस्ट भी बहुत ज्यादा रहती है।

मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इंदौर से मुंबई के लिए बहुत सारे पैसेंजर्स हो गए हैं। इसलिए, एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन इंदौर से मुंबई के लिए भी चलाई जाए। इसके अलावा इंदौर से दिल्ली के लिए तेजस चलाई जाए। माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय इंदौर से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के लिए इंदौर से उदयपुर के लिए जो गाड़ी चलती है, उसका समय परिवर्तन किया जाए, क्योंकि वह सुबह 5 बजे उदयपुर पहुंचती है। मेरा यह मानना है कि अगर उसको इंदौर से 8 बजे चलाया जाए, तो वह उदयपुर सुबह 8 बजे पहुंचेगी। मेरा एक और निवेदन यह है कि इंदौर से जयपुर के लिए जो ट्रेन चलती है, वह सुबह 6 बजे इंदौर से चलती है और शाम को जयपुर पहुंचती है, उसे भी रात में चलाया जाए। मेरा अंतिम निवेदन यह है कि इंदौर से बीकानेर के लिए जो ट्रेन चलती है, उसको गुरदासपुर तक चलाया जाए और इंदौर से चंडीगढ़ तक के लिए जो ट्रेन चलती है, उसको ऊना और धर्मशाला तक बढाया जाए।

श्री प्रसून बनर्जी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र हावड़ा है। वहां पर एक समस्या है। मेरे यहां पर संसार का सबसे अच्छा बॉटनिकल गार्डन है और वह भारत का भी सबसे अच्छा बॉटनिकल गार्डन है। वह एकदम बर्बाद हो गया है। कोई भी मेन्टीनेंस नहीं है। वह खत्म हो गया है, सारे रास्ते और सब कुछ खराब हो गए हैं। वहां बहुत सारी समस्या है। सभी लोग आते थे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, इसलिए उस पर तुरंत ध्यान दिया जाए। भारत का बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है। वहां पर जितने भी पेड़ थे, सब बर्बाद हो गए हैं। मेरी आपके माध्यम से यह विनती है कि जितनी जल्दी हो सके माननीय मंत्री जी उस पर अपना ध्यान दें। इसीलिए, मैं आपको बता रहा हूं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मैंने आपके माध्यम से एक बार और भी कहा है। मैं यहां पर दो बार और बोल चुका हूं। मैं आज तीसरी बार बोल रहा हूं। मेरी यह विनती है कि जितनी जल्दी हो सके, दो दिन, चार दिन या एक हफ्ते के अंदर उस काम को करा दिया जाए, तो अच्छा रहेगा।

[22*]**श्री एस. वेंकटेशन (मदुरै):** माननीय अध्यक्ष महोदय, वणक्कम। स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (नीट-पी.जी.) के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि केवल केंद्रीय संस्थानों में ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण उपलब्ध है, न कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीटों के लिए यह चौंकाने वाला है। देश में ओ.बी.सी. के लगभग 3600 छात्र हैं जो इस अधिसूचना के कारण प्रभावित होंगे। इसके कारण तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य होगा क्योंकि यहां कई मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा, ओ.बी.सी. लोगों की एक बड़ी आबादी तमिलनाडु राज्य में रह रही है। राज्य में ओ.बी.सी. को 50 प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। केंद्रीय पूल को इतनी मेडिकल सीटें देने के कारण हम पहले से ही ऐसी सीटों पर 23 प्रतिशत आरक्षण खो रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ओ.बी.सी.

[22*] मूलतः तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद।

को केवल 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है। अब यदि यह 27 प्रतिशत भी प्रदान नहीं किया जाता है, तो तमिलनाडु राज्य केंद्रीय पूल में अपना ओबीसी आरक्षण पूरी तरह से खो देगा जबकि राज्य में लागू होने वाले ओ.बी.सी. के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की नीति थी। कई राजनीतिक दलों ने इस अधिसूचना की निंदा की है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए हुए है। यह एक खतरनाक उदाहरण है। आरक्षण नीति का आधार यह है कि जो लोग समान रूप से नहीं रखे गए हैं, उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि, वे जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से बराबर नहीं हैं, उन्हें उसी तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए जिस तरह से दूसरों का व्यवहार किया जाता है। भारत के संविधान में निहित इस अधिकार को अस्वीकार करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार का एक विभाग इस अधिकार से इनकार कर रहा है। अगर केंद्र सरकार भी इसे संदेहपूर्ण तरीके से स्वीकार कर रही है तो सरकार के कदमों में कई संदेह उत्पन्न होते हैं। हमें संदेह है कि क्या यह देश में आरक्षण नीति को पूरी तरह से खत्म करने की शुरुआत है। इसलिए मैं अपने इस सभा के माध्यम से केंद्र सरकार से इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान बिहार के सुपौल जिला के अंतर्गत प्रतापगंज, भीमनगर और बथनाहा में 57 किलोमीटर तक की बड़ी रेल लाईन के निर्माण के लिए आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह जो क्षेत्र है, वह भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। आज तक इस क्षेत्र की जनता ने रेलवे को नहीं देखा है। वहां पर ब्रिटिश काल में भी 22 किलोमीटर की दूरी तक एक रेलगाड़ी चलती थी। यह रेल वर्ष 1934 में भूकंप और बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गई थी। किंतु उसके बाद से आज तक वहां रेल चलाने की व्यवस्था नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में प्रतापगंज, भीमनगर, बतनहा जो 57 किलोमीटर है, वहां रेल का निर्माण शुरू किया जाए और रेल चलाने के बाद उस क्षेत्र की जनता को संपूर्ण भारत से उस क्षेत्र को जोड़ने का काम किया जाए।

[अनुवाद]

श्री मारगनी भरत (राजामुन्दरी): महोदय अध्यक्ष, धन्यवाद। आज, मैं पौधे उगाने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। हमने प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, कडियम में, हमारे पास 11,500 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी हैं। हम प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं। नासा ने कुछ पांच ऑक्सीजन-रिलीजिंग प्लांटों की भी पहचान की है। तो, भारत सरकार पूरे देश में इस प्रकार के पौधों का वितरण क्यों नहीं कर सकती है? यह एक मुद्दा है।

हमने वैज्ञानिकों से, विशेषकर आई.सी.ए.आर. के, नए पौधे उत्पन्न या पहचानने के लिए पूछा है। हम सभी जानते हैं कि नेदरलैंड, सिंगापुर और थाइलैंड भी नई किस्म के पौधों के उत्पादन में आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मैं कृषि मंत्री जी से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूँ। जैसा कि हम अपनी स्वतंत्रता का 74$^{वां}$ वर्ष मना रहे हैं, हमें इस मामले को तकनीकी रूप से भी उठाना होगा। न केवल कडियम नर्सरी में बल्कि देश भर की अन्य नर्सरी में, विशेष रूप से पुणे, बेंगलुरु और मुंबई में, हम नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने पर पौधों की नई किस्मों की पहचान कर सकते हैं। यह न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भी एक अच्छा संकेत है।

इसलिए, मैं चाहता हूँ कि कृषि मंत्रालय इस मामले को बहुत गंभीरता से देखे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैं कल सभी माननीय सदस्यों को साढ़े 12 बजे से दो बजे तक के समय में शून्य काल में सभी को अपनी बात बोलने का मौका दूंगा। कल मैं सभी को बुलाउंगा। केवल अजय भट्ट जी के बोलने के बाद सुधाकरन जी को बुलाउंगा, उसके बाद आज की कार्यवाही समाप्त करेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जिनकी फ्लाइट है, वे लिख कर दे दें। इनके बाद आपको मौका दे देंगे। अजय जी के बाद सुधाकर जी को मौका देंगे।

अजय जी, आपकी बात पूरी हो गई है?

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): जी नहीं, अभी नहीं सर। अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. सुधाकरन (कन्नूर): महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जा सकती है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आपने अभी तो भाषण दिया है। अब कल मौका देंगे। अजय भट्ट जी के बाद आपको कल मौका देंगे। यह कनफर्म है। ...(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट: महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र नैनीताल-उधमसिंह नगर से एक ट्रेन स्वर्ण मंदिर के लिए, काठगोदाम से सीधे अमृतसर के लिए लगानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिख धर्म को मानने वाले हजारों लोग हल्द्वानी, बाजपुर, काशीपुर, लालकुआं, गदरपुर, जसपुर, रामनगर, रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता से प्रतिदिन पवित्र स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं, नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। वहां की रिश्तेदारियां अधिकतर पंजाब में हैं। चूंकि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए अटारी बॉर्डर तथा वाघा बॉर्डर के लिए वहां के आम लोगों का आना-जाना लगा रहता है।

सदन के संज्ञान में मुझे यह भी लाना है कि फगवाड़ा, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर कपड़े इत्यादि की बड़ी मंडी होने के कारण व्यापारी भी अक्सर वहां जाते हैं। कोई ट्रेन नहीं होने के कारण बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि माननीय रेल मंत्री जी को निर्देशित करने की कृपा करें कि काठगोदाम से अमृतसर तक रेल चलाई जानी बहुत आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्रीमती रेखा अरूण को श्री अजय भट्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री के. सुधाकरन : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय। शून्यकाल के माध्यम से, मैं केरल में 6000 बी.एस.एन.एल. श्रमिकों और इस देश भर में आधे मिलियन श्रमिकों के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहूँगा जो अस्तित्व के लिए गंभीर संघर्ष का सामना कर रहे हैं।

उन्हें पिछले 10 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। केरल में 8000 संविदा श्रमिकों में से 1000 से अधिक को पिछली फरवरी को बिना किसी लाभ के नौकरी से निकाल दिया गया था। बाकी कर्मचारी बिना वेतन के हड़ताल पर हैं। जिन्हें पहले आठ घंटे का काम दिया गया था, उन्हें अब सिर्फ दो घंटे का काम दिया जा रहा है।

महोदय, मेरा आरोप है कि यह सरकार लगातार निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की मदद के लिए देश के प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करने की नीति अपना रही है। यह स्पष्ट है कि केंद्र अपनी नई रोज़गार नीति के तहत कॉरपोरेट संस्थाओं की ओर से श्रमिकों को परेशान कर रहा है।

महोदय, जब सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा की, तो पांच दिनों के भीतर 60,000 से अधिक ने सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना। जब बी.एस.एन.एल. में स्थायी कर्मचारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वापस रहना पर्याप्त सुरक्षित नहीं है, तो अनुबंध श्रमिकों की दुर्दशा के बारे में 'जितना कम कहा जाए, उतना अच्छा है।

केरल में अधिकांश क्षतिग्रस्त भूमि फोन अब जर्जर स्थिति में हैं क्योंकि विभाग से सीधे भुगतान किए गए कर्मचारियों सहित अनुबंध श्रमिकों को, भुगतान नहीं किया जा रहा है। बी.एस.एन.एल. अपने 1.65 लाख स्थायी कर्मचारियों में से 80,000 को सेवानिवृत्त होने का अवसर देने के साथ और संकट का सामना करेगा।

जब दुनिया 5जी पर जाती है, तो पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने से ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां सार्वजनिक क्षेत्र को विनाश का सामना करना पड़ेगा। मैं इस समय सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह श्रमिकों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक समाधान करने और बी.एस.एन.एल. को बचाने के लिए तैयार है।

श्री एम. सेल्वाराज (नागपट्टिनम): बहुत धन्यवाद, महोदय। तिरुचिरापल्ली-नागपट्टिनम रेलवे लाइन ऐतिहासिक लाइनों में से एक है। यह कोलकाता लाइन के बाद ब्रिटिश द्वारा निर्मित दूसरी लाइन थी। लाइन का उपयोग नागपट्टिनम बंदरगाह को थारंगंबदी बंदरगाह से जोड़ने के लिए किया गया था। इसमें पांच जिले शामिल हैं – नागपट्टिनम, थिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और तिरुचिरापल्ली।

शहर, कराईकल, तिरुवरूर, नागपट्टिनम और वेलकन्नी पर्यटन के साथ-साथ धार्मिक स्थल हैं। नागौर और वेलकन्नी चर्च में अंडावर का मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। हर साल भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग इन स्थानों की यात्रा करते हैं। इस क्षेत्र के लगभग एक करोड़ लोग केवल रेलवे पर निर्भर हैं लेकिन दक्षिणी रेलवे इस क्षेत्र की उपेक्षा कर रहा है।

नागौर-तिरुचिरापल्ली लाइन पर केवल एक ट्रेन है। दिन भर मे कोई अन्य ट्रेन नहीं है। चूंकि बहुत सारे यात्री हैं, इसलिए लाइन हमेशा भीड़भाड़ वाली होती है। रेलवे को इस लाइन पर और ट्रेनें शुरू करने पर विचार करना चाहिए। इससे रेलवे को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

तिरुवरूर-काराईकुडी लाइन के आमान परिवर्तन के बाद, केवल डेमो ट्रेन चल रही है। पहले बहुत सारी रेलगाड़ियां थीं, जैसे कम्बन एक्सप्रेस आदि। अब सारी ट्रेनें बंद हो गई हैं। कृपया पिछली ट्रेनों को फिर से शुरू करें। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री मलूक नागर (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं गरीब और किसानों के बारे में एक मिनट से पहले अपनी बात पूरी करूँगा। पूरे देश के किसान आज बहुत परेशान हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में जो समस्या सामने आती है, वह पूरे देश की समस्या है। जब वे अपना मकान बनाते हैं तो पास की जो नदी या नहर है, उसमें से उसको रेत निकालने की इजाजत नहीं है। जब वह अपना घर बनाता है और घर बनाने के लिए अपने खेत से भराव करने के लिए मिट्टी खोद कर लाता है तो उसकी इजाजत नहीं है। जब वह अपने खेत को एकसार करता है, लेवलिंग करता है तो उसकी भी इजाजत नहीं है। तमाम गुर्जर, जाट, जितनी भी

किसान जातियां हैं, बहुत परेशान हैं। दलित, पिछड़े जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकारें इसमें इंटरफेयर करके इसकी इजाजत दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 29 नवंबर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>सांय 07.14 बजे</u>

[अनुवाद]

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 29 नवम्बर, 2019 / 8 अग्रहायण1941 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवाँ संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित